WHITE BOOK

COACH UP IAS

YOUR SELECTION IS OUR BUSINESS

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सिविल सेवा परीक्षा के लिए

IAS COACH ASHUTOSH SRIVASTAVA

IAS COACH MANISH SHUKLA

8009803231 / 9236569979

Saarthi

THE COACH

1 : 1 MENTORSHIP BEYOND THE CLASSES

- **Diagnosis** of candidates based on background, level of preparation and task completed.
- **Customized solution** based on Diagnosis.
- One to One **Mentorship.**
- Personalized schedule **planning.**
- Regular **Progress tracking.**
- **One to One classes** for Needed subjects along with online access of all the subjects.
- Topic wise **Notes Making sessions**.
- One Pager **(1 Topic 1 page)** Notes session.
- **PYQ** (Previous year questions) Drafting session.
- **Thematic charts** Making session.
- **Answer-writing** Guidance Program.
- **MOCK Test** with comprehensive & swift assessment & feedback.

Ashutosh Srivastava
(B.E., MBA, Gold Medalist)
Mentored 250+ Successful Aspirants over a period of 12+ years for Civil Services & Judicial Services Exams at both the Centre and state levels.

Manish Shukla
Mentored 100+ Successful Aspirants over a period of 9+ years for Civil Services Exams at both the Centre and state levels.

1 भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध

परिचय

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अप्रैल, 2024 में कहा था कि चीन और पाकिस्तान को छोड़कर सभी पड़ोसियों के साथ भारत के संबंधों में पिछले समय की तुलना में काफी सुधार हुआ है। चीन के संबंध में उन्होंने कहा कि चीन के साथ भारत के संबंध 'चुनौतीपूर्ण' हैं, लेकिन देश आश्वस्त है और अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है।

भारत के पड़ोसी देशों का ऐतिहासिक अवलोकन

- **ब्रिटिश नीति:** पड़ोसी देशों के प्रति ब्रिटिश नीति अपने भारतीय उपनिवेश को सुरक्षित करने की आवश्यकता से निर्धारित थी। अंग्रेजों ने नेपाल और अफगानिस्तान को क्रमशः चीनी और रूसी राज्यों के विरुद्ध बफर राज्यों के रूप में इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि हिंद महासागर क्षेत्र और पश्चिम एशिया में भी, ब्रिटिश नियंत्रण का उद्देश्य भारतीय सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना था।
- **नेहरू की नीति (1954)**
  - **नेहरूवादी 'पारिवारिक दृष्टिकोण':** 'परिवारिक दृष्टिकोण' ने 'एक सिद्धांत' के विचार को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश विरासत के मद्देनज़र नेहरूवादी युग के दौरान आर्थिक आयामों जैसे कि विकासात्मक परियोजनाओं आदि का निर्माण मुख्य रूप से सुरक्षा पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके किया गया था।
- **गुजराल सिद्धांत (1996)**

गुजराल सिद्धांत के चार स्तंभ

- **गैर-पारस्परिकता:** भारत तत्काल लाभ की उम्मीद किए बिना छोटे पड़ोसियों को सहायता और रियायतें प्रदान करता है, जो कि विश्वास और सद्भावना का निर्माण करता है।
- **अहस्तक्षेप:** भारत पड़ोसी देशों की संप्रभुता का सम्मान करता है, उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से बचता है और शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देता है।
- **विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करना:** पड़ोसियों के साथ विवादों को बातचीत और कूटनीति जैसे शांतिपूर्ण तरीकों से हल किया जाता है, जिससे तनाव बढ़ने से बचा जा सके।
- **व्यापक क्षेत्रीय सहयोग:** भारत साझा समृद्धि के उद्देश्य से आर्थिक एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय पहलों में सक्रिय रूप से संलग्न है।

- **मनमोहन सिद्धांत:** यह बढ़ते हुए व्यापार संबंधों और क्षेत्रीय एकीकरण के माध्यम से परस्पर आर्थिक निर्भरता बनाने पर केंद्रित था। हालाँकि, गठबंधन की राजनीति के कारण बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ भारत के संबंध बिगड़ गए।
- **वर्ष 2014 के बाद:** पड़ोसी प्रथम की नीति, सक्रिय रूप से अपने पड़ोसियों के साथ भारत के संबंधों के साथ संपर्क स्थापित करने पर केंद्रित है। यह नीति वैश्विक सहयोग और शांति को बढ़ावा देते हुए पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने के लिए निर्मित की गई है।

पड़ोसी प्रथम की नीति

पड़ोसी प्रथम की नीति का उद्देश्य पारस्परिक रूप से लाभकारी, जन-उन्मुख क्षेत्रीय ढाँचे के माध्यम से स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना है। यह एक परामर्शकारी, गैर-पारस्परिक और परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण का उपयोग करके पड़ोसी देशों के साथ जुड़ाव को प्राथमिकता देता है।

भारत की 'पड़ोसी प्रथम नीति' उसके निकटतम पड़ोसी देशों, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्याँमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ संबंधों के प्रबंधन के प्रति उसके दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करती है। पड़ोसी प्रथम नीति का उद्देश्य, अन्य तथ्यों के साथ-साथ, पूरे क्षेत्र में भौतिक, डिजिटल और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ाना है, साथ ही व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना है।

नीति के 4 स्तंभ

- पड़ोसी देशों के लिए राजनयिक और राजनीतिक प्राथमिकता।
- इन देशों के विकास के लिए सक्रिय समर्थन।
- क्षेत्र में अधिक से अधिक संपर्क और एकीकरण।
- जहाँ पड़ोसी सहज हों, भारत के नेतृत्व वाले क्षेत्रवाद को बढ़ावा देना।

पड़ोसी प्रथम नीति

- **रणनीतिक स्थिति का लाभ**: दक्षिण एशिया और पश्चिमी हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति का लाभ उठाना।
  - **उदाहरण**: भारत की भौगोलिक स्थिति इसे इस क्षेत्र में प्रभाव और नियंत्रण प्रदान करती है।
- **क्षेत्रीय कूटनीति और वार्ताएँ:** आस-पास के देशों के साथ जुड़कर क्षेत्रीय कूटनीति को सक्रिय करना।
  - **उदाहरण**: दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC) के कामकाज को क्रियाशील बनाने के लिए भारत के प्रयास।

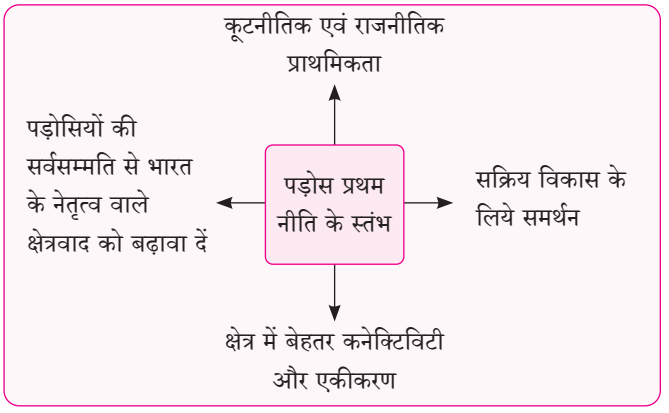

- **आर्थिक सहयोग**: मोटर वाहन, जल शक्ति प्रबंधन और अंतर-ग्रिड कनेक्शन सहित बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) ऊर्जा विकास समूह में शामिल होना।
  - **उदाहरण**: क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग के लिए बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) पहल।
- **द्विपक्षीय मुद्दों का समाधान**: द्विपक्षीय चिंताओं को हल करने के लिए आपसी समझौतों पर जोर देना।
  - **उदाहरण**: भारत और बांग्लादेश ने भूमि सीमा समझौते (LBA) को लागू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- **संपर्क और सहयोग**: क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए सार्क सदस्यों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करें।
  - **उदाहरण**: सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशियाई देशों के साथ भारत के समझौता ज्ञापन।
- **सैन्य और रक्षा सहयोग**: सैन्य सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना।
  - **उदाहरण**: नेपाल के साथ सूर्य किरण और बांग्लादेश के साथ संप्रीति जैसे संयुक्त अभ्यास, साथ ही अफगान राष्ट्रीय सेना के क्षमता निर्माण का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता।

सकारात्मक पहलू

- **भारत का मोनरो सिद्धांत**: 'बिग ब्रदर' की छवि को बदलना। 'पड़ोसी प्रथम' नीति का उद्देश्य पड़ोसियों को गैर-पारस्परिक, परामर्शात्मक और सहकारी विकास सहायता प्रदान करना है।
- **उप-क्षेत्रीय सहयोग**: BBIN और BIMSTEC
  - BBIN और BIMSTEC जैसी पहलें उप-क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देती हैं।
  - श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने उप-क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक आर्थिक एकीकरण रोडमैप का सुझाव दिया।
- **आपातकालीन प्रतिक्रिया**: सार्क सहायता और संचालन। सार्क सहायता कोष और संजीवनी एवं नीर जैसे संचालन आपात स्थितियों के दौरान सहायता प्रदान करते हैं। देशों को चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है, जैसे कि जल संकट के दौरान मालदीव की सहायता करना।
- **कनेक्टिविटी बढ़ाना**: बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ। सागरमाला, मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना, BBIN और कलादान परियोजना जैसी परियोजनाएँ कनेक्टिविटी को बढ़ाती हैं।
- **समुद्री सुरक्षा**: भारत हिंद महासागर क्षेत्र में एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता की भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री मोदी का सागर (SAGAR: Security and Growth for All in the Region) का दृष्टिकोण सभी के लिए सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देता है।
- **विकासात्मक सहायता**: सामुदायिक और त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाएँ। उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएँ और त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाएँ विकासात्मक सहायता प्रदान करती हैं।
- **कोविड-19 सहायता:** कोविड-19 महामारी के दौरान पड़ोसी देशों को सहायता प्रदान करना। सार्क कोविड-19 आपातकालीन कोष की स्थापना और संजीवनी एवं नीर जैसे संचालन ने क्षेत्रीय एकजुटता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए चिकित्सा सहायता, विशेषज्ञता साझा करने और वैक्सीन की आपूर्ति की सुविधा प्रदान की है।

चुनौतियाँ

- **चीनी हस्तक्षेप का बढ़ना**: उदाहरण के लिए, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) परियोजनाओं ने ऋण स्थिरता और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए संभावित प्रभावों के बारे में चिंता जताई है।
- **घरेलू राजनीति**: उदाहरण के लिए, श्रीलंका में तमिल मुद्दा, बांग्लादेश के साथ तीस्ता जल बंटवारे का मुद्दा, रोहिंग्या मुद्दा और म्याँमार में आंतरिक तख्तापलट तथा तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान, इन सभी का इन देशों के साथ भारत के संबंधों पर प्रभाव पड़ा है, जिससे पड़ोसी प्रथम नीति के निर्बाध कार्यान्वयन को बनाए रखना मुश्किल हो गया है।
- **सीमा और नदी जल विवाद**: उदाहरण के लिए, कालापानी-लिपुलेख क्षेत्र को लेकर वर्ष 2020 में भारत और नेपाल के बीच सीमा संघर्ष ने द्विपक्षीय संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया, जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग और विश्वास में गिरावट आई। डोकलाम और गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हाल के गतिरोध के कारण विश्वास की कमी हो गई है।
- **अत्यधिक विश्वास की कमी और क्षेत्रीय राष्ट्रवाद का उदय:** उदाहरण के लिए, भारत-नेपाल के बीच हालिया सीमा संघर्ष, गलवान और डोकलाम में भारत और चीन सीमा विवाद।
- **सार्क की विफलता:** उदाहरण के लिए, भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण स्थगन और पुनर्निर्धारण ने क्षेत्रीय सहयोग पहल को रोक दिया है और सामूहिक विकास की क्षमता को बाधित किया है।

- **आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता:** आपदा प्रतिक्रिया सहयोग, संसाधन प्रबंधन और सहायता प्रदान करना।
  - **उदाहरण**: वर्ष 2016 के भूकंप के बाद पड़ोसी देश नेपाल को भारत की महत्त्वपूर्ण सहायता और वर्ष 2022 में तालिबान के अधिग्रहण के बाद अफगानिस्तान को राहत उपाय प्रदान करना। 'वसुधैव कुटुंबकम' के सिद्धांत के माध्यम से मानवतावाद के दर्शन का पालन करते हुए, भारत द्वारा अपने निकटतम पड़ोसी देशों को COVID-19 स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने का निर्णय।
- **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण**: प्रशिक्षण के माध्यम से अफगान राष्ट्रीय सेना के क्षमता निर्माण का समर्थन करना।
  - **उदाहरण**: अफगान राष्ट्रीय सेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता।

आगे की राह

- **कूटनीति और वार्ता:** प्रमुख मुद्दों और चिंताओं को दूर करने के लिए पड़ोसी देशों की उच्च स्तरीय यात्राएँ और उनकी नियमित वार्ताओं में वृद्धि।
  - **उदाहरण के लिए**, भारत सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने और विश्वास बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर सकता है।
- **लोगों से लोगों का आदान-प्रदान और सांस्कृतिक संबंध**: भारत और उसके पड़ोसियों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान और पर्यटन को प्रोत्साहित करना, बेहतर समझ को बढ़ावा देना।
- **सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करना**: आतंकवाद और सीमा पार अपराधों का मुकाबला करने के लिए खुफिया-साझाकरण तंत्र और समन्वित कार्यों को मजबूत करना।
  - साझा सीमा पर सक्रिय विद्रोही समूहों को संबोधित करने के लिए म्याँमार के साथ भारत का सहयोग एक उदाहरण है।
- **आर्थिक सहयोग और विकास**: पड़ोसी देशों के साथ व्यापार और निवेश पहल को बढ़ावा देना, पारस्परिक रूप से लाभकारी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना।
  - एक उदाहरण ऊर्जा क्षेत्र में बांग्लादेश के साथ भारत का सहयोग है, जैसे कि सीमा पार विद्युत पारेषण लाइनों का निर्माण।
- **उप-क्षेत्रीय और क्षेत्रीय सहयोग**: एकीकरण और सहयोग बढ़ाने के लिए BBIN और BIMSTEC जैसी उप-क्षेत्रीय पहलों की गहनता को बढ़ाना।
  - **उदाहरण के लिए**, पारगमन मार्गों और बुनियादी ढाँचे के विकास के माध्यम से वस्तुओं और लोगों की निर्बाध आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए भारत, भूटान और बांग्लादेश के साथ सहयोग कर सकता है।

भारत की पड़ोसी नीति के मिश्रित परिणाम सामने आए हैं। हालाँकि, इसने आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण जैसे क्षेत्रों में सफलता हासिल की है, लेकिन लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय विवादों को हल करने और क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं। भविष्य में नीति की प्रभावशीलता के लिए निरंतर प्रयास, सक्रिय कूटनीति और पड़ोसी देशों की चिंताओं को दूर करना महत्त्वपूर्ण होगा।

एक्ट ईस्ट पॉलिसी

- दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र के देशों के साथ संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से वर्ष 1992 में शुरू की गई भारत की 'लुक ईस्ट पॉलिसी' को वर्ष 2014 में 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के रूप में उन्नत किया गया, जिसमें इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में विस्तारित पड़ोस पर सक्रिय और व्यावहारिक ध्यान केंद्रित किया गया।
- भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का उद्देश्य भारत - प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों और रणनीतिक संबंधों को विकसित करना है।
- 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' कनेक्टिविटी को, अपने व्यापक अर्थों में, क्षेत्र के विकास और समृद्धि की कुंजी के रूप में मान्यता देती है, जिसमें भौतिक, डिजिटल, आर्थिक और लोगों से लोगों का आवागमन शामिल है।
- दक्षिण-पूर्व राष्ट्रों के संगठन (आसियान) के साथ भारत का संबंध भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के मूल में है।
- इसके अलावा, क्षेत्र के देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के साथ-साथ भारत ने क्षेत्र में विभिन्न बहुपक्षीय और बहुदिशीय संस्थानों में अपनी भागीदारी भी बढ़ाई है, जैसे कि आसियान, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस, आसियान क्षेत्रीय मंच, विस्तारित आसियान समुद्री मंच, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, हिंद महासागर आयोग, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, क्वाड आदि।

भारत के लिए पड़ोसी क्षेत्रों में प्रमुख चुनौतियाँ

सीमा विवाद

- **सभ्यतागत राज्य**: भारत की ऐतिहासिक रूप से, एक क्षेत्रीय राज्य की तुलना में एक सभ्यतागत राज्य के रूप में अधिक पहचान है; जो उपनिवेशवाद, कठिन भू-भाग और घरेलू राजनीति के कारण सीमा विवादों के समाधान में बाधा डालता है।
- **सीमा विवाद**: भारत; पाकिस्तान (कश्मीर), चीन (लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चिन), श्रीलंका (कच्चाथीवू द्वीप) और नेपाल (कालापानी क्षेत्र) के साथ विवादों का सामना कर रहा है। उदाहरण: नेपाल और चीन के साथ हालिया मानचित्र मुद्दा, जहाँ वे भारतीय भूमि पर दावा कर रहे थे।
- **सीमित समाधान सफलता**: भारत ने केवल बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ सीमा मुद्दों को सफलतापूर्वक हल किया है, विवादों को दूर करने के लिए पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध का सामना करना पड़ा है।
  - **उदाहरण**: भारत और चीन की सेना (कोर कमांडर स्तर) के बीच 20 से अधिक दौर की वार्ताएँ
- **सुरक्षा खतरे**: पूर्व विदेश सचिव मुचकुंद दुबे इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि भारत को अपने पड़ोसियों से सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ता है, जिसमें जातीय संघर्षों का प्रसार, बड़े पैमाने पर अवैध प्रवास और भारत के खिलाफ निर्देशित आतंकवाद के ठिकानों के रूप में पड़ोसी देशों का उपयोग शामिल है।

सीमा विवाद क्यों नहीं सुलझ रहे हैं?

- **ऐतिहासिक विरासत**: उपनिवेशवाद के प्रभाव और मनमाने ढंग से सीमाओं के चित्रण सहित जटिल ऐतिहासिक विरासत ने भारतीय सीमा विवादों की जटिलता में योगदान दिया है। उदाहरण के लिए, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद वर्ष 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन से उत्पन्न हुआ।
- **घरेलू राजनीति**: सीमा विवादों के समाधान में घरेलू राजनीतिक विचार और जनभावना महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल और राष्ट्रवादी भावनाएँ

अक्सर भारत सरकार द्वारा अपनाए गए रुख को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, चीन के साथ सीमा विवाद भारतीय घरेलू राजनीति के लिए एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है।

- **विश्वास और संवाद की कमी**: भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच विश्वास की कमी और संवाद के सीमित माध्यम सीमा विवादों के समाधान में बाधा डालते हैं। खुली बातचीत और राजनयिक चैनलों की कमी से गलतफहमी और तनाव बढ़ सकता है। कालापानी क्षेत्र को लेकर नेपाल के साथ सीमा विवाद विश्वास की कमी और संचार अंतराल से उत्पन्न चुनौतियों का उदाहरण है।
- **भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता**: भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और क्षेत्र के अन्य देशों के रणनीतिक हित भारतीय सीमा विवादों के समाधान में बाधा डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान के साथ चीन के घनिष्ठ संबंधों ने कश्मीर विवाद को हल करने के प्रयासों को जटिल बना दिया है।

आगे की राह

- **क्षेत्रीय सहयोग**: सदस्य देशों के बीच संवाद और संघर्ष समाधान हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) जैसे क्षेत्रीय सहयोग ढाँचे को बढ़ाना।
- **कानूनी ढाँचा:** एक निष्पक्ष और गैर-विभेदनकारी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता या कानूनी तंत्र के माध्यम से सीमा विवादों को हल करने के लिए कानूनी ढाँचे को मजबूत करना।
- **राजनयिक जुड़ाव**: पड़ोसी देशों के साथ निरंतर बातचीत में शामिल होने के लिए राजनयिक प्रयासों को बढ़ाना, विश्वास और सहयोग के माहौल को बढ़ावा देना।
- **विश्वास-निर्माण के उपाय**: आपसी समझ को बढ़ावा देने और तनाव को कम करने के लिए संयुक्त सीमा गश्त, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों के बीच बातचीत जैसे विश्वास-निर्माण के उपायों को लागू करना।
- **ट्रैक-II कूटनीति**: अनौपचारिक संवादों को सुविधाजनक बनाने और सीमा विवादों के वैकल्पिक समाधान उत्पन्न करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों, थिंक टैंक और शिक्षाविदों को शामिल करते हुए ट्रैक-II कूटनीति पहल को प्रोत्साहित करना।

नदी विवाद

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के अनुसार, वर्ष 2030 तक, विश्व की लगभग आधी आबादी गंभीर जल संकट से पीड़ित होगी। नदी विवाद पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान सहित अपने पड़ोसियों के साथ भारत के नदी तटीय संबंधों को निर्धारित करेंगे।

ब्रह्मपुत्र नदी और भारत-चीन-बांग्लादेश संबंध

- **ब्रह्मपुत्र पर चीनी बाँध:** ब्रह्मपुत्र पर चीन के अपस्ट्रीम बाँध जानबूझकर डाउनस्ट्रीम जल प्रवाह को प्रतिबंधित करते हैं।
- **चीन के बाँधों पर चिंता**: भारत और बांग्लादेश को आशंका है कि ब्रह्मपुत्र पर चीन के बाँध राजनीतिक संकट के दौरान पानी को मोड़ सकते हैं।
- **तीस्ता पर भारतीय बाँध:** ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता नदी पर भारत के बाँध शुष्क मौसम के दौरान बांग्लादेश की जल आपूर्ति के लिए चिंता पैदा करते हैं।
- **तीस्ता पर समझौता विफल**: पश्चिम बंगाल सरकार के विरोध के कारण भारत और बांग्लादेश तीस्ता नदी के लिए जल बंटवारे के समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर सके।
- **भारत-नेपाल**: कोसी नदी विवाद ने भारत और नेपाल के बीच संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। 1954 ई. में कोसी समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बावजूद, दोनों सरकारों के बीच बातचीत रुक गई है, जिससे जल अधिकारों के मुद्दे अनसुलझे हैं। परिणामस्वरूप, पहले बाँध की उपेक्षा हुई और दूसरे बाँध के लिए साझेदारी स्थापित करने में विफलता के कारण वार्ता आगे नहीं बढ़ सकी।

आगे की राह

- **बेहतर संवाद और सहयोग**: नदी विवादों को हल करने और संयुक्त नदी प्रबंधन परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए भारत और उसके पड़ोसियों के बीच नियमित और सार्थक संवाद को बढ़ावा देना। उदाहरण: भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि, सिंधु नदी के जल साझाकरण को सुविधाजनक बनाती है।
- **स्थायी जल-साझाकरण समझौतों को लागू करना**: साझा नदी संसाधनों का स्थायी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्ष और वैज्ञानिक जल-साझाकरण समझौतों की स्थापना करना। उदाहरण: भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारा संधि, जिससे गंगा नदी के पानी का उचित वितरण सुनिश्चित होता है।
- **जल प्रबंधन बुनियादी ढाँचे में निवेश**: कुशल जल उपयोग के लिए मजबूत बुनियादी ढाँचे का विकास करना और बाँधों, जलाशयों और सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से विवादों को कम करना। उदाहरण: गंगा नदी के प्रवाह का प्रबंधन करने के लिए भारत द्वारा फरक्का बैराज का निर्माण।
- **पर्यावरण संरक्षण और सहयोग**: संघर्षों को कम करने और सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए जल संसाधनों के संरक्षण और स्थायी प्रबंधन के लिए संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा देना। उदाहरण: नेपाल, भारत और बांग्लादेश महाकाली संधि के माध्यम से महाकाली नदी बेसिन के स्थायी प्रबंधन पर सहयोग कर रहे हैं।

व्यापार बाधाएँ

दक्षिण एशिया विश्व स्तर पर सबसे कम आर्थिक रूप से एकीकृत क्षेत्रों में से एक बना हुआ है, जिसमें संरक्षणवादी नीतियाँ, उच्च रसद (लॉजिस्टिस्क) लागत, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और विश्वास की कमी व्यापार विकास में बाधा डालती है। यद्यपि, अपने पड़ोसियों के साथ भारत के व्यापार की मात्रा में वृद्धि हुई है, तथापि यह अपेक्षाकृत कम बनी हुई है, जो वैश्विक व्यापार का केवल 1.7%-3.8% है।

कम व्यापार के कारण

- **ऐतिहासिक कारक**: भारत द्वारा एक समाजवादी आर्थिक मॉडल और आयात प्रतिस्थापन की नीति को अपनाने के साथ-साथ पड़ोसी देशों में घरेलू अस्थिरता ने इस क्षेत्र में व्यापार बाधाओं में योगदान दिया है।
- **द्विपक्षीय संघर्ष**: सीमा विवाद, नदी जल विवाद और भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले संघर्षों ने क्षेत्रीय एकीकरण और व्यापार को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।
- **अप्रभावी क्षेत्रीय संगठन**: भारत-पाकिस्तान संघर्ष के कारण सार्क की विफलता और SAPTA और SAFTA की सीमित प्रभावशीलता ने क्षेत्रीय व्यापार सहयोग को बाधित किया है।
- **कनेक्टिविटी की चुनौतियाँ** कठिन भू-भाग, अविकसित अंतर्देशीय जलमार्ग और अपर्याप्त सीमा अवसंरचना ने भारत और उसके पड़ोसियों के बीच व्यापार और आर्थिक एकीकरण में बाधा उत्पन्न की है।
- **राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी**: राष्ट्र निर्माण, सुरक्षा और रक्षा पर प्राथमिक ध्यान देने से क्षेत्रीय व्यापार एकीकरण के लिए प्राथमिकता और प्रतिबद्धता की कमी हो गई है।

- **आर्थिक गैर-पूरकता**: निर्यात बाजारों में सीमित विविधीकरण और अतिव्यापन, विशेष रूप से कपड़ा और परिधान निर्यात में, दक्षिण एशियाई देशों के बीच आपसी व्यापार लाभ को बाधित किया है।

आगे की राह

- **मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) का पुनर्मूल्यांकन**: बिम्सटेक और भारत-श्रीलंका FTA जैसे क्षेत्रीय समझौतों को मजबूत करना।
- **NTB को समाप्त करना**: आयात बाधाओं और सब्सिडी को दूर करना और व्यापार बाधाओं को हल करने के लिए ऑनलाइन तंत्र को लागू करना।
- **सीमा पार बुनियादी ढाँचे को बढ़ाना**: सड़कों, हवाई, रेल संपर्कों और एकीकृत चेक-पोस्ट (ICPs) में सुधार
- **वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना**: उप-सहारा अफ्रीका के ऑनलाइन तंत्र जैसे सफल मॉडलों से सीख।
- **राजनीतिक इच्छाशक्ति**: संरक्षणवाद पर नियंत्रण और दीर्घकालिक व्यापार हितों को प्राथमिकता देना।

उभरता हुआ चीनी हस्तक्षेप

दक्षिण एशिया में भारत की अनूठी भौगोलिक स्थिति और इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती रुचि, विशेष रूप से अफगानिस्तान में, भू-राजनीतिक चिंताओं को बढ़ाती है। चीन का लक्ष्य अफगानिस्तान को अपनी बेल्ट एंड रोड (BRI) पहल में एकीकृत करना है, लेकिन विभिन्न गुटों और उइगर मुद्दे के साथ अपने संबंधों के कारण जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र की स्थिरता और चीन के आर्थिक निवेश का भारत और अन्य क्षेत्रीय भागीदारों पर प्रभाव पड़ेगा।

भारत के लिए प्रभाव

- **आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा:** पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों में बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में चीन का निवेश भारत के लिए आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) में, 'व्यापार व निवेश को भारत से दूर करने' और 'चीन को इस क्षेत्र में अधिक आर्थिक लाभ' देने की क्षमता है।
- **सामरिक प्रतिस्पर्द्धा:** भारत और चीन के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्द्धा का एक उदाहरण लद्दाख के हिमालयी क्षेत्र में सीमा विवाद है। गलवान घाटी में वर्ष 2020 की सीमा झड़प जैसी चीन की मुखर कार्रवाई, विवादित क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए चल रहे तनाव और प्रतिस्पर्द्धा को उजागर करती है।
- **क्षेत्रीय गतिशीलता:** नेपाल और मालदीव जैसे देशों में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, जिससे क्षेत्रीय गतिशीलता में बदलाव आया है। उदाहरण के लिए, नेपाल के साथ चीन के बढ़ते आर्थिक और राजनीतिक संबंधों ने भारत-नेपाल संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है, फलस्वरूप, उसके पड़ोसी देश में भारत के प्रभाव में परिवर्तन हुआ है।
- **सुरक्षा चिंताएँ** हिंद महासागर में चीन की सैन्य उपस्थिति, जिसमें नौसेना की तैनाती और जिबूती जैसे देशों में सैन्य ठिकानों की स्थापना शामिल है, भारत के लिए सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाती है। यह चीन की शक्ति प्रक्षेपण क्षमताओं के दायरे को बढ़ाता है और संभावित रूप से भारत के प्रभाव के पारंपरिक क्षेत्र पर अतिक्रमण करता है।
- **संतुलन अधिनियम**: भारत ने चीन के प्रभाव को संतुलित करने के साधन के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करने की माँग की है। इन देशों के बीच चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (Quad) का गठन इस क्षेत्र में चीन के उदय को संतुलित करने के लिए रणनीतिक गठबंधन बनाने के भारत के प्रयासों का एक उदाहरण है।
- **चीन-पाकिस्तान गठबंधन**: चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) परियोजना और इसका गहराता गठजोड़ मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध करने और कश्मीर मुद्दे पर चिंता जताने के भारत के प्रयासों में बाधा डालता है।
- **ऋण जाल कूटनीति**: चीन द्वारा ऋण जाल कूटनीति का उपयोग श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह के 99 साल के पट्टे पर अधिग्रहण में स्पष्ट है, जो भारत के लिए आर्थिक और रणनीतिक चुनौतियाँ पेश करता है।

आगे की राह

- **पड़ोसी पहले**: गैर-पारस्परिकता के गुजराल सिद्धांत को अपनाते हुए, भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ राजनयिक और राजनीतिक संबंधों को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें समान लाभ की उम्मीद किए बिना आपसी लाभ पर जोर दिया जाता है।
- **सार्क को पुनर्जीवित करना**: सहयोग, संवाद और क्षेत्रीय एकीकरण के लिए एक मंच के रूप में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को पुनर्जीवित करना, सहयोग को सुविधाजनक बनाना और रोजमर्रा की चुनौतियों का समाधान करना।
- **परियोजना समाप्ति में तेजी लाना**: क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नेपाल और भूटान में पनबिजली परियोजनाओं के साथ-साथ कलादान मल्टीमॉडल परियोजना जैसी प्रमुख परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना सुनिश्चित करना।
- **क्वाड (QUAD) और मिनीलेटरल का लाभ उठाना**: क्वाड देशों और अन्य मिनी लेटरल के साथ सहयोग करते हुए, भारत क्षेत्र के भीतर कनेक्टिविटी में सुधार, आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए परियोजनाओं का संयुक्त कार्यान्वयन चाहता है।
- **सीमा और जल विवादों का समाधान**: विश्वास की कमी को दूर करने और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने, स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सीमा और नदी जल विवादों के समाधान में सक्रिय रूप से शामिल होना।

आतंकवाद

वैश्विक आतंकवाद सूचकांक (GTI) 2023 में भारत 13वें स्थान पर है।

पाकिस्तान द्वारा राज्य प्रायोजित आतंकवाद

- **सीमा पार हमले**: पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह, भारत के खिलाफ कई सीमा पार हमलों में संलिप्त रहे हैं।
  - वर्ष 2020 में, कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LoC) पर कई घटनाएँ हुईं, जिनमें हंदवाड़ा और पुंछ हमले शामिल हैं, जहाँ भारतीय सुरक्षा बलों ने कथित रूप से पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ के प्रयासों को विफल कर दिया।
- **छद्म (प्रॉक्सी) युद्ध:** पाकिस्तान पर क्षेत्र में हमले करने के लिए जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) जैसे आतंकवादी समूहों का समर्थन करने और उनका उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। एक हालिया उदाहरण आतंकवादियों का है जिन्होंने राजौरी के डांगरी गाँव में दोहरे हमलों में अल्पसंख्यक समुदाय के सात नागरिकों की हत्या कर दी।

- **सुरक्षित ठिकाने:** पाकिस्तान पर अपनी सीमाओं के भीतर आतंकवादी समूहों को सुरक्षित पनाह देने का आरोप लगाया गया है। एक प्रमुख उदाहरण पाकिस्तान में अफगान तालिबान और उसके नेतृत्व की उपस्थिति है, जो क्षेत्र में शांति और स्थिरता प्राप्त करने के प्रयासों में अफगानिस्तान और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय रहा है।
- **व्यापार का निम्न स्तर:** आतंकवाद आर्थिक संबंधों को सीमित करता है, जैसा कि सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत-पाकिस्तान व्यापार प्रतिबंधों में देखा गया है।
- **भारत की छवि पर प्रभाव:** आतंकवाद भारत की वैश्विक स्थिति को प्रभावित करता है, जो एक स्थिर और सुरक्षित शक्ति के रूप में इसके उदय में बाधा डालता है।
- **आर्थिक एकीकरण को सुदृढ़ करना:** आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने और अस्थिर द्विपक्षीय संबंधों पर निर्भरता को कम करने के लिए दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) जैसी क्षेत्रीय पहलों के माध्यम से व्यापार उदारीकरण और आर्थिक परस्पर निर्भरता को प्रोत्साहित करना।
- **क्षेत्रीय पहलों को बढ़ावा देना:** संवाद, सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) और बिम्सटेक (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल) जैसे क्षेत्रीय मंचों में सक्रिय रूप से भाग लेना।

सॉफ्ट लोन डिप्लोमेसी

- पड़ोसियों को भारत का 15 अरब डॉलर तक का आसान कर्ज: पूर्व राजदूत, एच.वी. शृंगेरी
- सॉफ्ट लोन मूल रूप से बाजार में उपलब्ध अन्य पारंपरिक ऋणों की तुलना में आसान नियमों और शर्तों पर एक ऋण है। इसका तात्पर्य है कि कम ब्याज दर वाले ऋण, इसमें लंबी पुनर्भुगतान अवधि भी शामिल हो सकती है।
- **महत्त्व:** यह सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए एक राजनयिक उपकरण के रूप में कार्य करता है, आर्थिक संबंधों में सुधार करता है और विकास में भूमिका निभाता है और देशों के बीच संबंधों, विश्वास निर्माण में भी सुधार करता है।
- **प्रमुख शब्दावली:** सतत विकास, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सामाजिक एकजुटता, सामूहिक सुरक्षा, आर्थिक एकीकरण, आतंकवाद विरोधी सहयोग, क्षेत्रीय गतिशीलता, भूराजनीतिक प्रतिद्वंद्विता।

- **आतंकवाद विरोधी सहयोग:** क्षेत्रीय स्थिरता पर आतंकवाद के प्रभाव को कम करने के लिए चरमपंथी विचारधाराओं से निपटने में खुफिया जानकारी साझा करने, संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियानों और सहयोग को बढ़ाना।
- **परमाणु जोखिम न्यूनीकरण:** परमाणु टकराव के जोखिम को कम करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास-निर्माण उपायों और वार्ता में संलग्न होना, जिसमें परमाणु सिद्धांत, संचार माध्यमों और संकट प्रबंधन तंत्र पर चर्चा शामिल है।
- **सहयोग बढ़ाना:** सीमा विवादों और संघर्षों को दूर करने के लिए बातचीत और राजनयिक प्रयासों को बढ़ावा देना, क्षेत्र के देशों के बीच विश्वास-निर्माण के उपायों को बढ़ावा देना।

विगत वर्षों के प्रश्न

- "भारत में बढ़ते हुए सीमापारीय आतंकवादी हमले और अनेक सदस्य राज्यों के आतंरिक मामलों में पाकिस्तान द्वारा बढ़ता हुआ हस्तक्षेप सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) के भविष्य के लिए सहायक नहीं है।" उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। **(2016)**
- शीतयुद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में, भारत की पूर्वोन्मुखी नीति के आर्थिक और सामरिक आयामों का मूल्यांकन कीजिए। **(2016)**
- परियोजना 'मौसम' को भारत सरकार की अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने की एक अद्वितीय विदेश नीति पहल माना जाता है। क्या इस परियोजना का एक रणनीतिक आयाम है? चर्चा कीजिए। **(2015)**
- "चीन अपने आर्थिक संबंधों और सकारात्मक व्यापार अधिशेष को, एशिया में सम्भाव्य सैनिक शक्ति हैसियत को विकसित करने के लिए, उपकरणों के रूप में इस्तेमाल कर रहा है", इस कथन के प्रकाश में, उसके पड़ोसी के रूप में भारत पर इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिए। **(2017)**
- 'मोतियों का हार' (द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स) से आप क्या समझते हैं? यह भारत को किस प्रकार प्रभावित करता है? इसका सामना करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों की संक्षिप्त रूपरेखा दीजिए। **(2013)**
- गुजराल सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? क्या आज इसकी कोई प्रासंगिकता है? विवेचना कीजिए। **(2013)**

2 भारत -पाकिस्तान

परिचय

भारत-पाकिस्तान संबंध, भारत के पड़ोसियों के बीच सबसे जटिल संबंधों में से एक है, भारत, पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध चाहता है, जिसके लिए हिंसा और आतंक की अनुपस्थिति की आवश्यकता है। दोनों देशों के बीच भाषाई, सांस्कृतिक, भौगोलिक और आर्थिक संबंध हैं, लेकिन राजनीतिक और ऐतिहासिक कारकों के कारण उनके संबंध जटिल हैं।

भारत-पाक संबंध समय रेखा

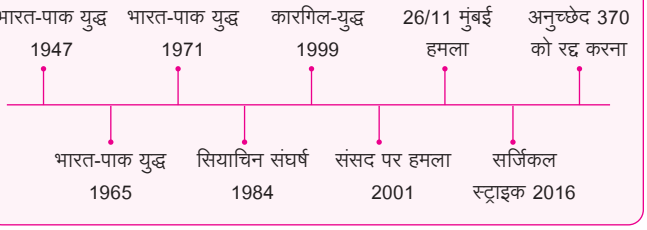

भारत-पाकिस्तान संबंधों में प्रमुख मुद्दे

सीमा विवाद

- **कश्मीर:**
  - **युद्ध:** दोनों देशों ने कश्मीर मुद्दे पर 3 युद्ध लड़े हैं।
  - **मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण:** पाकिस्तान का उद्देश्य कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करना है जबकि भारत 1972 ई. के शिमला समझौते के अनुसार इसे एक द्विपक्षीय मुद्दा मानता है।
  - **कश्मीर केंद्र बिंदु:** विद्वानों के अनुसार यह माना जाता है कि जब तक कश्मीर मुद्दा हल नहीं हो जाता, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सामान्य नहीं होंगे।
- **सियाचिन:**
  - **ऑपरेशन मेघदूत:** खराब मौसम के कारण NJ9842 से आगे नियंत्रण रेखा (LoC) का सीमांकन नहीं किया जा सका।
  - **हताहत:** पिछले 10 वर्षों में मौसम संबंधी घटनाओं के कारण सियाचिन ग्लेशियर में सेना के 167 जवानों की जान चली गई।
  - **अंतिम समझौता अनिर्णीत:** दोनों देश तीन बार सियाचिन ग्लेशियर पर एक समझौते के करीब पहुँचे- वर्ष 1989,1992 और फिर वर्ष 2006 में।
- **चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC):** चीन की BRI परियोजना पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) से होकर गुजरती है और यह भारत की संप्रभुता को प्रभावित करती है। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) इसी पहल का हिस्सा है।
- **सर क्रीक:**
  - **भौगोलिक स्थिति:** यह 92 किलोमीटर की दलदली भूमि है जो गुजरात को सिंध से अलग करती है।
  - **सीमा की व्याख्या:** यहाँ सीमा की असहमति कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा रेखा की व्याख्या के इर्द-गिर्द केंद्रित है।
  - **भारत का दावा:** भारत का दावा है कि सीमा मध्य-चैनल में स्थित है जैसा कि 1925 ई. में बनाए गए एक अन्य मानचित्र में दर्शाया गया है, और 1924 ई. में मध्य-चैनल स्तंभों की स्थापना की गई थी।
- **गिलगित-बाल्टिस्तान मुद्दा:** हाल ही में पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान को 'प्रांतीय दर्जा' दिया है जिससे यह पाकिस्तान का 5वाँ प्रांत बन गया है। यह पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य का हिस्सा है।

अन्य मुद्दे

असममित संतुलन: पाकिस्तान कश्मीर को अस्थिर करने के लिए आतंकवाद का उपयोग करता है। भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए कश्मीर सीमा के साथ पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) में कई आतंकवादी लॉन्च पैड स्थापित किए गए हैं।

चीन-पाकिस्तान सदाबहार मित्र

- **दो मोर्चों पर संघर्ष की संभावना:** लद्दाख में हाल ही में भारत-चीन सीमा गतिरोध ने उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी सीमाओं के दो मोर्चों पर संघर्ष की संभावना बढ़ा दी है।
- **रणनीतिक घेराबंदी:** चीन, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) और ग्वादर बंदरगाह के माध्यम से भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान का भी उपयोग कर रहा है।
- **बढ़ती चीन-पाकिस्तान-ईरान-रूस धुरी:** इससे भारत की उत्तरी सीमाओं के साथ-साथ हिंद महासागर में भी सुरक्षा को खतरा है।

व्यापार

- वर्ष 2022 में भारत ने पाकिस्तान को 653 मिलियन डॉलर का निर्यात किया।
- भारत से पाकिस्तान को निर्यात किए जाने वाले मुख्य उत्पाद; अपरिष्कृत चीनी (219 मिलियन डॉलर), वैक्सीन, रक्त, एंटीसेरा, विषाक्त पदार्थ और कल्चर (79.4 मिलियन डॉलर) और नाइट्रोजन हेटेरोसाइक्लिक यौगिक (47.1 मिलियन डॉलर) थे।
- भारत, वर्ष 2022 में आर्थिक जटिलता सूचकांक (0.64) में 40वें स्थान पर है।
- वर्ष 2022 में, पाकिस्तान ने भारत को 18.1 मिलियन डॉलर का निर्यात किया।
- पाकिस्तान से भारत को निर्यात किए जाने वाले मुख्य उत्पाद यात्री और मालवाहक जहाज (17.1 मिलियन डॉलर), उष्णकटिबंधीय फल (233,000 डॉलर) और अन्य तैलीय बीज (227,000 डॉलर) थे।
- आर्थिक जटिलता सूचकांक (0.45) में पाकिस्तान 99वें स्थान पर है।

आगे की राह

- **UFA समझौते पर आधारित वार्ता:** 'UFA' समझौते पर आधारित भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत आतंकवाद से लड़ने, मछुआरों को मुक्त करने, सैन्य कर्मियों से मिलने और धार्मिक पर्यटन को बढ़ाकर राजनयिक संपर्कों में नए आयाम जोड़ेगी।
- **सॉफ्ट और हार्ड पावर का समन्वय:** भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत बढ़ाने के लिए, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के साथ-साथ सॉफ्ट और हार्ड पावर का समन्वय आवश्यक है।
- **अंतरराष्ट्रीय दबाव:** अंतरराष्ट्रीय संगठनों का उपयोग पाकिस्तान पर आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए दबाव बनाने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि पाकिस्तान को वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की ग्रे सूची में शामिल करना, जिससे उसकी सरकार के लिए ऐसे समय में अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच बनाना अधिक कठिन हो जाता है, जब उसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है।
- **जैश-ए-मोहम्मद से निपटना:** संयुक्त राष्ट्र द्वारा मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी के रूप में घोषित करने से पाकिस्तान पर उसकी संपत्तियों को फ्रीज करने और जैश-ए-मोहम्मद स्थित संगठन के अस्तित्व को कमजोर करने का दबाव बढ़ेगा, जो भारतीय सैन्य ठिकानों पर कई हमलों के लिए जिम्मेदार है।

पाकिस्तान की बिगड़ती अर्थव्यवस्था और भारत पर इसका असर

- **पाकिस्तान में बढ़ता चीनी प्रभाव:** इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस (ICRIER) के अनुसार पाकिस्तान की गहरी आर्थिक समस्याएँ संकेत देती हैं कि भारत को पाकिस्तान और सामान्य रूप से दक्षिण एशिया में बढ़ते चीनी प्रभाव को स्वीकार करना पड़ सकता है।
- **भारत के खिलाफ गैर-अनुकूल गतिविधियाँ:** जब संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) ने पाकिस्तान को तत्कालीन सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (USSR) के गुटों के खिलाफ अपने छद्म युद्ध में शामिल किया, तो पाकिस्तान के सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान ने भारत के खिलाफ प्रतिकूल गतिविधियों को करने में सक्षम महसूस किया।
- **स्थिरता में निहित रुचि:** हालाँकि, हर कोई यह नहीं मानता कि पाकिस्तान चीन के समर्थन से भारत के खिलाफ एक साहसिक नीति का पालन करेगा। चीन, पाकिस्तान में अपने निवेश के माध्यम से, शांति में नहीं तो स्थिरता में निहित स्वार्थ रखेगा।
- इसके अलावा, चीन ने पहले साबित कर दिया है कि वह पाकिस्तान पर संयम बरत सकता है।
- **भारत विरोधी गतिविधियाँ:** यह कहना जल्दबाजी होगी कि चीन-पाकिस्तान गठबंधन के परिणामस्वरूप भारत विरोधी गतिविधियाँ बढ़ेगीं या घटेगीं।
- **एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता:** हालाँकि, हमारे पड़ोस में एक अस्थिर परिदृश्य से उत्पन्न जोखिमों की भरपाई करने के लिए, भारत को पाकिस्तान के बाहरी दाताओं के साथ जुड़ने के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता हो सकती है।
- **कट्टरपंथी बहुसंख्यकवाद का प्रभाव:** पाकिस्तान का दु:खद भाग्य आज इस क्षेत्र को एक सबक सिखाता है कि कैसे कट्टरपंथी बहुसंख्यकवाद किसी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने पर कहर बरपा सकता है।
- **परिणामों का आकलन:** इसके परिणामस्वरूप, भारत को आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में पाकिस्तान की विफलता के अल्पकालिक, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों का आकलन करना जारी रखना चाहिए।

सिंधु नदी जल संधि (IWT)

- **पृष्ठभूमि:** पाकिस्तान ने बार-बार भारत की ओर से पनबिजली परियोजनाओं के विकास पर आपत्ति जताई है, संधि को लागू करने में अपनी 'हठधर्मिता' का प्रदर्शन किया है।
- **सिंधु नदी जल संधि (IWT) और इसकी विवाद समाधान प्रक्रिया:** सिंधु नदी जल संधि (IWT), सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के उपयोग के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता है जिसकी मध्यस्थता विश्व बैंक (WB) ने 1960 ई. में कराची में की थी।

भारत ने बदलाव की माँग को लेकर पाकिस्तान को नोटिस क्यों जारी किया है?

- भारत ने विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ और विश्व बैंक द्वारा गठित एक अदालत द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से एक साथ विवाद समाधान तंत्र के लिए पाकिस्तान के दबाव पर अपनी निराशा व्यक्त की है।
- झेलम नदी की सहायक नदी किशनगंगा नदी पर किशनगंगा परियोजना का उद्घाटन वर्ष 2018 में किया गया था। चिनाब नदी पर रतले पनबिजली परियोजना वर्तमान में निर्माणाधीन है।
- पाकिस्तान ने भारतीय बाँधों के डिजाइन को लेकर चिंता जताई है। वर्ष 2013 में मध्यस्थता अदालत के एक अंतरिम आदेश ने भारत को किशनगंगा बाँध का निर्माण फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी। आदेश में कहा गया है कि पानी के मोड़ को रोकना पाकिस्तान के प्रदर्शित उपयोग पर आधारित होना चाहिए, जो विवाद शुरू होने पर उसके पास नहीं था।
- लेकिन पाकिस्तान के अनुसार: इसकी चिंताएँ महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि सहायक नदियों का जल, जिसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, खाद्य सुरक्षा और देश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिरता के लिए आवश्यक है।
- संधि का अनुच्छेद 9 एक विवाद समाधान प्रक्रिया को रेखांकित करता है।
- संधि के तहत, दोनों देश पहले स्थायी आयोग के माध्यम से विवादों को हल करने का प्रयास करने और एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति में विश्व बैंक की सहायता लेने या यदि आवश्यक हो तो नीदरलैंड के हेग में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में मध्यस्थ स्थापित करने पर सहमत हुए हैं।
- हालाँकि, पाकिस्तान ने पहले विश्व बैंक से एक तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्त करने के लिए कहा क्योंकि यह एक मतभेद था और बाद में वर्ष 2016 में एक मध्यस्थता की माँग की जैसे कि मामला एक विवाद था, भले ही भारत एक तटस्थ विशेषज्ञ रखने के लिए सहमत हो गया था।
- वर्ष 2016 में, विश्व बैंक ने समानांतर प्रक्रियाओं को यह कहते हुए निलंबित कर दिया था कि विरोधाभासी परिणामों का जोखिम था जो संभावित रूप से संधि को ही खतरे में डाल सकता था।
- विश्व बैंक का मानना है कि पिछले वर्षों में शामिल सभी पक्षों द्वारा सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, एक स्वीकार्य समाधान खोजने में सफलता की कमी संधि के लिए ही एक जोखिम है। इसलिए, इसने भारत और पाकिस्तान द्वारा अनुरोध की गई दो अलग-अलग प्रक्रियाओं को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है।
- भारत ने तर्क दिया है कि दो समानांतर विवाद समाधान प्रक्रियाएँ संधि के अनुरूप नहीं हैं और विश्व बैंक समझौते की व्याख्या करने की स्थिति में नहीं है।

पाकिस्तान में सरकार का परिवर्तन और भारत पर इसका प्रभाव

- शहबाज शरीफ ने हाल ही में संपन्न चुनावों के बाद पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी।
- पाकिस्तान के संदर्भ में भारत की नीति को अलग से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि भारत के प्रति नवाज शरीफ के नरम दृष्टिकोण के तीन कार्यकालों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जिसमें वर्ष 1999 में शांति वार्ता के लिए पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बैठक के साथ-साथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ अच्छे संबंध साझा करना शामिल है।
- शहबाज शरीफ को भी अक्सर अपने पूर्ववर्ती के विपरीत भारत के प्रति कम उग्र माना जाता है। स्वयं एक व्यवसायी होने के नाते उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों का समर्थन किया है।
- हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि भारत के साथ संबंध विशुद्ध रूप से देश के नागरिक नेतृत्व द्वारा नहीं बल्कि सैन्य नेतृत्व द्वारा भी परिभाषित किए जाते हैं। शायद इमरान खान सरकार की तुलना में भारत के प्रति उनका रुख नरम हो सकता है।
- हालाँकि, दो कारणों से नीति में बड़े बदलाव की संभावना बहुत कम है। पहला कारण पाकिस्तान की वर्तमान घरेलू उथल-पुथल है। अविश्वास मत के बाद पाकिस्तानी जनता में पर्याप्त ध्रुवीकरण हुआ है, जिसमें वर्तमान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शामिल हैं और भारत की ओर किसी भी सुलह के कदम से जनता की ओर से बड़ी प्रतिक्रिया हो सकती है।
- दूसरा, हाल के वर्षों में, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्द्धा तेज हो गई है, जिसमें भारत-पाकिस्तान संबंधों को प्रभावित करने की क्षमता है। पाकिस्तान और चीन के संबंध सौहार्दपूर्ण संबंधों और मजबूत रणनीतिक साझेदारी के इतिहास से चिह्नित हैं, जबकि भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध हाल के वर्षों में काफी बढ़े हैं, विशेष रूप से वर्ष 2020 में 2+2 वार्ता के दौरान बुनियादी आदान-प्रदान और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने और चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (QUAD) की स्थापना के बाद।
- शायद संबंधों में सुधार का सबसे आशाजनक संकेत नियंत्रण रेखा पर चल रहा युद्धविराम है जो मार्च, 2021 से जारी है। युद्धविराम भारत के लिए एक महत्त्वपूर्ण समय पर आया, जो गलवान में चीन के साथ झड़पों के बीच दो मोर्चों पर युद्ध को लेकर चिंतित था।

निष्कर्ष

तीव्र आर्थिक संवृद्धि और विकास की क्षमता होने के बावजूद, दक्षिण एशिया प्रगति करने में असमर्थ रहा है। यह मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच विवादों तथा तनाव के कारण है। बेहतर भारत-पाकिस्तान संबंध यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उपमहाद्वीप के लिए किसी भी संभावित खतरे का समाधान किया जाए। विश्वास पर आधारित समर्थन और सहयोग एक सफल एवं शांतिपूर्ण दक्षिण एशिया के निर्माण में सक्षम हो सकता है।

प्रमुख शब्दावलियाँ

निवारण तंत्र, भारत विरोधी गतिविधि, रणनीतिक घेराबंदी, स्थिरता में निहित रुचि, दो-मोर्चे का संघर्ष, असममित संतुलन।

विगत वर्षों के प्रश्न

- "भारत में बढ़ते हुए सीमापारीय आतंकी हमले और अनेक सदस्य राज्यों के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान द्वारा बढ़ता हुआ हस्तक्षेप सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) के भविष्य के लिए सहायक नहीं हैं।" उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। **(2016)**
- आतंकवादी गतिविधियों और परस्पर अविश्वास ने भारत-पाकिस्तान संबंधों को धूमिल बना दिया है। खेलों और सांस्कृतिक आदान-प्रदानों जैसी मृदु शक्ति किस सीमा तक दोनों देशों के बीच सद्भाव उत्पन्न करने में सहायक हो सकती है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। **(2015)**

3 भारत-बांग्लादेश

परिचय

संबंधों के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत और बांग्लादेश में 'क्षेत्र की संपूर्ण भू-अर्थव्यवस्था' को बदलने की क्षमता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों का स्वर्णिम दौर ('सोनाली अध्याय') बताया।

भारत-बांग्लादेश संबंधों का महत्त्व

- **भू-रणनीतिक महत्त्व:** उत्तर-पूर्व के लिए कनेक्टिविटी और सुरक्षा- चूँकि यह क्षेत्र चारों ओर से स्थल-रुद्ध है और बांग्लादेश के माध्यम से इसकी बेहतर कनेक्टिविटी है।
- **समुद्री सुरक्षा:** चूँकि, यह बंगाल की खाड़ी में रणनीतिक रूप से स्थित है, इसलिए यह महत्त्वपूर्ण समुद्री संचार लाइनों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है।
- **एक्ट ईस्ट नीति:** बांग्लादेश दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए भारत का सेतु है तथा BBIN (बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल) और बिम्सटेक (BIMSTEC) पहलों में एक महत्त्वपूर्ण साझेदार है।
- **व्यापार संबंध:** बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वर्ष 2022 में भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 18.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
  - दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) का सदस्य होने के नाते भारत और बांग्लादेश दोनों को एक-दूसरे के बाजार में टैरिफ रियायत के मामले में प्राथमिकता मिलती है।
- प्रस्तावित बांग्लादेश-भारत व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते में वस्तुओं, सेवाओं और व्यापार में निवेश को शामिल किया जाएगा।
- **कनेक्टिविटी:**
  - **भारत-बांग्लादेश अंतर्देशीय जलमार्ग मार्ग:** यह मार्ग त्रिपुरा को बांग्लादेश के माध्यम से भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग से जोड़ता है।
  - **रेल संपर्क:** वर्तमान में, बांग्लादेश और भारत के बीच पाँच रेल संपर्क चालू हैं।
  - भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 2010 में हस्ताक्षरित पारगमन समझौते (Transit Agreement) के तहत बांग्लादेश भारत को परिवहन के तीन साधनों पर पारगमन सुविधाएँ प्रदान करता है: अंतर्देशीय जल, रेल और तटीय शिपिंग।
  - **तटीय नौवहन:** वर्ष 2018 में, बांग्लादेश और भारत ने तटीय नौवहन समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो भारत को त्रिपुरा, असम और मेघालय में माल परिवहन के लिए चटगाँव और मोंगला बंदरगाहों का उपयोग करने की अनुमति देता है। समझौते के तहत भारत के लिए कोई पारगमन शुल्क या सीमा शुल्क नहीं है। इससे भारत की उत्तर-पूर्व कनेक्टिविटी और विकास नीतियों को बढ़ावा मिलेगा।
  - वर्ष 2023 में अखौरा-अगरतला रेल लिंक का उद्घाटन किया गया जो त्रिपुरा के माध्यम से बांग्लादेश और पूर्वोत्तर को जोड़ता है।
- **नीली अर्थव्यवस्था:** भारत और बांग्लादेश हाइड्रोकार्बन की खोज, समुद्री संसाधनों, गहरे समुद्र में मत्स्यन, समुद्री पारिस्थितिकी संरक्षण और प्रबंधन में सहयोग कर रहे हैं।
- **रोहिंग्या मुद्दा:** वर्ष 2018 में भारत ने बांग्लादेश के मानवीय प्रयासों में सहायता करने के लिए 'ऑपरेशन इंसानियत' के तहत 3,00,000 रोहिंग्याओं की मदद के लिए आपूर्ति भेजी थी।

संबंधों में चुनौतियाँ

- **तीस्ता नदी विवाद:** तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के धान उत्पादक क्षेत्रों के लिए सिंचाई का एक प्रमुख स्रोत है।
  - सभी देश 1996 ई. की गंगा जल संधि के अनुरूप तीस्ता जल का न्यायसंगत वितरण चाहते थे।
- नदी के न्यूनतम जल प्रवाह को सुनिश्चित रखने के लिए वर्ष 2011 में एक समझौता हुआ था जिसके तहत भारत को 42.5% जल, बांग्लादेश को 37.5% जल तथा और शेष 20% जल स्वतंत्र प्रवाह के लिए छोड़ा गया।
- **अवैध प्रवासन:** देश में अशांति के परिणामस्वरूप बांग्लादेशी सीमा पार प्रवासियों के प्रवाह ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है।
- **चीन के प्रभाव का मुकाबला करना:** परमाणु प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आधुनिक कृषि पद्धतियों और बाढ़ के आँकड़ों के आदान-प्रदान के माध्यम से बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना, देश में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने में सहायक होगा।
- **फरक्का बैराज:** यद्यपि दोनों देश वर्ष 1996 में गंगा जल के बँटवारे पर एक समझौते पर पहुँच गए थे, फिर भी भारत द्वारा फरक्का बैराज के निर्माण और संचालन के संबंध में लंबे समय से असहमति है जिसे हुगली नदी की जल आपूर्ति के पूरक के रूप में बनाया गया था।
  - बांग्लादेश की शिकायत है कि उसे शुष्क मौसम के दौरान उचित मात्रा में पानी नहीं मिलता है तथा जब भारत मानसून के मौसम में अतिरिक्त पानी छोड़ता है तो उसके कुछ क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं।
- **उग्रवाद:** दोनों देशों के बीच असहमति का एक मुख्य मुद्दा उग्रवाद है।
- **नदी जल बँटवारा:** दोनों देशों के बीच मुख्य मुद्दों में से एक जल को लेकर असहमति है।
  - भारत और बांग्लादेश 54 नदियों का जल साझा करते हैं।
  - अपनी साझा नदी प्रणालियों के लाभों को अधिकतम करने के लिए, दोनों देशों ने जून, 1972 में एक द्विपक्षीय संयुक्त नदी आयोग (Joint Rivers Commission) की स्थापना की।

सरकारी पहलें

- **सीमा सुरक्षा:** वर्ष 2015 का भूमि सीमा समझौता। सीमा सुरक्षा ग्रिड (Border Protection Grid) की स्थापना और अपराध मुक्त सीमा का निर्माण।
- **कनेक्टिविटी:** भारत से माल की आवाजाही के लिए चटगाँव और मोंगला बंदरगाहों के उपयोग पर मानक संचालन प्रक्रिया पर समझौता।
- **वैक्सीन मैत्री:** भारत ने बांग्लादेश को 109 एम्बुलेंस उपहार में दीं और अनुदान के रूप में कोविड-19 वैक्सीन की 1.2 मिलियन खुराक भी दान की।

कोविड-19 महामारी के दौरान भारत-बांग्लादेश संबंध

- बांग्लादेश ने फरवरी, 2021 में भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर कोविड-19 टीकाकरण, यानी **कोवीशील्ड वैक्सीन का विस्तार किया। महामारी के दौरान, भारत ने बांग्लादेश को लगभग 3.3 मिलियन खुराकों की सप्लाई की।**
- हालाँकि, कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान भारत में बिगड़ते हालात के कारण भारत ने बांग्लादेश को टीके बेचना बंद कर दिया, जिससे टीकाकरण गतिविधियाँ प्रभावित हुईं।
- **भारत पहुँचाए गए राहत सहायता बॉक्स में, बांग्लादेश द्वारा बेक्सिमको द्वारा उत्पादित रेमडेसिविर की लगभग 10,000 शीशियाँ थीं, साथ ही जिंक, कैल्शियम, एंटीवायरल इंजेक्शन, ओरल एंटीवायरल, 30,000 PPE किट और अन्य गोलियाँ भी थीं।**

बांग्लादेश में चुनाव और भारत पर इसका प्रभाव

- प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश में लगातार चौथी बार ऐतिहासिक रूप से सत्ता में लौटीं, जब उनकी पार्टी अवामी लीग ने राष्ट्रीय चुनावों में दो-तिहाई सीटें हासिल कीं। बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री हसन महमूद ने चुनावों में भारत के रुख की सराहना की।
- वर्तमान सरकार के तहत भारत के बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध हैं। इस जीत से दोनों देशों के बीच लंबे समय में और अधिक सहयोग की संभावना है।

इंडिया आउट अभियान

- हाल के आम चुनावों के बाद बांग्लादेश में 'इंडिया आउट' अभियान विपक्ष द्वारा देश में अपनी राजनीतिक संभावनाओं को आगे बढ़ाने का एक प्रयास प्रतीत होता है।
- बांग्लादेश राष्ट्रवादी दल (BNP) का भारत के साथ रिश्ता खराब रहा है। इसने अतीत में भारतीय हितों को नुकसान पहुँचाने और अपने घरेलू राजनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए भारत विरोधी बयानबाजी और नीतियों का इस्तेमाल किया है।
- हालाँकि, इसका वर्तमान अवतार- 'इंडिया आउट' अभियान मालदीव जैसे एक समान आंदोलन से प्रेरित प्रतीत होता है जिसका नेतृत्व तत्कालीन विपक्षी और अब सत्तारूढ़ गठबंधन, प्रगतिशील गठबंधन कर रहा है।
- मालदीव की तरह ही बांग्लादेश में भी विपक्ष देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुँचाने और भारत के साथ घनिष्ठ संबंध रखने के लिए सरकार की आलोचना कर रहा है। वे कथित चुनावी धोखाधड़ी, देश की घरेलू राजनीति और संस्थाओं में हस्तक्षेप करने तथा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों को हल न करने के लिए भारत की निंदा भी कर रहे हैं। भारत और भारतीय नीतियों की आलोचना करने के लिए धर्म का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

- **विकासात्मक सहायता:** वर्ष 2010 से भारत ने बांग्लादेश को 7.4 बिलियन डॉलर की राशि के 3 ऋण स्वीकृत किए हैं।
- **युवा:** भारत ने बांग्लादेश के युवाओं के लिए भारत में विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु विशेष 'स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति' की घोषणा की।
- **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परमाणु प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण उपयोग, बिग डेटा तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा में प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवाएँ।

आगे की राह

- **चीन के प्रभाव का मुकाबला करना:** परमाणु प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आधुनिक कृषि पद्धतियों और बाढ़ डेटा विनिमय में बांग्लादेश की सहायता करने से बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध मजबूत होंगे तथा भारत, चीन के प्रभाव का अधिक प्रभावी ढंग से विरोध करने में सक्षम होगा।
- **शरणार्थी संकट से निपटना:** भारत और बांग्लादेश अन्य दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) देशों को शरणार्थियों पर सार्क घोषणा पत्र का मसौदा तैयार करने के लिए राजी करने में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं जिसमें शरणार्थी और आर्थिक प्रवासियों की स्थिति निर्धारित करने के लिए विस्तृत प्रक्रियाओं की रूपरेखा होगी।
- **तीस्ता नदी जल विवाद का समाधान:** तीस्ता नदी जल बँटवारे के दायरे पर आपसी समझौता प्राप्त करने के लिए, बंगाल और केंद्र दोनों सरकारों को आपसी समझ के साथ मिलकर काम करना चाहिए और सहकारी संघवाद का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** जैसे-जैसे वैश्विक ऊर्जा संकट बिगड़ता जा रहा है, यह महत्त्वपूर्ण है कि भारत और बांग्लादेश दक्षिण एशिया की मदद के लिए स्वच्छ और हरित ऊर्जा का उपयोग करने के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत और बांग्लादेश के पास अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पर्याप्त अवसर हैं। इन संबंधों का आधार सहयोग, सहभागिता और एकीकरण होना चाहिए। प्रगति के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण शर्त शांति है। नतीजतन, एक सुरक्षित, शांत और अपराध मुक्त सीमा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी सीमा प्रबंधन आवश्यक है।

प्रमुख शब्दावलियाँ

तीस्ता नदी जल विवाद, ऊर्जा सुरक्षा, चीन का मुकाबला, शरणार्थी संकट, वैक्सीन मैत्री, नीली अर्थव्यवस्था, भू-रणनीतिक महत्त्व, एक्ट ईस्ट नीति।

विगत वर्षों के प्रश्न

- बांग्लादेश के ढाका में शाहबाग स्क्वायर में हुए विरोध प्रदर्शनों ने समाज में राष्ट्रवादी और इस्लामी शक्तियों के बीच मौलिक मतभेद उजागर किया है। भारत के लिए इसका क्या महत्त्व है? **(2013)**

4 भारत-नेपाल

परिचय

भारत और नेपाल के बीच एक अनोखा सहयोग और मित्रता का रिश्ता है जिसकी विशेषता खुली सीमाएँ और लोगों के बीच रिश्तेदारी एवं संस्कृति के गहरे संपर्क हैं। 1950 ई. की भारत-नेपाल शांति और मैत्री संधि भारत और नेपाल के बीच मौजूद विशेष संबंधों का आधार है।

भारत नेपाल संबंध

- **आर्थिक:** भारत, नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है जो दो-तिहाई से अधिक माल व्यापार, महत्त्वपूर्ण निवेश और पेट्रोलियम आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। वर्ष 2002-2003 से भारत का नेपाल के साथ व्यापार अधिशेष रहा है जो पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रहा है। औसत व्यापार संतुलन अनुपात वर्ष 2002-2003 में 40% से बढ़कर वर्ष 2018-2019 में 80% हो गया है।
- **राजनीतिक:** भारत और नेपाल के बीच इतिहास, संस्कृति और धर्म में निहित मजबूत द्विपक्षीय संबंध हैं, लेकिन वे लगातार सीमा विवादों का सामना करते हैं। खुली सीमा मुक्त आवागमन को सक्षम बनाती है और दोनों देश SAARC और BIMSTEC के सदस्य हैं।
- **सामाजिक:** दोनों देशों के बीच विवाह और पारिवारिक संबंधों के माध्यम से घनिष्ठ संबंध हैं जिन्हें 'रोटी-बेटी का रिश्ता' के रूप में जाना जाता है।
- **सांस्कृतिक संबंध:** भारत और नेपाल एक समृद्ध हिंदू और बौद्ध विरासत साझा करते हैं। दोनों सरकारों ने इस साझा सांस्कृतिक विरासत का लाभ उठाने का भी प्रयास किया है। इसके अलावा, भारत और नेपाल ने जनकपुर एवं अयोध्या, काठमांडू तथा वाराणसी और लुम्बिनी एवं बोधगया को जोड़ने के लिए सिस्टर-सिटी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
  - भारत द्वारा पाटन दरबार में दो विरासत परियोजनाओं का वित्तपोषण: पशुपतिनाथ रिवरफ्रंट विकास और भण्डारखाल गार्डन पुनरुद्धार।
- **जल संसाधन:** नेपाल की नदियाँ गंगा नदी बेसिन के लिए महत्त्वपूर्ण हैं और वर्ष 2008 में स्थापित एक द्विपक्षीय तंत्र भारत और नेपाल के बीच जल संसाधन तथा जल विद्युत सहयोग को संबोधित करता है।
- **निवेश:** नेपाल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारतीय कंपनियों का वर्चस्व है, जो कुल स्वीकृत निवेश का 40% है तथा वहाँ लगभग 150 भारतीय उद्यम संचालित हैं।
- **रक्षा सहयोग:** भारतीय और नेपाली सेनाएँ वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास 'सूर्य किरण' का आयोजन करती हैं। भारतीय सेना के महत्त्वपूर्ण अंग 'गोरखा' का नेपाल की सेना के साथ 200 साल से भी पुराना गहरा संबंध है। भारत, नेपाली सेना को आधुनिकीकरण में सहायता के लिए उपकरण और प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।
- **आपदा प्रबंधन:** दोनों देश सामूहिक आपदा प्रतिक्रिया के लिए बिम्सटेक में भाग ले रहे हैं। वर्ष 2015 के दौरान भारत की सहायता की नेपाल द्वारा भी सराहना की गई है।
- **कनेक्टिविटी:** चूँकि, नेपाल चारों ओर से स्थल-रुद्ध देश है, इसलिए समुद्र तक पहुँच के लिए वह भारत पर निर्भर है।
  - दोनों देश रेल संपर्क की पेशकश करने पर सहमत हो गए हैं और नेपाल को हिंद महासागर से जोड़ने के लिए नेपाल में अंतरदेशीय जलमार्ग विकसित करने पर भी कार्य कर रहे हैं।
  - सीमा पर एकीकृत जाँच बंदरगाहों की स्थापना ने भी व्यापार और पारगमन को आसान बना दिया है। हाल ही में बीरगंज और विराटनगर बंदरगाहों की स्थापना की गई है।

भारत-नेपाल संबंधों में मुद्दे

- **सीमा पर कड़ा नियंत्रण और सख्ती:** सीमा पर कड़े नियंत्रण और सख्ती से सीमाओं के पार नकदी की आवाजाही और भुगतान में बाधाएँ आ रही हैं।
- **परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलंब:** नेपाल और भारत के बीच विश्वास की कमी ने नेपाल में विभिन्न भारतीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है।
  - **घरेलू राजनीति:** हालिया वर्षों में भारतीय मीडिया में नेपाल के संबंध में सनसनीखेज रिपोर्टिंग होती रही है जिसमें नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री के.पी. ओली द्वारा भारत के प्रयासों से उन्हें पदच्युत करने की साजिश रचने के निराधार आरोप जैसे गैर-जिम्मेदाराना बयान शामिल हैं। साथ ही, नेपाल सीमा पुलिस द्वारा एक भारतीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या ने तनाव को और बढ़ा दिया तथा सार्थक संपर्क के लिए प्रतिकूल वातावरण पैदा कर दिया।
  - दोनों पड़ोसियों के बीच बढ़ती विश्वास की कमी- विशेष रूप से वर्ष 2015 की अनौपचारिक भारतीय नाकेबंदी के बाद से ऐसा हुआ जिसने नेपाल की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया और दोनों देशों में क्षेत्रीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ।
- **नया जियोपॉलिटिकल ग्रेट गेम:**
  - **उन्नत साझेदारी:** शी जिनपिंग की यात्रा के दौरान, नेपाल और चीन ने अपने संबंधों को 'सदाबहार मैत्रीपूर्ण सहयोग की व्यापक साझेदारी' से बढ़ाकर 'विकास और समृद्धि के लिए सदाबहार मैत्रीपूर्ण सहयोग की रणनीतिक साझेदारी' तक बढ़ाया।
  - **प्रत्यर्पण संधि:** चीन ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) पर भी हस्ताक्षर किए और प्रत्यर्पण संधि के शीघ्र समापन की आशा व्यक्त की।

- **हिमालयी 'चतुर्भुज':** चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल के बीच हाल ही में हुई हिमालयी 'चतुर्भुज' बैठक भी दक्षिण एशिया में भारत को रोकने के चीनी प्रयास को उजागर करती है।
- **रक्षा सहयोग:** पहली बार, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) और नेपाली सेना ने वर्ष 2017 और 2018 में दो संयुक्त सैन्य अभ्यास किए।

आगे की राह

- **मैत्री संधि का संशोधन:** काठमांडू, 1950 ई. की भारत-नेपाल मैत्री संधि के समग्र संशोधन के एक भाग के रूप में सीमा पर यातायात को विनियमित करना चाहता है।
- **'बिग ब्रदर' की छवि:** भारत को अपनी 'बिग ब्रदर' की नकारात्मक छवि के प्रति सचेत रहना होगा, क्योंकि देश में घरेलू राजनीतिक सत्ता का खेल हर कुछ महीनों में एक नई समस्या पैदा करता है।
- **समयबद्ध परियोजनाएँ:** भारत को समय पर परियोजनाएँ पूर्ण करने की चुनौती का सामना करना होगा।
- **पारगमन समझौता:** भारत के अंतरदेशीय जलमार्गों के माध्यम से नेपाल को व्यापार में सहायता करने के लिए तथा यात्रा के दौरान अन्य संपर्क समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए।
- **सूक्ष्म प्रबंधन से बचना:** यद्यपि नेपाल के साथ खुली सीमा ने दोनों पक्षों के लोगों के बीच संबंधों को बनाए रखने में मदद की है, लेकिन नेपाल में भारत का कथित 'सूक्ष्म प्रबंधन' अच्छा नहीं माना जाता है जैसा कि वर्तमान प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने दावा किया था।

भारत-नेपाल क्षेत्रीय विवाद

इतिहास और वर्तमान:

- **खुली सीमाएँ:** दोनों देश लगभग 1,800 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय खुली सीमा साझा करते हैं जिसका प्रबंधन द्विपक्षीय शांति और मैत्री संधि (1950) के तहत किया जाता है।
  - सुगौली की संधि (1816) के साथ पहली बार औपचारिक रूप से सीमा का सीमांकन किया गया था।
  - संधि की धारा 5 के तहत नेपाल ने काली नदी के पश्चिमी क्षेत्र पर अपना दावा छोड़ दिया। इस प्रकार, काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बन गई।
- **नेपाल की स्थिति:** नेपाल का दावा है कि उसने 1950 ई. के दशक के प्रारंभ में वहाँ जनगणना कराई थी और अपने दावे के समर्थन में वह 1815 ई. की सुगौली संधि का हवाला देता है।
- **भारत का रुख:** हालाँकि, कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख के क्षेत्र काली नदी के पश्चिम में स्थित हैं, लेकिन भारत ने ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र को नियंत्रित किया है और दावा करता है कि सीमा कालापानी से शुरू होती है जहाँ नदी शुरू होती है।
- **दोनों सरकारें 1981 ई. में सीमा स्तंभों को पुन**: निर्धारित करने के लिए भारत-नेपाल सीमा संयुक्त तकनीकी समिति के गठन पर सहमत हुईं।
- उन्होंने सीमाओं के प्रबंधन के लिए 1981 ई. में नेपाल-भारत संयुक्त सीमा निरीक्षण तंत्र और वर्ष 1997 में नेपाल-भारत संयुक्त सीमा प्रबंधन समिति की भी स्थापना की।
- **नो-मैन्स लैंड:** हालाँकि, कालापानी सीमा का अभी भी उचित रूप से सीमांकन किया जाना बाकी है, विशेष रूप से क्षेत्र में तथाकथित 'नो-मैन्स लैंड' का।
- सी. राजा मोहन, भारत-नेपाल क्षेत्रीय विवाद को "द्विपक्षीय संबंधों के बाह्य और आंतरिक संदर्भ में सामने आ रहे संरचनात्मक परिवर्तनों का एक लक्षण मात्र" बताते हैं।

भारत-नेपाल सीमा संघर्ष

- **भारत-चीन युद्ध और कालापानी:** 1962 ई. के भारत-चीन युद्ध के बाद से कालापानी पर भारत का प्रशासन रहा है।
- नेपाल द्वारा कालापानी पर दावा, तत्कालीन नेपाली साम्राज्य और ब्रिटिश भारत के बीच हस्ताक्षरित 1816 ई. की सुगौली संधि से एक शताब्दी पहले का है।
  - इस संधि द्वारा काली नदी को इस क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच सीमा के रूप में नामित किया गया है।
- **स्पष्टता और आम सहमति का अभाव:** नदी के सटीक स्थान पर स्पष्टता और आम सहमति की कमी के कारण दोनों देशों के बीच इस बात पर विवाद रहा है कि कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख से युक्त भूमि नेपाल या भारत का हिस्सा है या नहीं।
- **सुस्ता क्षेत्र:** सुस्ता क्षेत्र गंडक नदी (नेपाल में नारायणी नदी के नाम से भी जानी जाती है) के तट पर स्थित है। सुस्ता क्षेत्र में विवाद का मुख्य स्रोत गंडक नदी का बदलता मार्ग है।

नेपाल में भारत कालापानी सीमा विवाद

- **कालापानी का स्थान:** 20,000 फीट की ऊँचाई पर, कालापानी कैलाश मानसरोवर मार्ग पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के पूर्वी भाग में स्थित है।
- **सीमा क्षेत्र:** काली नदी का कालापानी खंड दोनों देशों के बीच सीमा को चिह्नित करता है।
- **काली नदी का उद्गम:** भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद काली नदी के उद्गम स्थान में भिन्नता के कारण उत्पन्न हुआ, क्योंकि प्रत्येक देश ने इस क्षेत्र पर अपने-अपने दावों के समर्थन में मानचित्र विकसित किए थे।
- **कालापानी विवाद पर भारत का रुख:**
  - **सुगौली संधि:** इन धाराओं के उत्तर की भूमि सुगौली संधि द्वारा परिभाषित नहीं है, क्योंकि काली नदी लिपुलेख दर्रे से काफी नीचे झरनों से निकलती है।
- **कालापानी विवाद पर नेपाल की स्थिति:**
  - **लिपुलेख को मिटा दिया गया:** लिम्पियाधुरा में लिपुलेख के उत्तर में काली नदी में एक धारा बहती है। भारत का पक्ष लेने के लिए, अधिकारियों ने लिपुलेख को देश के नक्शे से मिटा दिया।
  - **अवशिष्ट चीनी खतरे:** 1962 ई. के भारत-चीन युद्ध के बाद, राजा महेंद्र ने भारत को कालापानी प्रांत की पेशकश की, ताकि अवशिष्ट चीनी खतरों से भारत की सुरक्षा चिंताओं को कम किया जा सके।
  - कालापानी क्षेत्र भारत-नेपाल विवाद का कारण नहीं है। यह नेपाल का क्षेत्र था जिसे नेपाल के राजा द्वारा अस्थायी रूप से उपयोग के लिए भारत को सौंप दिया गया था।

समाचार में रहे हालिया मुद्दे

नेपाल द्वारा मानचित्र

- नेपाल ने एक नया राष्ट्रीय मानचित्र जारी किया है जिसमें पड़ोसी भारत द्वारा दावा किये जाने वाले क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है जिसकी भारत ने तीखी आलोचना की है।
- इसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी शामिल हैं। नेपाल के नए नक्शे में विवादित भूमि के छोटे-से हिस्से को चीन और भारत के बीच उत्तर-पश्चिमी सीमा के भीतर दर्शाया गया है।
- नेपाल के करेंसी नोट पर भारतीय क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा।
- **हालिया सौदे:**
  - भारत ने घोषणा की थी कि वह एक दीर्घकालिक अंतर-सरकारी विद्युत व्यापार समझौते के समर्थन के साथ 10 वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट विद्युत खरीदेगा।
  - भारत ने पिछले वर्ष नवंबर में आए भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित जाजरकोट और रुकुम पश्चिम के पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को 10 अरब रुपए की वित्तीय सहायता देने पर भी सहमति व्यक्त की है।
  - भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के तहत नेपाल विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकादमी तथा न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के बीच नेपाली उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए भी समझौता हुआ है।
  - नेपाल में उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं (HICDPs) के कार्यान्वयन के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

आगे की राह

- **तत्काल कार्रवाई करना:** नेपाल के साथ संबंधों के महत्त्व को देखते हुए, जिसे अक्सर 'रोटी-बेटी' के रूप में पेश किया जाता है, भारत को इस मुद्दे से निपटने में देरी नहीं करनी चाहिए, विशेषकर ऐसे समय में जब वह पहले से ही लद्दाख और सिक्किम में चीन के साथ विवाद में है।
- **सीमा पर खामियों को दूर करना:** चूँकि, सीमा पार लोगों की अप्रतिबंधित आवाजाही की अनुमति है, इसलिए भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में नेपाल का बहुत बड़ा रणनीतिक महत्त्व है, क्योंकि आतंकवादी अक्सर भारत में घुसपैठ करने के लिए नेपाल का उपयोग करते हैं।
  - स्थिर और अच्छे संबंधों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता: परिणामस्वरूप, एक शर्त जिसे भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता, वह है नेपाल के साथ स्थिर और अच्छे संबंध।
- **सदियों पुराने इस रिश्ते में लापरवाही के कारण गिरावट:** भारत को नेपाल के नेतृत्व को यह भी समझाने का प्रयास करना चाहिए कि भारत में 6 से 8 मिलियन नेपाली नागरिकों को कितना सुखद और स्वागतयोग्य परिवेश मिलता है। परिणामस्वरूप, इस सदियों पुराने रिश्ते में लापरवाही के कारण कोई भी गिरावट दोनों देशों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

निष्कर्ष

भारत और नेपाल के बीच मौजूदा द्विपक्षीय संधियों में हिमालय की नदियों की आवाजाही का ध्यान नहीं रखा गया है। इसका एक बड़ा कारण ऐसी रणनीति का अभाव है जिसमें पारिस्थितिकी संबंधी विचारों तथा नदी की माँगों पर अक्सर विचार किया जाता है। फलस्वरूप, भारत और नेपाल को सभी साझा पर्यावरणीय मुद्दों पर विचार करके अपने सीमा संबंधी मुद्दों को हल करने का प्रयास करना चाहिए।

प्रमुख शब्दावलियाँ

लापरवाही के कारण गिरावट, सुगौली संधि, सूक्ष्म प्रबंधन से बचना, बिग ब्रदर, नो-मैन्स लैंड।

5 भारत-अफगानिस्तान

परिचय

अफगानिस्तान 'ग्रेट गेम्स' और 'साम्राज्यों के कब्रिस्तान' का केंद्र रहा है। गांधार-भारत संबंध, जिसे अक्सर अफगानिस्तान-भारत संबंध के रूप में जाना जाता है, अफगानिस्तान के साथ भारत के कूटनीतिक संबंधों को दर्शाता है। भारत के अफगान संबंधों का अनूठा पहलू सैन्य भागीदारी के बजाय आर्थिक सहयोग रहा है।

भारत के लिए अफगानिस्तान का महत्त्व

- **भू-रणनीतिक:**
  - **स्थान:** पूर्व, पश्चिम, मध्य और उत्तर-पूर्व एशिया से संबंद्धता।
    - ईरान, भारत, चीन और रूस जैसे महत्त्वपूर्ण देशों से निकटता।
    - शीत युद्ध के बाद से, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच ग्रेट गेम का केंद्र।
  - **क्षेत्रीय शक्ति संतुलन:** अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता, भारत के क्षेत्रीय नेतृत्व एवं वैश्विक शक्ति के दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है।
  - **मैत्री संधि:** 1949 ई. में भारत और अफगानिस्तान ने मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए।
  - **चीनी प्रभाव का मुकाबला करना:** बेल्ट एंड रोड (BRI) परियोजना और अन्य विकास पहलों के माध्यम से चीन इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है।
  - **आंतरिक सुरक्षा:** अफगानिस्तान कट्टरपंथी विचारधारा, मादक पदार्थों के क्रय-विक्रय और तस्करी का केंद्र है। इसलिए शांतिपूर्ण अफगानिस्तान क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है।
- **अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता:** भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने दुशांबे (ताजिकिस्तान) में आयोजित वार्ता के दौरान आतंकवाद से लड़ने के लिए अफगानिस्तान की क्षमता को मजबूत करने का आह्वान किया।

भू-राजनीतिक

- **पड़ोसी प्रथम नीति:** सुरक्षा और समृद्धि के लिए क्षेत्रीय ढाँचे विकसित करने पर जोर देना, जो जन-केंद्रित, पारस्परिक रूप से लाभकारी और समावेशी हों।
- **OBOR (वन बेल्ट वन रोड) पहल का मुकाबला:** चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान भारत के लिए एक मजबूत साझेदार हो सकता है।
- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए दावा मजबूत करना:** ऐसी स्थिति में जब अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन भी कजाकिस्तान में स्थानांतरित हो गया है, भारत मानवीय सहायता दे रहा है।
- **राजनीतिक स्थिरता:** अफगानिस्तान में स्थिरता भारत के हित में है। दिल्ली घोषणा पत्र में अफगानिस्तान के लिए एक 'समावेशी सरकार' की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है जिसमें समाज के सभी पहलुओं के सदस्य शामिल हों।
- **भू-आर्थिक:**
  - **कनेक्टिविटी:** वाणिज्य और व्यापार के लिए महत्त्वपूर्ण केंद्र तथा स्थल-रुद्ध मध्य एशिया का प्रवेश द्वार।
    - वर्ष 2017 में भारत-अफगानिस्तान एयर फ्रेट कॉरिडोर व्यापार के लिए खोला गया।
  - **खनिज संपदा:** अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का अनुमान है कि अफगानिस्तान में 1 ट्रिलियन डॉलर मूल्य के खनिज संसाधन हैं, जिनमें ताँबा, लौह और अन्य धातुएँ शामिल हैं।
  - **ऊर्जा सुरक्षा:** अफगानिस्तान में गैस और तेल सहित अविकसित हाइड्रोकार्बन के विशाल भंडार हैं। इसके अलावा, यह TAPI पाइपलाइन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।
  - **व्यापार:** भारत और अफगानिस्तान के बीच एक अधिमान्य व्यापार समझौते ने अफगान सूखे मेवों की कुछ श्रेणियों (38 उत्पादों) के लिए 50% से 100% तक की पर्याप्त टैरिफ रियायतें प्राप्त करने की अनुमति दी।
  - **सहायता:** भारत ने वर्ष 2002 से 2021 के बीच अफगानिस्तान को 4 बिलियन डॉलर की विकास सहायता प्रदान की।

भारत-अफगानिस्तान विकास साझेदारी

राजनीतिक

- **ऑपरेशन एनड्यूरिंग फ्रीडम:** वर्ष 2001 में भारत ने मित्र देशों के सैनिकों को सूचना और सैन्य सहायता प्रदान की।
- **सार्क में प्रवेश:** भारत ने वर्ष 2005 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) में अफगानिस्तान को शामिल करने पर जोर दिया।
- **रणनीतिक साझेदारी समझौता:** दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए वर्ष 2011 में भारत और अफगानिस्तान के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

आर्थिक

- **व्यापार और वाणिज्य:**
  - **अधिमान्य व्यापार समझौता (2003):** इसके परिणामस्वरूप भारत ने अफगान सूखे मेवों की एक विशिष्ट श्रेणी (38 उत्पाद) पर 50% से 100% तक महत्त्वपूर्ण शुल्क कटौती की अनुमति दी।

- **2016 में पहल:** प्रधानमंत्री ने भारत को उच्च गुणवत्ता वाली, आसानी से सस्ती दवाइयों की आपूर्ति करने और सौर ऊर्जा के विकास में सहयोग करने के लिए परस्पर सहमत साधनों का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा। अब भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा विमानन मार्ग उपलब्ध है।

- **विकासात्मक सहायता:**
  - **जरांज से डेलाराम:** अफगानिस्तान से ईरानी सीमा तक और फिर चाबहार बंदरगाह तक माल और सेवाओं के परिवहन को आसान बनाने के लिए, जरांज से डेलाराम तक 218 किमी सड़क का निर्माण किया गया (निर्माण पूरा हो गया है)।
  - **ट्रांसमिशन लाइन:** काबुल से पुल-ए-खुमरी तक 220 kV DC ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण।
  - **सलमा बाँध विद्युत परियोजना:** हेरात प्रांत में सलमा बाँध विद्युत परियोजना का निर्माण और उसे शुरू करना (42 मेगावाट)।
  - **अफगान संसद:** भारत ने अफगान संसद के निर्माण में सहायता की।
  - **अन्य सहायता:** भारत ने काबुल के लिए शहतूत बाँध और अन्य पेयजल परियोजनाओं का निर्माण करने तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बामियान में बंद-ए-अमीर तक सड़क संपर्क में सुधार करने का वादा किया है।
  - **तालिबान के बाद:** तालिबान शासन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारत से अगस्त, 2022 में विकास परियोजनाओं को पूरा करने का अनुरोध किया। एक वर्ष तक बंद रहने के बाद, काबुल में भारतीय दूतावास अंततः पुनः खुल गया है।
- **मानवीय सहायता:**
  - **स्कूल आहार कार्यक्रम:** विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 2 मिलियन बच्चों को प्रतिदिन 100 ग्राम फोर्टिफाइड, उच्च प्रोटीन युक्त बिस्कुट की आपूर्ति की जाती है।
  - **निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा:** पाँच भारतीय चिकित्सा मिशनों से हर महीने 30,000 से अधिक अफगानों को निःशुल्क चिकित्सा सलाह और दवाएँ मिलती हैं। काबुल में इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान का पुनर्निर्माण।
  - **सैन्य सहायता:** अफगान राष्ट्रीय सेना को 285 सैन्य वाहनों की आपूर्ति की जाएगी, जबकि पाँच शहरों के सार्वजनिक अस्पतालों को 10 एम्बुलेंस की आपूर्ति की जाएगी।।
  - **कोविड के बाद:** भारत ने वैश्विक कोविड-19 प्रकोप और संबंधित खाद्य सुरक्षा चुनौतियों से लड़ने के लिए वर्ष 2020 में अफगानिस्तान को 75,000 मीट्रिक टन गेहूँ भेजा था।
  - **वैक्सीन:** भारत ने मानवीय मदद के रूप में और दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए जनवरी, 2022 में अफगानिस्तान को कोविड-19 वैक्सीन की 5,00,000 खुराकें दीं।
  - **तालिबान के बाद:** फरवरी, 2022 में भारतीय विदेश सचिव ने अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता के रूप में 2,500 मीट्रिक टन गेहूँ ले जाने वाले 50 ट्रकों का एक काफिला भेजा।

सांस्कृतिक

- **अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार:** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अफगानिस्तान द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ।
- **ICCR (भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद) फेलोशिप:** इसे भारत द्वारा वर्ष 2020 तक बढ़ा गया।
- **खेल:** क्रिकेट ने दोनों देशों के बीच अंतर-सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

शिक्षा और क्षमता निर्माण

- **अफगानी छात्रों के लिए अध्ययन:** भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद प्रत्येक वर्ष भारत में विश्वविद्यालयों में दीर्घकालिक अध्ययनरत 500 अफगानी छात्रों को स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि के लिए प्रायोजित करती है।
- **प्रशिक्षण कार्यक्रम:** 500 अफगान सार्वजनिक कर्मचारी वार्षिक अल्पकालिक ITEC प्रशिक्षण कार्यशालाओं में भाग लेते हैं।
- **महिलाओं का व्यावसायिक प्रशिक्षण:** बाघेजाना में एक सुविधा केंद्र जहाँ प्रसिद्ध भारतीय गैर-सरकारी संगठन सेवा (स्व-नियोजित महिला संघ) अफगान महिलाओं को प्रशिक्षण देती है।
- **क्षमता निर्माण कार्यक्रम:** नगरपालिका सरकार, लोक प्रशासन, चुनावी प्रबंधन और प्रशासन, मीडिया और सूचना, नागरिक उड्डयन, कृषि अनुसंधान और शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और दवा विज्ञान के क्षेत्र भी विकास के दौर से गुजर रहे हैं।

सर्वोपरि लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि क्षेत्र में हमारे साझेदार भारत की प्रगति, विकास और उत्थान से लाभान्वित हों। इसके आधार पर, हमारे क्षेत्र के सभी राष्ट्र परस्पर लाभकारी साझेदारी बनाने का प्रयास करते हैं।

अफगानिस्तान में शांति के लिए वार्ता	
दिल्ली घोषणा	दिल्ली घोषणा पत्र अफगानिस्तान में स्थिरता और शांति लाने के लिए भारत द्वारा अपनाए गए दीर्घकालिक, सुसंगत दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। अफगानिस्तान पर दिल्ली घोषणा पत्र में "इस बात पर जोर दिया गया कि अफगानिस्तान के क्षेत्र का उपयोग किसी भी आतंकवादी कृत्य को आश्रय देने, प्रशिक्षण देने, योजना बनाने या वित्तपोषण के लिए नहीं किया जाना चाहिए", जो कि दस्तावेज का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।
मॉस्को प्रारूप	रूस, अफगानिस्तान, भारत, ईरान, चीन और पाकिस्तान के विशेष दूतों की भागीदारी वाला अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय मंच वर्ष 2017 में स्थापित किया गया था।
हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस (HOAC)	• 2 नवंबर, 2011 को इसकी स्थापना इस्तांबुल, तुर्की में हुई थी। • हार्ट ऑफ एशिया अफगानिस्तान को अपने केंद्र में रखकर पूरे क्षेत्र के विकास के लिए सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान के महत्त्व को स्वीकार करता है। • इससे वास्तविक और परिणाम-आधारित क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक रूपरेखा तैयार होती है। • इसमें 13 सहायक क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन, 14 भागीदार राष्ट्र और 17 सहायक राष्ट्र शामिल हैं।

अफगानिस्तान पर तालिबान का आधिपत्य

दो दशकों तक अफगान मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने तथा आतंकवाद और अलकायदा से लड़ने के लिए एक ट्रिलियन डॉलर से अधिक खर्च करने के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान को उससे भी बदतर स्थिति में छोड़ा है, जब वह यहाँ आया था।

चुनौतियाँ

- **सुरक्षा:** अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और कट्टरपंथ का केंद्र अफगानिस्तान है। इसका असर कश्मीर पर भी पड़ सकता है। अफीम का व्यापार और संगठित अपराध भी यहीं केंद्रित हैं।
- **व्यापार:** तालिबान सरकार के तहत, अफगानिस्तान से होने वाला व्यापार कराची और ग्वादर के माध्यम से होगा, जिससे चाबहार बंदरगाह में भारतीय निवेश- जिसका उद्देश्य पाकिस्तान को बायपास करना था- संभवतः लाभहीन हो जाएगा।
- **कनेक्टिविटी:** अफगानिस्तान और भारत के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। पाकिस्तान से बचने के लिए चाबहार बंदरगाह का उपयोग करने वाला एक नया मार्ग बढ़ते अमेरिकी-ईरान तनाव और ईरान के चीन के साथ बढ़ते संबंधों के कारण खतरे में है।
- **पाकिस्तान:** पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को भारत के साथ अपने संबंधों के नजरिए से देखता है। इसके परिणामस्वरूप वह अफगानिस्तान में रणनीतिक गहराई चाहता है। एम.के. नारायणन ने कहा कि पाकिस्तान नई सरकार का 'संरक्षक संत' है।
- **रूस और चीन:** पाकिस्तान के माध्यम से अफगानिस्तान में चीनी प्रभाव बढ़ रहा है जो एक प्रॉक्सी के रूप में कार्य करता है।
- **चीन-पाकिस्तान-ईरान-रूस धुरी का उदय:** चीन की बेल्ट एंड रोड पहल और उसके झिंजियांग प्रांत की सुरक्षा के लिए, अफगानिस्तान महत्त्वपूर्ण है।
  - **संस्थागत दुर्बलता:** जोखिम से बचने की मानसिकता और अफगानिस्तान की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थता के कारण, विदेश नीति सावधानी से बनाई जाती है।
  - **न्यू ग्रेट गेम:** एक तरफ पाकिस्तान, चीन और रूस तथा दूसरी तरफ अमेरिका, भारत और अफगानिस्तान।
  - **मानवाधिकार:** तालिबान के शासन के इतिहास को देखते हुए भारत, अफगानिस्तान पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चिंतित है, जिसमें महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन, लोकतांत्रिक व्यवस्था का विघटन और तालिबान के कठोर न्याय को लागू करना शामिल है।

वर्तमान महाशक्ति प्रतिस्पर्द्धा अफगानिस्तान में तालिबान की किस प्रकार सहायता करती है?

- अफगानिस्तान में तालिबान का शासन एक नई भू-राजनीतिक वास्तविकता है जिससे विश्व अभी भी जूझ रहा है। पिछले एक साल में, तालिबान ने अलग-अलग स्तरों पर सफलता के साथ राजनयिक मान्यता के लिए अपनी कोशिश जारी रखी है।
- हालाँकि, यूरोप में जारी संघर्ष तालिबान के लिए एक वरदान के रूप में उभर कर सामने आया है जो एक बार फिर वैश्विक रूप से बहिष्कृत होने की कगार पर था।
- कीव के खिलाफ रूस की कार्रवाइयों ने भूगर्भीय बदलाव किए, जिससे अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में शीत युद्ध-युग जैसी सीमाएँ स्थापित हो गईं। यूरोप में संघर्ष कुछ ऐसा नहीं था जिसकी पश्चिम को उम्मीद थी और ऐसे युग में जब सबसे बड़ी चिंता अमेरिका और चीन के बीच आने वाली महाशक्ति प्रतिस्पर्द्धा थी, वाशिंगटन द्वारा मास्को के साथ पुरानी प्रतिद्वंद्विता के नवीनीकरण ने इन जटिलताओं को काफी हद तक बढ़ा दिया।
- फिर भी, तालिबान के लिए यह दरार अच्छी खबर है क्योंकि वह स्वयं को एक वैध राजनीतिक इकाई के रूप में और अधिक मजबूती से स्थापित करने के लिए लामबंद हो सकता है। पिछले डेढ़ साल में तालिबान ने मध्य एशिया, ईरान, कतर, पाकिस्तान, मलेशिया, रूस और चीन में अफगानिस्तान के कुछ दूतावासों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है।
- अभी हाल ही में, अफगानिस्तान ने दुबई में एक नया 'कार्यवाहक' महावाणिज्यदूत भी नियुक्त किया है जो संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के दृष्टिकोण में धीमे बदलाव को भी दर्शाता है।

नई गतिविधियाँ:

- अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूतों और विशेष प्रतिनिधियों की एक बैठक दोहा, कतर में आयोजित की गई जिसमें 'संकल्प 2679' द्वारा अनिवार्य अफगानिस्तान पर स्वतंत्र मूल्यांकन पर आगे की राह पर चर्चा की गई।
- इसका उद्देश्य देश के तालिबान शासकों के साथ संवाद में सुधार करना था, लेकिन प्रशासन के प्रतिनिधियों के उपस्थित न होने के कारण इसे समाप्त कर दिया गया।
- तालिबान के नेतृत्व वाले विदेश कार्यालय ने दोहा में बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया जब संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान के एकमात्र आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने की उनकी माँग को अस्वीकार कर दिया।

भारत की काबुल वार्ता:

- विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पाकिस्तान-अफगानिस्तान-ईरान) जे.पी. सिंह के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने काबुल में तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी से मुलाकात की और तालिबान शासन तथा भारत सरकार के बीच पहली उच्च स्तरीय बैठक में नई दिल्ली की मानवीय सहायता सहित कई मुद्दों पर चर्चा की।

तालिबान पर भारत का परिवर्तित दृष्टिकोण

भारत और तालिबान के बीच हाल ही में हुई बातचीत और तालिबान द्वारा नई दिल्ली से काबुल के लिए उड़ानें फिर से शुरू करने का अनुरोध तालिबान के पक्ष में रुख में बदलाव को दर्शाता है। भारत द्वारा नॉर्दन अलायंस (Northern Alliance) का विरोध करने और तालिबान को मान्यता देने से इनकार करने की अपनी पिछली रणनीति को जारी रखने की संभावना नहीं है।

स्थिति में परिवर्तन क्यों?

- **व्यावहारिक बदलाव:** भारत की पहले की स्थिति अस्थिर हो गई है, क्योंकि इसने भारत को कई अफगान शांति वार्ताओं में भाग लेने से रोक दिया था।
- **अमेरिका की रिक्तता:** अमेरिकी वापसी और तालिबान का सत्ता में वापस आना।

- **पाकिस्तानी कारक:** तालिबान, पाकिस्तान के खिलाफ सुरक्षा के तौर पर भारत के साथ संबंध बनाने के लिए भी तैयार है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड रेखा को कभी भी किसी अफगान प्रशासन ने स्वीकार नहीं किया है जिसमें पूर्व तालिबान शासन भी शामिल है।
- **भारतीय निवेश:** इसके अतिरिक्त, भारत ने अफगानिस्तान में लगभग 3 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। इसमें जारंज-डेलाराम मार्ग, अफगान संसद और सलमा बाँध जैसी पहलें शामिल हैं।
- **कनेक्टिविटी अनिवार्यता:** भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा और यूरेशिया (तापी पाइपलाइन) तक पहुँच के लिए अफगानिस्तान की जरूरत है। इसलिए, भारत के लिए अफगान सरकार की सत्तारूढ़ पार्टी के साथ महत्त्वपूर्ण संबंध बनाए रखना जरूरी है।
- **सुधार:** भारत को तालिबान सरकार को मान्यता न देने की अपनी पिछली गलती से सबक लेना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप IC-814 का अपहरण हो गया था।

भारत-अफगानिस्तान संबंधों में चुनौतियाँ

- **गैर-लोकतांत्रिक शासन:** भारत, जिसके लोकतांत्रिक प्रशासन के साथ संबंध बेहतर हुए हैं, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रशासन को बनाए रखने का समर्थन करता है।
- **राजनीतिक अस्थिरता:** अफगानिस्तान क्षेत्र में राजनीतिक अशांति का भारत और अन्य पड़ोसी देशों पर प्रभाव पड़ेगा।
- **मादक पदार्थों की तस्करी:** पंजाब और भारत के अन्य भागों में अधिकांश युवा आबादी मादक पदार्थों की लत से प्रभावित है।

अफगानिस्तान से अमेरिकी वापसी का प्रभाव

- **तालिबान की वापसी:** भारत और अन्य पड़ोसी देशों को अफगानिस्तान में तालिबान की विजयी वापसी के निहितार्थों से निपटना होगा, साथ ही पूरे क्षेत्र में हिंसक धार्मिक चरमपंथ में वृद्धि से भी निपटना होगा।
- **सीमा पार संपर्क:** क्षेत्र में तालिबान और अन्य चरमपंथी शक्तियों के बीच संपर्क भी चिंता का विषय है।
- **अमेरिकी सैनिकों की वापसी:** यह लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे कई भारत विरोधी आतंकवादी संगठनों के लिए प्रजनन भूमि तैयार कर सकता है।
- **अफगानिस्तान में भारत की भूमिका को कमतर आँकना:** अफगानिस्तान से संयुक्त राज्य अमेरिका की वापसी भारतीय उपमहाद्वीप के लिए महत्त्वपूर्ण समस्याएँ प्रस्तुत करती है।
- **चरमपंथी ताकतों पर नियंत्रण:** भारत के लिए, अमेरिकी सैन्य उपस्थिति से चरमपंथी ताकतों पर नियंत्रण रखा जा सकता था तथा अफगानिस्तान में भारतीय भागीदारी के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित हो सकती थीं।
- **क्षेत्र में रुचि कम होना:** चूँकि, अफगानिस्तान मध्य एशिया का प्रवेश द्वार है, इसलिए अमेरिका की वापसी से क्षेत्र में भारत की रुचि कम हो सकती है।

- **आतंकवाद:** आतंकवाद का मुद्दा काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। भारत को अफगानिस्तान के साथ समझदारी से बातचीत करनी चाहिए।
- **पाकिस्तान द्वारा छद्म युद्ध:** इसके परिणामस्वरूप, भारत को वर्तमान परिस्थितियों में अफगानिस्तान के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना मुश्किल होगा।

आगे की राह

- **तालिबान के साथ संपर्क:** इससे नई दिल्ली को निरंतर विकास सहायता के बदले में विद्रोहियों से सुरक्षा की गारंटी माँगने में मदद मिलेगी।
- **क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग:** भारत को उन देशों के साथ सहयोग करना चाहिए जो क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए उसकी प्रतिबद्धता को साझा करते हैं, जैसे चीन और ईरान। इसका एक उदाहरण चीन और भारत के बीच संयुक्त अफगान विकास पहल है।
- **भारत को अमेरिका के स्थानीय नेटवर्क के साथ निकटता से सहयोग करने की आवश्यकता है:** हाल ही में अफगान शांति वार्ता के नवीनतम दौर में भारत को आमंत्रित करके, अमेरिका ने यह भी प्रदर्शित किया है कि भारत एक बड़ी भूमिका निभाए।
- **भारत को काबुल प्रक्रिया की निरंतरता सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए:** भारत को काबुल प्रक्रिया की निरंतरता सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए ताकि आतंकवाद-निरोध, महिला अधिकारों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों (अर्थात, अफगान-नेतृत्व वाली, अफगान-नियंत्रित और अफगान-स्वामित्व वाली प्रक्रिया) का महत्त्व बना रहे।
- **मध्यस्थ की भूमिका:** एम.के. नारायणन का मानना है कि भारत को अफगानिस्तान में शामिल होने के इच्छुक विभिन्न देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए।

निष्कर्ष

रणनीति के संदर्भ में, सी. राजमोहन के मतानुसार अफगानिस्तान में जितने लाभ हैं, उतने ही नुकसान भी हैं। भारत इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त यथार्थवादी है कि उसके पास अपने दम पर अफगानिस्तान का भविष्य तय करने की शक्ति नहीं है। लेकिन सक्रिय कूटनीति और धरातल पर की जाने वाली प्रमुख कार्रवाई के ज़रिए, भारत को अफगानिस्तान में कुछ प्रभाव हासिल करने और नतीजों को आकार देने की आवश्यकता है।

प्रमुख शब्दावलियाँ

काबुल प्रक्रिया, छद्म युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता, गैर-लोकतांत्रिक शासन, व्यावहारिक बदलाव, 'ग्रेट गेम्स' और 'साम्राज्यों का कब्रिस्तान'

विगत वर्षों के प्रश्न

- वर्ष 2014 में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल (ISAF) की अफगानिस्तान से प्रस्तावित वापसी क्षेत्र के देशों के लिए बड़े खतरों (सुरक्षा उलझनों) भरा है। इस तथ्य के आलोक में परीक्षण कीजिए कि भारत के सामने भरपूर चुनौतियाँ हैं तथा उसे अपने सामरिक महत्त्व के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है। **(2013)**

6 भारत-म्याँमार

परिचय

- भारत, म्याँमार के साथ 1,643 किलोमीटर से अधिक लंबी भूमि सीमा के साथ-साथ बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा भी साझा करता है। चार पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा म्याँमार के साथ लगती है।
- भारत, म्याँमार के साथ आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, भाषाई एवं नृजातीय संबंध साझा करता है। यह भारत से सटा एकमात्र आसियान (ASEAN) देश है और इसलिए यह दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है।
- भारत अपनी एक्ट ईस्ट (Act East) तथा पड़ोसी प्रथम (Neighbourhood First) की नीतियों के अनुरूप म्याँमार के साथ अपने सहयोग को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
- मुख्यतः **पाँच 'B'** — Buddhism (बौद्ध धर्म), Business (व्यापार), Bollywood (बॉलीवुड), Bharatnatyam (भरतनाट्यम) और Burma teak (बर्मा सागौन); के माध्यम से 'भारत - म्याँमार' संबंधों की अवधारणा के आयामों को स्पष्ट करते हैं।

भारत-म्याँमार संबंधों का अवलोकन

विकास सहयोग

- **अनुदान-आधारित वित्तीय सहायता:** वर्ष 2022 तक भारत ने म्याँमार को $1.75 अरब से अधिक की विकास सहायता प्रदान की है, जो कि अधिकांशतः अनुदानों के माध्यम से दी गई है।
- **उदाहरण:** रखाइन (Rakhine) राज्य विकास कार्यक्रम, त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना, कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट परिवहन परियोजना, **बगान** (म्याँमार का एक शहर) के **आनंद मंदिर** (बौद्धधर्म का एक मंदिर) का पुनर्निर्माण व संरक्षण आदि पहलें विकास योजनाओं में शामिल हैं।

संस्थागत तंत्र

- **राष्ट्रीय स्तर की बैठक (NLM):** सुरक्षा सहयोग, वाणिज्य दूतावास संबंधी मामले, मादक पदार्थों की तस्करी और एजेंसी समन्वय के लिए प्राथमिक चर्चा मंच की स्थापना गृह सचिव द्वारा की गई।
- **संयुक्त सीमा कार्य समूह (JBWG):** इसके अंतर्गत विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा सीमा से जुड़े मामलों पर चर्चा की जाती है।
- **संयुक्त व्यापार समिति (JTC):** वाणिज्य मंत्री के स्तर पर इस समिति में वाणिज्यिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है।

वाणिज्यिक सहयोग

- **व्यापार समझौता:** सन् 1970 में व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार धीरे-धीरे बढ़ा है। वर्तमान में दोनों देशों के मध्य 1.75 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार है। वर्तमान में भारत, म्याँमार का पाँचवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है।
- **ऊर्जा:** यह देखते हुए कि भविष्य में अपतटीय गैस की खोज भारत में की जा सकती है, म्याँमार के पास ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण साझेदार बनने की क्षमता है। भारत और म्याँमार के मध्य अब तेल, गैस और विद्युत क्षेत्रों में सहयोग पर एक संयुक्त कार्य समूह है।
- **निवेश:** 771.488 मिलियन अमेरिकी डॉलर के स्वीकृत निवेश एवं म्याँमार में विभिन्न उद्योगों में कार्यरत 13 भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ भारत निवेश में ग्यारहवें स्थान पर है।

संपर्कशीलता में वृद्धि

- **अंतरराष्ट्रीय प्रवेश/ निकास द्वार:** अगस्त, 2018 में **तामू-मोरेह और रिह-जोखावथर** में दो अंतरराष्ट्रीय प्रवेश/ निकास बिंदु आधिकारिक रूप से खोल दिए गए। इन दो भूमि सीमा चौकियों को पूर्णतः क्रियाशील बनाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।
- **मोटर वाहन समझौता**: इस समझौते के संबंध में भी वार्ताएँ चल रही हैं।
- **अन्य महत्त्वपूर्ण कनेक्टिविटी परियोजनाओं में शामिल हैं:**
  - $484 मिलियन का कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट।
  - **त्रिपक्षीय (IMT) राजमार्ग परियोजना**: यह देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को म्याँमार और थाईलैंड से जोड़ने वाला एक पूर्व-पश्चिम गलियारा होगा।
  - **म्याँमार/ मलेशिया-भारत सिंगापुर ट्रांजिट गलियारा (**MIST**):** MIST एक वैश्विक पनडुब्बी केबल संचार नेटवर्क है जो मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, म्याँमार को भारत से जोड़ेगा। MIST केबल सिस्टम की लंबाई 8,100 किलोमीटर है।

- **महत्त्व:** सिंगापुर के तुआस से भारत के मुंबई तक चलने वाले मुख्य मार्ग के साथ यह एशिया में सुरक्षित, विश्वसनीय, मजबूत और सस्ती संचार सुविधाएँ प्रदान करेगा।

सांस्कृतिक संबंध

- **बौद्ध विरासत:** भारत की बौद्ध पृष्ठभूमि को देखते हुए भारत और म्याँमार के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंध और गहरे जुड़ाव की भावना है।
- **उदाहरण:** बगान के आनंद मंदिर के पुनर्निर्माण के साथ-साथ कई क्षतिग्रस्त स्तूपों की मरम्मत और संरक्षण हेतु कई महत्त्वपूर्ण योजनाएँ लाई गई हैं।

सुरक्षा सहयोग

- **रक्षा सहयोग समझौता:** भारत और म्याँमार ने जुलाई, 2019 में सैन्य गतिविधियाँ बढ़ाने के उद्देश्य से रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- **युद्धाभ्यास**: भारत-म्याँमार संयुक्त सेना अभ्यास (IMBAX), भारतीय नौसेना-म्याँमार नौसेना द्विपक्षीय युद्धाभ्यास (IN-MN BILAT) और संयुक्त नौसेना अभ्यास (IMCOR) भी दोनों देशों द्वारा आयोजित किए जाते हैं।
- **ऑपरेशन सनराइज**: इसका उद्देश्य उत्तर-पूर्व में सक्रिय विद्रोही संगठनों के शिविरों को नष्ट करना था और यह कार्य दोनो देशों की सेनाओं द्वारा मिल कर भारत-म्याँमार सीमा पर किया गया था। भारत-म्याँमार सीमा के अलावा भी वे कई **अराकान** सेना (अराकान सेना रखाइन राज्य में स्थित एक जातीय सशस्त्र संगठन है) के उग्रवादी शिविरों को नष्ट करने के लिए भी सहयोग करते हैं।

समुद्री सहयोग और ब्लू इकॉनमी

- **नीली अर्थव्यवस्था:** यह बिम्सटेक (BIMSTEC) का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ है जहाँ दोनों देश मिलकर कार्य कर रहे हैं। उदाहरण: भारत के **SAGAR (Security And Growth for All in the Region)** कार्यक्रम के तहत, भारत ने सितवे (**Sittwe**) बंदरगाह का निर्माण किया है।

आपदा राहत

- **उदाहरण:** म्याँमार में प्राकृतिक आपदाओं, जैसे चक्रवात मोरा (2017), चक्रवात कोमेन (2015), शान राज्य में भूकंप (2010), चक्रवात नरगिस (2008) आदि के समय भारत ने त्वरित और सफलतापूर्वक प्रतिक्रिया दी और सहायता प्रदान की है।

भारत के लिए म्याँमार का महत्त्व

भू-रणनीतिक:

- **सीमा**: म्याँमार और पूर्वोत्तर भारत 1,643 कि.मी. लंबी स्थलीय सीमा साझा करते हैं। (जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्य शामिल हैं)
- **शांति और स्थिरता:** म्याँमार से भारत में रोहिंग्या का प्रवास संकट और म्याँमार की राजनीतिक व्यवस्था में जुंटा सैन्य समूह द्वारा तख्तापलट से क्षेत्र में अस्थिरता बनी रहती है।
- **भू-रणनीतिक अवस्थिति:** म्याँमार की सीमा; चीन, भारत, आसियान (ASEAN) देशों और बंगाल की खाड़ी से लगती है।
- **आंतरिक सुरक्षा:** 'पूर्वोत्तर-म्याँमार' में उग्रवाद को रोकना भारत के लिए विशेष रूप से भारत के पूर्वोत्तर के संबंध में अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- **चीन के प्रभाव का प्रतिसंतुलन:** भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट', 'एक्ट ईस्ट' और 'इंडो-पैसिफिक' नीतियों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए म्याँमार एक महत्त्वपूर्ण घटक है।

भू-आर्थिक

- **व्यापार:** दोनों देशों के मध्य व्यापार की मात्रा लगातार $2 बिलियन के आस-पास या उससे अधिक रही है।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** म्याँमार के रोहिंग्या-आबादी वाले क्षेत्रों में तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार उपस्थित हैं, जिनकी मात्रा क्रमशः 11 ट्रिलियन और 23 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है।
  - भारत की ओर से यांगून के पास थानलिन क्षेत्र में $6 बिलियन मूल्य की तेल रिफाइनरी बनाने का सुझाव दिया है।
  - म्याँमार में जलविद्युत उत्पादन की भी संभावनाएँ निहित हैं।
- **संपर्कशीलता:** उदाहरण के लिए कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, IMT त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना, म्याँमार/ मलेशिया-भारत सिंगापुर ट्रांजिट (MIST) गलियारा।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यापार:** भारत की हिंद-प्रशांत क्षेत्र की रणनीति में म्याँमार एक महत्त्वपूर्ण सहयोगी है। विश्व की 65% जनसँख्या, 63% सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और 46% माल व्यापार, केवल हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ही केंद्रित हैं।

द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतियाँ

- **उग्रवाद:** म्याँमार, उत्तर-पूर्व में कई उग्रवादी संगठनों के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। यहाँ से विद्रोही संगठनों के लिए अवाजाही की स्वतंत्रता होने के कारण संगठित अपराध को अंजाम देने मे मदद मिलती है।
- **बढ़ता हुआ चीनी प्रभाव:** म्याँमार मे सैन्य तख्तापलट के परिणामस्वरूप विदेशों से आने वाला अधिकांश निवेश बंद हो गया है। इस अवसर का लाभ उठाकर बीजिंग ने अपने निवेश को बढ़ाने का काम किया है।
- **म्याँमार में घरेलू अस्थिरता और लोकतंत्र का पतन:** एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के बजाय सैन्य शासन से संवाद स्थापित करने में सरकार को अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  - **उदाहरण:** भारत ने जुंटा सैन्य शासन के साथ सहयोग करने और लोकतंत्र को फिर से स्थापित करने के लिए **'ट्विन ट्रैक'** का मार्ग अपनाया।
- **रोहिंग्या संकट:** इसने भारत में अवैध अप्रवासी मुद्दों की गंभीर चिंताएँ उत्पन्न की हैं।
  - म्याँमार से 9,80,000 से अधिक लोगों ने बांग्लादेश और भारत सहित अन्य पड़ोसी देशों में शरण ली है।
  - **प्रतिरक्षण का सिद्धांत:** भारत इस सिद्धांत पर संयुक्त राष्ट्र (UN) के रुख से असहमत है। संयुक्त राष्ट्र (UN) के अनुसार रोहिंग्याओं को वापस भेजना प्रतिरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन होगा, यह सिद्धांत शरणार्थियों को जबरदस्ती खतरे वाली जगह पर लौटाने या भेजने पर रोक लगाता है।
- **विखंडित सीमाएँ और संगठित अपराध:** भारत-म्याँमार सीमा, 'गोल्डन ट्राइएंगल' के निकट व विखंडित सीमा होने के कारण, तस्करों को भारत में मादक पदार्थों (हेरोइन) और मनोविकारक दवाओं की तस्करी करने के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करती है।

म्याँमार में चीनी गतिविधियाँ

- **आर्थिक:** म्याँमार का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चीन है। वर्ष **2019** में, दोनों देशों का वाणिज्य व्यापार **12** बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा जो कि म्याँमार के साथ कुल व्यापार का लगभग एक-तिहाई था।

- **संपर्कशीलता:** म्याँमार, 'वन बेल्ट वन रोड' (**OBOR**) परियोजना का सदस्य है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) सदस्य होने के रूप में, चीन ने आवाजाही के लिये चीन-म्याँमार आर्थिक गलियारा (China-Myanmar Economic Corridor - CMEC) का भी सुझाव दिया है।
- **ऊर्जा:** करीब **1.5** अरब डॉलर की कुल लागत पर, चीन ने एक समानांतर प्राकृतिक गैस और तेल पाइपलाइन का निर्माण किया जो म्याँमार के रखाइन राज्य में क्यौकफ्यू शहर से चीन के युन्नान क्षेत्र तक संचालित है।
- **रक्षा:** वर्ष **1988** से ही चीन, म्याँमार के प्राथमिक सैन्य आपूर्तिकर्ताओं में से एक रहा है। **SIPRI** डेटाबेस के अनुसार, म्याँमार ने वर्ष **2010** और **2019** के बीच चीनियों से **1.3** बिलियन डॉलर के हथियार खरीदे।
- **निवेश:** म्याँमार के **FDI** (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) का एक प्रमुख स्रोत चीन रहा है जो मार्च, **2020** तक कुल **21** बिलियन अमेरिकी डॉलर था। चीन और म्याँमार ने वर्ष **2020** में कई बेल्ट और रोड परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। **1.3** बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से क्यौकफ्यू में एक गहरे समुद्री बंदरगाह का निर्माण भी इन्हीं प्राथमिक पहलों में से एक था।

भारत के लिए चिंताएँ

- **ऋण जाल कूटनीति:** चीन की यह रणनीति म्याँमार को उसकी बंदरगाहों जैसी महत्त्वपूर्ण रणनीतिक संपत्तियाँ चीन को सौंपने के लिए मजबूर कर सकती है।
- **रणनीतिक रोकथाम:** चीन को क्यौकफ्यू और ग्वादर बंदरगाहों के माध्यम से भारत को रणनीतिक रूप से सीमित करने और पश्चिम तथा पूर्व तक उसकी पहुँच को बाधित करने से लाभ होता है।
- **उत्तर-पूर्व की सुरक्षा**: म्याँमार में चीन की उपस्थिति से भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में उग्रवाद को बढ़ावा मिल सकता है। खुफिया आकलन के अनुसार, चीन कई उग्रवादी गुटों को धन और हथियार सहायता प्रदान करता है।
- **संपर्कशीलता:** आसियान (ASEAN) में भारत का प्रवेश द्वार म्याँमार है और यह मेकांग-गंगा सहयोग, भारत-म्याँमार-थाईलैंड (IMT) त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान मल्टीमॉडल परिवहन गलियारे जैसी महत्त्वपूर्ण कनेक्टिविटी परियोजना में सक्रिय रूप से शामिल है। म्याँमार में बढ़ता चीनी प्रभाव इन पहलों के लिए खतरा है।
- **म्याँमार में घरेलू अस्थिरता**: कुछ रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि म्याँमार में हाल ही में हुए सैन्य तख्तापलट के पीछे चीन का हाथ है ताकि उसे अमेरिकी गुट के साथ शामिल होने से रोका जा सके।
- **आसियान (ASEAN) का कमजोर होना**: म्याँमार में सत्तावादी शासन से आसियान (ASEAN) में विभाजन बढ़ने तथा इसकी एकजुटता और चीन का सामना करने की क्षमता नष्ट होने की संभावना है।

म्याँमार में सैन्य तख्तापलट द्वारा सत्ता पर आधिपत्य

1948 ई. में म्याँमार को ब्रिटिश प्रभुत्व से आजादी मिलने के बाद से सेना ने तीसरी बार सत्ता पर कब्जा कर लिया। लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई नेता 'आंग सान सू की' को जेल में डाल दिया गया और एक साल के आपातकाल की घोषणा की गई।

भारत पर प्रभाव

- **उत्तर-पूर्व का विकास**: इसने पूर्वोत्तर में विकास को बाधित किया और दक्षिण-पूर्व एशिया की संपन्न अर्थव्यवस्थाओं तक पहुँच के भारत के प्रयासों को बुरी तरह नुकसान पहुँचाया।
- **सीमा पार आवाजाही:** सीमा पार कर वस्तुओं और व्यक्तियों के अवैध परिवहन की भी खबरें मिली हैं।
- **भारत की एक्ट ईस्ट नीति पर प्रभाव**: भारत की एक्ट ईस्ट नीति, जो वर्ष 2014 के बाद से अधिक गतिशील और परिणाम-उन्मुख रही थी, को भी काफी नुकसान हुआ।
- **चीनी खतरा:** इसके अतिरिक्त, इन उग्रवादी समूहों की सहायता में चीनी खुफिया विभाग के हस्तक्षेप के बारे में त्वरित कार्रवाई की माँग की गई।
- **भारत में सुरक्षा:** म्याँमार में सैन्य अधिग्रहण के प्रति भारत के दृष्टिकोण के पक्ष में पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वदेशी अभिकर्ताओं के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताओं की बलि दे दी गई है।

मुक्त आवाजाही व्यवस्था (Free Movement Regime:FMR) को समाप्त करने की भारतीय योजना:

- गृह मंत्रालय (MHA) ने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और म्याँमार की सीमा से लगे भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों की जनसांख्यिकीय संरचना को बनाए रखने के लिए, भारत और म्याँमार के बीच 'मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FMR)' को समाप्त करने का फैसला किया है। यह घोषणा भारत को म्याँमार में चल रहे संकट के प्रभावों से बचाने का एक प्रयास है।
- 'मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FMR)', भारत की एक्ट ईस्ट नीति के एक भाग के रूप में वर्ष 2018 में अस्तित्व में आई थी। यह बिना वीजा के 16 कि.मी. तक सीमा पार आवाजाही की अनुमति देती है।
- यह समझौता स्थानीय सीमा व्यापार को सुविधाजनक बनाने, सीमावर्ती निवासियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार और राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए लाया गया था। समझौते के तहत, व्यक्तियों को एक साल का सीमा-पास प्राप्त करके पड़ोसी देश में दो सप्ताह तक रहने की अनुमति दी गई थी।
- 'मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FMR)' को समाप्त करने के पीछे एक प्रमुख कारण क्षेत्र में 'अवैध आप्रवासन, नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी' पर अंकुश लगाना था।

व्यापक भू-राजनीतिक परिणाम

- **रणनीतिक पुनर्गणना:** भारत की नीति समायोजन तत्काल सुरक्षा चिंताओं और दीर्घकालिक क्षेत्रीय स्थिरता, दोनों को संबोधित करने के प्रयास को दर्शाता है, जिसके लिए राजनयिक कुशलता और म्याँमार व अन्य क्षेत्रीय हितधारकों के साथ सहयोग की आवश्यकता है।
- **सीमावर्ती समुदायों पर प्रभाव**: सीमा सुदृढ़ीकरण ने सीमावर्ती समुदायों के बीच चिंता बढ़ा दी है, उन्हें अपने सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के नुकसान का डर है। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर जैसे राज्यों द्वारा विरोध, यहाँ के गहरे जातीय संबंधों और ऐसे योजना के कारण होने वाले संभावित सामाजिक-आर्थिक व्यवधानों को उजागर करता है।
- **एक्ट ईस्ट नीति पर प्रभाव**: 'मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FMR)' का निलंबन दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत की रणनीतिक पहलों को प्रभावित कर सकता है, संभावित रूप से कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाओं को प्रभावित कर सकता है एवं भारत-म्याँमार राजनयिक संबंधों को बदल सकता है।

- **क्षेत्रीय सुरक्षा और मानवीय चिंताएँ:** म्याँमार में सैन्य तख्तापलट और आगामी मानवीय संकट सीमा स्थिति की जटिलता को रेखांकित करता है, जिससे भारत को अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने और प्रभावित समुदायों का समर्थन करने में चुनौती मिल रही है।
- **सरकारी कदम और कार्यान्वयन चुनौतियाँ:** भारत सरकार की योजना के तहत उन्नत किस्म की बाड़ लगाने पर स्थानीय समुदाय और राजनीतिक संस्थाएँ विरोध करती हैं जो यहाँ की सुरक्षा जरुरतों और सांस्कृतिक जड़ों को ध्यान में रखने की आवश्यकता को दर्शाता है।

भारत और म्याँमार के बीच 'मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FMR)' का निलंबन उनके द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्त्वपूर्ण धुरी का प्रतीक है, जो विकसित हो रही सुरक्षा गतिशीलता और म्याँमार में सैन्य तख्तापलट से उत्पन्न चुनौतियों से प्रेरित है। जबकि सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से, निलंबन और प्रस्तावित सीमा सुदृढ़ीकरण उपायों ने सीमावर्ती समुदायों के सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक ताने-बाने तथा उनके प्रभाव पर बहस छेड़ दी है। जैसे-जैसे भारत इन जटिलताओं से निपटता है, उसे अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने और भारत-म्याँमार सीमा क्षेत्रों को परिभाषित करने वाली ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक निरंतरता को बनाए रखने की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इस द्विपक्षीय संबंध में आगे बढ़ने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो सीमा पार जातीय और पारिवारिक संबंधों के संरक्षण के साथ-साथ सुरक्षा अनिवार्यताओं को संतुलित करे तथा सीमा प्रबंधन नीतियों में राष्ट्रीय सुरक्षा और मानव-संपर्क के बीच जटिल जटिल संतुलन को बनाए।

प्रमुख शब्दावलियाँ

रणनीतिक पुनर्गणना, एक्ट ईस्ट नीति, ऋण जाल कूटनीति, रणनीतिक नियंत्रण, रोहिंग्या संकट, भू-रणनीतिक स्थान, कलादान मल्टीमॉडल प्रोजेक्ट, MIST, जुंटा सैन्य शासन आदि।

7 भारत और भूटान

"भारत भाग्यशाली है क्योंकि यह वह भूमि है जहाँ राजकुमार सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध बने और जहाँ से उनके आध्यात्मिक संदेश का प्रकाश अर्थात बौद्ध धर्म का प्रकाश, संपूर्ण विश्व में फैल गया। भूटान में भिक्षुओं, आध्यात्मिक गुरुओं, विद्वानों और साधकों की कई पीढ़ियों ने उस ज्योति को प्रज्वलित किया है।"

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

परिचय

- अपनी साझा भौगोलिक अवस्थिति और सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण, भारत और भूटान की मित्रता प्रत्येक परिस्थितियों में अटूट रहती है।
- भारत और भूटान के बीच उत्कृष्ट सबंधों ने क्षेत्र की शांति और सुरक्षा बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ऐतिहासिक चक्र

- **8वीं सदी ईसवी**: ऐतिहासिक रूप से दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंध हैं जो मुख्य रूप से तिब्बती गुरु पद्मसंभव के दौरान फले-फूले, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में तिब्बत में तांत्रिक बौद्ध धर्म (वज्रयान) की शुरुआत की थी।
- **1947**: वर्ष 1941 में भूटान, भारत की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था।
- **1972**: इस वर्ष हुए भारत और भूटान के मध्य व्यापार और वाणिज्य समझौते ने दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार और वाणिज्य की स्थापना की।
- **स्वतंत्रता पश्चात:** हालाँकि, दोनों देशों ने 1978 ई. में दूतावास खोले, लेकिन इन पड़ोसियों के बीच संबंध **1949** ई. की भारत-भूटान मित्रता और सहयोग संधि पर आधारित हैं।
  - इस संधि को वर्ष 2007 में संशोधित किया गया था जो दोनों देशों के बीच संबंधों के निरंतर विकास को दर्शाता है।

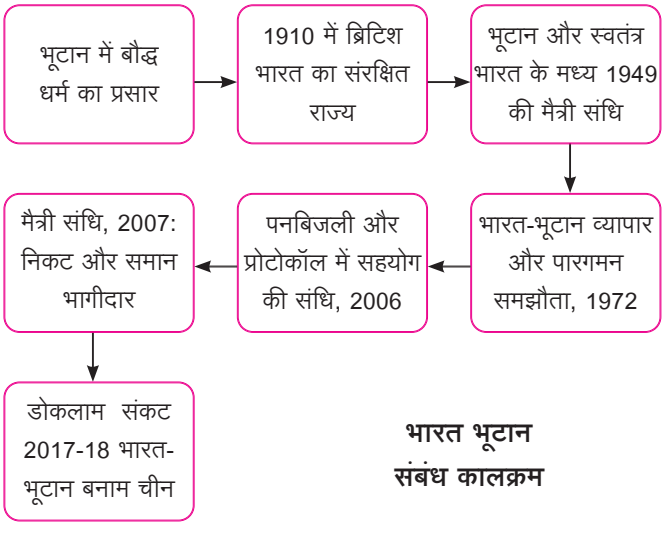

भारत भूटान संबंध कालक्रम

वर्ष 2007 मैत्री संधि के संशोधित प्रावधान

इसने भारत के **'बिग ब्रदर'** के दृष्टिकोण को दूर करते हुए समानता के तत्त्व को अपनाया।

- **स्वतंत्र विदेश नीति:** संशोधित संधि के अनुच्छेद 2 और 4 ने भूटान को भारत के सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश नीति को अधिक स्वतंत्र रूप से संचालित करने में सक्षम बनाया।
- **हथियारों की खरीद:** अनुच्छेद 4 भूटान को भारत की सहमति के बिना अन्य देशों से सैन्य उपकरण आयात करने की अनुमति देता है।
- **सुरक्षा की चिंता:** दोनों देशों का कर्तव्य है कि वे अपनी सीमाओं के भीतर सार्वजनिक सुरक्षा और अन्य हितों को खतरे में डालने वाले गैर-कानूनी कृत्यों को रोकें।

भूटान का सहयोग और महत्त्व

राजनीतिक

- **लोकतांत्रिक सिद्धांत:** भारत के समर्थन के माध्यम से भूटान, वर्ष 2007 से सामान्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों में विश्वास करने वाला एक सफल लोकतंत्र रहा है।
- **अंतरराष्ट्रीय समर्थन:** भूटान, भारत के परमाणु परीक्षण का समर्थन करने वाले पहले देशों में से एक था।
  - भारत को हमेशा संयुक्त राष्ट्र मंच से भूटान का समर्थन मिला है।
- **बहुपक्षीय साझेदारी:** दोनों देश बहुपक्षीय संगठनों को साझा करते हैं जैसे;
  - **SAARC** (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन)।
  - **BIMSTEC** (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल)।
  - **BBIN** (बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल पहल)।

आर्थिक

- **व्यापार:** भूटान के आयात का मुख्य स्रोत और सबसे बड़ा निर्यात बाजार भारत है। भूटान की पनबिजली क्षमता देश के लिए राजस्व का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है।
- **निवेश:** भूटान की मध्यम आय की प्रस्थिति में वृद्धि, भारत को वहाँ निवेश करने का अवसर प्रदान करती है।
- **वित्तीय सहायता:** भारत, भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं का वित्त पोषण कर रहा है और उसने वर्तमान पंचवर्षीय योजना के लिए 4,500 करोड़ रुपये की सहायता भी दी है।
- **जलविद्युत:** भारत, भूटान में बुनियादी ढाँचागत सीमा सड़कों और पनबिजली परियोजनाओं का विकास कर रहा है।

- **उदाहरण**: हाल ही में मंगदेछू पनबिजली संयंत्र का उद्घाटन किया गया।
- मुक्त व्यापार व्यवस्था और शुल्क-मुक्त पारगमन: इसने व्यापार संबंधों को बढ़ावा दिया है। भारत, भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।

संस्कृति और शिक्षा

- **हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रभाव**: उनकी जीवन पद्धति दोनों धर्मों के प्रभाव को पूर्णतः स्पष्ट करती है। इसने मजबूत पारस्परिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिया है।
- **भारत में भूटानी छात्र**: अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) के अनुसार, भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले भूटानी छात्रों की संख्या वर्ष 2012-13 में 2,468 से घटकर वर्ष 2020-21 में 1,827 हो गई है।

भौगोलिक और रणनीतिक

- **रणनीतिक अवस्थिति:** भूटान और भारतीय उपमहाद्वीप एक रणनीतिक अवस्थिति साझा करते हैं। यह चीन और भारत के बीच एक विराम-अंतराल के रूप में कार्य करता है।
- **त्रिसीमा क्षेत्र:** चुंबी घाटी भारत के चिकन नेक कॉरिडोर से केवल 500 कि.मी. दूर है और भूटान, भारत और चीन के त्रिसीमा क्षेत्र (ट्राइजंक्शन) पर अवस्थित है। भूटान का डोकलाम पठार चुंबी घाटी के करीब चीन पर एक सामरिक सैन्य बढ़त प्रदान करता है।
- **डाटा साझाकरण:** चूँकि, भारत की कई नदियों का उद्गम भूटान में होता है, इसलिए बाढ़ की भविष्यवाणी के संबंध में डेटा सहयोग महत्त्वपूर्ण है।

आंतरिक सुरक्षा

- **अलगाववादी समूह**: दोनों देशों ने पहले भूटान स्थित यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA) और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) से निपटने के लिए सफलतापूर्वक मिलकर काम किया है।
- **संशोधित मित्रता संधि:** वर्ष 2007 की मैत्री संधि संशोधन के प्रावधानों ने इस मोर्चे के सहयोग में और भी सुधार किया है।

बाढ़ प्रबंधन

- **बाढ़ प्रबंधन पर विशेषज्ञों का संयुक्त समूह**: इसकी स्थापना भारत की सीमा से लगे तलहटी में बार-बार आने वाली बाढ़ और क्षरण के कारणों के बारे में बात करने के लिए की गई थी।
- **डेटा साझाकरण:** इसके अतिरिक्त, जल स्तर पर डेटा और बाढ़ पूर्वानुमान के लिए आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी।

सहयोग में मुद्दे

- **विदेशी कर्ज:** भारत, भूटान का एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है और उसके पास सकारात्मक भुगतान संतुलन है, जिससे भूटान के लिए समस्याएँ पैदा हुई हैं। इससे भूटान के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और इसके विदेशी ऋण का अनुपात बढ़कर लगभग 100% हो गया है।
- **जलविद्युत परियोजनाओं में विलंब:** दोनों देशों ने भूटान की पनबिजली क्षमता को 10,000 मेगावाट तक बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया है। भारत, प्रत्याशित समय में परियोजनाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है।
- **आंतरिक सुरक्षा**: भारत, अब भूटान के दक्षिण-पूर्वी जंगलों में सक्रिय उग्रवादी समूहों के बारे में चिंतित है।
- **चीन की चिंता**: भूटान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने और भूटान तक अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (**BRI**) परियोजना का विस्तार करने के चीनी प्रयास, भारत के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। भूटान के चीन समर्थक बयान ने हाल ही में भारत और चीन को संतुलित करने के भूटान के दृष्टिकोण के बारे में एक नई बहस छेड़ दी है।
- **विद्युत शुल्क**: भारत की विद्युत अधिशेष स्थिति और पवन और सौर विद्युत जैसी वैकल्पिक ऊर्जाओं के विकास को देखते हुए भूटान को एक लाभदायक पनबिजली व्यवसाय बनाए रखने में समस्या का सामना करना पड़ता है।
- **भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौता**: भूटान पर्यावरण और जलवायु पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए BBIN मोटर वाहन समझौते में शामिल नहीं हुआ।

सहयोग के भावी क्षेत्र (आगे की राह)

राजनीतिक

- **स्वायत्तता का सम्मान करना:** भारत को भूटान के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए और भारत के स्वायत्त लोकतंत्र को देखते हुए आम जनता का समर्थन हासिल करने के लिए गैर-हस्तक्षेप का संदेश देना चाहिए।
- **सहयोग**: भूटान के लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए चुनाव आयोग की तरह अंतर-संसदीय सहयोग और संस्थागत सहयोग होना चाहिए।
- **विदेश नीति की भूमिका**: भूटान ने भारत की दो मुख्य विदेश नीतियों, 'एक्ट-ईस्ट पॉलिसी' और 'नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी' में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

रक्षा

डोकलाम गतिरोध जैसी परिस्थितियों के लिए तैयार होने के लिए, अधिक सैन्य और वायु सेना प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाले राष्ट्र-विरोधी तत्त्वों से निपटने को आसान बनाया जाएगा।

अर्थव्यवस्था

- **व्यापारिक संबंध**: भूटान के विदेशी ऋण को कम करने के लिए व्यापार विविधीकरण और उसके निर्यात उत्पादों के समूह को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- **पर्यटन**: पर्यटन में अवसरों का दोहन, विशेष रूप से सांस्कृतिक क्षेत्र में।
- **मुद्रा विनिमय:** भारत, सार्क मुद्रा विनिमय ढाँचे के तहत मुद्रा विनिमय की सीमा बढ़ाने के लिए कदम उठा रहा है।
- **भुगतान संतुलन**: भूटान के लिए भुगतान के नकारात्मक संतुलन को कम करने के लिए विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में मदद करके अपने निर्यात उत्पादों के समूह में विविधता लाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

विदेशी सहायता

भारत की अधिकांश सहायता भूटान को जाती है, लेकिन पिछले दो वर्षों में इसमें कमी आई है। चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, भारत के लिए अपनी सहायता जारी रखना विवेकपूर्ण है।

जल विद्युत्

भारत द्वारा 10,000 मेगावाट जल विद्युत विकसित करने और भूटान से अतिरिक्त विद्युत खरीदने का वादा निभाया जाना चाहिए।

शैक्षिक और औद्योगिक क्षेत्र

- **ज्ञान साझा करना**: भारत का राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क और भूटान का अनुसंधान तथा शिक्षा नेटवर्क एकीकृत हैं। इससे छात्रों और विश्वविद्यालयों के लिए ज्ञान साझा करना आसान हो जाएगा।

- **भारत-भूटान फाउंडेशन:** इसकी स्थापना वर्ष 2003 में अंतर-मानव संबंधों को मजबूत करने और विज्ञान, शिक्षा एवं संस्कृति के क्षेत्र में विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ की गई थी।

अंतरिक्ष और पर्यावरण सहयोग

- दोनों देशों के बीच बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर समझौता ज्ञापन(MoU) और पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों पर एक समझौता ज्ञापन(MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
- दक्षिण एशिया उपग्रह (SAS) के लिए एक ग्राउंड अर्थ स्टेशन के साथ भारत और भूटान अंतरिक्ष गतिविधियों में सहयोग कर रहे हैं।
- इसरो (ISRO) द्वारा शिक्षित किये जा रहे चार भूटानी इंजीनियर भूटान के INS-2B उपग्रह पर काम कर रहे हैं।

चीन का प्रतिसंतुलन

- **सीमा विवाद:** भूटान भूमि विवादों पर भारत और चीन की आक्रामक नीति के महत्त्व को जानता है।
- **सीमा प्रबंधन और रक्षा सहयोग में शामिल होना:** यह चीनी आक्रामकता के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध प्रदर्शित कर सकता है।

क्या भूटान भारत से दूर जा रहा है?

- **चीन के साथ बढ़ते संबंध:** उपर्युक्त मुद्दों ने भूटान को चीन के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए अपनी स्थिति का लाभ उठाने में मदद की है।
- **भूटान के साथ संबंध:** चीन, भूटान के साथ राजनयिक संबंध बनाने की प्रक्रिया में है जिसे भूटान ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है।
- **भूटान का संतुलन अधिनियम:** जब भारत-चीन मामलों की बात आती है तो भूटान ने संतुलन अधिनियम को अपनाया है। वर्ष 2017 के डोकलाम संकट के दौरान भी भूटान ने एक संतुलनकारी दृष्टिकोण अपनाया था।
- **भारत से असंतोष:** वर्तमान सीमा संघर्ष पर भारत का पक्ष लेने के लिए चीन से प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हुए, भूटान संवेदनशील तरीके से भारत से भटक रहा है।

भारत अब भूटान के साथ अपने संबंधों को कैसे बदल रहा है?

- भारत के भूटान के नवीन भूमि सीमा शुल्क केंद्र के अनुरोध को मंजूरी देने तथा एक और एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) खोलने की संभावना है।
- भारत ने संपर्क बढ़ाने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भूटान के साथ रेल संपर्क बनाने के अपने प्रयासों में तेजी लाई है।

न्यू भूटान क्षेत्र पर चीन का दावा

जून, 2020 में चीन ने भूटान की पूर्वी सीमा पर स्थित साकटेंग अभयारण्य के लिए UNDP-GEF के वित्त पोषण को रोकने का प्रयास किया।

- **भारतीय रुचि:**
  - **चीन का नया दावा:** भूटान का पूर्वी भाग अपनी 'नियंत्रित पड़ोसी' नीति द्वारा निर्देशित है।
  - **पड़ोसियों पर दबाव डालना:** चीन द्वारा उन देशों पर दबाव डाला जाता है जो चीन से दूर हैं और भारत के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखते हैं।
  - **स्थान:** पूर्वी साकटेंग अरुणाचल प्रदेश की सीमा के साथ स्थित है, जिसे चीन अपने तिब्बत क्षेत्र का हिस्सा होने का दावा करता है, इसलिए इस तरह का दावा सीमा विवाद के मुद्दों को और जटिल बना सकता है।

भारत और भूटान के बीच हाल की बैठकः

- प्रधानमंत्री मोदी की हालिया यात्रा का उद्देश्य इन विशेष संबंधों को आगे बढ़ाना है, विशेष रूप से जब भूटान अपनी आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है।
- भारत ने आर्थिक दबाव को कम करने और व्यापार, संपर्क, अंतरिक्ष सहयोग और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए आठ समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर भी हस्ताक्षर किए हैं।
- यात्रा के दौरान, भारत ने 100 अरब रुपये की सहायता का आश्वासन दिया, 13-वें वित्त वर्ष के लिए 85 अरब रुपये और आर्थिक पैकेज के लिए 15 अरब रुपये।
- ये समझौते पेट्रोलियम उत्पादों, खाद्य उत्पादों और दवाओं के व्यापार को सुविधाजनक बनाते हैं। भारत और भूटान के बीच संपर्क और व्यापार बढ़ाने के लिए दो रेलवे लाइनों-कोकराझाड़-गेलेफू और बनारहाट-समत्से-की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत विशेष रूप से गेलेफू SAR में व्यापार और निवेश संबंधों और बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने पर भी सहमत हुआ।
- सीमा वार्ता पर, भारत ने आपसी सुरक्षा पर भूटान के सहयोग पर संतोष व्यक्त किया और राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर घनिष्ठ समन्वय जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। यह इंगित करता है कि भारत सीमाओं का सीमांकन करने के लिए भूटान की तात्कालिकता और मजबूरियों को समझता है।
- इस यात्रा का मुख्य आकर्षण भूटान के राजा द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान करना है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा भूटान खाद्य और औषधि प्राधिकरण (BFDA) द्वारा प्रयोग किए गए आधिकारिक नियंत्रण की मान्यता के लिए समझौता व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने और दोनों पक्षों पर अनुपालन लागत को कम करके भारत और भूटान के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाएगा।

चीन-भूटान सीमा पर बैठक

उन्होंने सीमा मुद्दों के समाधान के लिए 3 चरणीय दिशा-निर्देशों पर चर्चा की। 3-चरणीय दिशा-निर्देशों के समझौता ज्ञापन (MoU) पर वर्ष 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे।

तीन चरण इस प्रकार हैं:

- सीमाओं पर वार्ताओं के दौरान सहमति बनाना।
- औपचारिक रूप से सीमा का सीमांकन करना।
- जमीनी स्तर पर स्थलों का दौरा करना।

पश्चिम की ओर देखते हुए, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत सक्रिय रूप से अपने संबंधों को गहरा कर रहे हैं; यह अपरिहार्य प्रतीत होता है कि क्वाड (QUAD) को अपने ढाँचे के भीतर सैन्य सहयोग लाना होगा। इस तरह के बड़े दाँव के साथ, भारत को थिम्पू से बीजिंग के निरंतर दबाव के बावजूद डोकलाम में यथास्थिति बनाए रखने का आग्रह करना चाहिए।

प्रमुख शब्दावलियाँ

सबड्यूड नेबरहुड, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, साउथ एशिया सैटेलाइट (SAS) ट्राइजंक्शन, बफर स्टेट, फ्री ट्रेड रेजीम और ड्यूटी-फ्री ट्रांजिट।

8 भारत और श्रीलंका

परिचय

- श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के अनुसार, 'भारत, श्रीलंका का रिश्तेदार है जबकि अन्य सभी देश मित्र हैं।'
- भारत और श्रीलंका के बीच 2,500 से अधिक वर्षों के संबंधों के दौरान व्यापक बौद्धिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई आदान-प्रदान हुआ है।

संबंधों का अवलोकन

श्रीलंका का भूवैज्ञानिक महत्त्व

- **व्यापार:** यह महत्त्वपूर्ण जल मार्गों पर स्थित है जो हिंद महासागर से जुड़ते हैं, जहाँ से भारत का 90% व्यापार होता है।
- **हिंद-प्रशांत रणनीति:** दक्षिण चीन सागर में चीनी आक्रामकता की प्रतिक्रिया में, नौवहन के लिए स्वतंत्र और खुली पहुँच सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया था।

आर्थिक

- **सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार:** वर्ष 2021 में 5.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल द्विपक्षीय व्यापारिक व्यापार के साथ - वर्ष 2020 की तुलना में एक महत्त्वपूर्ण वृद्धि (लगभग %48) के साथ - भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था।
- **मुद्रा विनिमय:** हाल ही में, श्रीलंका के विदेशी भंडार को बढ़ाने और COVID-19 के बाद वित्तीय स्थिरता की सुनिश्चितता के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने श्रीलंका को 400$ मिलियन की मुद्रा विनिमय सुविधा देने के लिए एक समझौता किया।
- **निवेश:** सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के अनुसार, भारत पहले ही 2.2 अरब डॉलर से अधिक का FDI निवेश कर चुका है। वर्ष 2021 में, भारत ने सबसे अधिक FDI (142 मिलियन डॉलर) आकर्षित किया।

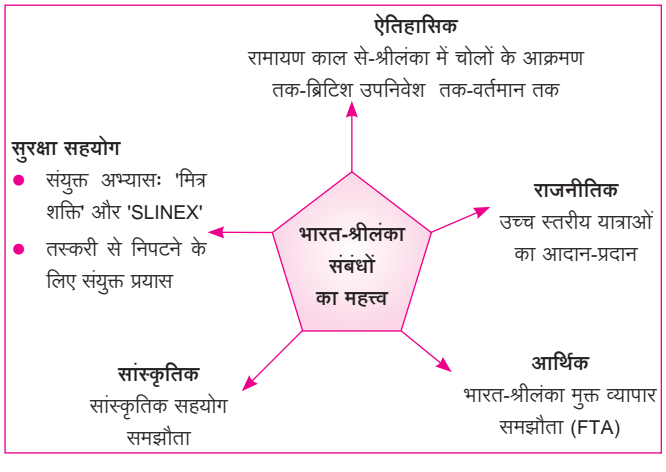

राजनीतिक

- **उच्च स्तरीय आदान-प्रदान:** नियमित अंतराल पर उच्च-स्तरीय यात्राओं का आदान-प्रदान दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों की एक परिभाषित विशेषता रही है।
- **भारत की पड़ोसी प्रथम की नीति:** यह विदेश नीति के क्षेत्र में 'सबका साथ, सबका विकास' का विस्तार है।
- **'इंडिया फर्स्ट' पॉलिसी:** हालाँकि, अपनी पहली विदेश यात्रा पर, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अपने देश की भारत पहले रणनीति पर जोर दिया और घोषणा की कि जबकि चीन एक मित्र है, भारत रिश्तेदार है।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

- **सैन्य अभ्यास:** भारत और श्रीलंका वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास 'मित्र शक्ति' और नौसेना अभ्यास आयोजित करते हैं।
- **SLINEX:** यह भारत और श्रीलंका के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है।
- **समुद्री सुरक्षा:** हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने, समुद्री डकैती रोधी अभियानों और समुद्री प्रदूषण को कम करने के लिए भारत, श्रीलंका और मालदीव द्वारा एक त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौता किया गया है।
  - भारत और श्रीलंका ने मानव और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए वर्ष 2019 में एक समझौता किया था।
- **त्रिपक्षीय सुरक्षा बैठक:** आतंकवाद और कट्टरता, समुद्री सुरक्षा, मानव तस्करी, संगठित अपराध तथा साइबर सुरक्षा को सहयोग के 'चार स्तंभों' के रूप में स्वीकार किया गया।

सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग

- **समझौता:** भारत और श्रीलंका ने 1977 ई. में एक सांस्कृतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
  - **छात्रवृत्ति:** भारत, श्रीलंका के योग्य छात्रों को स्नातक और अनुसंधान अध्ययन में छात्रवृत्ति प्रदान करता है। श्रीलंका, भारत की नालंदा विश्वविद्यालय परियोजना में भी भागीदार है।
- **प्रशिक्षण:** भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम के माध्यम से भारत, श्रीलंका सरकार के कई मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को हर साल 402 पूरी तरह से मुआवजा प्राप्त पदों की पेशकश करता है।
- **लोगों के बीच संबंध:** बौद्ध धर्म जैसे सांस्कृतिक जुड़ाव के माध्यम से, तमिल शालीनता आदि।
  - इन संबंधों को गहरा करने के लिए कोलंबो में भारतीय उच्चायोग की सांस्कृतिक शाखा स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र (SVCC) ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

विकासात्मक सहायता

- **सामुदायिक विकास**: भारत और श्रीलंका ने उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं (HICDP) की सीमा बढ़ाने के लिए एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- **पुनर्वास और राहत**: आंतरिक रूप से विस्थापित तमिलों के लिए सहायता। भारत ने 30,000 घरों और अन्य चिकित्सा सुविधाओं के बुनियादी ढाँचे का निर्माण किया है।
- **मुद्रा विनिमय समझौता**: SAARC मुद्रा विनिमय ढाँचे के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका (CBSL) ने 40 करोड़ डॉलर की मुद्रा विनिमय व्यवस्था को अंतिम रूप दिया है।
- **क्रेडिट सीमा (LoC):** एक्जिम बैंक ने अब तक श्रीलंका को नौ बार LoC का विस्तार किया है, जिसमें नवीनतम LoC भी शामिल है, जिसका कुल मूल्य 1.68 अरब डॉलर है। पिछले साल की शुरुआत में श्रीलंका के वित्तीय संकट के चरम के दौरान भारत द्वारा आपातकालीन सहायता में 4 बिलियन डॉलर की LoC बढ़ाई गई थी।

संबंधों में मुद्दे

मुद्दे	संदर्भ
तमिल मुद्दा	• सिंहल में बौद्ध बहुसंख्यक विभिन्न धर्मों और भाषाओं के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। तमिल की आधिकारिक स्थिति का अभाव है और बौद्ध धर्म को रोजगार और शिक्षा दोनों में प्राथमिकता दी जाती है। • **नागरिकता से इनकार**: अधिकांश तमिलों को नागरिकता देने से इनकार कर दिया गया था। इस प्रकार, श्रीलंका के चाय बागानों में अधिकांश तमिल गरीबी में रहते रहे। • **गृहयुद्ध और मानवाधिकारों का हनन**: संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि गृहयुद्ध के बीच संघर्ष के अंत से पहले पाँच महीनों में अकेले **40,000** नागरिक मारे गए थे। • **20वाँ संशोधन**: जो 13वें संशोधन को कमजोर करता है, श्रीलंका की नई सरकार द्वारा पेश किया गया था। वर्ष 1987 के भारत-श्रीलंका समझौते की अन्य आवश्यकताओं, जैसे प्रांतीय स्वायत्तता और तमिल भाषा की मान्यता का भी पालन नहीं किया जाता है।
चीन की भूमिका	• श्रीलंका के महत्त्वपूर्ण हम्बनटोटा बंदरगाह के चीन के 99 साल के पट्टे के बारे में चिंता जताई गई है। बंदरगाह पर चीनी पनडुब्बियों के अवलोकन ने सुरक्षा के बारे में और सवाल उठाए हैं। • मत्तला राजपक्षे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रबंधन के लिए भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त उद्यम अपेक्षित रूप से आगे नहीं बढ़ा है और परियोजना की हवाई अड्डे और चीन द्वारा संचालित हम्बनटोटा बंदरगाह से निकटता के कारण समस्याएँ बढ़ गई हैं।
मछुआरों का मुद्दा (कच्चातीवु द्वीप)	• कच्चातीवु द्वीप वह जगह है जहाँ मुख्य संघर्ष होता है। 1974 ई. में यह द्वीप श्रीलंका को दिया गया था। • हालाँकि, यह समझौता भारतीय मछुआरों को आराम करने और जाल सुखाने के लिए कच्चातीवू तक पहुँच प्रदान करता है, लेकिन यह पारंपरिक मछली पकड़ने में शामिल होने के अधिकारों की गारंटी नहीं देता है। • वर्ष 2009 में गृह युद्ध की समाप्ति के बाद से जब भी भारतीय मछुआरे श्रीलंकाई जलमार्गों पर आक्रमण करते हैं, तो गिरफ्तारियाँ और हमले बढ़ जाते हैं। श्रीलंका भारतीय मछुआरों द्वारा बड़े नौकाओं का उपयोग करने पर भी आपत्ति जताता है। • दीर्घकालिक समाधान खोजने के लिए, दोनों देशों ने संयुक्त कार्य समूह की रूपरेखा स्थापित की है। भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों को जाल और अन्य आवश्यक उपकरण देने के लिए एक समझौता ज्ञापन(MoU) पर भी हस्ताक्षर किए गए।
भारत का वित्तपोषण आश्वासन	• भारत पिछले साल की आर्थिक तबाही के बाद अपने महत्त्वपूर्ण ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम को औपचारिक रूप से समर्थन देने वाला द्वीप राष्ट्र का पहला द्विपक्षीय लेनदार बन गया, जब उसने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) को लिखित वित्तीय आश्वासन जारी किया। • जब तक चीन, जापान और भारत, श्रीलंका के आधिकारिक लेनदारों ने पर्याप्त वित्त आश्वासन नहीं दिया जाता है, तब तक श्रीलंका को IMF's के 2.9 बिलियन डॉलर के अंतरिम पैकेज को मंजूरी नहीं दी जाएगी। • 'पड़ोसी प्रथम' के विचार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता तथा साझेदार को स्वयं के लिए संघर्ष करने की अनुमति न देने की बात पर जोर देते हुए, वित्तीय आश्वासन का विकल्प भी इस आदर्श में भारत के विश्वास को दर्शाता है।
भारत के पक्ष में व्यापार संतुलन	• वर्ष 2018 में, भारत ने श्रीलंका को 4.16 बिलियन डॉलर का निर्यात किया, जबकि श्रीलंका ने भारत को 767 मिलियन डॉलर का निर्यात किया। • श्रीलंका भारतीय बाजारों तक बेहतर पहुँच के साथ-साथ इस असमानता में कमी चाहता है।

हाल के घटनाक्रम

- द्वीप राज्य में वर्ष 2022 के आर्थिक संकट के बाद श्रीलंका के साथ भारत के संबंध एक अलग चरण में प्रवेश कर रहे हैं। हाल ही में एक बयान में, भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि संकट के दौरान, भारत ने श्रीलंका को 4.5 बिलियन डॉलर से अधिक की आर्थिक और मानवीय सहायता प्रदान की और श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन प्रयासों का समर्थन किया।
- पिछले दो वर्षों में कोलंबो कई मोर्चों पर नई दिल्ली के साथ संबंधों को गहरा कर रहा है। इनमें से सबसे महत्त्वपूर्ण भारत द्वारा विकास और निवेश पहल हैं, जैसे कि त्रिंकोमाली ऊर्जा-हब विकास, बंदरगाह विकास और तेल रिफाइनरी।
- वर्ष 2022 में, श्रीलंका ने अडानी ग्रीन एनर्जी को उत्तर-पश्चिमी मन्नार और पूनेरिन में दो पवन परियोजनाओं के निर्माण के लिए अस्थायी मंजूरी दी। अक्टूबर, 2023 में, राष्ट्रीय पशुधन विकास बोर्ड द्वारा संचालित श्रीलंका की राज्य के स्वामित्व वाली डेयरी कंपनियों ने भारत की अमूल डेयरी कंपनी के साथ एक संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया। श्रीलंका सरकार द्वारा श्रीलंका में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के प्रबंधन की देखरेख के लिए भारत के अडानी समूह को शामिल करने पर भी चर्चा हो रही है।
- भारतीयों को श्रीलंका आने के लिए जयशंकर के आह्वान का जवाब देते हुए, श्रीलंका के पर्यटन मंत्री हरिन फर्नांडो ने निमंत्रण को मजबूत करते हुए कहा कि "श्रीलंका भारत का एक हिस्सा है।" इससे मंत्री के बयान की घरेलू आलोचना शुरू हो गई और पर्यटन मंत्रालय के सामने उनके इस्तीफे की माँग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। मंत्री ने बाद में स्पष्ट किया कि इस तरह के हमले राजनीति से प्रेरित थे और उन्होंने यह कहने का प्रयास किया था कि दोनों देश एक-दूसरे के समान थे और वह "श्रीलंका को भारत को बेचने" का प्रयास नहीं कर रहे थे।
- फरवरी, 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे द्वारा भारतीय आवास परियोजना, 'भारत-लंका' के चरण-IV का शुभारंभ किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य श्रीलंका में बागान क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भारतीय अनुदान सहायता से 10,000 घरों का निर्माण करना है। उसी महीने, भारत ने श्रीलंका में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) पेश किया। यह वर्ष 2023 में एक निर्दिष्ट मुद्रा के रूप में भारतीय रुपये के प्राधिकरण के साथ दोनों देशों के बीच वित्तीय संपर्क को गहरा करने के प्रयास में एक और कदम है।

- **कोलंबो सुरक्षा निर्णय**: मॉरीशस में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (CSC) की छठी बैठक
- यह वर्ष 2011 में श्रीलंका के साथ एक त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह के लिए भारत और मालदीव में शामिल होने के साथ आया था, लेकिन भारत और मालदीव के बीच बढ़ते तनाव के कारण वर्ष 2014 के बाद रुक गया था।
- वर्ष 2020 में, भारत ने मॉरीशस, सेशेल्स और बांग्लादेश में पुनरुद्धार, संस्थागतकरण और विस्तार के लिए कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन को आगे बढ़ाया।

भारत के लिए कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का महत्त्व

- **नेतृत्व के लिए**: भारत के नेतृत्व और सुरक्षा संरचना को मजबूत करने का अवसर।
- **खतरों का मुकाबला करने के लिए**: अपनी भूमिका को संस्थागत बनाने, क्षेत्रीय सुरक्षा ढाँचे को आकार देने और मौजूदा एवं उभरते खतरों से बेहतर तरीके से निपटने का अवसर।
- **चीन कारक का मुकाबला करने के लिए**: 2000 के दशक की शुरुआत से, चीन ने अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) परियोजनाओं के साथ हिंद महासागर में पर्याप्त निवेश किया है, जिससे इसे हिंद महासागर तक पहुँचने में मदद मिली है।
  - चीन की पहुँच संचार और व्यापार की महत्त्वपूर्ण समुद्री लाइनों को नियंत्रित करने और भारत के प्रभाव तथा उपस्थिति को सीमित करने के लिए है।
  - चीन अपनी नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत कर रहा है साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ मजबूत रक्षा संबंध भी बनाए हुए है।
  - इसने जिबूती में एक आधार स्थापित किया है और श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को नियंत्रित करता है।
  - यह हिंद महासागर के तल के मानचित्रण हेतु वैज्ञानिक जहाजों का उपयोग करना जारी रखता है।
  - चीन विकास सहयोग पर हिंद महासागर क्षेत्र मंच जैसे मंचों के माध्यम से अपनी उपस्थिति को संस्थागत बनाकर हिंद महासागर में प्रचलित सुरक्षा ढाँचे का भी मुकाबला करना चाहता है।

कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के साथ चुनौतियाँ

- **राजनीति का प्रभाव**: यह अपने सदस्य-राज्यों में घरेलू राजनीतिक परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील है।
  - **उदाहरण**: हाल की बैठक में मालदीव की अनुपस्थिति। यह चीन के साथ घनिष्ठ संबंधों को प्राथमिकता देने या उस राष्ट्रवादी अभियान के कारण हो सकता है जिसने रक्षा सहयोग पर मालदीव को भारत से दूर करने का संकल्प लिया है।
- **सदस्य राज्यों द्वारा राष्ट्रवादी और चीन समर्थक कार्डों का उपयोग**: कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सभी सदस्य लोकतंत्र हैं और वे इन कार्डों का उपयोग अपने लाभ के लिए करते हैं क्योंकि हिंद-प्रशांत क्षेत्र का महत्त्व बढ़ रहा है।
  - **उदाहरण**: भारत के लिए महत्त्वाकांक्षाएं, जिम्मेदारियाँ और खतरे बढ़ गए हैं और कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन अपने क्षेत्रीय नेतृत्व को मजबूत करने में मदद करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण साधन बना रहेगा।

आगे की राह

- **संपर्क**: पाक जलडमरूमध्य के विकास के माध्यम से आर्थिक एकीकरण।
- **आर्थिक एकीकरण दिशा-निर्देश (EIRM):** यह उप-क्षेत्रवाद पर आधारित है और इसका उद्देश्य भारत के 5 दक्षिणी राज्यों को श्रीलंका के साथ जोड़ना है ताकि कुल 300 मिलियन आबादी और 500 बिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद का दोहन किया जा सके।
- **निजी निवेश**: श्रीलंका में समयबद्ध तरीके से बुनियादी ढाँचे, ऊर्जा और कनेक्टिविटी में भारत से निजी निवेश को गहरा करने की आवश्यकता है।
- **ब्लू इकॉनमी का लाभ**: भारत, ब्लू इकॉनमी का उपयोग करते हुए श्रीलंका के बुनियादी ढाँचे और संपर्कों को मजबूत करने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ भी सहयोग कर सकता है।
- **व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA):** दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
- **मछुआरों की मदद**: राज्यों को महासागर विकास विभाग और कृषि मंत्रालय से सहायता लेनी चाहिए ताकि पाक जलडमरूमध्य में मछुआरों को आय का वैकल्पिक साधन मिल सके।

प्रमुख शब्दावलियाँ

ब्लू इकॉनमी, आर्थिक एकीकरण रोडमैप, लोगों से लोगों का संबंध, पड़ोसी प्रथम की नीति, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी, ग्रेट गेम।

विगत वर्षों के प्रश्न

- 'भारत श्रीलंका का बरसों पुराना मित्र है।' पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। **(2022)**
- भारत-श्रीलंका संबंधों के संदर्भ में, विवेचना कीजिए कि किस प्रकार आतंरिक (देशीय) कारक विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। **(2013)**

9 भारत - मॉरीशस

"भारत और मॉरीशस का इतिहास, पूर्वजों, संस्कृति, भाषा और हिंद महासागर की साझा जल सीमाओं से जुड़ा हुआ है। आज, हमारी मजबूत विकास साझेदारी हमारे घनिष्ठ संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभरी है।"

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

परिचय

- भारत और मॉरीशस के मध्य 18वीं शताब्दी से ही गहरे ऐतिहासिक संबंध बने हुए हैं, जिसके तहत 1948 ई. में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे।
- मॉरीशस में महत्त्वपूर्ण भारतीय प्रवासी समुदाय (Indian diaspora), जो देश की 68 प्रतिशत जनसंख्या का हिस्सा है, दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को और मजबूत करता है।

भारत-मॉरीशस संबंध

- **हिंद महासागर क्षेत्र:** अफ्रीकी क्षेत्र के हिंद महासागर तटीय देशों में मॉरीशस एक महत्त्वपूर्ण साझेदार है। दोनों देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जो एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और हिंद महासागर क्षेत्र में सतत विकास को प्रोत्साहित करना है।
- **साझा इतिहास:** प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ सहित देश की लगभग 68 प्रतिशत आबादी भारतीय मूल की है।
- मॉरीशस में महात्मा गांधी का संक्षिप्त पड़ाव (29 अक्टूबर - 15 नवंबर, 1901) देश के इतिहास और स्मृति में एक यादगार घटना के रूप में अंकित है।
- **आर्थिक:** विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान, एक महत्त्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौता तथा 'व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता (CECPA)' पर हस्ताक्षर किए गए।
- **विकास साझेदारी:** प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरीशस में एक सामाजिक आवास परियोजना, एक सिविल सेवा कॉलेज और 8 मेगावाट सौर पीवी फार्म परियोजना का उद्घाटन किया। मई, 2016 में भारत ने पाँच प्राथमिकता परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मॉरीशस को 353 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, दो समझौतों का आदान-प्रदान हुआ: पहला, मेट्रो एक्सप्रेस और अन्य बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा के लिए और दूसरा समझौता, समझौता ज्ञापन (MoU) के माध्यम से लघु विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किया गया।
- **शैक्षिक:** मॉरीशस, भारत के 'भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम' का महत्त्वपूर्ण लाभार्थी है।
- प्रतिवर्ष लगभग 200 मॉरिशियन छात्र भारतीय विश्वविद्यालयों में अपनी शिक्षा का स्व-वित्तपोषण करते हैं, इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष कई मॉरिशियन छात्रों को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) के तहत छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं।
- **सागर विजन (सभी के लिए सुरक्षा और विकास):** इस विजन में भारत के समुद्री पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया गया है।
- **शुद्ध सुरक्षा प्रदाता-** दक्षिण हिंद महासागर में द्वीपीय देशों के साथ घनिष्ठ सहयोग से हिंद महासागर क्षेत्र में शुद्ध सुरक्षा प्रदाता (**Net Security Provider**) के रूप में भारत की भूमिका सुदृढ़ होगी।
- **रक्षा और सुरक्षा सहयोग:** विदेश मंत्री एस. जयशंकर की यात्रा के दौरान, भारत और मॉरीशस ने मॉरीशस को किराये पर एक डोर्नियर विमान और एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर- ध्रुव को स्थानांतरित करने से संबंधित दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
- **पर्यटन:** मॉरीशस में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा-मुक्त नीति को लागू किया, जिसमें उन्हें वीजा के बिना 30 दिन की अवधि तक का आवास प्रदान किया जाता है, यदि वे अपने दौरे के लिए पर्याप्त धन का ब्यौरा दे सकते हैं।

महत्त्व	समस्याएँ
• **भौगोलिक-रणनीतिक महत्त्व:** भारत, मॉरीशस को भारतीय महासागर क्षेत्र में रणनीतिक स्थिति के लिए महत्त्वपूर्ण मानता है, जो इस क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए उसके दृष्टिकोण का समर्थन करता है। • **आर्थिक सहयोग:** भारत, मॉरीशस का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जो इसकी अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। मॉरीशस में नवाचार और समुद्री अनुसंधान के लिए क्षेत्रीय हब के रूप में क्षमता है।	• **आर्थिक चिंताएँ:** कर चोरी के लिए भारत-मॉरीशस दोहरे कराधान बचाव समझौते के दुरुपयोग ने आर्थिक संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। • **समुद्री सीमा विवाद:** भारत और मॉरीशस के बीच चागोस द्वीपसमूह पर दीर्घकालिक विवाद है, जो मछली पकड़ने के अधिकार और संसाधन अन्वेषण को प्रभावित कर रहा है।

- **राजनयिक समर्थन:** अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आपसी राजनयिक समर्थन वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करता है।
- **चीनी प्रभाव का सामना:** मॉरीशस के साथ संबंधों को मजबूत करने से भारत को क्षेत्र में चीनी विस्तार का मुकाबला करने, शक्ति संतुलन सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।
- **पर्यटन और निवेश:** पर्यटन और निवेश में वृद्धि की संभावना, दोनों देशों के लिए आर्थिक अवसर पैदा करना।
- **क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग:** समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी और आपदा प्रबंधन पर सहयोग क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाता है।
- **शिक्षा और क्षमता निर्माण:** भारतीय छात्रवृत्तियाँ और प्रशिक्षण कार्यक्रम मॉरीशस के मानव संसाधन विकास और सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान करते हैं।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** मॉरीशस, हिंद महासागर में समुद्री डकैती और अवैध तस्करी से निपटने के लिए अधिक समुद्री सुरक्षा सहयोग चाहता है।
- **प्रवासन और श्रमिक मुद्दे:** मॉरीशस में भारतीय प्रवासियों के लिए श्रम की स्थितियों और अवसरों को लेकर कई बार तनाव उत्पन्न होता है।
- **चीन:** हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती चीनी उपस्थिति हिंद महासागर में भारत के प्रभुत्व को खतरे में डाल रही है। भारत की आर्थिक सहायता की भी अपनी सीमा है और भारत, चीन की तरह एकतरफा और अधिक मात्रा में आर्थिक सहायता नहीं प्रदान कर सकता। मॉरीशस के साथ चीन का मुक्त व्यापार समझौता (FTA) जनवरी, 2021 में प्रभावी हो गया था।
- **कनेक्टिविटी और परिवहन:** भारत और मॉरीशस के बीच हवाई और समुद्री कनेक्टिविटी बढ़ाना पर्यटन और व्यापार के लिए आवश्यक है।

नई पहलें

- भारत ने पिछले 10 वर्षों में मॉरीशस के लोगों को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन और $400 मिलियन की सहायता प्रदान की है।
- मॉरीशस में UPI और RuPay कार्ड सेवाएँ शुरू की गई हैं।
- मॉरीशस 'जन औषधि योजना' को अपनाने वाला पहला देश बन गया है, जिससे भारत के फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइस ब्यूरो से लगभग 250 उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयों की आपूर्ति हो सकेगी।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरीशस में भारतीय सहायता से विकसित एक अद्यतन हवाई पट्टी, एक समुद्री घाट (जेट्टी) और छह अन्य सामुदायिक विकास पहलों का उद्घाटन किया।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरीशस की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर गई, जहाँ उन्हें देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था।

आगे की राह:

- **आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना:** व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करना तथा सहयोग के लिए नए क्षेत्रों की खोज करना।
- **कर और वित्तीय मुद्दों का समाधान:** पारदर्शिता सुनिश्चित करना और दोहरे कराधान से बचाव समझौते का उचित उपयोग सुनिश्चित करना।
- **सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना:** समुद्री सुरक्षा, समुद्री डकैती का मुकाबला करने और अवैध गतिविधियों से निपटने पर सहयोग करना।
- **सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना:** लोगों के बीच संबंधों को प्रोत्साहित करना और साझा विरासत की समझ को बढ़ावा देना।
- **पर्यावरणीय स्थिरता पर सहयोग:** संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर मिलकर कार्य करना।
- **क्षेत्रीय साझेदारियों को सुदृढ़ करना:** क्षेत्रीय मंचों में भाग लेना और कनेक्टिविटी एवं विकास के लिए संयुक्त पहलों में शामिल होना।

निष्कर्ष

भारत और मॉरीशस के पास अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का एक मूल्यवान अवसर है। यह अवसर आर्थिक सहयोग, सुरक्षा सहयोग, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और क्षेत्रीय साझेदारियों के माध्यम से संभव है, जो आपसी विकास को बढ़ावा देगा और हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता में योगदान करेगा।

प्रमुख शब्दावलियाँ

सुरक्षा सहयोग, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध, भू-रणनीतिक महत्त्व, शुद्ध सुरक्षा प्रदाता, सागर (SAGAR) विजन, हिंद महासागर क्षेत्र।

10 भारत-मालदीव

परिचय

भारत, 1965 ई. में मालदीव की स्वतंत्रता को स्वीकार करने और राष्ट्र के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले प्रारंभिक देशों में से एक था। 1988 ई. के तख्तापलट की साजिश के दौरान भारत द्वारा प्रदान की गई त्वरित सहायता, जिसे 'ऑपरेशन कैक्टस' के नाम से जाना जाता है, ने विश्वास बनाने और मालदीव के साथ स्थायी और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

संबंधों का संक्षिप्त विवरण

आर्थिक

- भारत और मालदीव के बीच 1981 ई. में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत, मालदीव का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
- वर्ष 2018 में चौथे स्थान से भारत, मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया और वर्ष 2021 में द्विपक्षीय व्यापार में महामारी की बाधाओं के बावजूद 31% की वृद्धि दर्ज की गई।
- वर्ष 2021 में भारत-मालदीव द्विपक्षीय व्यापार 323.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है।
- मालदीव की आर्थिक पुनर्प्राप्ति में सहायता के लिए भारत ने सितंबर, 2020 में मालदीव को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की।
- **रक्षा:** भारत, मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (MNDF) के लिए सबसे अधिक प्रशिक्षण अवसर प्रदान करता है, जिससे उनकी रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं का लगभग 70% पूरा होता है।
- अप्रैल, 2016 में रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए।
- रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय पहलों में MNDF के लिए समग्र प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना, तटीय रडार निगरानी प्रणाली का कार्यान्वयन और नए रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय का निर्माण शामिल है।
- **आपदा प्रबंधन:** वर्ष 2004 की सुनामी और वर्ष 2014 के माले जल संकट के बाद भारत ने मालदीव को व्यापक सहायता प्रदान की। भारत में MNDF फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी पेश किए गए।
- **विकासात्मक सहयोग:** भारत ने मालदीव में इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, मालदीव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट (NCPLE) जैसी उल्लेखनीय विकास परियोजनाएँ लागू की हैं।
- **कनेक्टिविटी परियोजना:** भारत ने माले को तीन पड़ोसी द्वीपों से जोड़ने के लिए मालदीव की सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढाँचा परियोजना, **ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (GMCP)** के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता भी प्रदान की है।
- **मुद्रा विनिमय:** वर्ष 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और मालदीव मोनेटरी प्राधिकरण (MMA) के मध्य 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय डॉलर मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- **कोविड संबंधित सहायता:** मार्च, 2020 में मालदीव में एक 14 सदस्यीय त्वरित प्रतिक्रिया चिकित्सा टीम को भेजा गया था, जो मालदीवी अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना संकट का सामना करने में मार्गदर्शन और प्रशिक्षण देने के लिए था।
- **ऑपरेशन संजीवनी:** कोविड-19 खतरे से निपटने में मित्र देशों की मदद करने के भारत सरकार के प्रयासों के तहत, एक विशेष भारतीय वायुसेना विमान ने 2 अप्रैल 2020 को भारत से मालदीव तक 6.2 टन आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति पहुँचाई।

महत्त्व	समस्याएँ
• **कट्टरपंथ को रोकने में:** 200 से अधिक मालदीव के युवाओं ने "इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया" (ISIS) में शामिल हो गए हैं। राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक-आर्थिक अनिश्चितता के कारण बढ़ती कट्टरता पाकिस्तान को मालदीव में आतंकवादी लॉन्च पैड स्थापित करने का अवसर दे सकती है। • **बढ़ता चीनी प्रभाव:** मालदीव, भारत को नियंत्रित करने की चीन की **'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स'** रणनीति का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। चीन की ऋण जाल कूटनीति (Debt Trap Diplomacy) की नीति उसे मालदीव में रणनीतिक संपत्तियों तक पहुँच प्रदान कर सकती है।	• **घरेलू राजनीतिक असंतोष:** लोकतांत्रिक संस्थानों की ताकत में गिरावट आई है, जिससे वे असुरक्षित हो गए हैं। इसके अलावा, यदि प्रभावी रूप से शासन नहीं किया गया, तो कमजोर लोकतंत्र कट्टरपंथी विचारधाराओं के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। • **आतंकवाद का केंद्र:** मालदीव में इस्लामी कट्टरवाद का उदय मुख्य रूप से राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों से प्रेरित है। इसके अतिरिक्त, इस बात की भी चिंता है कि सऊदी अरब ने मालदीव में कट्टरता फैलाने में भूमिका निभाई है। वास्तव में, मालदीव में प्रति व्यक्ति ISIS आतंकवादियों की संख्या के मामले में सबसे अधिक रिकॉर्ड दर्ज किए हैं।

- **चीन-मालदीव मैत्री पुल** जो बीजिंग द्वारा $200 मिलियन की वित्तीय सहायता से बनाया गया है, दक्षिण एशिया के इस उष्णकटिबंधीय राष्ट्र में चीन की कई परियोजनाओं में से एक है, जो अपनी सुंदर समुद्र तटों और लैगून के लिए प्रसिद्ध है।
- **आर्थिक:** भारत और मालदीव के बीच व्यापारिक और वाणिज्यिक आदान-प्रदान स्थिर हो गया है। COVID-19 के बाद से मालदीव की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है और यह चीन के ऋण जाल में और गहराई तक फँस गया है।
- **राजनीतिक अस्थिरता:** भारत ने क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता के प्रभाव पर अपनी सुरक्षा और विकास के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण चिंता व्यक्त की है।
- यमीन गुट ने "इंडिया आउट" अभियान की शुरुआत की, जिसमें नई दिल्ली के विकासात्मक वित्तीय सहायता के खिलाफ आवाज उठाई गई थी और सोलिह प्रशासन से माँग की गई कि "भारत को ध्यान में रखते हुए विदेशियों को राष्ट्रीय संपत्ति बेचना बंद करना चाहिए।"
- **मालदीव में चीन का प्रभाव:** भारत, मालदीव में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर अधिक चिंतित होता जा रहा है, जो मुख्य रूप से बीजिंग द्वारा संचालित कई निवेश परियोजनाओं से प्रेरित है। मालदीव अब दक्षिण एशिया में चीन की रणनीतिक **"स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स"** पहल का एक महत्त्वपूर्ण घटक बन गया है।
- **आर्थिक:** मालदीव और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में बहुत निचले स्तर पर है और दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता (FTA) नहीं है।
- **भारत विरोधी भावनाएँ**: मालदीव राष्ट्रीय संरक्षण बल ने दो भारतीय ध्रुव उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके प्रशिक्षण प्राप्त किया। हालाँकि, उनकी सैन्य प्रकृति के कारण, भारत की आलोचना करने वाले कुछ विवादास्पद व्यक्तियों ने यह आरोप लगाया कि इसका प्रावधान देश में सैन्य प्रस्थिति की स्थापना को दर्शाता है।
- **पारदर्शिता की कमी:** सोलिह सरकार और भारत के बीच हस्ताक्षरित होने वाले समझौतों को लेकर पारदर्शिता की कमी को लेकर अक्सर चिंता व्यक्त की जाती है।
- **भारत के प्रयासों की गलत धारणा:** ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारत और मालदीव के बीच UTF हार्बर प्रोजेक्ट समझौता, जिसका उद्देश्य उथुरु थिला फाल्हू में एक तटरक्षक बंदरगाह विकसित करना है तथा ऐसा संदेह है कि इसे भारतीय नौसैनिक अड्डे में परिवर्तित किया जा सकता है।

तात्कालिक विकास और मुद्दों के संदर्भ में

- भारत ने मालदीव में निगरानी विमान चलाने वाले सैन्य कर्मियों को नए चीन समर्थक राष्ट्रपति द्वारा वहाँ से चले जाने के आदेश के बाद वापस बुलाना शुरू कर दिया है। दोनों पक्ष 10 मई तक 1,192 छोटे प्रवाल द्वीपों वाले राष्ट्र (मालदीव) से 89 भारतीय सैनिकों और उनके सहायक कर्मचारियों की वापसी को पूरा करने पर सहमत हुए थे।
- तीन भारतीय विमान - दो हेलीकॉप्टर और एक फिक्स्ड-विंग विमान - भारतीय नागरिक कर्मचारियों द्वारा संचालित किए जाएंगे।
- मालदीव के राष्ट्रपति ने घोषणा की है देश हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए भारत के साथ समझौते का नवीनीकरण नहीं करेगा। मालदीव अब स्वयं इस अभ्यास के लिए आवश्यक सुविधाओं और मशीनों को प्राप्त करने की योजना बना रहा है। इससे पहले, चीनी समुद्री अनुसंधान जहाज शियांग यांग होंग-03 मालदीव के जलक्षेत्र (समुद्र) में लौट आया।
- जहाज को थिलाफुशी (Thilafushi) औद्योगिक द्वीप के बंदरगाह पर खड़ा देखा गया था, हालाँकि, अभी तक इसकी वापसी का विशेष कारण सरकार द्वारा सार्वजनिक नहीं किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्ज़ू द्वारा नवंबर में पद ग्रहण करने के बाद, भारत और मालदीव के बीच स्थापित संबंधों में तनाव बढ़ गया है।
- यह आवश्यक है कि दोनों सरकारें मुद्दों को हल करने के लिए कूटनीतिक माध्यमो का उपयोग करें ताकि प्रतिकूल परिणामों को कम किया जा सके। भारत को अपनी सॉफ्ट पावर कूटनीति का उपयोग करना चाहिए क्योंकि दोनों देशों के बीच तनाव के कारण से चीन का विस्तार हो सकता है और इससे क्षेत्र की स्थिरता को खतरा हो सकता है। अपनी असहमति के बावजूद, भारत और मालदीव के बीच दशकों का इतिहास रहा है; इसलिए, उन्हें इस स्थिति से निपटने में सक्षम होना चाहिए और एक अत्यंत सहयोगात्मक और सहकारी साझेदारी स्थापित करनी चाहिए।

आगे की राह

- **इंडिया फर्स्ट पॉलिसी:** मालदीव की वर्तमान सरकार ने अपनी 'इंडिया फर्स्ट पॉलिसी' की घोषणा की है। भारत को इस अवसर का उपयोग द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए करना चाहिए।
- **सुरक्षा साझेदारी:** समुद्री सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करके रक्षा साझेदारी को मजबूत करना, ताकि हिंद महासागर में भारत की **"शुद्ध सुरक्षा प्रदाता"** की स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके।
- **परियोजनाओं को समय पर पूरा करना:** भारत को मालदीव में चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए, मालदीव में बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करना आवश्यक है। भारत, जापान के साथ मिलकर कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर सहयोग कर सकता है।
- **प्रवासी:** भारत को अपने प्रवासियों का अधिक उपयोग करना चाहिए और फिल्मों, संगीत और जनसंपर्क जैसे सांस्कृतिक तत्त्वों का उपयोग करके संबंधों को मजबूत करना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत और मालदीव के बीच सफल द्विपक्षीय सहयोग, अन्य पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण मॉडल के रूप में कार्य कर सकता है, जो भारत की 'पड़ोसी प्रथम नीति' के अनुरूप है। भारत को मालदीव के साथ विकास में अपनी साझेदारी जारी रखनी चाहिए ताकि संबंधों को और अधिक संवर्धित एवं सुदृढ़ किया जा सके।

प्रमुख शब्दावलियाँ

इंडिया आउट, 'इंडिया फर्स्ट पॉलिसी', हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण, चीनी पदचिह्न, ऑपरेशन संजीवनी, मुद्रा विनिमय समझौता।

विगत वर्षों के प्रश्न

- मालदीव में पिछले दो वर्षों में हुई राजनैतिक घटनाओं की विवेचना कीजिए। यह बताइए कि क्या ये भारत के लिए चिंता का विषय हैं। **(2013)**

11 भारत और अमेरिका

परिचय

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में एक बैठक में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व के सबसे करीबी साझेदारों में से एक के रूप में स्वीकार किया- लोकतंत्रों की एक साझेदारी जो 21वीं सदी में आशा, महत्त्वाकांक्षा और आत्मविश्वास के साथ देख रही है।
- पिछले सात दशकों में भारत-अमेरिका संबंधों का विकास हुआ है, जिन्हें पहले **'अलग-थलग लोकतंत्र'** कहा जाता था, अब वे **'स्वाभाविक सहयोगी'** बन गए हैं।
- यह संबंध अब "समग्र वैश्विक रणनीतिक साझेदारी" में बदल गया है, जो सामान्य लोकतांत्रिक मूल्यों और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक चिंताओं पर बढ़ती समानता पर आधारित है।
- **हर्ष पंत:** भारतीय विदेश नीति में अब अमेरिकी-विरोधी भावना स्पष्ट नहीं रह गई है
- **अमिताभ मट्टू**: भारत-अमेरिका संबंध एक अद्भुत दौर' (Wow phase) से गुजर रहे हैं।
- **बराक ओबामा:** अतीत की झिझक को पार करते हुए, "21वीं सदी की सबसे निर्णायक साझेदारी।"

भारत-अमेरिका संबंधों के विभिन्न पहलू

रक्षा संबंध:

- इसे भारत-अमेरिका संबंधों में 'सबसे उज्ज्वल बिंदु' के रूप में देखा जाता है। भारत-अमेरिका रक्षा व्यापार में बहुत कम समय में जबरदस्त वृद्धि हुई है और वर्तमान में यह 119.42 बिलियन डॉलर है।
- अमेरिका अब भारत के पाँच सबसे बड़े हथियार प्रदाता देशों की श्रेणी में आ गया है और भारत, अमेरिका के साथ सबसे अधिक संयुक्त अभ्यास करता है।
  - भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ चार बुनियादी रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
  - जीएसओएमआईए (सैन्य सूचना की सामान्य सुरक्षा समझौता, General Security of Military Information Agreement): सैन्य सूचना विनिमय पर सैन्य सूचना की सामान्य सुरक्षा समझौता (जीएसओएमआईए) वर्ष 2002 में हस्ताक्षरित किया गया था।
  - लेमोआ (Logistics Exchange Memorandum of Agreement): वर्ष 2016 में, दोनों देश लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (लेमोआ) के तहत एक-दूसरे के सैन्य ठिकानों का उपयोग करने के लिए सहमत हुए।
  - कॉमकासा (Communications Compatibility and Security Agreement): वर्ष 2018 में, दोनों सेनाओं ने अंतर-संचालन और भारत को उन्नत प्रौद्योगिकी के निर्यात की सुविधा के लिए संचार संगतता और सुरक्षा समझौते (कॉमकासा) पर हस्ताक्षर किए।
  - बेका (Basic Exchange and Cooperation Agreement): यह वर्ष 2020 में अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी, लॉजिस्टिक्स और भू-स्थानिक मानचित्रण साझा करने के लिए हस्ताक्षर किया गया था।
  - जनरल इलेक्ट्रिक (जीई) और हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड (एचएएल) ने स्वदेशी तेजस MK2 हल्के लड़ाकू विमान के लिए GE414 जेट इंजन के सह-उत्पादन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
  - भारत द्वारा सशस्त्र ड्रोन की खरीद और 'इंडस-एक्स' (INDUS-X) प्लेटफॉर्म के माध्यम से रक्षा औद्योगिक नवाचार में सहयोग की घोषणा की गई।

व्यापारिक संबंध:

- **व्यापार अधिशेष:** वर्ष 2022-23 में भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ $28 बिलियन का व्यापार अधिशेष था।
- **द्विपक्षीय व्यापार:** वाणिज्य मंत्रालय के अस्थायी आँकड़ों के अनुसार, भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2022-23 में बढ़कर US$ 128.55 बिलियन हो गया, जो पिछले वर्ष के US$ 119.5 बिलियन से 7.65% की वृद्धि और वर्ष 2020-21 के US$ 80.51 बिलियन से अधिक है।
- **रक्षा व्यापार:** तेल के अलावा, हाल के वर्षों में भारत-अमेरिका रक्षा व्यापार भी बढ़ रहा है।
- **भारतीय सेवा क्षेत्र की अमेरिकी बाजारों पर निर्भरता:** भारतीय सेवा क्षेत्र और विशेष रूप से IT क्षेत्र अमेरिकी बाजारों पर अत्यधिक निर्भर है।
- **भारत-अमेरिका व्यापार पर अधिक जानकारी:**
  - **निवेश:** भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में मौजूद लगभग 163 भारतीय कंपनियों ने देश में 40 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक का ठोस निवेश किया है।
  - **रोजगार सृजन:** इसके अतिरिक्त, इन कंपनियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 4,25,000 नौकरियों का सृजन किया है।
  - **व्यापार सौदा:** दोनों देशों ने 500 बिलियन अमरीकी डॉलर के व्यापार का लक्ष्य रखा है और एफटीए पर बातचीत ठप होने के कारण 'मिनी ट्रेड डील' हासिल करने पर भी काम कर रहे हैं।
  - **डिजिटल टैक्स:** भारत और अमेरिका समकारी लेवी (Equalisation Levy) या डिजिटल टैक्स पर एक संक्रमणकालीन दृष्टिकोण पर सहमत हुए हैं।

ऊर्जा सहयोग: भारत-अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी

- **रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी:** भारत-अमेरिका ऊर्जा संवाद को रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी (SEP) के स्तर पर उन्नत किया गया है। दोनों देशों ने वर्ष 2021 में जलवायु पर नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान US-India Climate and Clean Energy Agenda, 2030 Partnership शुरू की।
- **'2030 एजेंडा' के लिए साझेदारी:** संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच '2030 एजेंडा' के लिए साझेदारी।
- **रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी (SCEP):** रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी को पुनः डिजाइन किया गया है।
- **भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग:** भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग की समीक्षा की गई।
- **गैस टास्क फोर्स का नाम बदलकर:** गैस टास्क फोर्स का नाम बदलकर भारत-अमेरिका लो एमिशन गैस टास्क फोर्स रखा गया है।

सिविल परमाणु सहयोग (2008):

- **AP1000 रिएक्टर्स:** दोनों पक्षों ने वेस्टिंगहाउस द्वारा बनाए जाने वाले छह AP1000 रिएक्टर्स के लिए भारत में स्थित स्थल पर प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है। इस परियोजना के पूर्ण होने पर यह अपनी तरह की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक होगी।
- **वैश्विक परमाणु ऊर्जा साझेदारी केंद्र (GCNEP) पर सहयोग:** भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2020 में वैश्विक परमाणु ऊर्जा साझेदारी केंद्र (GCNEP) पर सहयोग के लिए अपने समझौता ज्ञापन को दस वर्ष के लिए बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

रणनीतिक साझेदारी:

- **चीन का उदय:** भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को चीन के उदय और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसके आक्रामक व्यवहार के संदर्भ में मजबूत किया गया है।
- **क्वाड (QUAD):** दोनों देशों ने 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद को संस्थागत रूप दिया है। दोनों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांतिपूर्ण, स्थिर और नियम-आधारित व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से क्वाड (QUAD) को मजबूत करने पर भी कार्य कर रहे हैं।
- **I2U2:** I2U2 साझेदारी की परियोजनाओं और पहलों का भौगोलिक दायरा सीमित नहीं है। यह समूह जिन क्षेत्रों में भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, वहाँ अवसरों की खोज करेगा। I2U2 एक साझेदारी है जो वैश्विक चुनौतियों का सामना करने और आर्थिक अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, जिसमें भारत, इजराइल, यूएई और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।

सहयोग को मजबूत करने के लिए 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद में प्रमुख समझौते

- वैश्विक साझेदारी और इंडो-पैसिफिक सहयोग, पारस्परिक समृद्धि, नवाचार और लचीली आपूर्ति शृंखला, जलवायु, पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष, वैश्विक स्वास्थ्य, रक्षा एवं सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला और मादक पदार्थों का मुकाबला, शिक्षा और लोगों से लोगों के बीच संबंध।
- **भारत 'शुद्ध सुरक्षा प्रदाता' के रूप में उभरा है:** 'हिंद-प्रशांत' की अवधारणा के आगमन के कारण भारत 'शुद्ध सुरक्षा प्रदाता' के रूप में उभरा है। यहाँ, यह मानवीय सहायता और आपदा से राहत, जहाजों की मॉनिटरिंग और क्षेत्र में चीन की साम्राज्यवादी नीतियों की जाँच जैसे मामलों में सामूहिक कार्रवाई कर सकता है।

क्वाड (QUAD):

- **हिंद-प्रशांत:** संयुक्त राज्य अमेरिका की हिंद-प्रशांत रणनीति रिपोर्ट भारत को इस क्षेत्र में 'महत्त्वपूर्ण भागीदार' के रूप में वर्गीकृत करती है।
- **ब्लू डॉट नेटवर्क:** उन परियोजनाओं को प्रमाणित करना जो "खुली और समावेशी, पारदर्शी, आर्थिक रूप से व्यवहार्य, वित्तीय, पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से संधारणीय हैं तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों, कानूनों और विनियमों के अनुरूप हैं। ब्लू डॉट नेटवर्क अमेरिका की इंडो-पैसिफिक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्त्वाकांक्षी बीआरआई (**Belt and Road Initiative**) का मुकाबला करना है।
- **रणनीतिक साझेदारी के महत्त्वपूर्ण स्तंभ:** आतंकवाद के विरुद्ध, समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा भी रणनीतिक साझेदारी के अन्य महत्त्वपूर्ण स्तंभ हैं।

चीन के प्रतिसंतुलन के रूप में भारत

- **चीन को अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक खतरा मानना:** वर्ष 2018 की अमेरिका की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और वर्ष 2017 की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति ने संशोधनवादी चीन को अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक खतरा माना है।
- **अमेरिका, भारत को चीन के भू-राजनीतिक प्रतिसंतुलन के रूप में देखता है:** अमेरिका, भारत को भू-राजनीतिक संतुलन, आर्थिक विकल्प और चीन के विपरीत लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में देखता है। भारत के लिए अमेरिका न केवल आंतरिक संतुलन और क्षमता निर्माण के मामले में, बल्कि बाहरी संतुलन के मामले में भी अपनी चीन नीति के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- **भारत को हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) क्षेत्र में शुद्ध सुरक्षा प्रदाता मानना:** अमेरिका का उद्देश्य है कि भारत के उत्थान को तीव्र किया जाए और आईओआर क्षेत्र में सुरक्षा का शुद्ध प्रदाता और अमेरिका का प्रमुख रक्षा साझेदार बनने की क्षमता बढ़ाई जाए।
- **इंडो-पैसिफिक रणनीति रिपोर्ट:** अमेरिकी रक्षा विभाग ने हाल ही में शांगरी-ला वार्ता में 'इंडो-पैसिफिक रणनीति रिपोर्ट' जारी की। इसमें भारत को हिंद महासागर क्षेत्र और दक्षिण एशिया में अमेरिका के एक महत्त्वपूर्ण साझेदार के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के कारण ऐसा हुआ है।

महामारी के दौरान भारत-अमेरिका सहयोग

- **वैक्सीन के लिए कच्चा माल:** अमेरिका ने वैक्सीन फिल्टर के अपने लंबित ऑर्डर भारत के वैक्सीन निर्माताओं को दे दिए हैं और वैक्सीन के भारतीय निर्माण के लिए तत्काल आवश्यक विशिष्ट कच्चे माल के स्रोतों की भी पहचान की है। इससे भारत को और अधिक वैक्सीन बनाने में मदद मिलेगी।
- **COVID-19 परीक्षण किट:** अमेरिका ने C-5M सुपर गैलेक्सी परिवहन विमान के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर, चिकित्सा उपकरण और COVID-19 परीक्षण किट भारत भेजे थे।

वैश्विक स्तर पर सहयोग

- **UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अमेरिकी समर्थन:** अमेरिका ने एक पुनर्गठित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) में भारत की शीघ्र सदस्यता के लिए समर्थन व्यक्त किया है।
- **वैश्विक विकास साझेदारी समझौता:** भारत-अमेरिका वैश्विक विकास साझेदारी को अगले पाँच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। वैश्विक विकास साझेदारी समझौता भागीदार देशों को सहयोगात्मक समर्थन प्रदान करता है।
- **वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग:** वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग पर मार्गदर्शक सिद्धांतों के समझौते (SGP) की अवधि को वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
- **FTF ITT:** वैश्विक विकास साझेदारी (GDP) के तहत अफ्रीका के लिए फीड द फ्यूचर इंडिया त्रिकोणीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (FTF ITT)।

भारत-अमेरिका संबंधों में मुद्दे

- **भारत-रूस मित्रता:** रूस, भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता है। इससे दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं के बीच बढ़ती अंतरसंचालनीयता और संचार में बाधा आएगी, क्योंकि अमेरिकी सैन्य हार्डवेयर रूसी उपकरणों के साथ संगत नहीं हैं।
- **काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शंस एक्ट (CAATSA- Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) पर अमेरिका की स्थिति:** रूस के साथ S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली सौदे के तहत अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी।
- **अमेरिका-पाकिस्तान संबंध:** राष्ट्रपति बाइडेन सहित कई डेमोक्रेट्स ने अपने अभियान के दौरान कश्मीर में मानवाधिकारों पर चिंता जताई है। इससे पाकिस्तान को इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने में मदद मिल सकती है।
- **WTO में उत्तर-दक्षिण विभाजन का मुद्दा**: जबकि अमेरिका और अन्य विकसित देश दोहा विकास एजेंडा को दरकिनार करने और 'नए मुद्दों' को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर विकसित देशों पर दोहा विकास एजेंडा के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का दबाव बना रहा है।

व्यापार में:

- **लंबित द्विपक्षीय निवेश संधि:** भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि लंबे समय से लंबित है।
- **भारत की शुल्क प्रणाली:** अमेरिका को भारत की शुल्क प्रणाली पर लंबे समय से चिंता है, जिसमें विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में औसत शुल्क दरें अपेक्षाकृत अधिक हैं।
- **डिजिटल सेवा कर (DST):** अमेरिका ने नवंबर, 2021 में डिजिटल सेवा कर के सुचारु रूप से निष्पादन के लिए भारत के साथ एक **"राजनीतिक समझौता"** किया।
- **अमेरिकी सामान्यीकृत प्रणाली वरीयताएँ (GSP):** संयुक्त राज्य अमेरिका ने बाजार पहुँच के मुद्दों के कारण भारत को अमेरिकी व्यापार और विकास कार्यक्रम- GSP से वर्ष 2019 में हटा दिया।
- **निवेश:** भारत ने कुछ FDI सुधार किए हैं, जैसे बीमा और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के लिए विदेशी इक्विटी सीमा बढ़ाना और FDI अनुमोदनों को सरल बनाने के लिए एक नई प्रणाली शुरू करना।
- **रक्षा व्यापार:** भारत अधिक तकनीक-साझाकरण और सह-उत्पादन परियोजनाएँ चाहता है, जबकि अमेरिका भारत की रक्षा ऑफसेट नीति में अतिरिक्त सुधार और रक्षा क्षेत्र में उच्च FDI सीमाएँ चाहता है।
- **सेवाओं में:** कुछ सेवा उद्योगों में दोनों राष्ट्र प्रतिस्पर्द्धी हैं। भारत में विदेशी स्वामित्व पर नियंत्रण और स्थानीय उपस्थिति आवश्यकताएँ, अमेरिकी निगमों की बाजार पहुँच के लिए विद्यमान बाधाएँ हैं।
- **कृषि में:** संयुक्त राज्य अमेरिका में, स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी (SPS) बाधाएँ भारत के कृषि निर्यात को बाधित करती हैं। प्रत्येक पक्ष, दूसरे की कृषि समर्थित योजनाओं को बाजार विकृत करने वाला मानता है। दोनों पक्षों ने व्यापार नीति फोरम (TPF) में सहयोग करने का निर्णय लिया है।
- **बौद्धिक संपदा (IP):** संयुक्त राज्य अमेरिका की वर्ष 2021 की **"स्पेशल 301"** रिपोर्ट ने भारत को अपनी प्राथमिकता निगरानी सूची में बनाए रखा है।
- **"अनिवार्य" स्थानीयकरण:** वर्ष 2022 में भारत ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) के व्यापार विवाद निपटान पैनल के फैसले के खिलाफ अपील की, जिसने देश के चीनी और गन्ने के लिए घरेलू समर्थन उपायों को वैश्विक व्यापार मानदंडों के विपरीत बताया।

भू-राजनीति

- **अफगानिस्तान में:** अमेरिका का अफगानिस्तान से वापसी का ऐलान देश को अस्थिर कर सकता है जिसका असर कश्मीर पर भी पड़ सकता है।
- **हिंद-प्रशांत महासागर:** जबकि भारत का प्राथमिक ध्यान भारतीय महासागर पर है, अमेरिका, प्रशांत महासागर पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है।
- **मध्य-पूर्व:** ईरान के लिए अमेरिका की दबाव रणनीति, भारत-ईरान संबंधों को प्रभावित करती है और इसका एक दुष्परिणाम ईरान तथा चीन की निकटता के रूप में सामने आता रहता है।
- **रूस-यूक्रेन युद्ध:** अमेरिका ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जबकि भारत इस प्रश्न पर तटस्थ रहा। अमेरिका घटनाओं के आधार पर प्रतिक्रिया एवं युद्ध को विकल्प ना मानने पर केंद्रित लगता है।
- **चीन:** चीन के भविष्य में संभावित सहयोग के कारण दोनों देश कभी-कभी एक-दूसरे के प्रति संदेहास्पद होते हैं। यह दोनों देशों के बीच गहरे और दीर्घकालिक समझौतों की सीमा को सीमित करता है।

डेटा संप्रभुता पर

- **ओसाका ट्रैक:** भारत ने वर्ष 2019 में डिजिटल अर्थव्यवस्था पर ओसाका ट्रैक का बहिष्कार किया। इसने विभिन्न देशों के मध्य डेटा के मुक्त संचलन की अनुमति देने वाले कानून पारित करने की वकालत की। हालाँकि, भारत ने डेटा की स्वतंत्र आवाजाही का विरोध किया क्योंकि यह उसकी संप्रभुता का उल्लंघन था।
- **अमेरिका का क्लाउड एक्ट:** क्लाउड एक्ट अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को सर्वरों में संगृहीत डेटा प्राप्त करने की अनुमति देता है, चाहे डेटा अमेरिका या किसी अन्य देश का हो।
- **डेटा स्थानीयकरण:** अमेरिकी सरकार का मानना था कि भारत का प्रस्तावित कानून डिजिटल व्यापार के लिए एक महत्त्वपूर्ण बाधा है।

भारत-अमेरिका संबंधों में हालिया घटनाक्रम:

- जनवरी, 2023 में क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (iCET) पर पहल का उद्घाटन, भारत-अमेरिका संबंधों में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी। नेताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत को एक खुले, सुलभ, और सुरक्षित प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए फिर से प्रतिबद्ध किया, जो आपसी सहयोग और विश्वास पर आधारित है साथ ही हमारे साझा मूल्यों एवं लोकतांत्रिक संस्थानों को सुदृढ़ करता है।
- दोनों देशों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच संयुक्त अनुसंधान की सुविधा के लिए एक संयुक्त क्वांटम समन्वय तंत्र स्थापित किया गया है।
- जनरल इलेक्ट्रिक (GE) और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड (HAL) ने स्वदेशी तेजस MK2 हल्के लड़ाकू विमान के लिए GE 414 जेट इंजन के सह-उत्पादन के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
- भारत की सशस्त्र ड्रोन की खरीद और 'INDUS-X' प्लेटफॉर्म के माध्यम से रक्षा औद्योगिक नवाचार में सहयोग की घोषणा की गई।
- नेताओं ने NASA और ISRO द्वारा वर्ष 2023 के अंत तक मानव अंतरिक्ष उड़ान सहयोग के लिए एक रणनीतिक ढाँचे को विकसित करने के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को ह्यूस्टन, टेक्सास में जॉनसन स्पेस सेंटर में उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने की NASA की घोषणा का स्वागत किया, जिसका लक्ष्य वर्ष 2024 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए संयुक्त प्रयास करना है।
- INDUS-X, भारत-अमेरिका रक्षा त्वरक पारिस्थितिकी तंत्र, भारतीय और अमेरिकी स्टार्ट-अप तथा टेक कंपनियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया। सेमीकंडक्टर आपूर्ति शृंखला और नवाचार साझेदारी पर देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
- भारत महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखलाओं को विविध और सुरक्षित करने के लिए अमेरिका के मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप (MSP) का नवीनतम भागीदार बन गया।
- माइक्रोन टेक्नोलॉजी इन्कॉर्पोरेशन ने भारत सरकार और गुजरात राज्य सरकार द्वारा समर्थित गुजरात में एक नई चिप असेंबली एवं परीक्षण सुविधा में निवेश करने की योजना बनाई है।

भारत-अमेरिका 2+2 संवाद:

- विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा, "हम महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, सिविल आउटर स्पेस में सहयोग और महत्त्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्रों में सहयोग जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग की संभावना तलाश रहे हैं।"
- अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने 10 नवंबर को नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, जो भारत-अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का पाँचवाँ सत्र था।
- संवाद में इंडो-पैसिफिक सुरक्षा, इजराइल-हमास संघर्ष और यूक्रेन में संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें संयुक्त रक्षा प्रयासों और वैश्विक आपूर्ति शृंखला की सुरक्षा के लिए द्विपक्षीय साझेदारी के बढ़ते महत्त्व पर जोर दिया गया।

गाजा और यूक्रेन में संघर्ष:

- **गाजा में संघर्ष:** बैठक के दौरान, भारत तथा अमेरिका ने इजराइल और हमास के बीच संघर्ष के लिए एक राजनीतिक समाधान के समर्थन की संयुक्त घोषणा की। दोनों देशों ने मानवीय विराम और क्षेत्र में प्रमुख भागीदारों के साथ राजनयिक समन्वय जारी रखने का आह्वान किया। दोनों पक्षों ने गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए मानवीय समर्थन का संकल्प लिया।
- **यूक्रेन में युद्ध:** भारत और अमेरिका ने युद्ध के उभरते मानवीय संकट पर समान चिंता व्यक्त की। दोनों देशों ने संघर्ष पर समान रुख अपनाया, युद्ध के सामाजिक परिणामों के अलावा इसके आर्थिक प्रभावों पर भी ध्यान आकर्षित किया। भारत और अमेरिका, दोनों ने यूक्रेनी नागरिकों के लिए मानवीय सहायता का संकल्प लिया।
- **अफगानिस्तान:** बैठक में अफगानिस्तान और बांग्लादेश में राजनीतिक विकास पर भी चर्चा हुई। भारतीय और अमेरिकी मंत्रियों ने संयुक्त रूप से तालिबान से अफगान लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करने और अफगान क्षेत्र का उपयोग आगे की आतंकवादी गतिविधियों के लिए न करने का आग्रह किया।
- **प्रौद्योगिकी:** दोनों पक्षों ने अर्द्धचालकों (सेमीकंडक्टर्स) पर भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। ब्लिंकन ने अर्द्धचालक उत्पादन क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया तथा दोनों देशों के बीच निकटतर शैक्षिक सहयोग का आह्वान किया।

जलवायु परिवर्तन पर

- **वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफलता:** विकासशील विश्व के लिए अमेरिका और अन्य विकसित देशों द्वारा वित्तीय और अन्य प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफलता।
- **नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों पर मतभेद:** 'नेट जीरो उत्सर्जन' पर मतभेद उभरे - अमेरिका इसे वैश्विक मंच पर आगे बढ़ा रहा है, जिसे भारत पहले के लक्ष्यों को पूरा करने में विफल मानता है (हालाँकि, भारत ने नेट जीरो की प्रतिबद्धता जताई है)।

आगे की राह

कनेक्टिविटी:

- अमेरिका, भारत में निवेश कर सकता है और जापान ने एशिया-अफ्रीका विकास गलियारे का प्रस्ताव रखा है। दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय राज्यों में चीनी परियोजनाओं का मुकाबला करने के लिए संयुक्त बुनियादी ढाँचा विकास कार्यक्रम भी चला सकते हैं।
- **व्यापार:** दोनों देशों को वर्ष 2025 तक $500 बिलियन के व्यापार लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए द्विपक्षीय निवेश संधि को अंतिम रूप देना होगा।

- **आपूर्ति श्रृंखला का जोखिम कम करना:** अमेरिका भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर 'सप्लाई चैन रेजीलिएंस इनीशिएटिव' के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और जोखिम कम करने के लिए कार्य कर सकता है।
- **अंतरिक्ष शासन:** चीनी सेना की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमताओं के बारे में साझा चिंताओं के कारण, अंतरिक्ष शासन भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों का एक प्रमुख बिंदु बना हुआ है।
- **मुक्त और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए सहयोग:** एक मुक्त, खुला और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों का सहयोग महत्त्वपूर्ण है।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** अद्वितीय जनसांख्यिकीय लाभांश अमेरिकी और भारतीय उद्यमों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विनिर्माण, व्यापार और निवेश में महत्त्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है।

निष्कर्ष:

भारत अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में एक महत्त्वपूर्ण देश के रूप में स्वयं को स्थापित कर रहा है जो असाधारण परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। भारत अपनी वर्तमान स्थिति के आधार पर अपने महत्त्वपूर्ण हितों को आगे बढ़ाने के अवसरों का अध्ययन करेगा।

प्रमुख शब्दावलियाँ

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, शुल्क मुक्त प्रवेश, बलपूर्वक स्थानीयकरण, क्षेत्रीय एकीकरण, ब्लू डॉट नेटवर्क, GSOMIA, LEMOA, BECA, COMCASA, अलग-थलग लोकतंत्र, प्राकृतिक सहयोगी।

विगत वर्षों के प्रश्न

- "संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के रूप में एक ऐसे अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है, जो तात्कालिक सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है।" विवेचना कीजिए। **(2021)**
- भारत-रूस रक्षा समझौतों की तुलना में भारत-अमेरिका रक्षा समझौतों की क्या महत्ता है? हिंद-प्रशान्त महासागरीय क्षेत्र में स्थायित्व के संदर्भ में विवेचना कीजिए। **(2020)**
- भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच संबंधों में खटास के प्रवेश का कारण वाशिंगटन का अपनी वैश्विक रणनीति में अभी तक भी भारत के लिए किसी ऐसे स्थान की खोज करने में विफलता है, जो भारत के आत्म-समादर और महत्त्वाकांक्षा को संतुष्ट कर सके। उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। **(2019)**
- भारत और यू.एस.ए. दो विशाल लोकतंत्र हैं, उन आधारभूत सिद्धांतो का परीक्षण कीजिए जिन पर ये दो राजनीतिक तंत्र आधारित है। **(2018)**

12 भारत - रूस

परिचय

हाल ही में, भारत और रूस ने दिसंबर, 2023 में विदेश मंत्री की आधिकारिक रूस यात्रा के दौरान विचार-विमर्श के बाद एक प्रोटोकॉल सहित तीन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए।

- प्रोटोकॉल सैन्य और आर्थिक सहयोग, ऊर्जा व्यापार, सैन्य-तकनीकी सहयोग, कनेक्टिविटी और लोगों से लोगों के आदान-प्रदान में प्रगति को बढ़ावा देगा।
- भारत और रूस के बीच लंबे समय से चली आ रही और समय-परीक्षित साझेदारी 'गहरे आपसी विश्वास', सभी पक्षों के साझा हितों और वैश्विक शांति और समृद्धि से प्रेरित है।
- वर्ष 2018 में सोची शिखर सम्मेलन के दौरान इस संबंध को 'विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी' तक आगे बढ़ाया गया।

सहयोग के क्षेत्र

रक्षा:

- **हथियार आयात:** रूस, भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, भले ही वर्ष 2017-2022 के बीच भारतीय रक्षा आयात में इसकी हिस्सेदारी 62% से गिरकर 45% हो गई है, 29% हिस्सेदारी के साथ भारतीय हथियारों के आयात के दृष्टिकोण से फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा है -SIPRI रिपोर्ट।

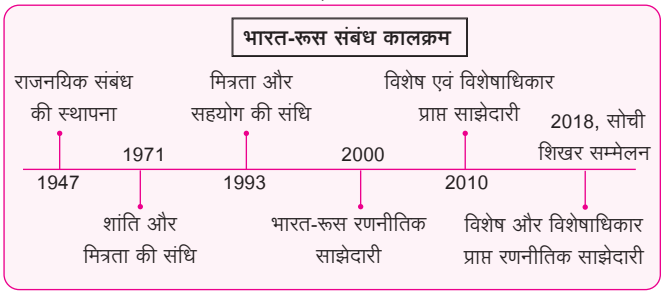

- **सामरिक तकनीक साझा करना**: S-400 रक्षा प्रणाली सौदा रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने की भारत की इच्छा को भी उजागर करता है।
- द्विपक्षीय परियोजनाओं में टी-90 टैंक और एसयू-30 एमकेआई का लाइसेंस प्राप्त उत्पादन, भारत में एके-203 राइफलों का उत्पादन और ब्रह्मोस मिसाइलें आदि शामिल हैं।
- इंद्र एक त्रि-सेवा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है।

व्यापार:

- **द्विपक्षीय व्यापार:** वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान यह राशि 13.2 बिलियन डॉलर रही (वर्ष 2025 के लिए $30 अरब डॉलर निर्धारित)।
- दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश वर्ष 2018 में निर्धारित 30 अरब अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को पार कर गया (वर्ष 2025 के लिए 50 अरब अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य निर्धारित है)।
- **ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भारत की भागीदारी:** भारत ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भी भाग लिया और रूस के सुदूर दक्षिणी क्षेत्र के विकास के लिए 1 बिलियन डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की।

ऊर्जा:

- **प्राकृतिक गैस:** विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार रूस में है। भारत की ओएनजीसी-विदेश ने सखालिन तेल तथा गैस संयंत्र में 20% हिस्सेदारी प्राप्त कर ली है।
  - **सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा:** इस घोषणा के अंतर्गत दोनों देशों ने आर्कटिक क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन की संयुक्त खोज पर सहमति जताई है। रूस की 'एशिया की धुरी' के रणनीतिक और भारत की आर्कटिक नीति का मसौदा दोनों ही, दोनों देशों के बीच अभिसरण को उजागर करते हैं।
  - **परमाणु ऊर्जा उत्पादन:** रूस के सहयोग से ही भारत में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (KKNPP) बनाया जा रहा है।

भू-राजनीतिक अभिसरण:

- **बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का लक्ष्य**: इस उद्देश्य को साकार करने के लिए दोनों देश बिम्सटेक और एससीओ के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं।
- **दोनों देश चीन को एक रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते हैं:** रूस भविष्य में चीन को संभावित रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखता रहता है। इसलिए वह भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया आदि देशों के साथ सहयोग गहरा कर रहा है।
- **भारत को UNSC सीट के लिए समर्थन:** रूस ने भी UNSC में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया है।
- भारत और रूस ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने का आह्वान किया है।

सांस्कृतिक संबंध:

- **रूसी छात्रों द्वारा हिंदी सीखना:** प्रमुख विश्वविद्यालयों और स्कूलों सहित लगभग 20 रूसी संस्थान लगभग 1,500 रूसी छात्रों को नियमित रूप से हिंदी पढ़ाते हैं।
  - भारत में 'नमस्ते रूस' और 'रूस में भारत का महोत्सव' जैसे कार्यक्रम मनाए गए।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी:

- **आर्यभट्ट और भास्कर:** पूर्व सोवियत संघ ने भारत के पहले दो उपग्रह आर्यभट्ट और भास्कर लॉन्च किए थे।
- रूस ने भारत को क्रायोजेनिक तकनीक प्रदान की: रूस ने भारी रॉकेट बनाने के लिए भारत को क्रायोजेनिक तकनीक भी प्रदान की है।
- **बाह्य अंतरिक्ष में सहयोग:** दोनों पक्ष अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर सहयोग करते हैं, जैसे उपग्रह प्रक्षेपण, ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली, रिमोट सेंसिंग और अंतरिक्ष के अन्य सामाजिक अनुप्रयोग।
  - **गगनयान मिशन में सहयोग:** भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए चार अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस में अपना प्रशिक्षण पूरा किया है।

रिश्तों से संबंधित मुद्दे

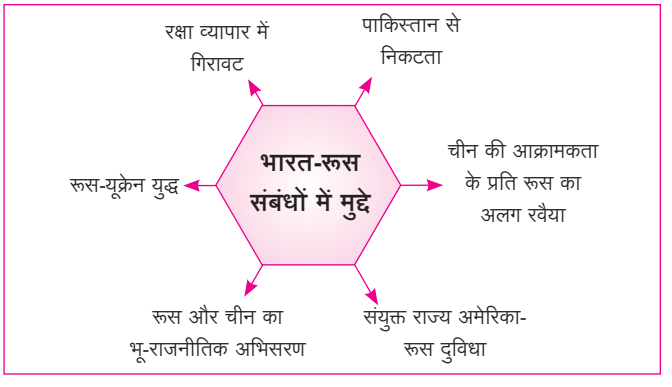

- **रक्षा :** हालाँकि, भारत के कुल हथियार आयात में अभी भी रूस की हिस्सेदारी 45% है, लेकिन यह आँकड़ा वर्ष 2010-14 के समय से काफी कम है जब रूस की हिस्सेदारी 70% हुआ करती थी।
- CAATSA अधिनियम, जिसे प्रतिबंधों के माध्यम से अमेरिका का विरोधियों के मुकाबला करने के अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वर्ष 2017 में तीन देशों, जैसे रूस, ईरान और उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस अधिनियम का प्रयोग किया गया था।
- भारत को रक्षा आधुनिकीकरण और विविधीकरण के हिस्से के रूप में रूस से अपनी रक्षा आपूर्ति कम करने और CAATSA के तहत अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने की आवश्यकता है।
- **सहयोग के सीमित क्षेत्र:** शीत युद्ध के बाद, भारत-रूस संबंध अधिक आदान-प्रदान वाले हो गए हैं। यह सैन्य सहयोग और कल-पुर्जों की आपूर्ति पर केंद्रित है जबकि रिश्ते के अन्य पहलुओं में अभी बहुत ही कम प्रगति हुई है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका-रूस दुविधा:** बिगड़ते रूस-अमेरिका संबंधों ने एक नए असमंजस की स्थिति उत्पन्न की है ऐसा इसलिए क्योंकि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने बढ़ते संबंधों को खतरे में डाले बिना रूस के साथ अपने दीर्घकालिक संबंध बनाए रखना चाहता है।

व्यापार:

- कमजोर कनेक्टिविटी- अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे का रुकना।
- दोनों देशों के बीच उच्च व्यापार घाटा। विनियामक बाधाएँ और रूस द्वारा फाइटोसैनिटरी मानकों और गैर-टैरिफ बाधाओं का उपयोग इसे और बढ़ा देता है।
- **भारत-प्रशांत क्षेत्र:** जैसे-जैसे भारत एक क्षेत्रीय शक्ति से आगे बढ़ रहा है; इसके भू-रणनीतिक हितों का विस्तार हो रहा है। भारत-प्रशांत क्षेत्र और यूरेशियाई क्षेत्र जहाँ भारत, रूस के साथ तनावपूर्ण संबंध रखने वाले देशों के साथ साझेदारी कर रहा है।

रूस-चीन-पाकिस्तान का त्रिगुट

- **यूक्रेन संकट के बाद रूस पर प्रतिबंध:** पश्चिमी देशों के इस प्रतिबंध ने रूस को चीन के करीब धकेल दिया है। दोनों देश एशिया, मध्य पूर्व और हिंद-प्रशांत में अमेरिका और पश्चिम के खिलाफ काम कर रहे हैं।
- **रूस-चीन व्यापार:** वर्ष 2019 में रूस-चीन का व्यापार 110 अरब डॉलर रहा।
- **रक्षा और प्रौद्योगिकी:** रूस चीन के साथ रक्षा उत्पादन में अत्याधुनिक तकनीक भी साझा करता है। चीन को रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मिला है।
  - रूस ने पाकिस्तान पर लगे हथियार प्रतिबंध भी हटा लिए हैं: दोनों देशों ने वर्ष 2014 से सहयोगात्मक सैन्य अभ्यास भी किया है। पाकिस्तान ने पहले ही रूस को CPEC के हिस्से के रूप में अपने ग्वादर बंदरगाह का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। पाकिस्तान और रूस दोनों अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाना चाहते हैं।

रूस-यूक्रेन युद्ध

24 फरवरी को रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद यह युद्ध शुरू हुआ। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा कर लिया जिनमें मारियुपोल, खेरसॉन, खार्किव, सुमी आदि शामिल हैं।

टकराव का कारण

- **साझा इतिहास:** यूक्रेन और रूस के बीच सैकड़ों वर्षों से सांस्कृतिक, भाषाई और पारिवारिक संबंध रहे हैं।
- **लोगों का भावनात्मक शोषण:** यूक्रेन में कई रूसियों और नृजातीय रूसियों के लिए, देशों की साझा विरासत एक भावनात्मक मुद्दा है जिसका चुनावी और सैन्य उद्देश्यों के लिए फायदा उठाया गया है।
- **शक्ति संतुलन:** सोवियत संघ से यूक्रेन की आजादी के बाद से, रूस और पश्चिम दोनों ने अपने पक्ष में शक्ति के क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने के लिए युक्रेन में अपने-अपने प्रभाव में वृद्धि के लिए प्रयास किए हैं।
- **यूक्रेन का नाटो में शामिल होना**: यूक्रेन यूरोपीय संघ (ईयू) और नाटो के साथ एसोसिएशन समझौते (एए) में शामिल होना चाहता है। जबकि रूस अपने पड़ोस में नाटो के विस्तार को बड़ा खतरा मानता है।

भारत का रुख:

- **रणनीतिक स्वायत्तता का पालन:** भारत ने भारी दबाव होने के बाद भी पश्चिमी देशों के साथ न रहकर रणनीतिक स्वायत्तता का पालन किया।
- **भारत, रूस को निशाना बनाने वाले प्रस्ताव से दूर रहा**: भारत ने रूस को लक्षित करने वाले प्रस्ताव का समर्थन करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय यूक्रेन को मानवीय सहायता प्रदान की। भारत कीव में अपने दूतावास को फिर से खोलने की घोषणा करने वाले पहले देशों में से एक था।

आगे की राह

अधिक नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र और ब्रिक्स, एससीओ आदि जैसे अन्य मंचों पर बहुपक्षवाद/ बहुध्रुवीयता की रक्षा करना।

- दोनों देश समान विचारधारा वाले देशों की मदद से अमेरिका और चीन के बीच नए शीत युद्ध को टालने के लिए वैश्विक मंचों पर काम कर सकते हैं। उच्च व्यापार घाटे के साथ सीमित आर्थिक संबंधों के मुद्दों पर काबू पाने के लिए व्यापार का विविधीकरण करना चाहिए।
- व्यापार और निवेश में आने वाली बाधाओं को दूर करने के साथ आर्थिक संबंधों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना।
- **आर्कटिक राजनीति:** भारत, रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र में जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ काम कर सकता है और आर्कटिक राजनीति में चीनी प्रभाव को नियंत्रित कर सकता है, जिसकी इच्छा रूस भी रखता है।
- **कनेक्टिविटी:** पूर्वी समुद्री गलियारे का संचालन - चेन्नई और व्लादिवोस्तोक (रूस के सुदूर पूर्व) को जोड़ने वाला प्रस्तावित समुद्री मार्ग लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी में सुधार करेगा।
- **अमेरिका-रूस तनाव कम करने हेतु मध्यस्थ:** भारत, अमेरिका और रूस दोनों के साथ अपने मधुर संबंधों का लाभ उठाकर दोनों देशों के बीच "शीतकालीन शांति" सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। भारत, ईरान के परमाणु संकट, इंडो-पैसिफिक भू-राजनीति, यूक्रेनी असफलता या अफगान गतिरोध जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर शांति स्थापित करने में भी मदद कर सकता है।

निष्कर्ष

प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रभुत्व के इतिहास के साथ रूस विश्व की महान शक्तियों में से एक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखना चाहता है। चीन की ओर रूस के झुकाव को कम करने के लिए, भारत को आर्थिक साझेदारी में सुधार के कदमों को प्राथमिकता देनी चाहिए और भविष्य की स्पष्ट कार्य योजना विकसित करनी चाहिए। एक उभरती हुई शक्ति के साथ लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को खतरे में डालने से बचाने के लिए रूस को, भारतीय चिंताओं को भी ध्यान में रखना होगा।

प्रमुख शब्दावलियाँ

गहरा पारस्परिक विश्वास, S-400 रक्षा प्रणाली, पूर्वी आर्थिक फोरम, एशिया की ओर धुरी, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन, CAATSA अधिनियम, सामरिक स्वायत्तता, ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर,शीत शांति।

13 भारत-चीन

परिचय

चीन भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है साथ ही एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार, सामरिक उद्योगों में महत्त्वपूर्ण सामग्रियों का आपूर्तिकर्ता तथा जलवायु परिवर्तन में भागीदार देश है। हालाँकि, यह भारत की वैश्विक आकांक्षाओं का एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी देश भी है।

विभिन्न विचार

- "भारत ने अपनी सीमा के पार एक भी सैनिक भेजे बिना 20 शताब्दियों तक सांस्कृतिक रूप से चीन पर विजय प्राप्त की और उस पर प्रभुत्व बनाए रखा।" - हू शिह
- भारत-चीन संबंध 'इंच से मीलों' की ओर की एक यात्रा है। INCH 'भारत-चीन' है, जबकि MILES 'मिलेनियम ऑफ एक्सेप्शनल सिनर्जी' (असाधारण तालमेल की सहस्राब्दी) है। - पीएम मोदी

भारत-चीन संबंध: सहयोग और चुनौतियाँ

सहयोग:

- **राजनैतिक:** 1 अप्रैल, 1950 को भारत पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला गैर-समाजवादी गुट का देश बना था।
- **आर्थिक संबंध:** द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2022 तक 136.26 अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है। इसके साथ ही भारत, चीन से परियोजना निर्यात के लिए एक बड़ा बाजार बन गया है।
  - वर्ष 2022 में, भारत का व्यापार घाटा 101.28 बिलियन डॉलर हो गया जो चीन के पक्ष में था, क्योंकि चीन से भारत का आयात 118.77% बढ़कर 118.77 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया।
  - इस बीच, चीन को भारत का निर्यात साल दर साल 37.59% घटकर 17.49 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया।
- **सांस्कृतिक:** भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान का इतिहास रहा है और उन्होंने चीन में योग कॉलेज जैसे संस्थान स्थापित किए हैं।
- **बहुपक्षीय सहयोग:** भारत और चीन ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) और ब्रिक्स समूहों जैसे क्षेत्रीय मंचों पर उच्च स्तरीय जुड़ाव जारी रखा है, जो उनके वृद्धि और विकास के लिए साझा एजेंडे को दर्शाता है।
- **अनौपचारिक शिखर सम्मेलन:** दोनों देशों ने संयुक्त रूप से शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पाँच सिद्धांतों की वकालत की है।
  - दोनों देशों ने "गृहनगर कूटनीति" की शुरुआत की है, जिसके तहत क्रमशः वुहान और चेन्नई में दो अनौपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए हैं।
- **वित्तीय तंत्र:** भारत और चीन एआईआईबी और एनडीबी में प्रमुख हितधारक देश हैं।
- **आतंकवाद से लड़ने में सहयोग:** चूँकि, दोनों देशों को चरमपंथी संगठनों से खतरा है। SCO, RATS इसका प्रमुख उदाहरण है।

चुनौतियाँ:

- **फाइव फिंगर नीति:** दोनों देश लगभग 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) साझा करते हैं जो हिमालय क्षेत्र से होकर गुजरती है, इसका अधिकांश भाग सही तरीके से सीमांकित नहीं किया गया है।
  - चीन, तिब्बत को अपने दाहिने हाथ की हथेली मानता है और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान तथा NEFA (अरुणाचल प्रदेश) को अपनी पाँच उंगलियाँ मानता है।
  - पूर्वी लद्दाख में भारत-चीन सीमा के दोनों ओर अनुमानित 50,000 - 60,000 सैनिक तैनात किए गए हैं।
- **सलामी स्लाइसिंग रणनीति:** भारत-चीन सीमा पर झड़पें चीन की बड़ी "सलामी स्लाइसिंग रणनीति" का एक हिस्सा हैं, जिसमें चीन बड़ा लाभ हासिल करने के लिए छोटे-छोटे भू-राजनीतिक रूप से गैर-कानूनी कदम उठा रहा है, जिन्हें अन्यथा एक साथ पूरा करना असंभव होता।
  - चीन लगातार सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों, पुलों और मॉडल गाँवों आदि सहित बुनियादी ढाँचे का निर्माण कर रहा है। उदाहरण के लिए, चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में भारत की सीमाओं के साथ लगभग 628 समृद्ध गाँवों का निर्माण किया है।
- **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई):** भारत, चीन के BRI का विरोध करता है, क्योंकि यह भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करता है, इसका कारण यह है कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, पाकिस्तान के कब्जे वाले भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों से होकर गुजरता है।
- **पड़ोसी के प्रति आक्रामक नीतियाँ:** स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत बंदरगाहों और नौसैनिक सुविधाओं का निर्माण भारत को घेर लेगा जिससे चीन को हिंद महासागर में प्रमुख समुद्री मार्गों को प्रभावित और नियंत्रित करने की अनुमति मिल जाएगी।
  - स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक भू-राजनीतिक और भू-रणनीतिक पहल है जिसमें चीनी सैन्य और वाणिज्यिक सुविधाओं का एक नेटवर्क शामिल है जो चीनी मुख्य भूमि से लेकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पोर्ट सूडान तक फैला हुआ है। उदाहरणत: श्रीलंका का हंबनटोटा बंदरगाह।
- **ऋण जाल कूटनीति:** चीन की "ऋण जाल कूटनीति" मालदीव, श्रीलंका, म्याँमार और नेपाल जैसे अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित करती है, जिससे भारत की पड़ोस प्रथम नीति (Neighbourhood first policy) में बाधा उत्पन्न होती है।

- भारत के प्रति मालदीव के रुख में हालिया बदलाव, मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी की समय-सीमा तय करना, चीन के साथ उसकी बढ़ती निकटता का परिणाम है।

- **भारत की आयात निर्भरता**: वर्ष 2022-23 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 83.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
  - इसके अतिरिक्त, फार्मास्युटिकल उद्योग के लिए चीन से प्रमुख शुरुआती सामग्रियों (केएसएम) पर भारत की निर्भरता 50% से अधिक है।
- **दक्षिण चीन सागर और भारत:** चीन "नाइन-डैश लाइन" और दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीपों के अवैध निर्माण/ सैन्यीकरण के माध्यम से दक्षिण चीन सागर के हिस्से पर संप्रभुता का दावा करता है।
  - चीन की "नाइन-डैश लाइन" एक सीमांकन रेखा है जिसका उपयोग पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा दक्षिण चीन सागर में अपने क्षेत्रीय दावों को पुष्ट करने के लिए किया जाता है।
  - चीन ने हाल ही में विवादित दक्षिण चीन सागर में तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में निवेश के लिए भारत को वियतनाम के निमंत्रण पर आपत्ति जताई है।

भारत-चीन सीमा विवाद

- **संदर्भ:** चीन ने प्रधानमंत्री (पीएम) की अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर भारत के साथ राजनयिक विरोध दर्ज कराया है, जहाँ उन्होंने नवनिर्मित सेला टनल को राष्ट्र को समर्पित किया था।
- **सेला टनल का उद्घाटन:** पीएम ने अरुणाचल प्रदेश में 13 हजार फीट की ऊँचाई पर बनी सेला टनल का उद्घाटन किया।
- **चीन की आपत्तियाँ:** चीन, अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा करता है और अपने दावों को उजागर करने के लिए नियमित रूप से भारतीय नेताओं के राज्य के दौरे पर आपत्ति जताता है। चीन ने इस क्षेत्र का नाम भी जांगनान रखा है।
- **चीनी प्रादेशिक दावों की अस्वीकृति:** भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के क्षेत्रीय दावों को बार-बार खारिज कर दिया है, यह कहते हुए कि राज्य देश का अभिन्न अंग है।

भारत-चीन सीमा विवादों की पृष्ठभूमि:

- **मैकमोहन लाइन का प्रस्ताव (1913-14):** शिमला सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच एक सीमा स्थापित करना था।
  - मैकमोहन रेखा प्रस्तावित की गई, जो भूटान से बर्मा तक फैली 890 किलोमीटर की सीमा थी लेकिन चीन ने इसे स्वीकार नहीं किया।
- **तिब्बत पर कब्जा (1950):** चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने से दुनिया की सबसे लंबी अनिर्धारित सीमाओं में से एक का निर्माण हुआ।
- **वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) का परिचय (1959):** चीन ने LAC को दोनों देशों के बीच सीमा के रूप में प्रस्तावित किया। भारत ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
- **भारत-चीन युद्ध (1962)**: 21 नवंबर, 1962 को चीन ने भारत के साथ अपने युद्ध में युद्धविराम की घोषणा की, चीन ने अक्साई चिन के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया।
- **युद्धविराम और उसके परिणाम:** चीन ने युद्धविराम की घोषणा की, अधिकांश आक्रमण वाले क्षेत्रों से चीन पीछे हट गया लेकिन अक्साई चिन पर उसने नियंत्रण बनाए रखा।
- **LAC की स्थापना:** एलएसी एक अनौपचारिक युद्धविराम रेखा बन गई, लेकिन विवाद बरकरार रहा क्योंकि दोनों देशों ने इसकी अलग-अलग व्याख्या की।
- **जारी विवाद:** मैकमोहन रेखा भारत की एलएसी की व्याख्या है जबकि चीन अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश, जिसे वह 'दक्षिण तिब्बत' कहता है, को अपने क्षेत्र के रूप में दावा करता है।

हाल के दिनों में चीनी आक्रमण के संभावित कारक (गलवान घाटी और डोकलाम)

- **भारत की सीमावर्ती आधारभूत संरचना:**
  - **एलएसी के साथ सीमा पर आधारभूत संरचना:** दारबुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी मार्ग को मजबूत करने से चीन शायद नाराज हो गया है।
- **J&K की स्थिति में बदलाव:**
  - **अनुच्छेद 370 हटाना:** भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की स्थिति में बदलाव की प्रतिक्रिया से भी चीन की आक्रामक कारवाई को जोड़कर देखा जा रहा है।
- **द्विपक्षीय तनाव:**
  - **बीआरआई और सीपीईसी संबंधी चिंताएँ**: चीन, भारत के गिलगित-बाल्टिस्तान के दावे को CPEC के लिए खतरे के रूप में देखता है।
- **चीन की आंतरिक गतिशीलता:**
  - **कोविड-19 महामारी के कारण आंतरिक दबाव:** चीनी नेतृत्व ने घरेलू मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आक्रामकता (एलएसी और दक्षिण चीन सागर) की योजना बनाई है, ऐसा कुछ विशेषज्ञों का मानना है।
- **भारत का अमेरिका के साथ जुड़ाव:**
  - हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और भारत के बीच भू-राजनीतिक अभिसरण भी चीन के विरुद्ध निर्देशित है।
- **क्वाड (QUAD) में भारत की सदस्यता:** भारत क्वाड (अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत) का सदस्य है, जिसका रुख निश्चित रूप से चीनी आक्रामकता को संतुलित करना है।

सीमा समझौते:

- 1993 ई. में सीमा शांति एवं स्थिरता समझौता।
- 1996 ई. में एलएसी पर सैन्य विश्वास-निर्माण उपायों पर समझौता।
- 2005 ई. में एलएसी के साथ सैन्य क्षेत्र में विश्वास-निर्माण उपायों को लागू करने के तौर-तरीके।
- 2012 ई. में भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए एक कार्य तंत्र स्थापित करने हेतु समझौता।
- 2013 ई. में सीमा रक्षा सहयोग समझौता।

आगे की राह

- **सैन्य तैयारियाँ:** भारत को सीमा पर सड़कें बनानी चाहिए और बुनियादी ढाँचे में सुधार करना चाहिए और अंडमान तथा निकोबार कमान को मजबूत करना चाहिए, जो एशिया की समुद्री रणनीतिक जीवन रेखा और दुनिया की सबसे महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग की रक्षा करती है।
- **दबाव के बिंदु**: एक-चीन नीति के प्रति चीन की संवेदनशीलता और अन्य कमजोरियों का उपयोग भारत अपने दृष्टिकोण को बदलने के लिए कर सकता है।

- चीन से लड़ने के लिए भारत को LAC से आगे देखना होगा। भारत के लिए सबसे अच्छा विकल्प दक्षिण चीन सागर/ हिंद महासागर क्षेत्र है, जहाँ यह पूर्वी एशिया के समुद्री संतुलन को प्रभावित कर सकता है।
- **गठबंधन का निर्माण:** चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत को अन्य देशों के साथ शक्ति-संतुलन समझौते करने होंगे।
- **अमेरिका के साथ गठबंधन:** चीन का मुकाबला करने, क्षेत्रीय संबंध बनाने और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को पुनर्संतुलित करने के लिए, भारत को प्राथमिक रणनीतिक भागीदार के रूप में अमेरिका के साथ गठबंधन करना चाहिए।

भारत-चीन जल संबंध

- चीन मेडोग काउंटी (अरुणाचल प्रदेश के पास) में ब्रह्मपुत्र की यारलुंग जंगबो नामक सहायक नदी पर एक सुपर बाँध बनाने की योजना बना रहा है। यह तिब्बती पठार से निकलती है।
- बांग्लादेश (जमुना के रूप में) में प्रवेश करने से पहले यारलुंग जंगबो अरुणाचल प्रदेश (सियांग के रूप में) और असम (ब्रह्मपुत्र के रूप में) में प्रवाहित होती है।
- जल बंटवारे पर भारत और चीन के बीच कोई संस्थागत समझौता नहीं है।

जल विज्ञान संबंधी स्थिति:

- भारत से होकर प्रवाहित होने वाली पाँच प्रमुख नदियाँ का उद्गम स्थल चीन में स्थित है।
  - **ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली:** सियांग (ब्रह्मपुत्र), लोहित और सुबनसिरी।
  - **सिंधु नदी प्रणाली:** सिंधु और सतलुज।
- **चीन, दक्षिण एशिया की 7 सबसे बड़ी नदियों पर ऊपरी तटवर्ती नियंत्रक है:** जिसमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, सालवीन, यांग्त्ज़ी और मेकांग शामिल हैं।

चिंताएँ:

- **चीन की ऊपरी तटवर्ती स्थिति को हथियार बनाने की क्षमता:** चीन के पास ऊपरी तटवर्ती स्थिति को हथियार बनाने की क्षमता है, जिससे डाउनस्ट्रीम में जल-विद्युत परियोजनाओं की योजना बनाने की भारत की क्षमता सीमित हो जाती है।
- पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में जल स्तर में बदलाव। उदाहरणतः काजीरंगा नेशनल पार्क।
- बाँध भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील हिमालय क्षेत्र में स्थित है जिससे बाँध टूटने का खतरा हो सकता है।

आगे की राह

- जल सहयोग समझौते को अंतिम रूप देना: आँकड़ों को साझा करने, बाँध निर्माण और न्यूनतम जल प्रवाह को बनाए रखने के लिए दोनों देशों के मध्य जल सहयोग समझौते की आवश्यकता है।
- सिंधु जल समझौता (IWT) एक मार्गदर्शिका के रूप में: प्रसिद्ध सिंधु जल संधि को दो प्रतिद्वंद्वी देशों के मध्य जल सहयोग के लिए एक मूल्यवान मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करना चाहिए।
- पानी के मुद्दों के राजनीतिकरण से बचना चाहिए: किसी भी कीमत पर पानी के राजनीतिकरण से बचना चाहिए।

दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव

कभी भारत का रणनीतिक अनुगामी माना जाने वाला दक्षिण एशिया हाल ही में बढ़ते चीनी प्रभाव का केंद्र बन गया है।

- **पाकिस्तान:**
  - चीन-पाकिस्तान रिश्ते को एक निरंतर चलने वाला गठबंधन माना जाता है।
  - चीन ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के माध्यम से पाकिस्तान में भारी निवेश किया है।
  - सामरिक महत्त्व के ग्वादर बंदरगाह में भी चीन की अच्छी-खासी हिस्सेदारी है।
  - चीन संयुक्त राष्ट्र और एफएटीएफ में पाकिस्तान को राजनयिक समर्थन प्रदान करता है।
- **बांग्लादेश:**
  - बांग्लादेश के लिए चीन, रक्षा आयात का सबसे बड़ा स्रोत है।
  - चीन इसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। यह बांग्लादेश को 97% से अधिक व्यापारिक वस्तुओं तक शुल्क-मुक्त पहुँच भी प्रदान करता है।
  - यह बांग्लादेश के दूसरे परमाणु ऊर्जा संयंत्र के साथ-साथ 25 ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रहा है।
  - चीन ने बांग्लादेश के पहले संचार उपग्रह, बंगबंधु-1 के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान की है।
- **श्रीलंका:**
  - श्रीलंका BRI के समुद्री घटक का एक प्रमुख अंग है। हंबनटोटा बंदरगाह BRI के तहत सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है।
  - ऋण-जाल कूटनीति के कारण, चीन ने हंबनटोटा बंदरगाह जैसी रणनीतिक संपत्तियों पर भी नियंत्रण हासिल कर लिया है। चीन, श्रीलंका के सबसे बड़े कर्जदाताओं में से एक है।
  - लिट्टे और श्रीलंकाई सरकार के बीच गृह युद्ध के बाद चीन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में श्रीलंका को महत्त्वपूर्ण राजनयिक सहायता प्रदान की है।
- **नेपाल:**
  - नेपाल तीन गलियारों- कोसी, गंडक और कर्णाली में BRI के हिमालयी विस्तार की मेजबानी करता है।
  - चीन ने नेपाल को बाहरी दुनिया से कनेक्टिविटी के लिए भारत पर अत्यधिक निर्भरता से बचने के लिए 7 भूमि बंदरगाहों तक पहुँच प्रदान की है।
  - चीन ने पोखरा हवाई अड्डे, काठमांडू-लुंबिनी रेल लिंक और ल्हासा शिगात्से रेल लिंक जैसी परियोजनाओं में प्रमुख निवेश किया है।
  - चीन दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और FDI का सबसे बड़ा स्रोत है।
- **मालदीव:**
  - मालदीव के 70% से अधिक ऋण का कर्जदाता चीन है और उसने माले हवाई अड्डे और सिनामाले ब्रिज जैसे बुनियादी ढाँचे में भारी निवेश किया है।
  - एक चीनी कंपनी को फेयधू फिनोल्हू द्वीप के लिए 50 साल का पट्टा प्राप्त हुआ है।
  - मालदीव में नागरिक लोकतांत्रिक सरकार की वापसी के साथ, ऋण-जाल और परियोजनाओं की अव्यवहार्यता पर चिंताओं के कारण कई बड़ी बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ रुक गईं या रद्द कर दी गईं।

दक्षिण चीन सागर विवाद

- **संदर्भ:** दक्षिण चीन सागर (एससीएस) में फिलीपींस और चीनी नौसेना बलों के बीच बढ़े तनाव की पृष्ठभूमि में भारत के विदेश मंत्री (ईएएम) फिलीपींस की आधिकारिक यात्रा पर हैं। दोनों देश तट पर स्वामित्व का दावा करते हैं।

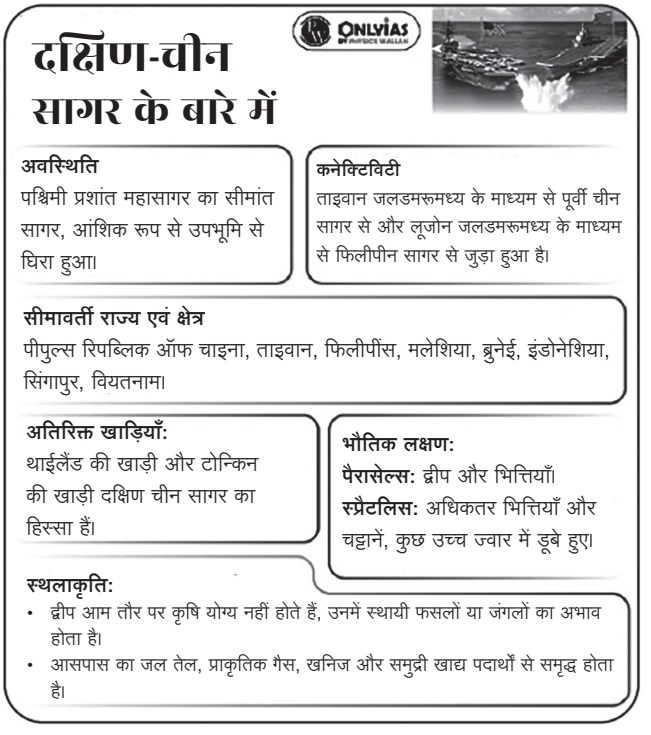

दक्षिण चीन सागर विवाद के बारे में:

इस विवाद में क्षेत्र के कई संप्रभु देशों के द्वीप और समुद्री दावे शामिल हैं जो ऐसे क्षेत्र पर चीन के दावे का विरोध करते हैं।

दक्षिण चीन सागर का महत्त्व:

- **रणनीतिक अवस्थिति:** यह रणनीतिक रूप से प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों के चौराहे पर स्थित है, जो प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है।
- **वैश्विक समुद्री मार्ग:** इसके जल क्षेत्र से सालाना 3 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का व्यापार होता है। वैश्विक व्यापार की मात्रा के हिसाब से 80% और मूल्य के हिसाब से 70% परिवहन इस समुद्री मार्ग के द्वारा किया जाता है। कुल मात्रा के हिसाब से, 60% एशिया से होकर गुजरता है, जिसमें वैश्विक नौ-परिवहन का अनुमानित एक-तिहाई हिस्सा दक्षिण चीन सागर से होकर जाता है।

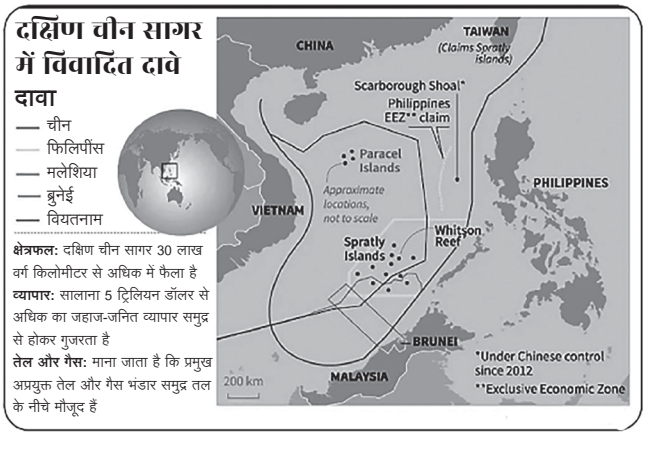

- **प्राकृतिक संसाधन:**
  - **मत्स्यन क्षेत्र:** विश्व के आधे से अधिक मछली पकड़ने वाले जहाज दक्षिण चीन सागर में उपस्थित हैं और लाखों लोग अपने भोजन एवं आजीविका के लिए इस जल क्षेत्र पर निर्भर हैं।
  - **ऊर्जा भंडार:** यहाँ तेल और गैस के प्रामाणिक भंडार मिले है।

भारत के लिए दक्षिण चीन सागर का महत्त्व:

- **आर्थिक महत्त्व:**
  - **वैश्विक व्यापार:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साथ भारत का 55% व्यापार, दक्षिण चीन सागर के जल क्षेत्र से होकर गुजरता है।
  - **ऊर्जा संसाधन:** भारत, तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार की खोज करना चाहता है।
- **सुरक्षा महत्त्व:**
  - **रणनीतिक जलमार्ग:** SCS एक रणनीतिक जलमार्ग है जो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है।
  - **चीन के विस्तारवाद का मुकाबला:** भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को सुदृढ़ करने और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करके इसे संतुलित करना चाहता है।

दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन के विस्तार/चुनौतियों को लेकर चिंताएँ:

- **मछली पकड़ने पर प्रतिबंध:** सतत/धारणीय मछली पकड़ने कि प्रक्रिया को बढ़ावा देने और समुद्री पारिस्थितिकी में सुधार के बहाने 1999 ई. से चीन द्वारा इसे मनमाने ढंग से लागू किया गया है।
- **कानूनी कार्रवाइयाँ:** तटरक्षक कानून का अनुच्छेद 22 चीन तटरक्षक (सीसीजी) को उन विदेशी संगठनों और व्यक्तियों के खिलाफ हथियारों का उपयोग करने में सक्षम बनाता है जो समुद्र में चीन के संप्रभु अधिकारों और अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करते हैं।
- **प्रॉक्सी युद्ध:** सीसीजी के समर्थन से चीनी समुद्री मिलिशिया द्वारा की गई कार्रवाइयों का उद्देश्य विदेशी जहाजों को घेरना, टक्कर मारना और विवादित क्षेत्रों तक उनकी पहुँच को अवरुद्ध करना है।
- **समुद्री कूटनीति पर उठते सवाल:** चीन के '10-डैश लाइन' मानचित्र के प्रकाशन ने अंतरराष्ट्रीय कानून और कूटनीति के प्रति चीन के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं।
- **चीन-अमेरिका सैन्य और अर्द्धसैनिक प्रतिस्पर्द्धा का प्रबंधन:** क्षेत्र में चीन के विस्तार के साथ, क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य भागीदारी भी काफी हद तक बढ़ गई है, जिससे क्षेत्र का सैन्यीकरण हो गया है। अमेरिका ने दक्षिण-पूर्व एशिया में सहयोगियों के साथ सैन्य अभ्यासों का बड़े पैमाने पर विस्तार किया है, और अपने 'नेविगेशन ऑपरेशनों की स्वतंत्रता' (FONOPs) की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि की है।

आगे की राह:

- **कूटनीति एवं सहभागिता:**
  - **बहुपक्षीय वार्ताएँ:** विवाद में शामिल सभी पक्षों को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने और राष्ट्रों के बीच समझ को बढ़ावा देने के लिए एक शांतिपूर्ण, खुली और बहुपक्षीय वार्ता में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना।
  - **आचार संहिता (COC):** दक्षिण चीन सागर के लिए एक सशक्त और कानूनी रूप से बाध्यकारी आचार संहिता को अंतिम रूप देने तथा उसका पालन करने को सक्रिय रूप से बढ़ावा दें।

- **संघर्ष की रोकथाम और प्रबंधन:**
  - **विश्वास बहाली के उपाय:** समुद्री घटनाओं की स्थिति में तत्काल संचार की सुविधा के लिए सैन्य और सरकारी अधिकारियों के बीच हॉटलाइन की स्थापना करना।
  - **सामुद्रिक सहयोग:** सहयोग और पारस्परिक लाभ को बढ़ावा देने के लिए समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यावरण संरक्षण और मत्स्य पालन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में संयुक्त प्रयासों को प्रोत्साहित करना।
- **अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और कानूनी तंत्र:** विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के आधार के रूप में अंतरराष्ट्रीय फैसलों, जैसे कि फिलीपींस बनाम चीन मामले में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को बनाए रखें और उनका सम्मान करना।
- **सामान्य हितों को प्रोत्साहन:** सहयोग के लाभों पर प्रकाश डालते हुए सतत विकास, आपदा प्रबंधन और समुद्री संसाधनों की सुरक्षा के लिए संयुक्त पहल को प्रोत्साहित करना।

बीआरआई परियोजना

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए तीसरा बेल्ट एंड रोड (BRI) फोरम बीजिंग, चीन में आयोजित किया गया था।

बेल्ट एंड रोड पहल के विषय में:

- BRI को वर्ष 2013 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा लॉन्च किया गया था।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य भाग लेने वाले देशों में व्यापार, निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेलवे, राजमार्गों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और अन्य बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के नेटवर्क के माध्यम से एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ना है।

चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) से संबंधित चिंताएँ:

- **ऋण जाल कूटनीति:** बीआरआई परियोजनाओं के लिए देशों ने चीन से भारी मात्रा में उधार लिया है और अब उन्हें इन ऋणों को चुकाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे "ऋण जाल कूटनीति" के आरोप लगने लगे हैं, जहाँ देशों को अपने ऋणों पर चूक करने पर रणनीतिक संपत्तियों पर नियंत्रण खोने का जोखिम होता है। उदाहरण के लिए, बढ़ते कर्ज के कारण श्रीलंका को हंबनटोटा बंदरगाह का नियंत्रण चीन को सौंपना पड़ा।

भारत का रुख:

- भारत, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई), खासकर चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (सीपीईसी) का कड़ा विरोध करता है, क्योंकि यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से होकर गुजरता है।
- CPEC (चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा) जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है, BRI की प्रमुख परियोजना है।
- भारत की मुख्य चिंता यह है कि यह परियोजना उसकी संप्रभुता की उपेक्षा करती है।

- **प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं से जुड़े जोखिम:** किसी भी बड़ी बुनियादी ढाँचा परियोजना के साथ संभावित पर्यावरणीय, सामाजिक और भ्रष्टाचार के जोखिम जुड़े होते हैं। **उदाहरण के लिए:** वर्ष 2016 में, चीन बीआरआई देशों में 240 कोयला परियोजनाओं में शामिल था, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार थे।
- **वृहत जोखिम:** कुछ देशों के लिए, बीआरआई परियोजनाओं के लिए आवश्यक वित्तपोषण ऋण को असह्य स्तर तक बढ़ा सकता है। **उदाहरण के लिए,** कुनमिंग-सिंगापुर रेलवे के लाओ पीडीआर खंड के निर्माण की अनुमानित लागत 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है जो वर्ष 2016 में लाओस के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40 प्रतिशत है।
- **परियोजनाओं की धीमी गति:** पाकिस्तान में लगभग 19 बिलियन डॉलर की BRI परियोजनाएँ या तो पूरी हो चुकी हैं या चल रही हैं, लेकिन इससे संरचनात्मक आर्थिक सुधारों में कोई तेजी नहीं आई है। परिणामस्वरूप, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारी मात्रा में ऋण, लगातार बढ़ते चालू खाते के घाटे और बहुत कम विदेशी मुद्रा भंडार के साथ डिफॉल्ट के कगार पर है।
- **चीनी अर्थव्यवस्था में मंदी**: चीनी अर्थव्यवस्था की हालिया मंदी बीआरआई के लिए एक और प्रमुख चुनौती पेश करती है। चीनी अर्थव्यवस्था वर्ष 2023 की पहली छमाही में 5.5% बढ़ी, जो आधिकारिक 5% लक्ष्य से अधिक है लेकिन इसकी ऐतिहासिक दर से कम है। चीन अपस्फीति और युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी का भी सामना कर रहा है।
- **शासन संबंधी मुद्दा:** एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) जैसी पहलों के विपरीत, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) में एक केंद्रीकृत शासकीय ढाँचा नहीं है, जो मुद्दों के सामूहिक समाधान को जटिल बनाता है।

प्रमुख शब्दावलियाँ

कीवर्ड: पंचशील (शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पाँच सिद्धांत), शंघाई सहयोग संगठन, फाइव फिंगर नीति, सलामी स्लाइसिंग रणनीति, ऋण जाल कूटनीति, मुख्य प्रारंभिक सामग्री, नाइन-डैश लाइन, मैकमोहन लाइन, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, समुद्री कूटनीति, नौपरिवहन संचालन की स्वतंत्रता, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक।

विगत वर्षों के प्रश्न

- "संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन के रूप में एक ऐसे अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है, जो तत्कालीन सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है।" विवेचना कीजिए। **(2021)**
- भारत-प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की महत्त्वाकांक्षाओं का मुकाबला करना नई त्रि-राष्ट्र साझेदारी AUKUS का उद्देश्य है। क्या यह इस क्षेत्र में मौजूदा साझेदारी का स्थान लेने जा रहा है? वर्तमान परिदृश्य में AUKUS की शक्ति और प्रभाव की विवेचना कीजिए। **(2021)**
- "चीन अपने आर्थिक संबंधों एवं सकारात्मक व्यापार अधिशेष को, एशिया में संभाव्य सैनिक शक्ति हैसियत को विकसित करने के लिए, उपकरणों के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।" इस कथन के प्रकाश में, उसके पड़ोसी के रूप में भारत पर इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिए। **(2017)**
- दक्षिण चीन सागर के मामले में, समुद्री भू-भागीय विवाद और बढ़ता हुआ तनाव समस्त क्षेत्र में नौपरिवहन की और ऊपरी उड़ान की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए समुद्री सुरक्षा की आवश्यकता की अभिपुष्टि करते है। इस संदर्भ में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा कीजिए। **(2014)**

14 भारत-यूरोपीय संघ

परिचय

भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंध 1960 के दशक की शुरुआत से चले आ रहे हैं, भारत उन पहले देशों में से एक है जिसने यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। भारत और यूरोपीय संघ की समानताओं में बहुलवादी समाज, बाजार अर्थव्यवस्था और राजनीतिक लोकतंत्र शामिल हैं।

भारत और यूरोप के बीच सहयोग के क्षेत्र

- **भू-रणनीतिक:**
  - **दोनों ही चीन के प्रतिस्पर्धी:**
    - **यूरोपीय संघ का कनेक्टिविटी कार्यक्रम :** यूरोपीय संघ ने चीन की बेल्ट एँड रोड पहल (Belt and Road Initiative) का मुकाबला करने के लिए अपने कनेक्टिविटी कार्यक्रम, जिसे गोल्डन गेटवे (Golden Gateway) के नाम से जाना जाता है, का अनावरण किया है।
  - **भारत-प्रशांत क्षेत्र पर:** यूरोपीय संघ ने अपनी भारत-प्रशांत नीति प्रकाशित की है, जिसमें भारत को केंद्र में रखा गया है।
- **आर्थिक सहयोग:**
  - **व्यापार:** भारत यूरोपीय संघ का 10वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जो यूरोपीय संघ के कुल माल व्यापार का 2.1% हिस्सा है। यूरोपीय संघ और भारत के बीच सेवाओं का व्यापार वर्ष 2020 में 30.4 बिलियन यूरो तक पहुँच गया।
  - जनवरी 2022 में नई दिल्ली में आयोजित 11वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता (ईएफडी) में उन्नत व्यापार साझेदारी (ईटीपी) वार्ता का शुभारंभ।
  - **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) :** भारत में विदेशी निवेश स्टॉक में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी वर्ष 2020 में 87.3 बिलियन यूरो तक पहुँच गई, जो वर्ष 2017 में 63.7 बिलियन यूरो थी, जिससे यूरोपीय संघ भारत में एक प्रमुख विदेशी निवेशक बन गया।
  - **भारत और यूरोपीय संघ ने संयुक्त व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद लॉन्च की :** भारत और यूरोपीय संघ ने अंततः एक संयुक्त व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद शुरू करने का निर्णय लिया।
- **विकासात्मक साझेदारी:**
  - **सतत विकास:** भारत एवं यूरोपीय संघ स्मार्ट शहर, स्वच्छ जल तथा स्वच्छता और जलवायु कार्रवाई जैसे सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
  - **स्वास्थ्य:** समान वैश्विक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए टीके, उपचार और निदान पर भारत-ब्रिटेन साझेदारी।
  - **लोगों के बीच संपर्क (People to people):** दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता (CAMM) पर साझा एजेंडे पर संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं।
  - **जलवायु परिवर्तन:** स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन साझेदारी, 2017 के ढाँचे के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों में दोनों प्रमुख हितधारक बन गए हैं।
    - यूरोपीय संघ ने सीओपी26 में वैश्विक ग्रीन ग्रिड पहल के शुभारंभ का स्वागत किया और भारत को उसके "एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड" के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग:**
  - **भारत-यूके वैश्विक नवाचार भागीदारी (जीआईपी)** को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिसमें भारत और यूके 14 वर्षों में 100 मिलियन यूरो तक सह-वित्तपोषण करेंगे।
  - **होराइजन 2020:** दोनों ने जलवायु परिवर्तन और ध्रुवीय अनुसंधान से संबंधित संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएँ- **'होराइजन 2020'** शुरू की हैं।
- **रक्षा और सुरक्षा सहयोग:**
- भारत के साथ यूरोपीय संघ के प्रौद्योगिकी सहभागिता को सुविधाजनक बनाने के लिए **ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस का शुभारंभ।**
- **नया सूचना संलयन केंद्र:** हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र नई दिल्ली (IFC - IOR) ने यूरोपीय संघ नौसेना बल अटलांटा के समुद्री सुरक्षा केंद्र - हॉर्न ऑफ अफ्रीका (MSC - HOA) के साथ मिलकर काम किया है।
- **आतंकवाद का मुकाबला:** भारत और यूरोपीय संघ ने 14वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक घोषणा को अपनाया।
- **समुद्री डकैती विरोधी अभियान:** दोनों पक्षों ने **जून 2021** में अदन की खाड़ी में पहला भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल (EUNAVFOR) अभ्यास आयोजित किया।

भारत-यूरोपीय संघ संबंधों में मुद्दे

- **व्यापार:** वर्ष 2019 में, भारत यूरोपीय संघ के कुल व्यापार में केवल 1.9% का प्रतिनिधित्व करता है, जो चीन (13.8%) से काफी पीछे है।
- **यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध विकसित हुए, लेकिन प्रगाढ़ नहीं हुए:** जबकि जर्मनी, फ्रांस और यूके जैसे यूरोपीय संघ

के सदस्य देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध काफी हद तक विकसित हुए, लेकिन इससे समूह के साथ संबंधों में अपेक्षित प्रगाढ़ता नहीं आई।

- **सीएए और अनुच्छेद 370 पर यूरोपीय संघ:** यूरोपीय संसद ने वर्ष 2019 में जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को लेकर भारत सरकार के निर्णय की आलोचना की थी।
- **संरक्षणवाद:** यूरोपीय संघ टैरिफ पर भारत के "संरक्षणवादी" उपायों और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों को समाप्त करने की आलोचना करता है।
- **यूरोप में प्रवास-विरोधी और अति-राष्ट्रवादी भावना का उदय:** शरणार्थी संकट और व्यापार संरक्षणवाद में वृद्धि तथा वैश्वीकरण के प्रति आक्रोश ने ब्रेक्सिट में प्रकट हुई यूरोपीय संघ विरोधी भावनाओं को मजबूत किया है।

व्यापक-व्यापार और निवेश समझौता (BROAD-BASED TRADE AND INVESTMENT AGREEMENT)

यह भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता है : वार्ता 2007 में शुरू हुई थी, जिसमें ब्रसेल्स और नई दिल्ली में 15 दौर की वार्ता हुई थी।

वार्ता में गतिरोध

वस्तुओं का व्यापार:

- यूरोपीय संघ ने वाइन, स्पिरिट, डेयरी और ऑटोमोबाइल पर टैरिफ कम करने की माँग की है, लेकिन भारत ने चिंता जताई है कि इससे बाजार में यूरोपीय आयात की बाढ़ आ सकती है।
- भारत ने सेनिटरी और फाइटो-सेनिटरी क्षेत्रों में गैर-टैरिफ बाधाओं और यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए तकनीकी बाधाओं को कम करने की भी माँग की है।
- **बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर):** यूरोपीय संघ को उम्मीद है कि भारत अपनी आईपीआर व्यवस्था को मजबूत करेगा, जिसका भारत के विशाल फार्मास्युटिकल और जेनेरिक दवा क्षेत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
- यूरोपीय संघ की 'डेटा विशिष्टता' की माँग को भारत ने खारिज कर दिया।

डेटा-सुरक्षित देश:

- **डेटा सुरक्षित देश का दर्जा:** यूरोपीय संघ ने भारत को डेटा सुरक्षित देश का दर्जा नहीं दिया है। इसके बिना, संवेदनशील डेटा का प्रवाह बाधित हो सकता है, जिससे यूरोपीय संघ में भारतीय व्यवसायों के लिए परिचालन लागत बढ़ सकती है।

सेवा क्षेत्र:

- **बाजार तक अधिक पहुँच:** जहाँ भारत ने मोड 1 और 4 के तहत यूरोपीय बाजार तक अधिक पहुँच की माँग की है, वहीं यूरोपीय संघ ने मोड 3 के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था तक अधिक पहुँच की माँग की है।
- **निवेशक-राज्य विवाद निपटान तंत्र:** यूरोपीय संघ विस्तृत प्रावधान चाहता है जबकि भारत इस प्रावधान को स्वीकार करने में अनिच्छुक है।

आगे की राह

- **द्विपक्षीय वार्ता:** पूरकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कई मतभेदों से परे देखना चाहिए।
- **हरित प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में अधिक सहयोग:** भारत एवं यूरोपीय संघ हरित प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वार्ता करके शुरुआत कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप चर्चा में अधिक संतुलित परिणाम सामने आ सकते हैं।
- **स्वास्थ्य देखभाल में सहयोग:** भारत की फार्मास्युटिकल विनिर्माण क्षमताएँ यूरोपीय स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकियों तक पहुँच के साथ साझेदारी बढ़ाने और भागीदारों के बीच नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नए रास्ते प्रदान कर सकती हैं।

ईयू- कनेक्टिविटी कार्यक्रम

- **चीनी बेल्ट रोड पहल का मुकाबला करने के लिए गोल्डन गेटवे कार्यक्रम:** यह €300 बिलियन ($340 बिलियन) परियोजना है।
- यह बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड (बी3डब्ल्यू) पहल का एक उपप्रोग्राम है, जिसकी घोषणा जून 2021 में सात सबसे अमीर ग्रुप ऑफ़ सेवन (जी-7) द्वारा की गई थी।
- कार्यक्रम का लक्ष्य यूरोप एवं दुनिया के बीच मजबूत तथा टिकाऊ संबंध बनाना और एक नए भविष्य का निर्माण करना है।

भारत एवं यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA)

हाल ही में, भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA), आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का एक अंतर सरकारी समूह ने एक व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (TEPA) पर हस्ताक्षर किए।

- TEPA पिछले तीन वर्षों में व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा हस्ताक्षरित चौथा प्रमुख समझौता है। अन्य ऑस्ट्रेलिया, मॉरीशस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ हैं।

व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) की महत्त्वपूर्ण अंतर्दृष्टि:

- **उद्देश्य:** टीईपीए बाजार पहुँच को बढ़ाता है और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाता है। इसका उद्देश्य देशों के बीच निवेश के अवसरों को सुविधाजनक बनाना और बढ़ावा देना भी है।
- **शामिल पहलू:** यह समझौता वस्तुओं में व्यापार, उत्पत्ति के नियम, बौद्धिक संपदा अधिकार, सेवाएँ, निवेश प्रोत्साहन, सरकारी खरीद, तकनीकी व्यापार बाधाएँ और व्यापार सुविधा जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल करता है।
- **निवेश कोष:** यह मुख्य रूप से ईएफटीए देशों में भविष्य निधि से आएगा।
- **पहला मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए):** पहली बार, भारत चार विकसित देशों - यूरोप में एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक ब्लॉक - के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर कर रहा है।
- **डेटा विशिष्टता की अस्वीकृति :** भारत ने पहले समझौते में "डेटा विशिष्टता" के प्रावधानों को शामिल करने की चार देशों की माँग को खारिज कर दिया था, जिससे इसकी दवा कंपनियों के लिए ऑफ-पेटेंट दवाओं के जेनेरिक वेरिएंट का उत्पादन करना मुश्किल हो जाएगा।
- **कुछ प्रावधान शामिल नहीं:** भारत और ईएफटीए बड़े पैमाने पर "संवेदनशील" कृषि उत्पादों और सोने के आयात को समझौते से बाहर रखने पर भी सहमत हुए।

भारत के लिए TEPA का महत्त्व:

- **निर्यात को बढ़ावा:** भारत को उम्मीद है कि समझौते से फार्मास्यूटिकल्स, परिधान, रसायन और मशीनरी के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
- **निवेश आकर्षित करने के लिए:** भारत को उम्मीद है कि यह समझौता ऑटोमोबाइल, खाद्य प्रसंस्करण, रेलवे और वित्तीय क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने में मदद करेगा।
- **आयात स्रोतों में विविधता लाने के लिए:** भारत चीन से दूर आयात में विविधता लाने में मदद के लिए ईएफटीए सौदे पर विचार कर रहा है। भारत वर्तमान में प्रमुख चिकित्सा आयात के लिए चीन पर निर्भर है।
  - ईएफटीए फार्मा, (विशेष रूप से चिकित्सा उपकरणों), रसायन, खाद्य प्रसंस्करण और इंजीनियरिंग में संयुक्त उद्यम स्थापित करने पर भी विचार कर रहा है।
- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समर्थन:** यह सौदा यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करके एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
  - ईएफटीए देश विश्व नेता के रूप में भारत के विकास को मान्यता देते हैं।
- **हरित ऊर्जा लक्ष्य की प्राप्ति:** ईएफटीए देश अपनी अत्याधुनिक तकनीकों के साथ भारत को वर्ष 2030 तक 50% नवीकरणीय ऊर्जा की हरित विकास आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद कर सकते हैं।

भारत-ईएफटीए संबंधों में चुनौतियाँ:

- **डेटा विशिष्टता:** डेटा विशिष्टता सुरक्षा उपाय विदेशी दवा कंपनियों के एकाधिकार को बढ़ावा देंगे और भारतीय जेनेरिक उद्योग के लिए एक झटका होगा।
- **आर्थिक संरचनाओं में अंतर:** ईएफटीए उच्च तकनीक उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि भारत के उद्योग आम तौर पर निम्न और मध्यम तकनीक क्षेत्रों की पूर्ति करते हैं और आर्थिक हितों में अंतर को पाटना एक बड़ी चुनौती होगी।
- **बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण:** फार्मास्यूटिकल्स, जैव प्रौद्योगिकी और मशीनरी निर्माण में लगी ईएफटीए कंपनियों की आईपीआर सुरक्षा एक चुनौती है।
- **बाजार पहुँच के लिए चुनौतियाँ:** टैरिफ, कोटा और गैर-टैरिफ बाधाओं से संबंधित मुद्दे दोनों पक्षों के बीच मुक्त बाजार पहुँच को प्रभावित करते हैं।
- **व्यापार घाटे के संबंध में:** भारत का ईएफटीए देशों के साथ एक महत्त्वपूर्ण व्यापार घाटा है, जो विशेष रूप से सोने और कीमती धातुओं के आयात से प्रेरित है, जिससे व्यापार संबंधों में असंतुलन के बारे में चिंता बढ़ गई है।
- **सीमित टैरिफ लाभ:** ईएफटीए देशों में मौजूदा शून्य या कम टैरिफ भारतीय माल निर्यात के लिए संभावित लाभ को सीमित करते हैं, विशेष रूप से औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में।

आगे की राह:

- **डेटा विशिष्टता मुद्दे का समाधान:** उच्च-स्तरीय प्रतिनिधियों को भविष्य के संबंधों को सुचारू बनाने के लिए डेटा विशिष्टता जैसे लंबित मुद्दों को हल करने की दिशा में काम करना चाहिए।
- **घरेलू निर्माताओं का संरक्षण** भारत को फार्मास्यूटिकल्स और मशीनरी विनिर्माण जैसे अपने महत्त्वपूर्ण घरेलू क्षेत्रों को सुरक्षित करने की आवश्यकता है, जहाँ ईएफटीए देशों के पास प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त है।
- **पर्यावरण और सामाजिक विचार:** सतत विकास एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देने जैसी अधिक समसामयिक चुनौतियों को शामिल करने और उनका समाधान करने की आवश्यकता है।
- **एक अनुकूल निवेश प्रतिबद्धता:** इस सौदे के साथ, भारत मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों और मशीनरी का अधिक आयात देख सकता है क्योंकि भारतीय टैरिफ में भारी कमी होगी।

प्रमुख शब्दावलियाँ

कीवर्ड: गोल्डन गेटवे, संवर्धित व्यापार भागीदारी (ईटीपी), व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद, प्रवासन और गतिशीलता पर आम एजेंडा, स्वच्छ ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन साझेदारी, ग्रीन ग्रिड पहल, भारत-यूके वैश्विक नवाचार भागीदारी, होराइजन 2020, डेटा विशिष्टता, निवेशक- राज्य विवाद निपटान तंत्र, व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता।

पिछले वर्ष के प्रश्न

- 'अमेरिका और यूरोपीय देशों की राजनीति और अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों की निर्णायक भूमिका है।' उदाहरण सहित टिप्पणी कीजिए।

(2020)

15 भारत-जापान

परिचय

भारत-जापान संबंध पारंपरिक रूप से मजबूत रहे हैं। यह मजबूती सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोकतंत्र के समान आदर्शों के कारण है। भारत जापान से सबसे अधिक सहायता प्राप्त करने वाला देश है और जापानी कंपनियों के लिए एक बड़ा बाजार है। जापान भारत में निवेश करने वाली पहली कंपनियों में से एक था।

पृष्ठभूमि

- **1952 में स्थापित राजनयिक संबंध:** द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1952 में शांति संधि पर हस्ताक्षर के साथ भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए।
- **व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता:** वर्ष 2011 में, एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता संपन्न हुआ।
- **जापान की देश सहायता नीति:** वर्ष 2016 में, जापान ने अपनी देश सहायता नीति, आगमन पर वीजा,लॉजिस्टिक्स समझौते और पहल में सहयोग की घोषणा की।
- **चीन के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (एससीआरआई):** वर्ष 2021 में, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला में चीन के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (एससीआरआई) शुरू की।

सहयोग के क्षेत्र

हिंद-प्रशांत:

- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक हित:** भारत और जापान चीन की चिंताओं को दूर करने के लिए पिछले समझौतों के आधार पर हिंद-प्रशांत क्षेत्र के एक मजबूत आधार के रूप में कार्य करते हैं।
- **नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखना:** हिंद-प्रशांत के लिए दोनों देशों का दृष्टिकोण नियम-आधारित व्यवस्था पर आधारित है जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करती है।
  - **क्वाड समूह:** अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सुरक्षा ढाँचा प्रदान करना।
  - **आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल:** यह भारत-प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र और न्यायसंगत आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।
- **जापान का स्वतंत्र और खुला हिंद-प्रशांत:** यह जापानी प्रधानमंत्री द्वारा अपनी भारत यात्रा के दौरान दी गई एक अवधारणा है।

विकास:

- **एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (एएजीसी):** एएजीसी एशिया-अफ्रीका क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए भारत और जापान के बीच एक संयुक्त सहयोग है, जिसमें स्वास्थ्य, कृषि, आपदा प्रबंधन और कौशल वृद्धि को प्राथमिकता दी गई है।
- **ब्लू डॉट नेटवर्क (बीडीएन) :** बीडीएन दुनिया भर में बुनियादी ढाँचा विकास परियोजनाओं की जाँच तथा प्रमाणित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा स्थापित एक बहु-हितधारक कार्यक्रम है।

बहुपक्षीय मंचों पर साझेदारी:

- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद:** दोनों देशों ने स्थायी और गैर-स्थायी दोनों श्रेणियों सहित संयुक्त राष्ट्र के शीघ्र सुधार की दिशा में काम करने का संकल्प लिया है।
  - भारत और जापान जी4 ग्रुप के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
- **क्वाड समूह:**
  - **क्वाड समूह में भारत-जापान:** भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने हिंद-प्रशांत में नियम-आधारित व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमित रक्षा सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करने और रसद समर्थन के लिए आधार स्थापित किया है।
- **जी-20 समूह:**
  - **भारत की जी20 अध्यक्षता और जापान की जी7 अध्यक्षता के बीच सहयोग** दोनों देशों को "वसुधैव कुटुंबकम," या "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" की दिशा में दुनिया की नियति को आकार देने का अवसर प्रदान करता है।
  - **सर्कुलर इकोनॉमी पर द्विपक्षीय सहयोग:** जी7/जी20 सहयोग, लाइफ (LiFE), महासागरीय और प्लास्टिक अपशिष्ट, कॉप-27 और सीबीडी 15। भारत ने नई प्रौद्योगिकियों को भारत में लाने में के लिए जापान के प्रयासों को स्वीकार किया तथा इस बात पर जोर दिया कि भारत और जापान सर्कुलर अर्थव्यवस्था पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की संभावना तलाश सकते हैं।

आर्थिक:

- वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत के साथ जापान का द्विपक्षीय व्यापार कुल 21.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- **भारत-जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी (CEPA):** यह समझौता अगस्त 2011 में लागू हुआ था।

- यह सबसे व्यापक समझौता है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार, प्राकृतिक व्यक्तियों की आवाजाही, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकारों, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और अन्य व्यापार से संबंधित मुद्दों को कवर करता है।
- **भारत से जापान को मुख्य निर्यात:** पेट्रोलियम उत्पाद, कार्बनिक रसायन; मछली एवं क्रस्टेशियंस, मोलस्क एवं अन्य जलीय अकशेरुकी; नाभिकीय रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी एवं यांत्रिक उपकरण आदि।
- **जापान से भारत को मुख्य आयात: म**शीनरी, विद्युत मशीनरी, लोहा और इस्पात उत्पाद, प्लास्टिक सामग्री, अलौह धातु, मोटर वाहनों के पुर्जे आदि।

- **द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था:** दोनों देश एक द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था पर सहमत हुए हैं जो उनके केंद्रीय बैंकों को 75 **बिलियन डॉलर** तक की स्थानीय मुद्राओं का आदान-प्रदान करने की अनुमति देगा।
- **जापानी निवेश और आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए):**
  - **भारत में जापानी एफडीआई: यह मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण, दूरसंचार, रसायन, वित्तीय (बीमा) और फार्मास्युटिकल क्षेत्रों में रहा है।**
  - **मॉरीशस, सिंगापुर, अमेरिका और नीदरलैंड के बाद जापान एफडीआई के स्रोत देशों में पाँचवें स्थान पर है।**
- **लोगों के बीच संबंध:** हाल के वर्षों में, इसमें बदलाव आया है।
- **विकास सहायता:** जापान ने मेट्रो विस्तार, जल आपूर्ति और फसल विविधीकरण परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए भारत को 225 बिलियन येन का ऋण दिया।

रक्षा:

- **सुरक्षा सहयोग:** भारत और जापान ने **वर्ष** 2008 में हस्ताक्षरित सुरक्षा सहयोग पर एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। `इसमें रक्षा मंत्रियों, सैन्य-से-सैन्य वार्ता और नौसेना-से-नौसेना के बीच बैठकों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया।
- **तकनीकी सहयोग:** दोनों पक्षों ने सैन्य-तकनीकी सहयोग (एमटीसी) बनाने के लिए काम किया, जिससे परस्पर निर्भरता को बढ़ावा मिले।
- **भारतीय सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण:** जापान अपने यूएस-2 उभयचर विमान और सोरयू पनडुब्बियों के माध्यम से भारत को सैन्य क्षमताओं के आधुनिकीकरण में सहायता करने की उम्मीद करता है।
- **चीन पर नजर:** भारत, जापान ने आपसी सैन्य रसद समझौते पर हस्ताक्षर किए।
  - यह समझौता भारत और जापान के सशस्त्र बलों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत गतिविधियों में घनिष्ठ सहयोग के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है।
  - यह उनकी सेनाओं को रसद सहायता के लिए एक-दूसरे के ठिकानों तक पहुँचने की अनुमति देता है।
  - यह दोनों देशों की सेनाओं को आपूर्ति की मरम्मत और पुनःपूर्ति के लिए एक-दूसरे के ठिकानों और सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है।
- **संयुक्त सैन्य अभ्यास:** अभ्यास धर्मा गार्जियन ने वर्ष 2018 में भारतीय सेना और जापानी ग्राउंड सेल्फ-डिफेंस फोर्सेज (JGSDF) को एक साथ लाया।
  - दोनों देशों की वायु सेनाएँ अभ्यास शिन्यू मैत्री में शामिल हुईं; जबकि तटरक्षक बल अभ्यास सहयोग-कैजिन के माध्यम से शामिल हुए।
  - मालाबार नौसैनिक अभ्यास में जापान ने भी भाग लिया।

द्विपक्षीय साझेदारी:

- **शीत युद्ध के बाद :** शीत युद्ध के समय में दोनों देश एक दूसरे से दूरी बनाए रखते थे। इसके कारण थे भारत का जापान-अमेरिका गठबंधन से दूर होना, गुटनिरपेक्षता की नीति।
- **सोवियत संघ के पतन के बाद :** सोवियत संघ के विघटन और गंभीर भुगतान संतुलन संकट के बाद, भारतीय नेतृत्व ने जापान के साथ घनिष्ठ संबंधों को तरजीह दी।
- **नई नीति पहल: वर्ष** 1993 में भारत ने 'पूर्व की ओर देखो' नीति की घोषणा की। भारत की जापान के साथ 'विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी' शीत युद्ध के बाद के दौर में एक महत्त्वपूर्ण रणनीति है।
  - नवंबर 2014 में अनावरण की गई 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' पिछली "लुक ईस्ट पॉलिसी" का सुधार है।
  - यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र के साथ कई स्तरों पर आर्थिक, भू-राजनीतिक और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाने की एक कूटनीतिक पहल है, जो जापान के साथ बेहतर संबंधों के विकास को गति प्रदान करती है।
- **संबंधों का उन्नयन:** वर्ष 2014 में दोनों देशों ने संबंधों को 'विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी' के स्तर पर ले गए।
- **2+2 व्यवस्था:** वर्ष 2016 में भारत ने विदेश और रक्षा मंत्रालयों के लिए '2+2' व्यवस्था शुरू की। तीन वर्ष बाद इसे मंत्री स्तर तक बढ़ा दिया गया, जो इसके विशेष दर्जे का संकेत था।

द्विपक्षीय संबंधों के समक्ष चुनौतियाँ :

- **व्यापार असंतुलन:** भारत के चीन के साथ व्यापारिक संबंधों की तुलना में भारत और जापान के बीच व्यापारिक संबंध अविकसित ही रह गए हैं।
  - दोनों देशों के आर्थिक मामलों (जैसे ई-कॉमर्स नियम - ओसाका ट्रैक और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी) को लेकर अलग-अलग हित हैं।
  - भारत भाषा संबंधी बाधाओं, उच्च गुणवत्ता और सेवा मानकों के कारण जापानी बाजार में प्रवेश करने के लिए संघर्ष कर रहा है।
- **चीन फैक्टर:** दोनों देशों के चीन के साथ सीमा मुद्दे हैं। इसलिए, उनका नीतिगत रुख व्यापक रूप से बढ़ने के बजाय आम तौर पर चीन पर निर्भर करता है।
  - भारत चीन के कार्यों की आलोचना करने में अधिक मुखर रहा है, जबकि जापान अपने दृष्टिकोण में अधिक सतर्क रहा है।
- **रूस फैक्टर :** यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की प्रतिक्रिया पर भारत और जापान के बीच मतभेद है। जापान अमेरिका के गठबंधन का हिस्सा है और रूस के खिलाफ प्रतिबंधों में भी शामिल हो गया है, जबकि भारत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है।

- इसके अलावा,भारत के वोस्तोक अभ्यास में भाग लेने पर भी मतभेद है, जो दक्षिण कुरील द्वीप (रूस और जापान के बीच एक विवादित क्षेत्र) के करीब आयोजित किया गया था।

- **क्वाड और ब्रिक्स के बीच संतुलन:** भारत चीन के नेतृत्व वाली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में शामिल नहीं हुआ है, जबकि क्वाड और एआईआईबी का सदस्य है। भारत ने लंबे समय से एक गुटनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाया है, जो जापान और ऑस्ट्रेलिया की कठोर, अमेरिका समर्थक विदेश नीति रुख के विपरीत है।
  - इसलिए भारत को क्वाड और ब्रिक्स के बीच संतुलन बनाना होगा।
- **एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (एएजीसी) परियोजना :** एएजीसी की व्यवहार्यता के साथ-साथ इसमें अंतर्निहित परियोजनाओं की प्रकृति पर भी संदेह है।
- **रक्षा निर्यात :** भारत अन्य देशों को रक्षा उपकरण निर्यात करना चाहता है, जो संभावित रूप से जापान के अपने रक्षा निर्यात के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है।
  - उभयचर यूएस-2 विमानों की खरीद के लिए वार्ता वर्षों से चल रही है।

14वाँ भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया

हाल ही में, जापानी प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच 14वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत का दौरा किया।

परिणाम:

- **स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी (सीईपी):** सतत आर्थिक विकास प्राप्त करने, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में सहयोग के लिए। इसे वर्ष 2007 में स्थापित 'भारत-जापान ऊर्जा वार्ता' के तहत लॉन्च किया गया है।
- **सतत विकास पहल:** यह उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए शुरू की गई एक योजना है।
- **भारत-जापान डिजिटल साझेदारी:** डिजिटल अर्थव्यवस्था में संलग्न होने और इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT), आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) आदि में सहयोग की दृष्टि से।
- **संयुक्त ऋण तंत्र (जेसीएम):** यह पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के अनुसार विकासशील देशों में निजी पूँजी प्रवाह सुनिश्चित करेगा।
- **जापान द्वारा निवेश:**
  - जापान अगले पांच वर्षों में भारत में 3.2 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगा।
  - विभिन्न राज्यों में कनेक्टिविटी, जलापूर्ति और सीवरेज, बागवानी, स्वास्थ्य देखभाल और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 7 जिका (जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी) अनुदान।
  - जापानी फर्मों ने भारत में विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार के लिए जोहकासू प्रौद्योगिकी लाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उपयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहाँ अभी तक सीवरेज का बुनियादी ढाँचा नहीं बनाया गया है।
- जापान भारी उद्योग परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय-स्वीडिश जलवायु पहल लीडआईटी (LeadIT) में शामिल होगा।
- साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।

आगे की राह:

- **क्षेत्रीय ताकत में वृद्धि:** भारत और जापान दोनों के पास आर्थिक एवं सैन्य ताकत है जिसका उपयोग भविष्य की क्षेत्रीय मजबूती के लिए और चीन के प्रभाव को कम करने के लिए भी किया जा सकता है।
- **प्रदूषण से निपटने के लिए:** प्रदूषण एक गंभीर मुद्दा है, और जापानी हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके प्रदूषण से निपटा जा सकता है।
  - **उदाहरण:** मियावाकी तकनीक: देशी पौधों के साथ घने वन/जंगल बनाना।
  - **संयुक्त क्रेडिट तंत्र (जेसीएम):** जेसीएम के तहत, जापानी कंपनियाँ, अपनी अत्याधुनिक पर्यावरण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके, विकासशील देशों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद करने के बदले में कार्बन क्रेडिट अर्जित करने में सक्षम होंगी।
- **व्यापार बाधा का समाधान:** द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना और आर्थिक सहयोग की पूरी क्षमता का एहसास करना।
  - जापानी डिजिटल तकनीक को भारतीय कच्चे माल और श्रम के साथ मिलाकर संयुक्त उद्यम बनाए जा सकते हैं।
  - जापान के स्वदेश निर्मित उभयचर यूएस-2 विमानों की भारत की खरीद, यदि सफलतापूर्वक क्रियान्वित होती है, तो भारत के 'मेक इन इंडिया' में भी योगदान दे सकती है।
- **लोगों के बीच आदान-प्रदान बढ़ाना:** जापान में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए जापान में भारतीय आईटी पेशेवरों को शामिल करना।

भारत-जापान संबंधों को मजबूत करने के लिए 8 पहल

- उन्नत संवाद एवं आदान-प्रदान
- व्यापक आर्थिक जुड़ाव
- सुरक्षा संवाद एवं सहयोग
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पहल
- सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक पहल
- अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग
- नए एशिया की शुरुआत में सहयोग
- अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया

- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी में साझेदारी का विस्तार:** जैसे 5जी, दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा, पनडुब्बी केबल सिस्टम और क्वांटम संचार।
  - दोनों देश पनडुब्बियों के उत्पादन में प्रौद्योगिकी और मानव रहित ग्राउंड वाहन और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में सहकारी अनुसंधान में भी लगे हुए हैं।
- **रणनीतिक कनेक्टिविटी पर सहयोग:** "एक्ट ईस्ट" नीति और "गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचे के लिए साझेदारी" के बीच तालमेल का उपयोग करके दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़कर।
- शांति और समृद्धि के लिए अपनी वैश्विक साझेदारी की पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए, जापान और भारत ने अप्रैल 2005 में निम्नलिखित आठ स्तरीय पहल पर निर्णय लिया:

निष्कर्ष

भारत-जापान संबंधों की बेहतरी की दिशा में कई महत्त्वपूर्ण प्रयास किए हैं, जो दोनों देशों की अपनी सुरक्षा और रणनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने की मजबूत इच्छा को प्रदर्शित करते हैं। पिछले दशक में, दोनों देशों ने एक मजबूत रणनीतिक सहयोग विकसित किया है।

प्रमुख शब्दावलियाँ

क्वाड समूह, एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, ब्लू डॉट नेटवर्क, जी4 ग्रुप, वसुधैव कुटुंबकम, सर्कुलर इकोनॉमी, द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था आधिकारिक विकास सहायता, आपसी सैन्य रसद समझौता, विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी, ओसाका ट्रैक, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी, संयुक्त ऋण तंत्र, मियावाकी तकनीक

पिछले वर्ष के प्रश्न

- भारत और जापान के लिए समय आ गया है कि एक मजबूत समसामयिक संबंध का निर्माण करें, जिसका वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को आवेष्ठित करते हुए एशिया एवं संपूर्ण विश्व के लिए बड़ा महत्त्व होगा।' टिप्पणी कीजिए। **(2019)**
- हाल के वर्षों में भारत और जापान के मध्य आर्थिक संबंधों में विकास हुआ है पर अब भी वह उनकी संभाविता से बहुत कम है। उन नीतिगत (व्यवरोधों) को स्पष्ट कीजिए जिनके कारण यह विकास अवरुद्ध है। **(2013)**

16 भारत - दक्षिण पूर्व एशिया

20वाँ आसियान-भारत शिखर सम्मेलन

हाल ही में, प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के जकार्ता में 20वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया। आसियान और भारत ने पिछले वर्ष 30वीं वर्षगांठ मनाई और उनके बीच संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी (सीएसपी) के स्तर तक बढ़ गए हैं।

20वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएँ:

- **थीम:** 'आसियान मामले: विकास का केंद्र'
- **हिंद-प्रशांत पहल के साथ संरेखण:** प्रधानमंत्री ने भारत के हिंद-प्रशांत महासागरीय पहल (आईपीओआई) और आसियान के हिंद-प्रशांत पर दृष्टिकोण (एओआईपी) के बीच के तालमेल पर प्रकाश डाला, जो क्षेत्रीय रणनीतियों के अभिसरण को दर्शाता है।
- **एआईटीआईजीए समीक्षा का आग्रह:** प्रधानमंत्री ने व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए इसके महत्त्व को रेखांकित करते हुए आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) की समीक्षा को तेजी से पूरा करने के महत्त्व पर जोर दिया।

आसियान के साथ भारत के संबंध:

- **भू-राजनीतिक संबंध :**
  - **एक्ट ईस्ट नीति का केंद्र :** आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति में एक केंद्रीय स्थान रखता है। मूल रूप से एक आर्थिक पहल के रूप में परिकल्पित, यह नीति अब राजनीतिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक आयामों को शामिल करने के लिए विस्तारित हो गई है।
  - **आसियान प्लस सिक्स:** भारत आसियान प्लस सिक्स समूह का हिस्सा है, जिसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ आसियान सदस्य देश शामिल हैं।
- **भू-अर्थशास्त्र (व्यापार और निवेश):**
  - **मुक्त व्यापार समझौता:** वर्ष 2010 में, भारत और आसियान ने एक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए जो लागू हुआ।
    - वर्ष 2002 में जब उनका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था तब उनके बीच द्विपक्षीय व्यापार केवल 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, और अब वर्ष 2023 में व्यापार के 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार करने की संभावना है।
  - **आर्थिक महत्त्व:** सामूहिक रूप से, वे दुनिया की जीडीपी में 7% का योगदान करते हैं और वैश्विक आबादी का 26% प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उनकी पर्याप्त संयुक्त ताकत को उजागर करता है।
- **भू-रणनीतिक संबंध (समुद्री और रक्षा):**
  - **रक्षा संबंध:** पहला आसियान-भारत समुद्री अभ्यास मई 2023 में हुआ, जो एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।
    - भारत और सिंगापुर ने एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो विवादित दक्षिण चीन सागर के पास स्थित सिंगापुर के चांगी नौसैनिक अड्डे पर भारतीय नौसेना के जहाजों को ईंधन भरने सहित रसद सहायता की अनुमति देगा।
- **प्रमुख घटनाक्रम:**
  - **प्रथम रक्षा बैठक:** भारत और कंबोडिया ने नवंबर 2022 में उद्घाटन भारत-आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की सह-अध्यक्षता की।
  - **साझेदारी बढ़ाना:** जुलाई 2023 में भारत के साथ आसियान पोस्ट मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के परिणामस्वरूप आसियान-भारत साझेदारी (2021-2025) के लिए कार्य योजना के अनुबंध को अपनाया गया, जिससे संबंध और मजबूत हुए।

भारत-आसियान संबंधों में चुनौतियाँ:

- **रणनीतिक प्रतिस्पर्धा:** एशिया-प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा आसियान के लिए एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है।
  - इस प्रतिद्वंद्विता में पक्ष चुनने का दबाव क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है।
- **संरक्षक या केंद्रीय प्राधिकरण का अभाव :** यूरोपीय संघ (ईयू) के विपरीत, आसियान में 10-राष्ट्र ब्लॉक के मामलों की देखरेख और समन्वय के लिए जिम्मेदार एक केंद्रीकृत संरक्षक या प्राधिकरण का अभाव है।
- **कनेक्टिविटी के मुद्दे:** भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जैसी पहलों के बावजूद, क्षेत्र में कनेक्टिविटी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। बुनियादी ढाँचे के विकास में देरी से व्यापार और सहयोग में बाधा आ सकती है।
- **क्षेत्रीय विवाद:** दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय विवाद, जिसमें कुछ आसियान सदस्य और चीन शामिल हैं, क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को जटिल बना सकते हैं।
  - **उदाहरण के लिए:** मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम ने औपचारिक रूप से एक नए चीनी मानचित्र पर विवाद किया है जो दक्षिण चीन सागर के अधिकांश हिस्से को चीनी क्षेत्र के रूप में दावा करता है।
- **आर्थिक चुनौतियाँ:**
  - **क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी):** भारत आरसीईपी में शामिल नहीं हुआ है, जो आसियान और उसके एफटीए भागीदारों से जुड़ा एक मेगा क्षेत्रीय व्यापार समझौता है।

- **खंडित बाज़ार:** आसियान एक एकल बाज़ार नहीं है, जो सुव्यवस्थित व्यापार चाहने वाले भारतीय व्यवसायों के लिए चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।
- **असंतुलन व्यापार:** आसियान को भारत का निर्यात वर्ष 2021-22 में 42.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। हालाँकि, वर्ष 2021-22 में आयात 68 बिलियन अमेरिकी डॉलरकी तुलना में बढ़कर 87.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- **पारस्परिक व्यापार और निवेश बाधाएँ:** आसियान को भारत में व्यापार और निवेश बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि वर्ष 2020 में लगाए गए भारत के CAROTAR नियमों के बारे में चिंताएँ।

भारत के प्रधान मंत्री

भारत-आसियान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 सूत्री प्रस्ताव पेश किया गया

- मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और आर्थिक गलियारा जो दक्षिण-पूर्व एशिया, भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप को जोड़ता है।
- डिजिटल परिवर्तन भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्टैक को साझा करना।
- डिजिटल फ्यूचर फंड- डिजिटल फ्यूचरो के लिए आसियान-भारत फंड का निर्माण।
- समर्थन- आसियान और पूर्वी एशिया के आर्थिक और रिसर्च संस्थान (ईआरआईए)।
- वैश्विक दक्षिण वकालत- बहुपक्षीय मंचों में सामना किए जाने वाले मुद्दों का समाधान करना।
- पारंपरिक चिकित्सा केंद्र- भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन (विटो) द्वारा स्थापित केंद्र में आसियान देशों को आमंत्रित करना।
- मिशन लाइफ- यह एक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल भविष्य पर केंद्रित है।
- सस्ती दवाइयाँ- जन-औषधि केन्द्रों के माध्यम से सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयाँ उपलब्ध कराना।
- आतंकवाद और साइबर सुरक्षा- आतंकवाद, आतंकवाद के वित्तपोषण और साइबर-दुष्प्रचार के विरुद्ध सामूहिक प्रयासों की वकालत करना।
- आपदा प्रतिरोधक क्षमता- आपदा प्रतिरोधक अवसंरचना के लिए गठबंधन में शामिल होने के लिए आसियान देशों को आमंत्रित करना।
- आपदा प्रबंधन- प्राकृतिक आपदाओं के सामने व्यापार जोखिम को कम करना। सुचारू संचालन सुनिश्चित करना।
- समुद्री सुरक्षा और संरक्षा- बढ़े हुए सहयोग की आवश्यकता पर बल देना।

आगे की राह:

- **एआईटीआईजीए समीक्षा:** आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) की समीक्षा को समाप्त करने के प्रयास तेज हो सकते हैं, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य, साइबर, वित्तीय और समुद्री सुरक्षा डोमेन जैसे आशाजनक क्षेत्रों में।
- **सहयोगात्मक पहल:** भारत का अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) आसियान की चुनौतियों का समाधान प्रदान कर सकता है।
- **मजबूत साझेदारी:** कनेक्टिविटी, समुद्री सहयोग, डिजिटल परिवर्तन, व्यापार और अर्थव्यवस्था जैसे विविध क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्ष 2022 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना।
- **डिजिटल परिवर्तन:** डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी साझाकरण सहित डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना।
  - **उदाहरण के लिए,** भारत और सिंगापुर ने भुगतान प्रणालियों में अंतर संचालनीयता सहित फिनटेक में गहरा सहयोग शुरू किया है।
- **वित्त पोषण नीति का पुनरीक्षण:** फंडिंग पर नीति को संशोधित करने पर विचार करें, एक ऐसे मॉडल की ओर बढ़ें जहाँ अमीर देश संयुक्त राष्ट्र अभ्यास के समान अधिक पर्याप्त फंडिंग का योगदान देना।

भारत-इंडोनेशिया

- नई दिल्ली में इंडोनेशियाई दूतावास ने मुंबई में इंडोनेशिया के महावाणिज्य दूतावास के सहयोग से इस वर्ष (2024) इंडोनेशिया और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगाँठ मनाई।
- हालाँकि, दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 1949 में शुरू हुए **थे**। एक वर्ष पश्चात्, इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सोएकरनो 1950 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में आमंत्रित होने वाले पहले अतिथि थे।

सहयोग के क्षेत्र

- **रक्षा सहयोग:** भारत और इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस मिसाइलों के संभावित निर्यात पर चर्चा, संयुक्त अभ्यास करने और चीन की एकतरफा नीति के बीच रणनीतिक रूप से सैरेखित करने सहित रक्षा सहयोग को मजबूत किया।
- भारत-इंडोनेशिया ने 14-19 मई 2023 तक द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति-23 का आयोजन किया।
- **रणनीतिक साझेदारी: वर्ष** 2018 में प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान, दोनों देश अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग बढ़ाने के लिए आम सहमति पर पहुँचे।
- **समुद्री सुरक्षा:** इंडोनेशिया का वैश्विक समुद्री आधार और भारत का सागर (SAGAR) दृष्टिकोण बंगाल की खाड़ी से मलक्का जलडमरूमध्य तक संचार की महत्त्वपूर्ण समुद्री लाइनों को नियंत्रित करने में रणनीतिक रूप से सैरेखित है।
  - दोनों देशों ने हिंद महासागर के देशों के साथ नौसैनिक लॉजिस्टिक्स समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- **व्यापार:** इंडोनेशिया अब आसियान में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में 26.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2021 में 21.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
  - अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान इंडोनेशिया को भारत का निर्यात 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
  - भारत इंडोनेशिया से कोयला एवं कच्चे पाम तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है साथ ही खनिज, रबर, लुगदी तथा कागज और हाइड्रोकार्बन भंडार का आयात करता है।
- **आतंकवाद:** नई दिल्ली और जकार्ता ने दोनों देशों के लिए खतरा बने आतंकी गुर्गों से निपटने के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि और प्रत्यर्पण के साधन की व्यवस्था भी की है।

- **कनेक्टिविटी:** सबांग बंदरगाह को पड़ोसी और रणनीतिक साझेदार इंडोनेशिया के साथ साझेदारी में विकसित किया जा रहा है। यह मलक्का जलडमरूमध्य के करीब है।
  - अंडमान-आचे लिंक वर्ष 2018 से "हिंद-प्रशांत में समुद्री सहयोग के साझा दृष्टिकोण" के तहत, इंडोनेशिया के आचे प्रांत में सबांग शहर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से जोड़ता है।
- **वैश्विक मंच:** दोनों देश जी20, गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM), पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं।

भारत-इंडोनेशिया संबंधों का महत्त्व

- **रणनीतिक स्थान और सुरक्षा:** इंडोनेशिया का स्थान समुद्री डकैती, तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गों को सुरक्षित करता है।
- **सबांग तक पहुँच:** भारतीय निवेशकों को सबांग तक पहुँच प्रदान करना हिंद महासागर में भारत की सुरक्षा भूमिका को मजबूत करता है।
- **अंतरराष्ट्रीय मंचों में सदस्यता:** दोनों देश G20, NAM, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन एवं संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, जो क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देते हैं।
- **चीनी आक्रामकता का सामना:** बढ़ती चीनी मुखरता के बीच इंडोनेशिया का समर्थन भारत की एक्ट ईस्ट नीति को मजबूत करता है।
- **दृष्टि का सामंजस्य:** दोनों देशों के सुरक्षा दृष्टिकोण, सागर (सुरक्षा और विकास के लिए समुद्री क्षेत्र जागरूकता) और ग्लोबल मैरीटाइम फुलक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देते हुए एक दूसरे के पूरक हैं।
- **आतंकवाद का समाधान:** अंतरधार्मिक संवाद धार्मिक-आधारित आतंकवाद का मुकाबला करते हैं और क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देते हैं।

भारत-इंडोनेशिया संबंधों में चुनौतियाँ

- **चीन का प्रभाव:** शीत युद्ध के बाद से चीन के साथ इंडोनेशिया के घनिष्ठ संबंध चीन के हितों के खिलाफ कार्य करने की उसकी इच्छा को सीमित कर सकते हैं।
- **ऐतिहासिक मतभेद:** शीत युद्ध के दौरान अलग-अलग गुट और पाकिस्तान के लिए इंडोनेशिया के समर्थन ने भारत-इंडोनेशिया संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया।
- **अनसुलझी समुद्री सीमाएँ:** अंडमान सागर में समुद्री सीमाओं का सीमांकन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिससे रिश्ते के लिए एक चुनौती बनी हुई है।
- **आर्थिक असमानताएँ:** आर्थिक विकास में असमानताएँ और व्यापार असंतुलन द्विपक्षीय संबंधों के लिए चुनौतियाँ पैदा करते हैं।
- **सांस्कृतिक और भाषा बाधाएँ:** संस्कृति, भाषा एवं सामाजिक मानदंडों में अंतर प्रभावी संचार और लोगों से लोगों के आदान-प्रदान में बाधा बन सकता है।
- **प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय हित:** क्षेत्रीय मुद्दों में अलग-अलग हितों के कारण स्थिति सँरेखित करने में असहमति और चुनौतियाँ हो सकती हैं।

आगे की राह:

- **आर्थिक सहयोग को मजबूती :** व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करें और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज करें।
- **समुद्री सीमा विवादों का समाधान:** समुद्री सीमा मुद्दों के राजनयिक समाधान को प्राथमिकता दें।
- **रणनीतिक जुड़ाव को गहरा करना:** स्थिर भारत-प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में अपने साझा हितों का लाभ उठाते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर सहयोग करें।
- **जन-केंद्रित भागीदारी को बढ़ावा:** जमीनी स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देना, जैसे शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान, युवा कार्यक्रम और व्यावसायिक वार्ता।
- **नियमित उच्च-स्तरीय संलग्नताएँ:** समझ और विश्वास बढ़ाने के लिए लगातार राजनयिक बैठकें बनाए रखें।

निष्कर्ष

भारत और इंडोनेशिया की क्षेत्रीय महत्त्वाकांक्षाएँ और बढ़ती समुद्री दिशाएँ, चीन की बढ़त के बारे में उनकी चिंताओं के साथ मिलकर संकेत देती हैं कि वे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक व्यापक साझेदारी स्थापित करने के लिए अनुकूल स्थिति में हैं।

प्रमुख शब्दावलियाँ

पारस्परिक व्यापार और निवेश बाधाएँ, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे के लिए गठबंधन, हिंद-प्रशांत महासागर की पहल (आईपीओआई), हिंद-प्रशांत पर आउटलुक (एओआईपी), ब्रह्मोस मिसाइलें, समुद्र शक्ति, सागर विजन, पारस्परिक कानूनी सहायता संधि, वैश्विक समुद्री आधार।

17 भारत-पश्चिम एशिया

जी20- शिखर सम्मेलन में घोषित भारत-मध्य पूर्व-यूरोप गलियारा, पश्चिम एशिया में नई दिल्ली की स्थिति को बेहतर करता है।

- यह भारत के पश्चिमी तट से खाड़ी देशों (संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब) जॉर्डन और इजराइल के माध्यम से भूमध्य सागर तक एक आर्थिक गलियारे का निर्माण करना चाहता है जिससे भारत और यूरोप को निकट लाया जा सके।
- पश्चिम एशिया भारत के पड़ोस का एक विस्तारित हिस्सा है। इस क्षेत्र में निरंतर शांति और स्थिरता भारत के लिए महत्त्वपूर्ण रणनीतिक हित है।

पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंध

- **ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:** भारत, पश्चिम एशिया को अपने विस्तारित पड़ोस का हिस्सा मानता है।
  - इसके अलावा, पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंधों की ऐतिहासिक जड़ें बहुत गहरी हैं जिनमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM - Non Aligned Movement) के अंतर्गत बनी साझेदारी भी शामिल है।
- **क्षेत्रीय संपर्क:** भारत, ईरान के साथ ऐतिहासिक संबंध रखता है और चाबहार बंदरगाह के विकास जैसी परियोजनाओं में शामिल है।
  - यह बंदरगाह अफगानिस्तान और मध्य एशिया को जोड़ने वाले क्षेत्रीय संपर्क के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है।
- **बहुध्रुवीयता की ओर भू-राजनीतिक बदलाव:** भारत मध्य-पूर्वी देशों, विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है।
  - ये साझेदारियाँ ऊर्जा संबंधी विचारों से आगे बढ़कर रक्षा, आतंकवाद विरोधी और साइबर सुरक्षा तक विस्तारित हो गई हैं।
- **ऊर्जा सहयोग:** भारत के कच्चे तेल के कुल आयात में से खाड़ी देशों की हिस्सेदारी लगभग 60% (इराक-22%, सऊदी अरब-18% [ORF अध्ययन]) है।
  - भारत की अधिकांश रिफाइनरियाँ खाड़ी क्षेत्र में उत्पादित सल्फर-युक्त खट्टे ग्रेड के कच्चे तेल का प्रसंस्करण करती हैं।
  - सऊदी अरामको (तेल परिष्करण कंपनी) ने भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी परियोजना रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए भारतीय कंसोर्टियम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- **भारतीय प्रवासी (डायस्पोरा):** पश्चिम एशिया में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लगभग 8.5 मिलियन भारतीय हैं, जो विदेशों (MEA) में काम करने वाले भारतीयों की कुल संख्या का लगभग 65 प्रतिशत है।
- **प्रेषण:** अनिवासी भारतीय (NRIs) सालाना लगभग 40 बिलियन डॉलर घर भेजते हैं और देश के कुल प्रेषण प्रवाह का %55 से अधिक पश्चिम एशिया से आता है।
- **व्यापार और निवेश:** संयुक्त राष्ट्र कॉमट्रेड डेटाबेस के अनुसार, वर्ष 2017 से 2021 तक भारत के संचयी दो-तरफा व्यापारिक व्यापार में ईरान और जीसीसी सदस्य (GCC Member) देशों की हिस्सेदारी %15.3 थी।
- **सांस्कृतिक जुड़ाव:** पश्चिम एशिया भारत का विस्तारित पड़ोसी है, जिसमें गहरा सभ्यतागत जुड़ाव और ऐतिहासिक एवं लोगों से लोगों का जुड़ाव शामिल है।
- प्रत्येक वर्ष एक लाख से अधिक भारतीय मुसलमान इस क्षेत्र में स्थित मक्का और मदीना में हज के लिए जाते हैं, जो दो क्षेत्रों के बीच एक कड़ी का कार्य करता हैं।

भारत-पश्चिम एशिया संबंधों में चुनौतियाँ

- फिलिस्तीन का मुद्दा और इजरायल के साथ भारत के गहरे होते संबंध: इजरायलियों और फलिस्तीनियों के बीच लंबे समय से चले आ रहे जटिल संघर्ष, भारत के लिए मानवाधिकारों के उल्लंघन और रणनीतिक हितों को संतुलित करने की चुनौती प्रस्तुत करते हैं।
- **इस्लामी सहयोग संगठन (OIC):** 1990 के दशक से, इस्लामी सहयोग संगठन ने कश्मीर में हिंसा की निंदा करते हुए एक प्रथागत बयान जारी किया, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है।
- शांतिदूत के रूप में चीन की भूमिका: चीन इस क्षेत्र में सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार और एक प्रमुख निवेशक के रूप में उभरा है। यह शांतिदूत के रूप में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, जैसा कि ईरान-सऊदी सुलह समझौते में स्पष्ट है।

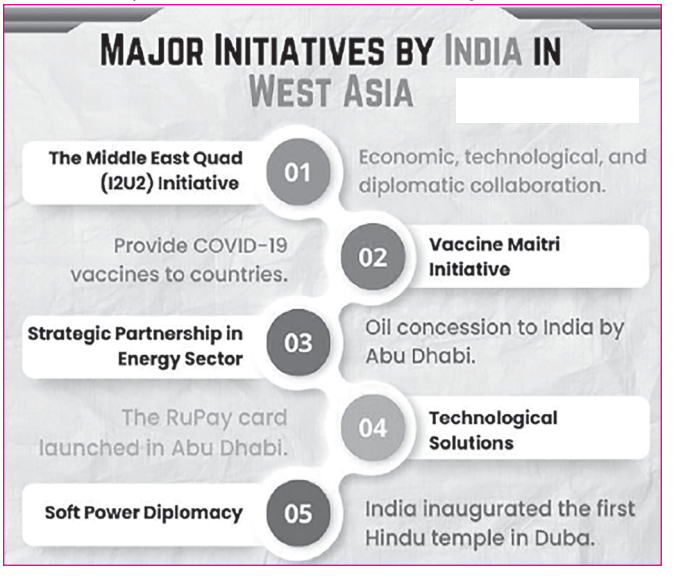

- चीन की बेल्ट एंड रोड पहल में मध्य-पूर्व में महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ शामिल हैं।
- **धार्मिक उग्रवाद और आतंकवाद:** धार्मिक कट्टरपंथ का उदय और जिहादी कट्टरपंथ एवं आतंकवाद के रूप में इसकी राजनीतिक अभिव्यक्ति भारत के लिए गंभीर चिंता का कारण है।
  - पाकिस्तान, पैन-इस्लामवाद के नारे के तहत, विशेष रूप से कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद के रूप में स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करता है।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** अमेरिका और पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों के बावजूद भी भारत ने रूस से तेल की खरीदना जारी रखी।
- **कमजोर श्रम कानून:** खाड़ी देशों ने संगठन की स्वतंत्रता और संगठित होने के अधिकार की रक्षा करने वाले मुख्य अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलनों की पुष्टि नहीं की है, जिसमें हड़ताल का अधिकार और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार शामिल है।
  - कफाला प्रणाली और निताकत कानून मध्य-पूर्व में प्रवासी मजदूरों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन मानवाधिकारों के हनन, नस्लवाद और लैंगिक भेदभाव पर बढ़ते आक्रोश ने सुधार की माँग को बढ़ा दिया है।

आगे की राह

- **बहु-सहभागिता दृष्टिकोण:** इस क्षेत्र में भारत की समग्र नीति बहुआयामी सहभागिता के विचार में निहित होनी चाहिए।
  - इसे किसी विशेष महान शक्ति को तुष्टिकरण या समाहित करने को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए।
- **रणनीतिक स्वतंत्रता:** अमेरिका की भागीदारी या चीन की उपस्थिति की परवाह किए बिना, भारत को पश्चिम एशिया में एक महत्त्वपूर्ण भू-राजनीतिक भूमिका बनाए रखने का लक्ष्य रखना चाहिए।
- बाधित आपूर्ति के लिए व्यापारिक समुद्री मार्गों की सुरक्षा और समुद्री डकैती रोधी और आतंकवाद रोधी सहयोग बिल्कुल आवश्यक है।
- **अर्थव्यवस्थाओं के संबंधों में विविधीकरण:** नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर तेल-निर्भर अर्थव्यवस्थाओं में बदलाव को पहचानें और वर्ष 2025 से 2040 तक के उनके दृष्टिकोण के अनुरूप हरित प्रौद्योगिकी-संचालित विकास पथ को अपनाएँ।
- भारतीय प्रवासियों के लिए संरक्षण नीतियाँ: इस क्षेत्र में कार्य करने वाले भारतीय श्रमिकों से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए ठोस द्विपक्षीय श्रम नीतियाँ तैयार करने की आवश्यकता है।

प्रमुख शब्दावलियाँ

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप गलियारा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इस्लामी सहयोग संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, कफाला प्रणाली।

18 भारत-ईरान

भारत और ईरान के बीच चल रही उच्च स्तरीय वार्ता के दौरान भारत के विदेश मंत्री ने ईरान का दौरा किया।

दौरे की मुख्य बातें:

- **समुद्री सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** क्षेत्र में समुद्री नौवहन के लिए खतरों के बारे में चिंताओं का समाधान किया गया।
- **लाल सागर संकट:** इजरायल-हमास युद्ध के बीच लाल सागर में व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाते हुए हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए हमलों पर प्रकाश डाला गया।
- **चाबहार बंदरगाह विकास योजना:** चाबहार बंदरगाह को और विकसित करने के लिए भारत तथा ईरान के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
  - नया दीर्घकालिक समझौता मूल अनुबंध की जगह लेगा, जिसमें केवल चाबहार बंदरगाह में शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल पर भारत के संचालन को शामिल किया गया था और इसे सालाना नवीनीकृत किया गया था।
  - नए समझौते की वैधता दस वर्ष की है और इसे स्वतः ही बढ़ा दिया जाएगा।
- **संयुक्त परिवहन समिति का प्रस्ताव:** इससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी।
  - समिति पारगमन क्षमताओं को सक्रिय करने और उत्तर-दक्षिण गलियारे के उपयोग को सक्षम बनाएगी।
- **गाजा की स्थिति पर मानवीय ध्यान:** भारत ने गाजा में नागरिक जीवन, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के नुकसान पर ध्यान केंद्रित करते हुए चिंताजनक स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की है।
- **चर्चा के अन्य क्षेत्र:** आतंकवाद और संगठित अपराध का सामना; अफगानिस्तान में स्थिरता और सुरक्षा स्थापित करने के लिए सहयोग की आवश्यकता; अंतरराष्ट्रीय व्यापार को मजबूत करना, विशेष रूप से राष्ट्रीय मुद्राओं के माध्यम से।

भारत-ईरान द्विपक्षीय संबंध:

- **ऐतिहासिक संबंध:** भारत और ईरान के संबंधों का पता सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन काल से लगाया जा सकता है। फारस की खाड़ी और अरब सागर के माध्यम से दक्षिणी ईरान के तट और भारत के बीच व्यापार होता था।
- **राजनीतिक आयाम:** भारत और ईरान ने 15 मार्च, 1950 को एक मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए।
  - दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित तेहरान घोषणा "न्यायसंगत, बहुलवादी और सहकारी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए दोनों देशों के साझा दृष्टिकोण की पुष्टि करती है।
- **भू-रणनीतिक स्थिति:** ईरान की अनूठी भौगोलिक स्थिति भारत को मध्य एशिया, अफगानिस्तान और यूरेशिया के बाजारों तक पहुँच प्रदान करती है।
- **आर्थिक संबंध:** ईरान और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2022 में 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो वर्ष 2021 में 1.693 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 48 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
  - जुलाई, 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारतीय रुपये (INR) में निर्यात और आयात के निपटान, बिलिंग और भुगतान के लिए एक प्रणाली शुरू की।
  - ईरान ने हाल ही में भारत को उन देशों की सूची में शामिल किया है जिनके नागरिकों को ईरान की यात्रा करने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होगी।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** वर्ष 2030 तक भारत के ऊर्जा मिश्रण में ईंधन विविधीकरण, डीकार्बोनाइजेशन और गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने के अवसर प्रदान करने वाले गैस भंडार के मामले में ईरान विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है।
- **सांस्कृतिक संबंध:** भारत और ईरान के मध्य सभ्यतागत संबंध लोगों के बीच मजबूत संबंधों और सांस्कृतिक संबंधों का स्रोत हैं।
  - भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना वर्ष 2013 में की गई थी और वर्ष 2018 में इसका नाम बदलकर 'स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र' (SVCC) कर दिया गया।
  - भारत ने हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत फारसी (Persian) को भारत की नौ शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है।

संबंधों में चुनौतियाँ:

- **भारत के तेल आयात और चाबहार परियोजना को प्रभावित करने वाले अमेरिकी प्रतिबंध:** तेहरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों और ईरान परमाणु समझौते से उसके हटने के कारण भारत ने ईरानी तेल का आयात बंद कर दिया।
  - इसने चाबहार परियोजना को भी प्रभावित किया, हालाँकि, परियोजना को प्रतिबंधों से छूट दी गई थी।
- **चीन की बढ़ती उपस्थिति:** चीन ने 25 साल के व्यापक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करके ईरान के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है।
  - यह अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद लगातार ईरानी तेल खरीद रहा है। अपने समुद्री व्यापार नेटवर्क का विस्तार करने और नौवहन मार्गों तक पहुँच प्राप्त करने की चीन की योजना ने भारत की आकांक्षाओं के साथ टकराव पैदा कर दिया है।

- **इजरायली कारक:** भारत के इजरायल के साथ घनिष्ठ संबंध हैं और यह ईरान के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने के लिए भारत के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करता है।
  - इजरायल के ईरान के साथ संबंध तनावपूर्ण रहे हैं और भारत और ईरान के बीच मौजूदा संबंधों के कारण, इजरायल ने भारत से तेहरान में सैन्य उपकरणों या प्रौद्योगिकी के संभावित हस्तांतरण के बारे में चिंता जताई है।
- **सुरक्षा चिंताएँ:** हमास, हिज़्बुल्लाह और हूती विद्रोही समूहों को ईरान का समर्थन प्राप्त है।
  - हाल ही में, ईरानी गोला-बारूद ने द्वारका के तट पर MV कैंप प्लेटो नामक एक टैंकर को निशाना बनाया, जिससे भारत के लिए समुद्री नौवहन के लिए चुनौतियाँ पैदा हुईं।
- **अफगानिस्तान मुद्दा:** अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी ने भारत की अफगान रणनीति के लिए चुनौतियाँ पैदा कर दीं, जो अपने अफगान हितों के लिए अमेरिका-ईरान सहयोग पर निर्भर थीं।

आगे की राह

- **ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना:** भारत को एक संस्थागत ढाँचा स्थापित करने तथा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (TAPI) गैस पाइपलाइन परियोजना को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।
  - अमेरिका के एकतरफा प्रतिबंधों से बाहर प्राकृतिक गैस सहयोग पर एक दीर्घकालिक आपूर्ति समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है।
- **व्यापार बढ़ाना:** भारत को तरजीही व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने जैसे विशेष आर्थिक तंत्र के माध्यम से द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने के लिए तरजीही व्यापार समझौतों के माध्यम से ईरानी कृषि वस्तुओं पर शुल्क कम करने की आवश्यकता है।
  - चीन और ईरान के बीच हस्ताक्षरित 25 साल के निवेश समझौते के समान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।
- **बुनियादी ढाँचा सहयोग:** ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल्स में भारत के निवेश, समुद्री लाइनों के विकास और तकनीकी एवं इंजीनियरिंग सेवाओं के निर्यात से दोनों देशों के बीच व्यापार का विस्तार होगा।
  - फरजाद B जैसे अपतटीय गैस क्षेत्रों के विकास तथा उर्वरक उद्योगों में भारत एवं ईरान के मध्य सहयोग की संभावना है।
  - भारतीय लघु एवं मध्यम आकार के उद्यम (SMEs) स्वतंत्र रूप से या ईरानी सार्वजनिक-निजी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यमों के माध्यम से पेट्रोकेमिकल और उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए चाबहार आर्थिक मुक्त क्षेत्र (EFZ - Economic free zone) में निवेश कर सकते हैं।
- **आतंकवाद पर अंकुश:** दोनों देशों को आतंकवाद से लड़ने और क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा बनाने के लिए सहयोग करने की आवश्यकता है।
  - यह विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के केंद्र के रूप में पाकिस्तान-अफगान क्षेत्र के संबंध में आवश्यक है।
- **कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना:** भारत और ईरान को मौजूदा परिवहन गलियारों, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC - International North-South Transport Corridor) को उन्नत करने के लिए रूसी संघ और अन्य मध्य एशिया और काकेशस देशों के साथ संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए।
- **बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना:** भारत इस क्षेत्र के साथ महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ब्रिक्स (BRICS) और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) मंचों का उपयोग कर सकता है।
- पूर्व-चाबहार बंदरगाह परियोजना अमेरिकी प्रतिबंधों के साथ-साथ अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के मुद्दे के कारण वर्षों से रुकी हुई थी।

निष्कर्ष

भारत-ईरान संबंधों को बाह्य प्रतिबंधों और अलग-अलग भू-राजनीतिक हितों से चुनौती मिलती है, फिर भी दोनों देश आर्थिक एवं रणनीतिक सहयोग बनाए रखना चाहते हैं। इन कारकों को संतुलित करना उनके द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने की कुंजी है।

प्रमुख शब्दावलियाँ

लाल सागर संकट, तेहरान घोषणा, भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, व्यापक सहयोग समझौता, चाबहार आर्थिक मुक्त क्षेत्र।

19 भारत-इज़राइल

हाल ही में, ईरान ने 300-200 ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग करके इजरायल पर कई हवाई हमले किए।

ईरान-इजरायल संबंध

- **1979 ई. से पहले ईरान-इजरायल संबंध**: 1948 ई. में अरब राज्यों द्वारा इजरायल के विरोध के कारण पहला अरब-इजरायल युद्ध हुआ। ईरान उस संघर्ष का हिस्सा नहीं था और इजराइल के जीतने के बाद, उसने यहूदी राज्य के साथ संबंध स्थापित किए। तुर्की के बाद ऐसा करने वाला यह दूसरा मुस्लिम बहुल देश था।
- **1979 ई. की क्रांति**: ईरान में एक धार्मिक राज्य स्थापित किया गया था। इजरायल के बारे में शासन का दृष्टिकोण बदल गया और इसे फिलिस्तीनी भूमि पर कब्जा करने वाले के रूप में देखा गया।
- **1979 ई. के बाद**: जबकि इजराइल और ईरान कभी भी सीधे सैन्य टकराव में शामिल नहीं हुए हैं, दोनों ने छद्म और सीमित रणनीतिक हमलों के माध्यम से एक-दूसरे को नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया है।
  - इजरायल ने समय-समय पर ईरानी परमाणु सुविधाओं पर हमला किया है। 2010 के दशक की शुरुआत में, इसने परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिए कई सुविधाओं और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया।
- **ईरान का छद्म समर्थन:** ईरान को इस क्षेत्र में कई आतंकवादी समूहों के वित्तपोषण और समर्थन के लिए जिम्मेदार माना जाता है जो इजरायल विरोधी और अमेरिका विरोधी हैं, जैसे कि लेबनान में हिज़्बुल्लाह और गाजा पट्टी में हमास।

भारत के लिए चुनौतियाँ

- **तटस्थ रहना**: भारत के ईरान और इजराइल दोनों के साथ रणनीतिक संबंध हैं और दशकों से, यह दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाने में सक्षम रहा है। लेकिन अगर संघर्ष बढ़ता है तो इसके लिए एक अस्पष्ट स्थिति बनाए रखना मुश्किल होगा।
- **एक परीक्षा का समय**: उभरता हुआ इजराइल-ईरान संघर्ष कई क्षेत्रों में भारतीय लचीलेपन की परीक्षा लेगा, चाहे वह राजनीतिक, राजनयिक, आर्थिक या सुरक्षा से संबंधित हो।
- **चिंताजनक परिणाम:** दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने से भारत पर प्रत्यक्ष और ठोस परिणाम होंगे, मुख्य रूप से तीन पहलुओं पर इसके लोग, इसके आर्थिक हित और रणनीतिक आवश्यकताएँ।
- **लोगों पर प्रभाव**: इजरायल में लगभग 18,000 भारतीय और ईरान में लगभग 10,000-5,000 भारतीय हैं, लगभग 90 लाख लोग खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में रह रहे हैं और वहाँ कार्य कर रहे हैं। किसी प्रकार के संघर्ष के फैलने से, यह इस क्षेत्र में स्थित भारतीय समुदाय के लिए एक खतरा पैदा करेगा।
  - **उदाहरण**: भारत ने अपने नागरिकों से इजरायल और ईरान की यात्रा नहीं करने के लिए कहा।
- **सामरिक आवश्यकताओं पर प्रभाव**: भारत ने प्रमुख अरब देशों, ईरान और इजराइल के साथ रणनीतिक संबंधों में निवेश किया है। भारत इस क्षेत्र में भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है, जिसके भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक लाभ हैं।
- **आर्थिक हितों पर प्रभाव**: हालाँकि, रूस से आयात बढ़ा है, लेकिन भारत की तेल जरूरतों में अरब देशों की हिस्सेदारी दो-तिहाई है। तेल की ऊँची कीमतें मुद्रास्फीति को बढ़ा देंगी और जीडीपी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए किसी भी महत्त्वपूर्ण ब्याज दर में कटौती में देरी करेंगी।
- ईरान-इजरायल के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आई, जिससे निवेशक जोखिम लेने से कतराते रहे।

आगे की राह

- **एक संवाद आधारित राजनयिक समाधान**: भारत ने हमेशा संवाद आधारित राजनयिक समाधान के दृष्टिकोण को अपनाया है। भारत को इजरायल के साथ अधिक जुड़ाव की आवश्यकता है क्योंकि सीरिया के दमिश्क में एक ईरानी परिसर पर इजरायल के हमले के परिणामस्वरूप ईरानी कार्रवाई शुरू की गई है।
- **सक्रिय भागीदारी:** अब यह इजरायल की जिम्मेदारी है कि वह ईरान द्वारा किए गए शुरुआती ड्रोन हमलों को झेले और तब तक संयम बरते जब तक ईरान इसे और आगे न बढ़ा दे। भारत को यह सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका, ईरान, रूस और इजरायल के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए कि यह संघर्ष नियंत्रित रहे।
- **भविष्य की चुनौतियों पर विचार**: संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत की आवश्यकता है क्योंकि यह रूस-यूक्रेन युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, लाल सागर में हूतियों के हस्तक्षेप और संभावित ईरान-इजराइल संघर्ष में शामिल है।

विकास पर ध्यान देना

भारत को ईरान में चाबहार बंदरगाह के पूरा होने में तेजी लानी चाहिए, जिसमें पहले ही विलंब हो चुका है। एक बार जब यह पूरा हो जाता है, चालू हो जाता है और उपयोग में लाया जाता है, तो यह ईरान को अपने क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर ईरान की राय को आकार देने के लिए अतिरिक्त लाभ प्रदान करेगा।

इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष

फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास द्वारा इजराइल पर हमला करने के बाद इजराइल ने युद्ध की स्थिति घोषित कर दी।

इजरायल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की पृष्ठभूमि

इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष में जेरूसलमः

- **संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना (1947):** मूल संयुक्त राष्ट्र योजना ने जेरूसलम को एक अंतरराष्ट्रीय शहर के रूप में प्रस्तावित किया था।
- **प्रथम अरब-इजरायल युद्ध (1948):** इजरायलियों ने यरूशलेम के पश्चिमी आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया।
  - जॉर्डन ने पुराने शहर और हरम अल-शरीफ सहित पूर्वी भाग पर कब्जा कर लिया।
  - छह दिवसीय युद्ध (1967) इजराइल ने जॉर्डन सहित अरब राज्यों के गठबंधन को हराया।
  - जॉर्डन ने अल-अक्सा मस्जिद पर नियंत्रण खो दिया।
  - इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया।
- **छह दिन के युद्ध के बाद:** इजराइल इस शहर को अपनी «एकीकृत, शाश्वत राजधानी» मानता है।
- फलस्तीनी किसी भी भविष्य के फलस्तीनी राज्य की राजधानी के रूप में पूर्वी येरुशलम पर जोर देते हैं

संघर्ष पर भारत का रुख

- **ऐतिहासिक स्थिति:** भारत ने फिलिस्तीनी उद्देश्य के साथ एकजुटता व्यक्त की है और एक संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना का समर्थन किया है।
  - 1975 ई. में भारत पहला गैर-अरब देश बन गया जिसने पी.एल.ओ. को फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी।
  - 1988 ई. में जब फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO - Palestine Liberation Organization) ने पूर्वी येरुशलम में अपनी राजधानी के साथ फिलिस्तीन के एक स्वतंत्र राज्य की घोषणा की, तो भारत ने तुरंत उसे मान्यता प्रदान की।
- **हाल के वर्षों में:** हाल के वर्षों में, भारत की विदेश नीति बदल गई है। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा के साथ, पारंपरिक फिलिस्तीन पड़ाव को दरकिनार कर दिया गया।
  - वर्तमान प्रशासन का उद्देश्य पश्चिम एशिया में नई जटिलताओं को दूर करते हुए अरब राज्यों और इजराइल, दोनों के साथ संबंधों को संतुलित करना है।
  - प्रधानमंत्री ने हाल के संघर्ष पर दुःख व्यक्त किया और उन्होंने इसे "आतंकवादी हमला" बताया और इजरायल के साथ एकजुटता व्यक्त की।

आगे की राहः

- **ओस्लो समझौते का कार्यान्वयन (1993):** ओस्लो समझौता इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच शांति संधि की मध्यस्थता करने के लिए एक अमेरिकी मध्यस्थता प्रयास है।
- **दो-राज्य समाधान:** दो-राज्य समाधान दशकों से इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष में शांति प्राप्त करने के प्रयासों का प्राथमिक केंद्र रहा है।
  - दो-राज्य समाधान का उद्देश्य इजरायल के साथ एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना करना है, जिससे दो लोगों के लिए दो राज्य सुनिश्चित हो सकें।
- **डी-हाइफनेशन की नीति:** भारत ने 'डी-हाइफनेटेड' संबंध के बारे में कहा, जिसका अर्थ है कि भारत प्रत्येक देश के साथ अलग-अलग व्यवहार करेगा।

निष्कर्ष

भारत-इजराइल संबंध मजबूत और बहुआयामी हैं, जो सुदृढ़ रक्षा और आर्थिक सहयोग से चिह्नित हैं, लेकिन विशेष रूप से फिलिस्तीनी मुद्दे के संबंध में राजनयिक संवेदनशीलता के सावधानीपूर्वक नियंत्रण की आवश्यकता है।

प्रमुख शब्दावलियाँ

ओस्लो समझौता, द्वि-राज्यीय समाधान, डी-हाइफनेशन की नीति, फिलिस्तीन मुक्ति संगठन, छह दिवसीय युद्ध।

20 भारत - संयुक्त अरब अमीरात

- भारतीय प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा, उनके द्विपक्षीय संबंधों के बढ़ते महत्त्व और खाड़ी क्षेत्र में भारत के जुड़ाव में यूएई के महत्त्व को दर्शाती है।
- मंदिर का उद्घाटनः बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (BAPS) मंदिर, अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर है।
- विश्व सरकार शिखर सम्मेलनः प्रधानमंत्री ने 14 फरवरी, 2024 को दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को ‹गेस्ट ऑफ ऑनर› के रूप में संबोधित किया।
- भारतीय प्रवासियों को संबोधित करनाः जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में अहलान मोदी (हैलो मोदी) कार्यक्रम प्रायोजित किया गया।

भारत-यूएई संबंध:

- **राजनयिक संबंधों की शुरुआत**: 1971 ई. में संयुक्त अरब अमीरात के गठन के तुरंत बाद औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए गए और पहली प्रधानमंत्री स्तरीय यात्रा 1981 ई. में इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी।
- **सांस्कृतिक सहयोग**
  - **भारतीय डायस्पोरा**: यूएई 3.5 मिलियन भारतीयों (अमीरात की आबादी का %30) का घर है। भारतीय संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है और उनका प्रेषण (भेजी गई रकम) विदेशी आय का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है।
  - **शैक्षिक सहयोग**: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-दिल्ली का एक परिसर अबू धाबी में स्थापित किया जा रहा है, जो शुरू में ऊर्जा संक्रमण और स्थिरता में परास्नातक कार्यक्रम (Master Program) प्रदान करता है।
  - **धार्मिक सहयोग**: बीएपीएस (BAPS) मंदिर पहल धार्मिक कूटनीति को मजबूत करती है और एक खाड़ी राष्ट्र में धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है।
- **रक्षा सहयोग**:
  - **I2U2 फ्रेमवर्क:** जुलाई, 2022 में I2U2 नामक एक नए क्वाड मंच की स्थापना की गई थी, जिसके सदस्य भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका हैं।
    - यह फोरम सहयोग के छह क्षेत्रों की पहचान करता है अर्थात् जल, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, परिवहन और अंतरिक्ष।
  - **सहयोगात्मक वैश्विक नेतृत्व**: भारत की जी20 अध्यक्षता और यूएई की COP28 अध्यक्षता ने वैश्विक मुद्दों पर एक साथ कार्य करने के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान किए।

आर्थिक संबंधों के माध्यम से भारत-यूएई संबंधों में प्रगतिः

- **भारत-यूएई व्यापार संबंध**: भारत यूएई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जो इसके कुल विदेशी व्यापार का 9% और गैर-तेल निर्यात का 14% है। इसके अलावा, यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है।
  - वर्ष 2022-23 के दौरान भारत और यूएई के बीच 84.84 अरब अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ।
  - **भारत का निर्यात**: भारत ने वर्ष 2022-23 में यूएई को 7,707 वस्तुओं का निर्यात किया, जो 31.60 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
  - **भारत का आयात**: भारत ने वर्ष 2022-23 में संयुक्त अरब अमीरात से 4,064 वस्तुओं का आयात किया, जो 53.23 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- **व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA):** भारत और यूएई ने फरवरी, 2022 में सीईपीए पर हस्ताक्षर किए, जिसने टैरिफ बाधाओं को कम करने और राष्ट्रों के बीच व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने में उत्प्रेरक के रूप में काम किया।
  - सीईपीए पर हस्ताक्षर करने के बाद यूएई भारत में चौथे सबसे बड़े निवेशक के रूप में उभरा। इसने भारत के बुनियादी ढाँचा क्षेत्र में 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
  - अबू धाबी निवेश प्राधिकरण (ADIA) जल्द ही गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना एक कार्यालय खोलेगा।
- **भारत मार्ट**: यह भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दुबई स्थित डीपी वर्ल्ड और भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है।
  - यह परियोजना भारत-यूएई सीईपीए की गति पर आधारित है, जिसने वर्ष 2023 में अपना पहला वर्ष पूरा किया और यूएई के साथ भारत का व्यापार 16% बढ़कर 85 बिलियन डॉलर का हो गया है।

भारत-यूएई संबंधों में प्रमुख चुनौतियाँ

- **भू-राजनीतिक चिंताएँ**
  - **पाकिस्तान के साथ संबंध**: संयुक्त अरब अमीरात से पाकिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
  - **चीन से प्रतिस्पर्धा**: संयुक्त अरब अमीरात में चीन का रणनीतिक निवेश और वित्तीय जुड़ाव, वर्ष 2005 और 2020 के बीच 30 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक रहा जो भारत के लिए एक प्रतिस्पर्द्धी चुनौती प्रस्तुत करता है।

- **व्यापार की चुनौतियाँ:**
  - **विशिष्ट वस्तुओं में व्यापार का केंद्रीकरण**: भारत-यूएई व्यापार संबंधों में विविधता की कमी है और ये ज्यादातर हाइड्रोकार्बन और कीमती धातुओं के व्यापार में केंद्रित हैं।
  - **गैर-टैरिफ बाधाओं की उपस्थिति**: हलाल प्रमाणन के मुद्दे के साथ-साथ सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपायों जैसी गैर-टैरिफ बाधाओं के कारण संयुक्त अरब अमीरात को भारतीय खाद्य पदार्थों के निर्यात में गिरावट आई है।
- **श्रम अधिकारों की चिंताएँ:**
  - भारतीय प्रवासियों के लिए कफाला प्रणाली शोषणकारी प्रथा साबित होती है।
- **निवेश और आर्थिक सहयोग में देरी**:
  - भारतीय बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए 75 अरब डॉलर के यूएई निवेश कोष के कार्यान्वयन में धीमी परियोजना कार्यान्वयन और धीमी गति द्विपक्षीय आर्थिक पहलों में अक्षमताओं और देरी को रेखांकित करती है।
- **ऊर्जा और परिवहन विवाद**:
  - **तेल मूल्य निर्धारण संघर्ष**: भारत, एक प्रमुख उपभोक्ता और संयुक्त अरब अमीरात, एक ओपेक सदस्य के बीच तेल मूल्य निर्धारण पर असहमति के कारण तनाव पैदा हुआ है, जिससे ऊर्जा सहयोग प्रभावित हुआ है।

आगे की राह

- **पारदर्शी सहायता ट्रैकिंग**: वित्तीय सहायता में पारदर्शिता का समर्थन करना, यह सुनिश्चित करना कि अन्य देशों को यूएई का समर्थन भारत के सुरक्षा हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले।
- **राजनयिक जुड़ाव**: क्षेत्रीय तनावों से निपटने के लिए राजनयिक चैनलों को मजबूत करना, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और अन्य मध्य पूर्वी देशों के साथ संबंधों में संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना।
- **एफटीए अनुपालन**: देशों को एक स्पष्ट और अधिक पूर्वानुमेय नियामक व्यवस्था का लक्ष्य रखना चाहिए। व्यापार को आसान बनाने के लिए प्रत्येक देश के शुल्क ढाँचे के भीतर उचित अनुपालन का पालन किया जाना चाहिए।
- **द्विपक्षीय समझौते**: देशों को द्विपक्षीय समझौतों की दिशा में कार्य करना चाहिए जो श्रम अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और कफाला प्रणालियों के तहत प्रवासी श्रमिकों की जीवन स्थितियों में सुधार करें।
- सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम: देशों को लोगों के बीच संबंधों को सुदृढ़ करने तथा भारतीय प्रवासियों के कल्याण में सुधार के उद्देश्य से कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सांस्कृतिक एवं शैक्षिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने में संलग्न होना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत-यूएई संबंध काफी हद तक सकारात्मक हैं, जो सशक्त आर्थिक संबंधों और रणनीतिक सहयोग से प्रेरित हैं, लेकिन श्रम मुद्दों एवं भू-राजनीतिक संरेखण को हल करने के लिए निरंतर बातचीत की आवश्यकता है।

21 भारत-ओमान

ओमान के सुल्तान ने हाल ही में भारत की यात्रा की, जो पिछले 26 वर्षों में ओमान से भारत की पहली राजकीय यात्रा है।

भारत-ओमान संबंध

- **रणनीतिक संबंध:** ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत के लिए आवश्यक रणनीतिक भागीदारों की तिकड़ी बनाता है।
  - ओमान खाड़ी सहयोग परिषद (GCC), इस्लामी सहयोग संगठन और अरब लीग के अभिन्न अंग के रूप में है।
- **रक्षा संबंध:** ओमान पश्चिम एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाएँ नियमित रूप से द्विपक्षीय अभ्यास और सेवा स्तर के कर्मचारियों के साथ बातचीत करती हैं।
  - **दोनों देशों ने क्रमश:** पूर्वी पुल और नसीम-अल-बहर नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास 'अल-नजाह' और नौसैनिक अभ्यास किया।
- **समुद्री सुरक्षा:** हाल के वर्षों में, दोनों देशों ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग किया है।
- **ऑपरेशन संकल्प:** इसे जून, 2019 में फारस की खाड़ी के संकट के दौरान ओमान के तट से संचालित भारतीय झंडे वाले जहाजों के सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था।
- **ड्यूकम बंदरगाह पर समझौता ज्ञापन:** भारत ने ड्यूकम बंदरगाह पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो क्षेत्र में संचालित भारतीय नौसेना के जहाजों को आधार सुविधाओं और अन्य रसद सहायता तक पहुँच प्रदान करता है।
- **व्यापार संबंध:** व्यापार और वाणिज्य द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 12.388 अरब डॉलर था। ओमान में 6,000 से अधिक भारत-ओमान संयुक्त उद्यम हैं, जिनमें 7.5 बिलियन डॉलर से अधिक का अनुमानित निवेश है।
  - वर्ष 2022 के लिए चीन के बाद ओमान के कच्चे तेल के निर्यात के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा बाजार था। अक्टूबर, 2022 में भारत और ओमान ने ओमान में रुपे डेबिट कार्ड की शुरुआत की।

भारत-ओमान संबंधों के मुद्दे

- **व्यापार असंतुलन:** भारत, ओमान से बड़ी मात्रा में तेल और गैस का आयात करता है, जिससे व्यापार असंतुलन पैदा होता है।
- **सामरिक चिंताएँ:** चीन के साथ ओमान के बढ़ते आर्थिक और सैन्य संबंध भारत के लिए रणनीतिक चिंताओं को बढ़ाते हैं।
- **भारतीय प्रवासी:** ओमान में बड़े भारतीय प्रवासी समुदाय का कल्याण और अधिकार एक प्राथमिकता है।
- **समुद्री सुरक्षा:** हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा पर सहयोग आवश्यक है।

निष्कर्ष

भारत और ओमान के बीच सशक्त और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए व्यापार असंतुलन का प्रबंधन, रणनीतिक चिंताओं को दूर करना, भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना महत्त्वपूर्ण है।

प्रमुख शब्दावलियाँ

सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, I2U2 फ्रेमवर्क, सहयोगात्मक वैश्विक नेतृत्व, भारत मार्ट।

विगत वर्षों के प्रश्न

- I2U2 (भारत, इजरायल, यूएई और यूएसए) समूहन वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को किस प्रकार रूपांतरित करेगा? **(2022)**
- इस समय जारी अमरीका-ईरान नाभिकीय समझौता विवाद भारत के राष्ट्रीय हितों को किस प्रकार प्रभावित करेगा? भारत को इस स्थिति के प्रति क्या रवैया अपनाना चाहिए? **(2018)**

22 भारत और मध्य एशिया

परिचय

मध्य एशिया यूरेशिया के केंद्र में स्थित है और भारत के विस्तारित पड़ोस का हिस्सा है। घनिष्ठ व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों की शुरुआत का पता सिंधु घाटी सभ्यता से लगाया जा सकता है।

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध

- **ऐतिहासिक संबंध:** तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से, भारत और मध्य एशिया के बीच संबंध मजबूत रहे हैं। वर्तमान मध्य एशियाई क्षेत्र कुषाण साम्राज्य द्वारा शासित था।
- **सांस्कृतिक संबंध:** रेशम मार्ग के व्यापार और बौद्ध धर्म के विकास ने ऐतिहासिक आर्थिक संबंधों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को जन्म दिया।
- **प्राचीन रेशम मार्ग:** भारत और मध्य एशिया प्राचीन काल से रेशम मार्ग से जुड़े हुए हैं, जिसने दार्शनिक और बौद्धिक आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया है।
- **इस्लाम और सूफीवाद:** मुगलों की उत्पत्ति को मध्य एशिया (बाबर फरगाना घाटी से था) से जोड़ा जा सकता है और अल बुरुनी, अमीर खुसरो और सूफी संतों जैसे कई उल्लेखनीय व्यक्तियों ने भारत में इस्लामी संस्कृति के प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सहयोग के क्षेत्र

व्यापार और संपर्क

- **अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC):** आई. एन. एस. टी. सी. एक बहु-मोड नेटवर्क है जो माल ढुलाई के लिए भारत को ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ेगा।
- **अश्गाबात समझौता:** मध्य एशिया और फारस की खाड़ी के बीच वस्तुओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने एक बहुआयामी परिवहन समझौता किया है।

रक्षा और सुरक्षा सहयोगः

- **अफगानिस्तान के मुद्दे:** अफगानिस्तान की स्थिरता में भारत और मध्य एशिया का साझा हित है, इसलिए इन क्षेत्रों में सहयोग महत्त्वपूर्ण है।
- **रक्षा अभ्यास:** मध्य एशियाई देशों के साथ उच्च-स्तरीय बातचीत प्रमुख रही है। विभिन्न रक्षा अभ्यास जैसे उज्बेकिस्तान के साथ 'डस्टलिक', किर्गिस्तान के साथ 'खंजर' और कजाकिस्तान के साथ 'काजिंद' आयोजित किए जाते हैं।

सांस्कृतिक सत्र

- **लोगों से लोगों के बीच संवाद:** भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति "लोगों से लोगों के बीच" संपर्क पर जोर देने के कारण विशिष्ट रही है।
- **शिक्षण केंद्र:** उच्च शिक्षा के लिए, मध्य एशिया के कई छात्र भारत की यात्रा करते हैं और भारत के कई छात्र मध्य एशिया जाते हैं।
- **सॉफ्ट पावर:** मध्य एशिया में लोग भारतीय फिल्मों का आनंद लेते हैं और हिंदी संगीत सुनते हैं।

ऊर्जा सहयोगः

- **वन-स्टॉप ऊर्जा संसाधन केंद्र:** भारत अपने आयात में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है और मध्य एशिया में एक महत्त्वपूर्ण स्रोत बनने की क्षमता है। कजाकिस्तान दुनिया में यूरेनियम का %43 उत्पादन करता है, यूरेनियम और सोने के भंडार उज्बेकिस्तान में पाए जाते हैं।
- **उज्बेकिस्तान के साथ सौदा:** उज्बेकिस्तान में तरल गैस और तेल सुविधाओं के निर्माण में मदद करने के अलावा, भारत और उज्बेकिस्तान ने संयुक्त रूप से उज्बेक गैस भंडार का पता लगाने और विकसित करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

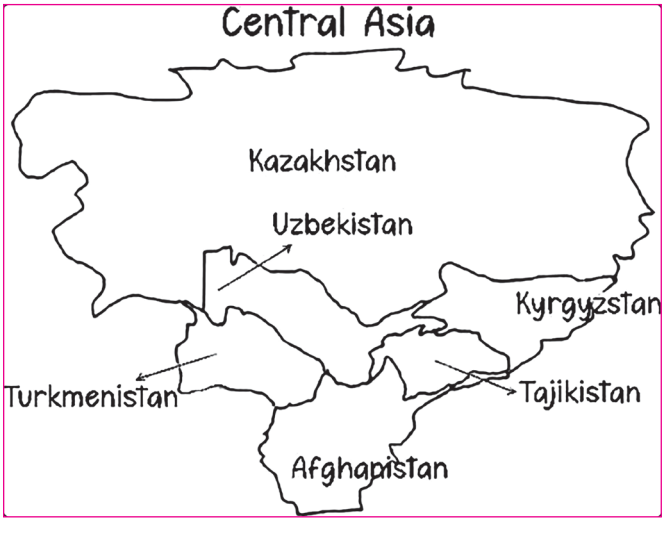

- **तुर्कमेनिस्तान और भारत:** तुर्कमेनिस्तान विश्व का चौथा सबसे बड़ा गैस भंडार है, जो कम कार्बन-गहन ईंधन है। तुर्कमेनिस्तान के साथ तापी गैस लाइन प्रगति पर है।
- **सौर ऊर्जा सहयोग:** मध्य एशियाई नेताओं ने "वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड" की भारतीय पहल में रुचि दिखाई है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग

- **वैक्सीन कूटनीति:** हाल ही में संपन्न शिखर सम्मेलन «व्यापक टीकाकरण, वैक्सीन की आपूर्ति, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, स्थानीय उत्पादन क्षमताओं के विकास, चिकित्सा उत्पादों के लिए आपूर्ति शृंखलाओं को बढ़ावा देने और मूल्य पारदर्शिता सुनिश्चित करने» पर केंद्रित था।
  - पीएम मोदी द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोण एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए मध्य एशियाई नेताओं द्वारा सराहना की गई है।

क्षेत्र का महत्त्व

जटिल भू-राजनीति

- **वैश्विक शक्ति हस्तक्षेप:** जटिल भू-राजनीतिक स्थिति वैश्विक और क्षेत्रीय, दोनों शक्तियों की परस्पर क्रिया और क्षेत्र पर उनके बाद के प्रभाव का परिणाम है।
- **तालिबान सरकार:** अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने से भू-राजनीति में बदलाव आया है और इन देशों को नीति में सुधार करने के लिए मजबूर किया है।
- **चीन का उदय:** चीन ने बीआरआई के नेतृत्व वाली बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं और वित्तीय सहायता के माध्यम से इस क्षेत्र में एक प्रमुख उपस्थिति दर्ज कराई है।
- **कनेक्टिविटी:**
  - **कनेक्टिंग लिंक:** सीएआर (मध्य एशियाई क्षेत्र) पश्चिम एशिया, यूरेशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच एक कनेक्टिंग लिंक प्रदान करता है। आई. एन. एस. टी. सी.(INSTC) चाबहार बंदरगाह अफगानिस्तान और सी. ए. आर.(CAR) से संपर्क स्थापित करने में मदद कर सकता है।
- **व्यापार, संचार और अर्थव्यवस्था:**
  - **खनिज संपदा:** यह क्षेत्र सोना, लोहा, ताँबा और एल्युमीनियम जैसे खनिजों से समृद्ध है, जिन्हें भारत की बढ़ती माँग के लिए आयात किया जा सकता है।
  - **डिजिटल कनेक्टिविटी:** भारत सभी पाँच देशों को जोड़ने और टेली-एजुकेशन और टेलीमेडिसिन कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक मध्य एशियाई ई-नेटवर्क स्थापित करने की योजना बना रहा है
  - **व्यापार संबंध:** भारत ने टी.आई.आर. की आड़ में वस्तुओं के अंतरराष्ट्रीय परिवहन पर सीमा शुल्क समझौते को भी स्वीकार किया है और अश्गाबात समझौते में शामिल हो गया है।
- **ऊर्जा सुरक्षा:**
  - **संसाधन:** इस क्षेत्र में तेल, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम के बड़े भंडार हैं। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।
  - **ऊर्जा कूटनीति:** धीरे-धीरे और लगातार, भारत ने भी तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के ऊर्जा क्षेत्रों में हिस्सेदारी पाने के लिए कदम उठाए हैं। ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में भी, भारत को पनबिजली परियोजनाओं में वर्षों से हिस्सेदारी मिली है।
  - चालू परियोजनाएँ भारत ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की मदद से तापी पाइपलाइन विकसित कर रहा है।
- **सुरक्षा:**
  - **शांति और स्थिरता:** शांति और सुरक्षा भारत की प्रगति के लिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि आतंकवाद बढ़ रहा है और यह गोल्डन क्रिसेंट के आसपास अधिक सक्रिय है।
  - **आतंकवाद से निपटना:** कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान दोनों ने भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। एससीओ-आरएटी पहल सदस्य देशों को उग्रवाद, आतंकवाद और अलगाववाद से लड़ने में मदद करती है।
- **सामाज और स्वास्थ्य:**
  - **सामाजिक पूँजी:** लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए, भारत सामाजिक पूँजी को बढ़ाने में सहायता प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए, भारत मध्य एशियाई देशों के साथ स्थानीय स्वशासन (पंचायत राज प्रणाली) के प्रबंधन में अनुभव साझा कर सकता है जहाँ मोहल्ला संस्कृति (स्थानीय स्वशासन) व्यापक रूप से प्रचलित है।
  - **स्वास्थ्य सेवाएँ:** भारत सस्ती स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कर सकता है जैसे, आयुर्वेद और सिद्ध।
- **बहुपक्षीय सहयोग:**
  - **यूरेशियन आर्थिक संघ:** यह क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए एक संगठन है जो वस्तुओं, सेवाओं और श्रम की मुक्त आवाजाही प्रदान करता है।
  - **हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन:** इसका उद्देश्य अफगानिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में शांति, स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करना है।
  - **शंघाई सहयोग संगठन:** इसका उद्देश्य राजनीति, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ावा देना और क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 2022

- हाल ही में, पहला भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था।
- यह शिखर सम्मेलन रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और संपर्क, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा सुरक्षा, सांस्कृतिक संबंधों और स्थिर अफगानिस्तान के क्षेत्रों पर केंद्रित था।
- भारत-मध्य एशिया द्विवार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए नई दिल्ली में "भारत-मध्य एशिया केंद्र" की स्थापना करने का निर्णय लिया गया।
- इन देशों की विधानसभाओं के बीच मजबूत विचार-विमर्श को सक्षम बनाने के लिए एक 'भारत-मध्य एशिया संसदीय मंच' बनाने का प्रस्ताव।

चुनौतियाँ

- **भू-अर्थशास्त्र:** चीन और अमेरिका के हितों ने मध्य एशिया के भू-राजनीतिक आख्यानों को बदल दिया है और भारत के हितों से प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं। चीन की ओबीओआर पहलों ने चीन की उपस्थिति बढ़ा दी है।
  - संपर्क में बाधा और कम आर्थिक जुड़ाव के कारण इस क्षेत्र के साथ भारत का व्यापार 2 अरब अमेरिकी डॉलर से भी कम है।

- **संपर्क:**
  - पाकिस्तान की शत्रुता और अस्थिर अफगानिस्तान ने मध्य एशिया के निकटतम भूमि मार्ग को बंद कर दिया है और साथ ही चाबहार बंदरगाह के माध्यम से पहुँच को असुरक्षित कर दिया है।
  - कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए आई.एन.एस.टी.सी. परियोजनाओं का सुस्त विकास और रुक गया है।
- **सुरक्षा:**
  - अफगानिस्तान में बढ़ता कट्टरपंथी तालिबान, मध्य एशिया में कट्टरपंथ फैलाने में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और ईरान की भूमिका।
  - स्वर्णिम अर्द्धचंद्र की निकटता और बढ़ता आतंकवाद शांति और स्थिरता के लिए खतरा है।
- **भू-राजनीति:**
- चीन-रूस के अभिसरण के कारण भू-राजनीतिक क्षेत्र संवेदनशील है, जो भारत को दूर धकेलने वाले सीरियाई संकट का प्रतिकूल प्रभाव है।
- सीएआर आतंकवाद और जातीय मुद्दों पर विभिन्न आंतरिक संघर्षों के कारण एक मजबूत क्षेत्रीय समूह के रूप में जुड़ने में विफल रहा है जो उन्हें एकजुट होने से रोक रहा है।

आगे की राह

- **संपर्क को मजबूत करना:** व्यापार मार्गों और संपर्क को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में निवेश करना।
- **साझेदारी में विविधीकरण:** ऊर्जा निर्भरता से परे आर्थिक सहयोग के लिए नए मार्ग खोजें।
- **सहयोगात्मक सुरक्षा उपाय:** सामान्य सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए मध्य एशियाई देशों के साथ कार्य करें।
- **सक्रिय रूप से जुड़ना:** घनिष्ठ संबंधों और आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए राजनयिक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ाएं।

निष्कर्ष

क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करते हुए भारत और मध्य एशिया के बीच सुदृढ़ एवं पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए संपर्क बढ़ाना, साझेदारी में विविधता लाना और सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना महत्त्वपूर्ण है।

प्रमुख शब्दावलियाँ

भारत का विस्तारित पड़ोस, अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) अश्गाबात समझौता, कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति, तापी गैस लाइन, वैक्सीन कूटनीति, वन अर्थ-वन हेल्थ, वस्तुओं के अंतरराष्ट्रीय परिवहन पर सीमा शुल्क सम्मेलन, ऊर्जा कूटनीति, गोल्डन क्रिसेंट, एससीओ-आरएटी पहल, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस।

23 भारत- लैटिन अमेरिका

पृष्ठभूमि

- लैटिन अमेरिका में ताँबा, लिथियम, लौह अयस्क, स्वर्ण और चाँदी सहित अन्य खनिजों के प्रचुर भंडार उपस्थित हैं, जो भारत के लिए उनके निष्कर्षण में अपने निवेश को बढ़ाने और उन्हें अधिक किफायती दरों पर प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है।
- भारत की वैश्विक आकांक्षाएँ, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और एनएसजी में स्थायी सदस्यता की माँग के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और व्यापार जैसे विषयों पर विभिन्न वार्ताओं में भाग लेना भी शामिल है, को प्राप्त करने के प्रयासों के लिए इस क्षेत्र के महत्त्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
- भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति का लगभग %15 लैटिन अमेरिकी देशों से प्राप्त होता है, जिनके पास सामूहिक रूप से विश्व के कच्चे तेल के भंडार का लगभग %20 हिस्सा मौजूद है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

- **व्यापार की मात्रा:** भारत और लैटिन अमेरिका के बीच व्यापार की मात्रा वर्ष 2022 में 50 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गई। इसमें वर्ष 2021 की तुलना में 30% की वृद्धि दर्ज की गई।
- **निर्यात:** वर्ष 2022 में भारत ने लैटिन अमेरिका को 22.4 बिलियन डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया। फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग वस्तुएँ और वस्त्र तीन प्रमुख निर्यात थे।
- **आयात:** तेल और गैस, लौह अयस्क और ताँबा सबसे महत्त्वपूर्ण आयात थे।
- **भारतीय निवेश:** हाल के वर्षों में लैटिन अमेरिका में निवेश में वृद्धि हुई है। वर्ष 2022 में, भारतीय कंपनियाँ लैटिन अमेरिका में 10 बिलियन डॉलर का निवेश करेंगी।
- **सहयोग:** भारत और लैटिन अमेरिका ने व्यापार, कारोबार, ऊर्जा, कृषि और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर कार्य किया है।

भारत के लिए लैटिन अमेरिका का महत्त्व

जेनेरिक दवाओं का निर्यात: भारत लैटिन अमेरिका को एक अरब डॉलर मूल्य की जेनेरिक दवाओं का निर्यात कर रहा है, जिसने उन देशों में स्वास्थ्य देखभाल लागत को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- **भारत में निवेश:** लैटिन अमेरिकी फर्मों ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों में लगभग एक अरब डॉलर का निवेश किया है, जिसमें शीतल पेय, ऑटो पार्ट्स, मल्टीप्लेक्स और थीम पार्क शामिल हैं।
- **विकास और डिलिवरी सेंटर:** लैटिन अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनियों ने भारत में विकास और डिलिवरी सेंटर स्थापित किए हैं, जिनमें एक हजार से अधिक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्यरत हैं।
- **भारत की ऊर्जा सुरक्षा:** इसमें लैटिन अमेरिका का भी योगदान है, क्योंकि भारत अब अपने अपरिष्कृत तेल का %20 ब्राजील, कोलंबिया, मैक्सिको और वेनेजुएला से आयात करता है।
- **आईटी सेवाओं का प्रदाता:** भारत लैटिन अमेरिका को आईटी सेवाओं का एक प्रमुख प्रदाता भी है, इस क्षेत्र में कार्यरत भारतीय आईटी कंपनियों में 35,000 से अधिक लैटिन अमेरिकी व्यक्ति कार्यरत हैं।

सहयोग

लोगों से लोगों का (People-to-people) संपर्क:

- भाषा, भोजन और कला जैसे सांस्कृतिक साधनों का उपयोग भारत और लैटिन अमेरिका के लोगों के बीच गहरी समझ और संबंध को बढ़ावा दे सकता है।
- समय के साथ, दोनों क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान में वृद्धि हुई है तथा नृत्य और संगीत के लिए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा छात्रवृत्तियाँ भी प्रदान की गई हैं।
- भारत में लैटिन अमेरिकी दूतावास भी संगीत समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय दर्शक आते हैं।
- स्पेनिश दूतावास का सांस्कृतिक केंद्र लैटिन अमेरिकी फिल्म समारोहों की मेजबानी के लिए एक मंच प्रदान करता है, साथ ही भाषा और पाक कला की कक्षाएँ भी प्रदान करता है।
- इन प्रयासों को मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद, ये अभी भी प्रारंभिक अवस्था में हैं तथा आगे चलकर इनमें बहुत कुछ किया जा सकता है।
- **राजनीतिक:**
  - भारत और ब्राजील ब्रिक्स और आईबीएसए जैसे विभिन्न मंचों पर सहयोग कर रहे हैं, जो विकासशील देशों को एक वैकल्पिक मंच प्रदान करते हैं और वर्तमान में पश्चिमी शक्तियों के प्रभुत्व वाले संस्थानों पर उनकी निर्भरता को कम करते हैं।
  - हाल ही में, भारत ने CARICOM (कैरेबियन कम्युनिटी ऐंड कॉमन मार्केट) में सामुदायिक विकास पहल के लिए 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान के साथ-साथ सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु 150 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता की घोषणा की।
  - वैश्विक शक्ति के रूप में भारत के उदय को, इसके आर्थिक विकास और सॉफ्ट पावर, विशेष रूप से योग जैसी इसकी सांस्कृतिक और सभ्यतागत

प्रथाओं के कारण लैटिन अमेरिका में स्वीकरण प्राप्त हुआ है। भारत की सॉफ्ट पावर ने इस क्षेत्र में इसके बढ़ते प्रभाव में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- भारत को प्रशांत गठबंधन (Pacific Alliance) के वार्षिक शिखर सम्मेलन में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। यह एक व्यापार समूह है जिसमें चिली, कोलंबिया, मैक्सिको और पेरू शामिल हैं। ये सभी देश लैटिन अमेरिका में प्रशांत महासागर में स्थित हैं।

- **आर्थिक:**
  - भारत वेनेजुएला, मैक्सिको, कोलंबिया और ब्राजील से बड़ी मात्रा में हाइड्रोकार्बन का आयात करता है, साथ ही अर्जेंटीना और ब्राजील से खाद्य तेल और चीनी, पेरू और चिली से ताँबा तथा अन्य बहुमूल्य धातुएँ वहीं इक्वाडोर से लकड़ी का आयात करता है। इसके अतिरिक्त, भारत लैटिन अमेरिका को आईटी सेवाएँ प्रदान करने वाला एक प्रमुख देश है।
  - पिछले पाँच वर्षों में भारत ने लैटिन अमेरिका को चीन की तुलना में अधिक दवा उत्पादों का निर्यात किया है।
  - वर्ष 2004 में, भारत और MERCOSUR ने एक अधिमान्य व्यापार समझौते (Preferential Trade Agreement) पर हस्ताक्षर किए जिसका उद्देश्य अपने मौजूदा संबंधों को मजबूत करना, व्यापार विस्तार को बढ़ावा देना और पारस्परिक निश्चित टैरिफ वरीयता प्रदान करना था।
    - मर्कोसुर (MERCOSUR) दक्षिण अमेरिकी देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य मुक्त व्यापार को बढ़ावा देकर वस्तुओं, सेवाओं, मुद्रा और व्यक्तियों के अप्रतिबंधित आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना है।
  - लैटिन अमेरिका की कंपनियों ने भारत में लगभग एक अरब डॉलर का निवेश किया है, जो शीतल पेय, मल्टीप्लेक्स, थीम पार्क और ऑटो पार्ट्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर केंद्रित है।

सुरक्षा

- भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और ब्राजीलियाई विमान निर्माता एम्ब्रेयर ने विमान में उपयोग के लिए रडार प्लेटफॉर्म बनाने तथा निर्माण करने के लिए मिलकर काम किया है।
- भारत हाल के वर्षों में लैटिन अमेरिकी देशों के साथ धीरे-धीरे अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में चीन की व्यापक उपस्थिति के कारण उसके प्रयास कमजोर पड़ रहे हैं।
- रक्षा क्षेत्र में भारत के सीमित व्यापार और निवेश को बिना किसी विरोध के सकारात्मक रूप से स्वीकार किया गया है। यह स्थिति भारत को इस क्षेत्र में चीन पर अप्रत्याशित और स्थायी बढ़त प्रदान करती है।

समस्याएँ

- **घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्राथमिकताएँ:** भारत और लैटिन अमेरिका के बीच संबंधों के विकास में मुख्य रूप से दोनों क्षेत्रों के बीच पर्याप्त भौगोलिक दूरी के साथ-साथ उनकी संबंधित घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्राथमिकताओं में अंतर के कारण बाधा उत्पन्न हुई है।
- **सांस्कृतिक, भाषाई और प्रवासी संबंधों का अभाव:** ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक, भाषाई और प्रवासी संबंधों के अभाव ने भारत और लैटिन अमेरिका के बीच संबंधों की कमी में योगदान दिया है।
- **कनेक्टिविटी का मुद्दा:** लैटिन अमेरिका में डिजिटल डिवाइड एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है, जहाँ आधे से भी कम घरों (45.5 प्रतिशत) के पास ही ब्रॉडबैंड की सुविधा है। इसके अलावा, सबसे ज्यादा कमाने वाले और सबसे कम कमाने वाले लोगों के बीच इंटरनेट के इस्तेमाल में काफी अंतर है।
- **वित्तीय बाधाएँ:** मंद आर्थिक विकास, उच्च मुद्रास्फीति और विश्वव्यापी अनिश्चितता के संयोजन से यह संकेत मिलता है कि क्षेत्र के बहुत से व्यक्तियों को अपने जीवन की गुणवत्ता में कमी का अनुभव होगा।
- मर्कोसुर के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत रुक गई है, क्योंकि इस समूह के सदस्यों के बीच मतभेद हैं।
- **राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता:** इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रभावित हो रहे हैं, जो क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए होड़ कर रहे हैं।

आगे की राह

- गहरी समझ हासिल करना: भारत और लैटिन अमेरिका के बीच संबंधों को बेहतर बनाने हेतु, दोनों पक्षों के लिए अस्थायी राजनयिकों पर निर्भर रहने से परे एक-दूसरे की राजनीतिक वास्तविकताओं, संसाधनों, क्षमताओं और प्राथमिकताओं की गहरी समझ हासिल करना आवश्यक है।
- अग्रणी भूमिका निभाना: लैटिन अमेरिका के क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय संगठनों के जटिल नेटवर्क को देखते हुए, भारत को राजनीतिक पहल को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख अभिकर्ताओं और मंचों की पहचान करने और उनके साथ जुड़ने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए, साथ ही आर्थिक और सामाजिक संबंधों को भी बढ़ावा देना चाहिए।
- **निवेश की सुरक्षा:** निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए इसकी सुरक्षा, दोहरे कराधान से बचने, प्रत्यर्पण और आव्रजन का समर्थन करने, ऋण की व्यवस्था प्रदान करने, नियामक बाधाओं को दूर करने आदि से संबंधित समझौते किए जाने चाहिए।
- अपनी राजनयिक उपस्थिति बढ़ाना: भारत को इस क्षेत्र में अपनी राजनयिक उपस्थिति भी बढ़ानी चाहिए, लैटिन अमेरिकी संस्कृति और मामलों के अध्ययन को प्रोत्साहित करना चाहिए, शिपिंग उद्योगों में निवेश करना चाहिए, और इस क्षेत्र के विभिन्न देशों और समूहों के साथ यथाशीघ्र PTA और FTA पर हस्ताक्षर करने की दिशा में काम करना चाहिए।

निष्कर्ष

लैटिन अमेरिका के साथ भारत का व्यापार, इस क्षेत्र में चीन के 450 बिलियन डॉलर के व्यापार की तुलना में बहुत कम है। ऐतिहासिक रूप से, LAC में भारतीय उद्यम पिछड़े हुए हैं। परिणामस्वरूप, भारत को अपनी आर्थिक कूटनीति को सुदृढ़ करना चाहिए और इन्टर-अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक जैसे क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों में शामिल होना चाहिए।

प्रमुख शब्दावलियाँ

कैरिकॉम (कैरेबियन कम्युनिटी एँड कॉमन मार्केट), मर्कोसुर (MERCOSUR), अधिमान्य व्यापार समझौता (PTA)

24 भारत और ऑस्ट्रेलिया

- हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने नई दिल्ली में 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता आयोजित की।
- 2 + 2 बैठकों के विषय में: 2 + 2 एक अनूठी मंत्रिस्तरीय वार्ता है जिसमें भाग लेने वाले देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होते हैं।
  - भारत के 2+2 संवाद साझेदार: ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, रूस और यूनाइटेड किंगडम।

भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंध

- **राजनयिक संबंध:** राजनयिक संबंध स्वतंत्रता से पहले स्थापित हुए, जब 1941 ई. में सिडनी में व्यापार कार्यालय के रूप में पहली बार भारत का महावाणिज्य दूतावास स्थापित किया गया था।

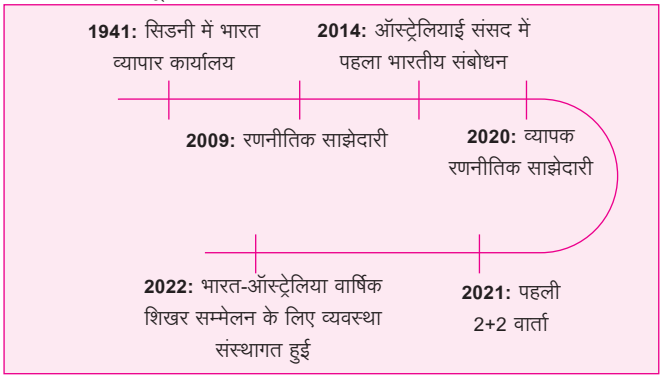

- **साझा मूल्य:** द्विपक्षीय संबंध बहुलवादी लोकतंत्र, विस्तृत आर्थिक जुड़ाव और उच्च स्तरीय संपर्क के साझा मूल्यों पर आधारित हैं।
- **रणनीतिक संबंधों और बहुपक्षीय सहयोग का विकास:** जून, 2020 में भारत-ऑस्ट्रेलिया नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में, द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2009 की रणनीतिक साझेदारी (SP) से बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी (CSP) कर दिया गया।
- दोनों लोकतांत्रिक देश अपने सहयोग को बहुपक्षीय स्वरूपों तक ले गए हैं, जिसमें क्वाड (संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के साथ) भी शामिल है।

सहयोग का क्षेत्र:

- **भौगोलिक निकटता:** ऑस्ट्रेलिया भारत के विस्तारित पड़ोस में स्थित है, जिससे एक अद्वितीय भौगोलिक निकटता विकसित होती है।
- **आर्थिक सहयोग:** ऑस्ट्रेलिया वर्तमान में भारत का 17वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
- **लोगों के बीच (People-to-people) संबंध:** वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया में लगभग 9.76 लाख लोगों ने अपनी वंशावली भारतीय मूल की बताई है, जिससे वे ऑस्ट्रेलिया में विदेशों में जन्मे निवासियों (Overseas-born residents) का दूसरा सबसे बड़ा समूह बन गए हैं।
- **शिक्षा:** ऑस्ट्रेलिया की डीकिन यूनिवर्सिटी और वॉलोंगोंग यूनिवर्सिटी के भारतीय परिसर गिफ्ट सिटी (GIFT City) गांधीनगर में खोले जा रहे हैं। ये भारत में परिसर स्थापित करने के लिए स्वीकृत होने वाले प्रथम दो अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय हैं।
- **रक्षा सहयोग:** जून, 2020 में वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट (MLSA) संपन्न हुआ, जो दोनों देशों को ईंधन भरने और रसद (लॉजिस्टिक्स) उद्देश्यों के लिए सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है, साथ ही दोनों देशों के बीच सैन्य जुड़ाव और समुद्री डोमेन जागरूकता को बढ़ाता है।
  - **रक्षा अभ्यास:** दोनों देश "MALABAR" अभ्यास और AUSINDEX में भाग लेते हैं।
  - **स्वच्छ ऊर्जा:** देशों ने फरवरी, 2022 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए, जो नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की लागत को कम करने की दिशा में सहयोग प्रदान करता है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों में चुनौतियाँ:

- **वीजा आधारित मुद्दे:** अप्रैल, 2023 में कम-से-कम पाँच ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों ने कुछ भारतीय राज्यों के छात्रों पर प्रतिबंध लगा दिए, क्योंकि दक्षिण एशिया से धोखाधड़ी वाले आवेदनों में वृद्धि हुई थी, जो ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन करने के बजाय वहाँ काम करना चाहते थे।
- **खालिस्तानी आंदोलन की चिंताएँ:** ऑस्ट्रेलिया में 'खालिस्तानी' गतिविधियों में हाल ही में हुई वृद्धि, जिसमें 'किल इंडिया' रैली और भारतीय राजनयिकों को दी गई खुली धमकियाँ शामिल हैं, एक गंभीर चिंता का विषय है जिस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।
- **आर्थिक संबंध की सीमाएँ:** आर्थिक संबंध संकीर्ण हैं और मुख्य रूप से कोयला निर्यात पर ही आधारित हैं, इस क्षेत्र से परे व्यापार में विविधता लाने और विस्तार करने में अभी काफी चुनौतियाँ हैं।
- **मुक्त व्यापार समझौते की चुनौतियाँ:** कृषि में बाजार पहुँच को उदार बनाने के प्रति भारत की अनिच्छा और महत्त्वपूर्ण श्रम गतिशीलता की अनुमति देने संबंधी ऑस्ट्रेलिया की आपत्ति, एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में बाधाएँ हैं।
- **यूरेनियम आपूर्ति की कमी:** दोनों पक्षों के प्रयासों के बावजूद यूरेनियम आपूर्ति पर प्रगति बहुत कम रही है।

- वर्ष 2017 में, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को अपना पहला यूरेनियम शिपमेंट भेजा था, लेकिन इसे "केवल परीक्षण उद्देश्यों के लिए" स्थानांतरित किए गए "यूरेनियम का एक छोटा-सा नमूना" बताया गया।

- ऑस्ट्रेलिया में अडानी कोयला खदान परियोजना: भारतीय कंपनी अडानी ग्रुप के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में प्रस्तावित अडानी कारमाइकल कोयला खदान परियोजना को पर्यावरणीय और नियामक बाधाओं का सामना करना पड़ा है।

आगे की राह:

- **बाजार की चुनौतियों से निपटना:** यद्यपि सरकार ने एक अनुकूल व्यापार समझौता हासिल कर लिया है, फिर भी ऑस्ट्रेलिया के 16 परिचालित एफटीए को देखते हुए भारत को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में प्रवेश करने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
  - सफलता का साधन प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार लाने में निहित है, विशेष रूप से चीन, आसियान, चिली, जापान, कोरिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों से प्रतिस्पर्द्धा को ध्यान में रखते हुए, जिनके ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए हैं।
- **संशोधित कर कानून:** हालाँकि, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA) भारतीय आईटी कंपनियों के सामने आने वाली कराधान चुनौतियों का समाधान करता है। ऑस्ट्रेलिया को कर कानूनों में संशोधन करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, जिससे तकनीकी सेवाएँ प्रदान करने वाली भारतीय फर्मों से होने वाली अपतटीय आय पर कराधान को रोका जा सके।
- **आर्थिक सहयोग:** वर्ष 2022 के अंत में अंतरिम व्यापार समझौते के लागू होने के बाद, भारत और ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार वार्ता पर प्रगति कर रहें हैं।
  - अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए, दोनों देशों को दिसंबर, 2023 तक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA) संपन्न करना चाहिए।
- **मुक्त हिंद-प्रशांत सहयोग:** दोनों देशों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन, नौवहन और उड़ान की स्वतंत्रता तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की है।

प्रमुख शब्दावलियाँ

व्यापक रणनीतिक साझेदारी (CSP), गिफ्ट सिटी (गांधीनगर), म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट (MLSA), खालिस्तान मूवमेंट, आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता।

25 भारत-अफ्रीका

"भारत और दक्षिण अफ्रीका दो ऐसे देश हैं जो भावनाओं, समान मूल्यों और साझा अनुभव, संस्कृतियों एवं परंपराओं की समानता तथा भूगोल के बंधनों से बहुत करीबी रूप से जुड़े हुए हैं।"

- नेल्सन मंडेला

परिचय

भारत-अफ्रीका साझेदारी ऐतिहासिक संबंधों, एकजुटता और समृद्ध तथा समावेशी भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और अफ्रीकी देश अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने तथा आपसी विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यापार, निवेश, क्षमता निर्माण, बुनियादी ढाँचे के विकास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

- वर्ष 2021-22 के लिए अफ्रीका के साथ भारत का व्यापार, कुल 89.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा।
- भारत और दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय (SADC): वर्ष 1980 में स्थापित इस समूह में 16 देश हैं। अफ्रीका के कुल भूमि क्षेत्र का 35.4 प्रतिशत, कुल सकल घरेलू उत्पाद का 28.4 प्रतिशत और जनसंख्या का 28.2 प्रतिशत हिस्सा इन देशों के पास है।
- भारत और SADC के बीच सुदृढ़ और घनिष्ठ संबंध हैं। वर्ष 2021 के मध्य में भारत और इन देशों के बीच कुल 30.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ। इसके अतिरिक्त, पिछले 26 वर्षों के दौरान भारत ने SADC में 69.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है।

अफ्रीकी महाद्वीप क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- **अफ्रीका की जनसांख्यिकी:** अफ्रीका की विशाल कार्यशील जनसंख्या, इसकी बढ़ती हुई मध्यम वर्ग की आबादी, तथा सेवा क्षेत्र में इसका योगदान, ये सभी व्यापार तथा निवेश संबंधों में मूल्य संवर्द्धन के लिए आवश्यक तत्त्व हैं।
- **अफ्रीका में निवेश का अवसर:** कृषि व्यवसाय, परिधान और वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोटिव घटकों से संबंधित उपभोक्ता-संचालित वस्तुएँ भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिए अच्छा अवसर हैं।
- **चिकित्सा पर्यटन:** चिकित्सा उपचार के लिए देश में आने वाले अफ्रीकी पर्यटकों की संख्या पिछले दशक में लगभग तीन गुना बढ़ गई है, जो वर्ष 2010 में कुल पर्यटक यात्राओं के 5.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019 में 15.4 प्रतिशत हो गई है।
- **एक शैक्षणिक केंद्र के रूप में भारत:** भारतीय अफ्रीकी छात्र संघ के अनुसार, वर्तमान में 25,000 से अधिक अफ्रीकी छात्र भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में नामांकित हैं।
- **प्राकृतिक संसाधन:** यह महाद्वीप खदानों और खनिजों से समृद्ध है, जैसे हीरे, सोना, प्लैटिनम वहीं अन्य अनेक प्रकार के वानिकी उत्पाद इस महाद्वीप में प्रचुर मात्रा में हैं, जो शेष विश्व के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC)

- तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) परियोजना, अफ्रीका के कौशल विकास में महत्त्वपूर्ण रही है।
- 1964 ई. में स्थापित आईटीईसी ने भारत-अफ्रीका सहयोग में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- वर्ष 2019 में, भारत ने दो अफ्रीकी देशों के लिए पहला ई-आईटीईसी पायलट कार्यक्रम शुरू किया।

भारत-अफ्रीका के बीच सहयोग का क्षेत्र

- **व्यापार और निवेश:** दोनों पक्षों का लक्ष्य व्यापार विविधीकरण को बढ़ावा देकर, निवेश को सुविधाजनक बनाकर तथा नए व्यावसायिक अवसरों का इस्तेमाल करके आर्थिक संबंधों को बढ़ाना है।
- **अवसंरचना विकास:** भारत ने अफ्रीका में अवसंरचना विकास परियोजनाओं का सक्रिय रूप से समर्थन प्रदान किया है, जिसमें परिवहन, ऊर्जा और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **क्षमता निर्माण और कौशल विकास:** भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम तथा पैन अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना जैसी भारतीय संस्थाओं ने कौशल विकास, शिक्षा और ज्ञान साझाकरण में योगदान दिया है।
- **कृषि और खाद्य सुरक्षा:** भारत कृषि पद्धतियों, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सिंचाई प्रणालियों में अपने अनुभव साझा करता है। भारत-अफ्रीका कृषि सहयोग योजना और भारत-अफ्रीका खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन ऐसी पहल हैं जो इस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देती हैं।
- **स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स:** भारतीय दवा कंपनियों ने स्वास्थ्य सेवा चुनौतियों, विशेष रूप से एचआईवी/एड्स, मलेरिया और तपेदिक के क्षेत्रों में, के समाधान के लिए जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति की है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन:** भारत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में अपनी विशेषज्ञता साझा करता है। भारत और फ्रांस द्वारा शुरू किए गए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई अफ्रीकी देशों की भागीदारी को आकर्षित किया है।

- **शिक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान:** भारतीय विश्वविद्यालय अफ्रीकी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं और सांस्कृतिक उत्सव एवं उनके आदान-प्रदान कार्यक्रम एक-दूसरे की संस्कृतियों की गहरी समझ को बढ़ावा देते हैं।

अफ्रीका में चीनी गतिविधियाँ

- **आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा:** अफ्रीका में चीन की आर्थिक उपस्थिति ने बाजारों और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ा दिया है। सरकारी समर्थन से समर्थित चीनी कंपनियाँ प्रायः अवसंरचना परियोजनाएँ और निवेश हासिल करती हैं, जो संभावित रूप से इस क्षेत्र में भारतीय व्यवसायों को पीछे छोड़ देती हैं।
- **ऋण स्थिरता:** चीन द्वारा अफ्रीका में अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण, अक्सर ऋण के माध्यम से, ने अफ्रीकी देशों की ऋण स्थिरता के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
- **भू-राजनीतिक प्रभाव:** चीनी सैन्य उपस्थिति, नौसैनिक अड्डों तक पहुँच और अफ्रीका में शांति अभियानों में भागीदारी का क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता और अफ्रीकी देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी पर प्रभाव पड़ता है।
- **प्राकृतिक संसाधन अधिग्रहण:** अफ्रीका के प्राकृतिक संसाधनों, जैसे तेल, खनिज और लकड़ी के लिए चीन के आकर्षण ने संसाधन दोहन और पर्यावरणीय निम्नीकरण के बारे में चिंताओं को जन्म दिया है।
- **मानवाधिकार और शासन संबंधी चिंताएँ:** चीनी निवेश और सहायता प्रायः शासन, मानवाधिकार या पर्यावरण मानकों में सुधार की शर्त पर नहीं होती है। यह भारत के लिए चिंता का कारण हो सकता है, जो अफ्रीका के साथ अपने संबंधों में साझा मूल्यों पर जोर देता है।

मुद्दे और चुनौतियाँ

- **भौगोलिक दूरी:** भारत और अफ्रीका के बीच भौगोलिक दूरी कनेक्टिविटी, व्यापार और लोगों के बीच आदान-प्रदान के संदर्भ में चुनौतियाँ पेश करती है।
- **प्रतिस्पर्द्धी प्राथमिकताएँ:** अफ्रीकी देशों के सामान्यतः कई साझेदार और संबंधी हैं, जिनमें चीन, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी प्रमुख शक्तियाँ भी शामिल हैं।
- **बुनियादी ढाँचे की कमी:** कई अफ्रीकी देशों को बुनियादी ढाँचे की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें अपर्याप्त परिवहन नेटवर्क, विद्युत की कमी और डिजिटल कनेक्टिविटी का अभाव शामिल है।
- **सुरक्षा चिंताएँ:** आतंकवाद, समुद्री डकैती और कुछ अफ्रीकी क्षेत्रों में संघर्ष सहित सुरक्षा चुनौतियाँ स्थिरता को प्रभावित कर सकती हैं और आर्थिक विकास में बाधा डाल सकती हैं।
- **सांस्कृतिक और भाषाई विविधता:** अफ्रीका एक विविधतापूर्ण महाद्वीप है जिसमें कई भाषाएँ, संस्कृतियाँ और परंपराएँ हैं। इस विविधता को समझने और उससे निपटने के लिए प्रभावी संचार, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और विभिन्न अफ्रीकी देशों और समुदायों के साथ जुड़ने के लिए अनुकूलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

आगे की राह

- **क्षमता का विकास:** सीमित मानव संसाधन, कौशल अंतराल और कमजोर संस्थागत ढाँचे संयुक्त पहल और सहयोग के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डाल सकते हैं। भारत इन मुद्दों को प्राथमिकता पर रखते हुए हल कर सकता है।
- **बाजार पहुँच और व्यापार बाधाएँ:** भारत-अफ्रीका व्यापार के विस्तार के लिए व्यापार बाधाओं को दूर करना और बाजार पहुँच को बढ़ाना महत्त्वपूर्ण है। टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाएँ, नियामक चुनौतियाँ और मानकों एवं प्रमाणन में अंतर द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।
- **विकास असंतुलन को दूर करना:** अफ्रीकी देशों में विकास संबंधी महत्त्वपूर्ण असमानताएँ देखने को मिलती हैं, कुछ देशों में निर्धनता, पिछड़ापन और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का उच्च स्तर देखने को मिलता है।

निष्कर्ष

वर्तमान युग में, भारत और अफ्रीका के बीच संबंध दोनों महाद्वीपों के बीच एक समृद्ध साझेदारी होगी, जो क्षमता निर्माण, विकास सहयोग और आर्थिक और तकनीकी उपक्रमों पर केंद्रित होगी। भारत और अफ्रीका जुड़वाँ विकास केंद्रों के रूप में उभरेंगे, अपनी बहुमुखी साझेदारी को एक नए स्तर पर ले जाएँगे क्योंकि दुनिया महामारी के बाद अब आशावाद की ओर बढ़ रही है।

प्रमुख शब्दावलियाँ

सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, चिकित्सा पर्यटन, तकनीकी और आर्थिक सहयोग, भारत-अफ्रीका कृषि सहयोग योजना, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, डिजिटल कनेक्टिविटी अंतराल,

विगत वर्षों के प्रश्न

- अफ्रीका में भारत की बढ़ती हुई रुचि के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष हैं| समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिए **(2015)**

26 दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC)

परिचय

- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) दक्षिण एशिया का एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन और भू-राजनीतिक संघ है। SAARC की स्थापना दिसंबर, 1985 में ढाका में हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में अवस्थित है।
- अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके सदस्य हैं। SAARC क्षेत्र वैश्विक भूमि क्षेत्र का 3%, वैश्विक जनसंख्या का 21% और विश्वव्यापी सकल घरेलू उत्पाद का 4.21% कवर करता है।

सार्क के उद्देश्य

- **सांस्कृतिक और सामाजिक:** क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने के लिए सदस्य राज्यों के बीच बेहतर सांस्कृतिक एवं सामाजिक संबंध स्थापित करना।
- अपने सदस्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।
- **सामाजिक कल्याण:** देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास की गति को तेज करना तथा उन्हें गरीबी के क्षेत्र से बदलकर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाना।
- **शांति और स्थिरता स्थापित करना:** क्षेत्र में शांति, प्रगति और स्थिरता को आगे बढ़ाना।

भारत के लिए सार्क का महत्त्व

- **क्षेत्रीय एकीकरण:** क्षेत्रीय पहल वैश्वीकरण और अति-राष्ट्रवाद के बीच 'गोल्डीलॉक्स विकल्प' है, जो वैश्वीकरण और अति-राष्ट्रवाद के बीच संतुलन प्रदान करता है।
- **क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास:** सार्क जीवन स्तर में सुधार और गरीबी उन्मूलन के लिए व्यापार और विकास को बढ़ावा देता है।
- **आतंकवाद का मुकाबला:** सुरक्षा और रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए सदस्य देशों के साथ सहयोग।
- **चीन और उसकी ओबीओआर परियोजना को रोकना:** क्षेत्रीय देशों के साथ विकास प्रक्रिया और आर्थिक सहयोग में शामिल होकर ऐसा किया जा सकता है।
- **हिंद-प्रशांत और एक्ट ईस्ट नीति:** दक्षिण एशिया को दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जोड़ने में सार्क एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- **भारत की सॉफ्ट पावर:** सार्क सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक संपर्कों को प्रोत्साहित करने तथा सदस्य देशों को विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।
- **भारत की वैश्विक महत्त्वाकांक्षाएँ:** एम.के. नारायणन का तर्क है कि यदि भारत यह सुनिश्चित करने में सक्रिय रूप से सफल नहीं होता है कि यह क्षेत्र शांतिपूर्ण हो और उसके वैश्विक दृष्टिकोण के अनुसार कार्य कर रहा हो, तो उसका वैश्विक नेतृत्व सीमित हो जाएगा। क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना के निर्माण के लिए सार्क भारत के लिए महत्त्वपूर्ण है।

सार्क की उपलब्धियाँ

- **SAPTA और SAFTA:** क्षेत्र के देशों के बीच क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना।
- **दक्षिण एशियाई पहचान:** सार्क का उद्देश्य राज्यों को एक समान विरासत, संस्कृति, वेशभूषा और राजनीतिक व्यवस्था साझा करने के लिए एक साथ लाना है।
- **दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय:** इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य उत्कृष्टता का केंद्र बनना तथा अपने देश और पड़ोसी देशों, दोनों के लिए सफलता के समान दृष्टिकोण वाला एक नेतृत्व तैयार करना है।
- **सार्क डेवलपमेंट फण्ड:** यह फण्ड दक्षिण एशियाई क्षेत्र के कल्याण में सुधार के लिए सार्क परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए एक व्यापक वित्तीय संस्थान है।
- **सार्क मध्यस्थता परिषद:** यह एक अंतर-सरकारी निकाय है जो औद्योगिक, वाणिज्यिक, व्यापार और अन्य विवादों के निष्पक्ष तथा प्रभावी निपटान के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करने के लिए अधिकृत है।

सार्क और कोविड-19

- कोविड-19 आपातकालीन फण्ड शुरू करने के भारत के प्रस्ताव को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, सभी देशों ने इसमें स्वेच्छा से योगदान दिया।
- भारत ने सभी सार्क देशों के लिए सूचना, ज्ञान, विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान हेतु एक साझा इलेक्ट्रॉनिक मंच का प्रस्ताव रखा।
- भारत ने अनुरोध स्वीकार किए और चिकित्सा उपकरण, दवाइयों तथा अन्य आपूर्ति के लिए सहायता प्रदान की है।
- भारत ने 'वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम' के माध्यम से अपने पड़ोसियों को भी टीके उपलब्ध कराए हैं।

सार्क की विफलताएँ

- **भारत-पाक संबंध:** भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और हिंसा में वृद्धि ने सार्क की संभावनाओं को काफी नुकसान पहुँचाया है।

- **नियमित बैठक का अभाव:** उरी पर आतंकवादी हमलों के बाद, भारत-पाकिस्तान तनाव के कारण SAARC की बैठकें आयोजित नहीं की जा सकीं। वर्ष 2021 में SAARC नेताओं की पिछली बैठक के बाद से 7वीं वर्षगाँठ मनाई गई।
- **कमजोर सांस्कृतिक पहचान:** सदस्यों के बीच विश्वास की कमी के कारण देशों के बीच सहयोग की संभावनाएँ सीमित हो जाती हैं।
- **अनसुलझे मुद्दे:** इस क्षेत्र में अभी भी कई अनसुलझे सीमा विवाद और समुद्री मुद्दे हैं। इसके अलावा, पड़ोसियों के साथ भारत बड़े भाई वाले रवैये के भय ने सार्क में सहयोग की गुंजाइश को कम कर दिया है।
- **भारत की आशंका:** इस तरह के संगठन का इस्तेमाल भारत द्वारा पड़ोसियों को धमकाए जाने का डर व्यक्त करके अनुचित रियायतें प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।
- **साफ्टा की सीमाएँ:** इसके कारण दक्षिण एशिया विश्व में सबसे कम एकीकृत क्षेत्र बना हुआ है, जहाँ सदस्यों के बीच होने वाला व्यापार उनके समग्र व्यापार के %5 से भी कम है।
- **निर्णयन क्षमता:** सार्क चार्टर के अनुसार, सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। इससे पाकिस्तान को कनेक्टिविटी और व्यापार पर भारत की हर पहल का विरोध करने का मौका मिल जाता है।
- **द्विपक्षीय मुद्दे:** जैसे सीएए-एनआरसी पर बांग्लादेश की चिंताएँ, मधेशी मुद्दा और भारत एवं नेपाल के बीच कालापानी सीमा मुद्दा आदि।
- **चीन का बढ़ता प्रभाव:** दक्षिण एशियाई देश आयात के लिए चीन पर तेजी से निर्भर हो रहे हैं, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका सभी वैचारिक और भौतिक कारणों से चीन के करीब जा रहे हैं। चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका को टैरिफ में छूट भी दे रहा है।

आगे की राह

चीन से निपटने के लिए सार्क को पुनर्जीवित करना: चीन के साथ भारत का रणनीतिक व्यवहार दक्षिण एशिया से शुरू होना चाहिए, सार्क को पुनर्जीवित करना चाहिए, जो वर्ष 2014 से पतन की स्थिति में है।

लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना: सोशल मीडिया और नागरिकों के बीच संपर्क को सुदृढ़ कर सकते हैं और पाँचवें स्तंभ तथा नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से क्षेत्रीय एकीकरण ला सकते हैं।

- **आर्थिक एकीकरण:** सोशल मीडिया और नागरिक सक्रिय भागीदारी के माध्यम से क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं।
- **अधिक संसाधन और बिम्सटेक के बजाय सार्क पर ध्यान:** बंगाल की खाड़ी क्षेत्र पर अपने ध्यान के कारण बिम्सटेक सभी दक्षिण एशियाई देशों को शामिल करने के लिए एक अनुपयुक्त मंच है।
- **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस:** प्रौद्योगिकी का उपयोग मुक्त पारगमन व्यापार को सुविधाजनक बनाने, आपूर्ति और रसद शृंखलाओं को विकसित करने, व्यापार ऋण का उपयोग करने, कनेक्टिविटी बढ़ाने और लेन-देन की लागत को कम करने के लिए किया जा सकता है।

निष्कर्ष

भारत को अपने दक्षिण एशियाई पड़ोस को साझा भविष्य वाली इकाई के रूप में देखने के लिए अपना स्वयं का दृष्टिकोण तलाशना होगा तथा वैश्विक मंच पर भारत की महत्त्वाकांक्षाओं को बढ़ाने वाले बल के रूप में देखना होगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सार्क को पुनर्जीवित करना आवश्यक है।

प्रमुख शब्दावलियाँ

क्षेत्रीय एकीकरण, गोल्डीलॉक्स विकल्प, क्षेत्रीय सुरक्षा वास्तुकला, SAPTA, SAFTA, वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम

विगत वर्षों के प्रश्न

- "भारत में बढ़ते हुए सीमापारीय आतंकी हमले और अनेक सदस्य राज्यों के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान द्वारा बढ़ता हुआ हस्तक्षेप सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) के भविष्य के लिए सहायक नहीं हैं।" उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। **(2016)**

27 ब्रिक्स (BRICS)

परिचय

- ब्रिक्स पाँच बड़ी और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। यह शब्द वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा दिया गया था। ब्रिक्स देश विविध क्षेत्रों और महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स के गठन का उद्देश्य अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग, राजनीतिक संवाद और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना है।
- ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य: ब्रिक्स समूह का उद्देश्य सुरक्षा, शांति, विकास और सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य मानवता के विकास और अधिक न्यायसंगत एवं निष्पक्ष विश्व की स्थापना में महत्त्वपूर्ण योगदान देना भी है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

- यह संगठन वैश्विक जनसंख्या का लगभग 41%, विश्व के तृतीयक क्षेत्र का 30%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 24% और वैश्विक व्यापार के लगभग 16% का प्रतिनिधित्व करता है।
- यूनाइटेड किंगडम स्थित आर्थिक शोध फर्म एकॉर्न मैक्रो कंसल्टिंग द्वारा दिए गए आँकड़ों के अनुसार, ब्रिक्स सदस्यों की विश्व जीडीपी (पीपीपी) में 31.5% की हिस्सेदारी है, जबकि G7 की हिस्सेदारी 30.7% है।
- वर्ष 2019-20 में ब्रिक्स देशों के साथ भारत का कुल व्यापार 110 बिलियन डॉलर था और यह वर्ष 2020-21 में बढ़कर 113.3 बिलियन डॉलर हो गया।

ब्रिक्स के मुद्दे और चुनौतियाँ

- **एकतरफा चीनी दृष्टिकोण:** समूह पर हावी होने और चीन के एजेंडे का समर्थन करने वाले सदस्यों को शामिल करने का चीन का प्रयास अन्य सदस्य देशों के लिए चिंता का कारण है।
- **बदलता भू-राजनीतिक परिवेश:** वर्ष 2017 से जब अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध शुरू हुआ, तब से चीन ने पश्चिम विरोधी रुख अपनाया है, लेकिन दूसरी ओर भारत के चीन और रूस की तुलना में पश्चिम के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध हैं और पश्चिम के खिलाफ रुख अपनाने से उसे कोई लाभ नहीं होगा।
- **व्यापार:** इस समूह में भारत और चीन अपेक्षाकृत उच्च विकास दर वाले दो देश बने हुए हैं, लेकिन दोनों के बीच व्यापार कई चुनौतियों से प्रभावित है, जिसमें भारतीय उत्पादों के विरुद्ध गैर-टैरिफ बाधाओं के रूप में चीन में समान बाजार पहुँच का अभाव जैसी बाधाएँ शामिल हैं।
- **समन्वय का अभाव:** एनडीबी के निर्माण के अलावा, ब्रिक्स देशों में अपने सामूहिक आर्थिक विकास प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत समन्वय बहुत कम रहा है।
- **राजनीतिक मतभेद:** ब्रिक्स देशों की राजनीतिक प्रणालियाँ, विचारधाराएँ और विदेश नीति की वरीयताएँ भिन्न-भिन्न हैं। ये मतभेद कभी-कभी आम सहमति बनाने में बाधा डाल सकते हैं और वैश्विक मुद्दों पर समूह की एकीकृत फैसले लेने की क्षमता को सीमित कर सकते हैं।
- **बढ़ती सदस्यता:** कम-से-कम 20 देशों ने औपचारिक और अनौपचारिक सदस्यता के लिए आवेदन किया है। सदस्यता में वृद्धि से आम सहमति बनाने में चुनौती आ सकती है।

14वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

- 14वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 23 जून, 2022 को वर्चुअल रुप में आयोजित किया गया था, जिसकी मेजबानी चीन ने "उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत करना" विषय के तहत की थी।
- **चर्चा में शामिल मुद्दे:**
  - **वैश्विक मुद्दे:** इसके नेताओं ने बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार, कोविड-19 महामारी और वैश्विक आर्थिक सुधार जैसे महत्त्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की।
  - **ब्रिक्स को मजबूत बनाना:** प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स पहचान को मजबूत बनाने की वकालत की तथा ब्रिक्स पत्रों के लिए एक ऑनलाइन डाटाबेस, ब्रिक्स रेलवे अनुसंधान नेटवर्क तथा एमएसएमई सहयोग में सुधार का प्रस्ताव रखा।
  - **'बीजिंग घोषणा:** यह गठबंधन यूक्रेन को मानवीय राहत प्रदान करने के लिए रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति (आईसीआरसी) और संयुक्त राष्ट्र की पहल का समर्थन करने के लिए तैयार है।

भारत के लिए ब्रिक्स का महत्त्व

- **आर्थिक अवसर:** ब्रिक्स, भारत को आर्थिक सहयोग बढ़ाने और सदस्य देशों के विशाल बाजारों का लाभ उठाने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- **भू-राजनीतिक प्रभाव:** ब्रिक्स का सदस्य होने से वैश्विक मंच पर भारत की भू-राजनीतिक स्थिति मजबूत होती है। यह भारत को महत्त्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर अपनी चिंताओं, हितों और दृष्टिकोणों को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिससे उसे अंतरराष्ट्रीय एजेंडे को आकार देने में मदद मिलती है।
- **विकासात्मक सहयोग:** न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) जैसी ब्रिक्स पहल भारत को अवसंरचना विकास एवं सतत परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधनों तक पहुँच प्रदान करती है।
- **उदाहरण:** एनडीबी ने वर्ष 2015-2020 के बीच के वर्षों में सभी सदस्य देशों में 25.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर (एनडीबी आपातकालीन सहायता सुविधा के तहत ऋण सहित) की 70 अवसंरचना एवं सतत विकास परियोजनाओं को

मंजूरी दी है। इसमें भारत में 6.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की 18 परियोजनाएँ शामिल हैं (2021 तक)।

- **कूटनीतिक जुड़ाव:** ब्रिक्स, भारत को सदस्य देशों के साथ नियमित कूटनीतिक संवाद और आदान-प्रदान में शामिल होने की अनुमति देता है। यह जुड़ाव द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत करता है साथ ही राजनीतिक एवं रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देता है।
- **ज्ञान साझा करना और सर्वोत्तम अभ्यास:** ब्रिक्स ज्ञान साझा करने, सर्वोत्तम अभ्यासों के आदान-प्रदान और स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह सहयोग भारत को अन्य सदस्य देशों के अनुभवों से सीखने और सफल रणनीतियों को लागू करने में सक्षम बनाता है।

आगे की राह

- **लोगों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ाना:** ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध और लोगों के बीच संपर्क सदस्यों के बीच आपसी समझ और विश्वास को बढ़ावा दे सकता है। भारत ब्रिक्स देशों के बीच शैक्षणिक आदान-प्रदान, पर्यटन, खेल, मीडिया, कला आदि को सुविधाजनक बनाकर इस पहलू में योगदान दे सकता है।
- **कूटनीतिक संबंध:** भारत अपने कूटनीतिक कौशल और नेतृत्व का उपयोग विभिन्न बहुपक्षीय मंचों, जैसे संयुक्त राष्ट्र, G20, विश्व व्यापार संगठन आदि पर अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए कर सकता है, ताकि उनके साझा हितों की रक्षा और संवर्द्धन किया जा सके।
- **बहुक्षेत्रीय सहभागिता:** स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, पर्यावरण, ऊर्जा, श्रम, आपदा प्रबंधन, भ्रष्टाचार विरोधी, मादक पदार्थ विरोधी आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग के दायरे और गहराई का विस्तार करना।
- बुनियादी ढाँचे की कनेक्टिविटी को बढ़ाना: भारत को ब्रिक्स क्षेत्र के भीतर बुनियादी ढाँचे की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के उद्देश्य से की जाने वाली पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। परिवहन नेटवर्क, डिजिटल कनेक्टिविटी और ऊर्जा अवसंरचना परियोजनाओं पर सहयोग क्षेत्रीय एकीकरण और व्यापार सुविधा को बढ़ावा दे सकता है।

न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)

न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है जिसकी स्थापना ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) द्वारा उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढाँचे और सतत विकास परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए वित्तपोषण का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान करना तथा अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है।

संबंधित मुद्दे:

- **पूँजीकरण और संसाधन:** सदस्य देशों से पर्याप्त पूँजी योगदान सुनिश्चित करना और अन्य निवेशकों को आकर्षित करना जैसी एनडीबी के लिए कुछ सतत चुनौतियाँ हैं, जिससे परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से वित्तपोषित करने की इसकी क्षमता प्रभावित हो रही है।
- **पाइपलाइन परियोजना और क्रियान्वयन:** एनडीबी को परियोजनाओं की एक मजबूत पाइपलाइन की पहचान करने और प्राथमिकता देने, कठोर परिश्रम करने तथा देरी और लागत में वृद्धि से बचने के लिए कुशल परियोजना कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- **शासन और निर्णयन क्षमता:** विविध सदस्य देशों के बीच निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में संतुलन बनाना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और प्रभावी शासन तंत्र, एनडीबी के लिए प्रमुख चुनौतियाँ हैं।
- **अन्य संस्थाओं के साथ समन्वय:** प्रयासों के दोहराव से बचने और पूरक शक्तियों का लाभ उठाने के लिए अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना, एनडीबी के लिए आवश्यक है।
- **जोखिम प्रबंधन और स्थिरता:** ऋण और निवेश गतिविधियों से जुड़े वित्तीय जोखिमों का प्रबंधन करना और सतत विकास प्रथाओं को बढ़ावा देना, एनडीबी के संचालन और दीर्घकालिक प्रभाव के लिए महत्त्वपूर्ण विचार हैं।

समूह का हालिया विस्तार:

जोहान्सबर्ग में आयोजित 15वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। इस शिखर सम्मेलन का सबसे महत्त्वपूर्ण परिणाम ब्रिक्स का विस्तार रहा है, जिससे यह ब्रिक्स-प्लस बन गया है। समूह में 6 नए देश शामिल हुए हैं, अर्थात अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, सऊदी अरब, ईरान और यूएई।

निष्कर्ष

ब्रिक्स देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने से भारत की बाजार तक पहुँच, निवेश के अवसर और कूटनीतिक लाभ में वृद्धि हो सकती है। भारत के लिए ब्रिक्स पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेना, बुनियादी ढाँचे के विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना तथा संगठन के भीतर सतत एवं समावेशी विकास में योगदान देना महत्त्वपूर्ण है।

प्रमुख शब्दावलियाँ

एकपक्षवाद, उभरती अर्थव्यवस्थाएँ, गैर-टैरिफ बाधाएँ, बीजिंग घोषणा, नव विकास बैंक, आपातकालीन सहायता सुविधा।

28 बिम्सटेक (BIMSTEC)

परिचय

बिम्सटेक, बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती या उसके निकटवर्ती देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है,जिसमें बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में स्थित सात सदस्य देश शामिल हैं। बिम्सटेक के सदस्य देशों में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्याँमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। इसकी स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी।

बिम्सटेक के सिद्धांत

बिम्सटेक संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक मामलों में गैर-हस्तक्षेप, गैर-आक्रामकता, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक लाभ के सिद्धांत पर आधारित है।

तथ्यानुसार

बिम्सटेक क्षेत्र में विश्व की जनसंख्या 22% अथवा 1.68 बिलियन लोग रहते है; तथा सदस्य देशों का सकल घरेलू उत्पाद प्रति वर्ष 3.697 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है।

भारत के लिए बिम्सटेक का महत्त्व

- **'एक्ट ईस्ट' नीति के अनुरूप:** भारत के लिए, बिम्सटेक दक्षिण पूर्व एशिया में अधिक क्षेत्रीय सहयोग के लिए 'एक्ट ईस्ट' नीति को पूरा करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है।
- **पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन:**
- **डेटा साझा करना:** भारत ने सुनामी पूर्व चेतावनी केन्द्र के माध्यम से बिम्सटेक देशों के बीच संपर्क भी स्थापित किया है तथा 2006 से सुनामी पूर्व चेतावनी केन्द्र से जुड़े आंकड़े साझा कर रहा है।
- **रणनीतिक अवस्थिति:**भारत के उत्तर पूर्वी राज्य बिम्सटेक सदस्य देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, जो इसे क्षेत्रीय गतिशीलता में एक प्रमुख भागीदार बनाता है।
- **कनेक्टिविटी और बुनियादी ढाँचे का विकास:** बेहतर परिवहन नेटवर्क, सीमा पार संपर्क और ऊर्जा सहयोग से भारत और अन्य सदस्य देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और लोगों की सुगम आवाजाही हो सकती है।
  - **कनेक्टिविटी परियोजनाओं के उदाहरण:**
    - **कलादान मल्टीमॉडल प्रोजेक्ट** - भारत और म्याँमार को जोड़ता है।
    - **एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग** - म्याँमार के माध्यम से भारत और थाईलैंड को जोड़ता है।
    - **बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (बीबीआईएन) मोटर वाहन समझौता** - यह समझौता यात्री, व्यक्तिगत व माल ढुलाई वाहनों के यातायात के नियमन के हेतु अमल में लाया जा रहा है।
- **आतंकवाद निरोध और सुरक्षा सहयोग:** बिम्सटेक सदस्य देशों को आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराध सहित समान्य सुरक्षा चुनौतियों से निपटने का एक अवसर प्रदान करता है।
- **समुद्री सुरक्षा और नीली अर्थव्यवस्था:**बिम्सटेक सदस्य देशों को समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और नीली अर्थव्यवस्था के सतत विकास सहित अन्य समुद्री मुद्दों पर सहयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- **क्षेत्रीय एकीकरण और प्रभाव:** बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में क्षेत्रीय एकीकरण के प्रयासों को मजबूत करने में बिम्सटेक भारत को महत्त्वपूर्णअवसर प्रदान करता है। भारत अन्य सदस्य देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर,बिम्सटेक के एजेंडे को आकार देने, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने साथ ही अपने प्रभाव से इस क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभा सकता है।

मुद्दे (Issues)

- **दक्षता की कमी और धीमी प्रगति:** बिम्सटेक को सुसंगत नीति-निर्माण, कम परिचालनात्मक कार्य और अपने नागरिकों के लिए पर्याप्त वित्तीय एवं मानव-कुशल की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- **तटीय शिपिंग का आभाव:** बिम्सटेक सदस्यों द्वारा अभी भी एक साझा और आकर्षक तटीय शिपमेंट पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना शेष है। इसी प्रकार की चुनौतियों में क्षेत्रीय सीमाओं को पार करने वाले मछुआरों को हिरासत में लेना भी शामिल है।
- **क्षेत्रीय व्यापार में कमी:**1950 के दशक में बिम्सटेक देशों के साथ भारत के वार्षिक व्यापार का प्रतिशत उसके कुल विदेशी व्यापार के प्रतिशत के रूप में दोहरे अंकों में था, लेकिन वर्ष बिम्सटेक देशों के साथ भारत का व्यापार उसके कुल विदेशी व्यापार का केवल 4% था।
- **आपसी सहयोग और विश्वास की कमी:** यह भी देखा गया कि अधिकांशतः बिम्सटेक सदस्य देश अन्य सदस्यों द्वारा निर्मित और निर्यातित वस्तुओं का आयात नहीं करते, बल्कि अन्य गैर-सदस्य देशों से आयात करते हैं।
- **शिखर सम्मेलन मे असंगतता:** अपनी स्थापना के बाद से, बिम्सटेक की नीति निर्माण बैठकें योजना के अनुसार आयोजित नहीं की गई हैं। 25 वर्षों में वर्तमान शिखर सम्मेलन सहित केवल पाँच शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। इस दौरान अब तक 18 मंत्रिस्तरीय बैठकें हुई है,जबकि 2014 से 2017 के मध्य वरिष्ठ अधिकारियों की सात बैठक स्थगित की गई।

आगे की राह

- **बिम्सटेक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप देना**, जिस पर 2004 से बातचीत चल रही है। एफटीए समझौते के सुचारू रूप से लागू

होने से सदस्य देशों के बीच अंतर-क्षेत्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल सकता है तथा भारतीय कंपनियों के लिए एक बड़ा बाजार प्रदान कर सकता है।

- **परिवहन कनेक्टिविटी हेतु बिम्सटेक मास्टर प्लान (बीएमपीटीसी) को लागू करना,** जिसे 2020 में अपनाया गया था। बीएमपीटीसी सदस्यों के बीच भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार कर सकता है और वस्तुओं और लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बना सकता है।
- **ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में,** बिम्सटेक देशों के पास इन क्षेत्र में काफी संभावनाएँ हैं, क्योंकि इसके पास सौर, पवन, जल और बायोमास ऊर्जा जैसे प्रचुर संसाधन उपलब्ध है।
- **सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना,**बिम्सटेक उग्रवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और साइबर अपराध तथा विशेष रूप से आतंकवाद से निपटने के लिए एक सुरक्षा संवाद तंत्र और एक आतंकवाद विरोधी केंद्र की स्थापना की है।

निष्कर्ष

बिम्सटेक के साथ भारत की सक्रिय भागीदारी व्यापार, निवेश ,सांस्कृतिक आदान-प्रदान तथा कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे सकती है साथ ही समान्य सुरक्षा चुनौतियों का समाधान भी कर सकती है। भारत बिम्सटेक सदस्य देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करके, संगठन के एजेंडे को आकार देने, क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देने और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

प्रमुख शब्दावलियाँ

क्षेत्रीय अखंडता, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, एक्ट ईस्ट नीति, सीमा पार कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी।

TEMPLATE

GUIDED BY: IAS COACH – MANISH SHUKLA

INTRODUCTION:
Food Processing sector is one of the largest in India, contributing nearly 10% of manufacturing GDP and 12% of employment

Food Processing in INDIA

IMPORTANCE – Mnemonic: VALUE CHAIN
V – Value Addition to agriculture (India's food processing level ~10% vs 60-80% in developed nations)
A – Avoids Wastage (Rs 92,000 Cr annual loss due to post-harvest wastage – MoFPI)
L – Link between Farm and Market (86% small/marginal farmers benefit)
U – Unemployment solution (employs over 1.93 million directly)
E – Export Potential (Agro & food exports = USD 43 billion in 2023)
C – Consumer Diversification (demand for organic, fortified food)
H – Health and Hygiene improvement
A – Agro-based Industrialization (14% of total industrial investments)
I – Income Boost to Farmers (targets 2x income goal)
N – Nutritional Security

MODEL ANSWER FRAMEWORK:
•MODEL ANSWER FRAMEWORK:
• Intro: Define sector + quote stats
Body: Use VALUE CHAIN + RAW GAPS + Schemes + Data
•Conclusion: Food Processing = driver of rural jobs + export growth + agri-modernization

CHALLENGES – Mnemonic: RAW GAPS
R – Regulatory bottlenecks (complex FSSAI norms)
A – Access to cold chain infra (India has <15% cold storage coverage)
W – Wastage due to poor storage (30-40% fruits/vegetables perish)
G – GST anomalies (taxes vary from 0% to 18%)
A – Awareness among farmers (Low training penetration)
P – Packaging and branding limitations
S – Small-scale industry struggles (credit & compliance issues)

GOVT INITIATIVES :
•PM Kisan Sampada Yojana (Rs 6,000+ Cr allocation till 2026)
•Mega Food Parks (42 approved; each creates ~5,000 jobs)
•Operation Greens (Tomato-Onion-Potato + 22 perishable crops)
•One District One Product (ODOP - 728 districts mapped)
•PLI Scheme for Food Processing (Rs 10,900 Cr outlay)

WAY FORWARD:
• Strengthen cold chain infra (integrate with agri-logistics)
• Rationalise GST for processed items
• Integrate with e-NAM & Agri-startups
• Promote FPOs and branding for exports

COACH UP IAS
YOUR SELECTION IS OUR BUSINESS

29 भारत और आसियान

परिचय

दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ या आसियान की स्थापना 8 अगस्त, 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में आसियान के संस्थापक सदस्यों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा आसियान घोषणा (बैंकॉक घोषणा) पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। वर्तमान में आसियान के 10 सदस्य देश हैं।

मूलभूत सिद्धांत

आसियान उन मूल सिद्धांतों की नींव पर कार्य करता है, जो इसके सदस्य देशों की बातचीत का मार्गदर्शन करते हैं:-

- **संप्रभुता का सम्मान:**स्वतंत्रता, संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता और सभी देशों की राष्ट्रीय पहचान के लिये पारस्परिक सम्मान का भाव रखना।
- **अहस्तक्षेप:** सदस्य देश एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से बचते हैं।
- **शांतिपूर्ण समाधान:**शांतिपूर्ण तरीके से मतभेद या विवादों का निपटारा।
- **मजबूत सहयोग:** साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी सहयोग महत्त्वपूर्ण है।

भारत के लिए आसियान का महत्त्व

- **आर्थिक वरदान:** आसियान देशों की विशाल अर्थव्यवस्था (3 ट्रिलियन डॉलर से अधिक जीडीपी) भारत को अपार व्यापार और निवेश के लिए अवसर प्रदान करती है।आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र (एआईएफटीए) व्यापार बाधाओं को दूर करता है, जिससे दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय व्यवसायों के लिए बाजार पहुँच को बढ़ावा मिलता है।
- **बहुपक्षीय सहयोग:**आसियान क्षेत्रीय सहयोग बहुपक्षवाद और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन करता है। भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) और आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) जैसी आसियान के नेतृत्व वाली अन्य संस्थाओं द्वारा किये जा रहे पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेता है।
- **रणनीतिक साझेदारी:** आसियान हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए महत्त्वपूर्ण है,क्योंकि यह प्रमुख शक्तियों के बीच सेतु का कार्य करता है। क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने में आसियान की भूमिका को भारत महत्त्व देता है।
- **कनेक्टिविटी और एकीकरण:** भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप बुनियादी ढाँचे के विकास पर आसियान विशेष रूप से ध्यान दे रहा है। जैसे दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भौतिक और आर्थिक संपर्क बढ़ाने के लिए भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग तथा कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट जैसी विभिन्न कंपनियों की परियोजनाएँ शुरू की हैं।
- **सांस्कृतिक संबंध और सॉफ्ट पावर:** भारत आसियान देशों के साथ गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध साझा करता है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान, पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क से आपसी समझ बढ़ती है और संबंध मजबूत होते हैं ।

आसियान सहयोग के लिए बाधाएँ

- **संस्थागत बाधाएँ**
  - **धीमी निर्णय प्रक्रिया:** आसियान की आम सहमति पर निर्भरता के कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया में विलम्ब हो सकती है, जिससे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई में बाधा उत्पन्न होती है।
  - **सीमित प्रवर्तन:**आसियान द्वारा किये गये समझौतों को लागू करने में कठिनाई होती है, जिससे इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं।
- **असमान विकास:**सदस्य देशों के बीच व्यापक आर्थिक असमानता समावेशी क्षेत्रीय विकास प्राप्त करने के लिए एक चुनौती पैदा करते हैं।
- **भू राजनीतिक तनाव:** दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय संघर्ष आसियान के के लिए घर्षण उत्पन्न करते हैं और एकीकृत प्रतिक्रिया में बाधा डालते हैं।
- **व्यापार और निवेश में बाधाएँ:** कमजोर बुनियादी ढाँचा, जटिल नियम और लॉजिस्टिक बाधाएँ भारत और आसियान के बीच व्यापार और निवेश में बाधा बनती हैं।

आगे की राह

- **सहयोग बढ़ाना**
  - **प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना:** दक्षता को बढ़ावा देने और महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर अधिक निर्णायक कार्रवाई के लिए निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को संशोधित करना।
  - **अंतर को पाटना:** सदस्य देशों में आर्थिक असमानताओं को कम करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए आसियान के पहलों को लागू करना।
- **बाहरी मुद्दों पर ध्यान देना:** क्षेत्र के भीतर क्षेत्रीय विवादों को हल करने के लिए शांतिपूर्ण वार्ता और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन को प्रोत्साहित करना
- **आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना**
  - **अवसंरचना निवेश:** क्षेत्र के भीतर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए बुनियादी ढाँचे के विकास को प्राथमिकता देना।
  - **विनियामक सुधार:** कर और शुल्क संरचनाओं को सरल बनाना, तथा विदेशी निवेश और क्षेत्रीय सहयोग के लिए अधिक आकर्षक वातावरण बनाने के लिए नौकरशाही बोझ को कम करना।

हालिया संदर्भ

- **संदर्भ:** हाल ही में कंबोडिया में आयोजित 19वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन ने दोनों क्षेत्रों के बीच संबंधों में एक महत्त्वपूर्ण कदम को चिह्नित किया।
- **30वीं वर्षगांठ और उन्नत साझेदारी:** यह शिखर सम्मेलन भारत-आसियान वार्ता की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया,जिससे संबंध और मजबूत हुए। उल्लेखनीय रूप से, दोनों पक्षों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी से बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी (सीएसपी) तक बढ़ाया।
- **सीएसपी के महत्त्वपूर्ण क्षेत्र:**सीएसपी समुद्री सुरक्षा, इंडो-पैसिफिक पहल, साइबर सुरक्षा और डिजिटल वित्तीय प्रणाली अनुकूलता जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को प्राथमिकता देता है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, भारत के "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम में निवेश, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन तक सहयोग का विस्तार करता है
- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना:** भारत ने 2008 में स्थापित आसियान-भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कोष के लिए अतिरिक्त 5 मिलियन डॉलर देने का वादा किया। यह कोष अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को समर्थन देता है तथा पूरे क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देता है।
- **व्यापार बढ़ाना**: दोनों पक्षों ने व्यापार प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने के लिए आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) की समीक्षा में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की।

निष्कर्ष

इन चुनौतियों का समाधान करके और आपसी सहयोग को बढ़ावा देकर, आसियान अपनी आंतरिक एकता को मजबूत कर सकता है और वैश्विक मंच पर एक अधिक महत्त्वपूर्ण संगठन के रूप में उभर सकता है तथा क्षेत्रीय एकीकरण, शांति और स्थिरता के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है।

प्रमुख शब्दावलियाँ

एआईएफटीए, बहुपक्षीय सहयोग, नियम-आधारित व्यवस्था, रणनीतिक साझेदारी, सांस्कृतिक संबंध, लोगो के बीच आपसी संपर्क , सर्वसम्मति से निर्णय लेना, भूराजनीतिक तनाव, व्यापक रणनीतिक साझेदारी (सीएसपी),

30 क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP)

परिचय

- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP), आसियान के दस सदस्य देशों तथा पाँच अन्य देशों (ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूज़ीलैंड) द्वारा अपनाया गया एक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है।
- यह समझौता 1 जनवरी, 2022 को प्रभावी हुआ, जिसका उद्देश्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है।

भारत के आरसीईपी समझौता से बाहर होने के कारण

आरसीईपी समझौते से भारत के बाहर होने का निर्णय कई प्रमुख कारणों से है :

- **व्यापार घाटा:** पिछले कुछ वर्षों के दौरान आसियान और एशिया के कुछ अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते के परिणामस्वरूप विभिन्न देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार घाटे में ही रहा है।
- **सुभेद्य कृषि क्षेत्रक:** आयात से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण कृषि जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र से जुड़े लाखों किसानों के लिए की आजीविका का संकट उत्पन्न हो सकता थी।
- **स्वास्थ्य देखभाल पहुँच:** कड़े बौद्धिक संपदा (आईपी) नियम भारत की किफायती जेनेरिक दवाओं के उत्पादन की क्षमता को सीमित कर सकते हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है।
- **अनुचित प्रतिस्पर्धा:** विशेष रूप से चीन से सस्ते आयातित वस्तुओं के कारण घरेलू उद्योगों और विनिर्माण को खतरा हो सकता है।
- **घरेलू उद्योगों की सुरक्षा:** भारत ने निष्पक्ष प्रतिस्पर्धी माहौल सुनिश्चित करने के लिए संक्रमण अवधि के दौरान अपने घरेलू उद्योगों के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों की माँग की।आरसीईपी से भारत का बाहर निकलना उसके घरेलू उद्योगों, कृषि क्षेत्र और सस्ती दवाओं द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य तक पहुँच भारत की प्राथमिकता को दर्शाता है। भारत के पुन: प्रवेश करने के लिए इन चिंताओं को दूर करने वाली वार्ताएँ महत्त्वपूर्ण होगी।

प्रमुख शब्दावलियाँ

व्यापार घाटा, उदारीकरण, अनुचित प्रतिस्पर्धा, घरेलू उद्योग

RCEP के बाद भारत की व्यापार रणनीति

आरसीईपी व्यापार समझौते में भारत के शामिल नहीं होने के बाद, भारत के पास विचार करने के लिए कई विकल्प हैं:

- **व्यापार का विस्तार करना:** अफ्रीका,मध्य-पूर्व और लैटिन अमेरिका के देशों के साथ व्यापार और निवेश साझेदारी बढ़ाने पर ध्यान देना है। यह विविधीकरण विशिष्ट बाज़ारों पर निर्भरता को कम करता है और व्यापार असंतुलन के जोखिम को कम करता है।
- **क्षेत्रीय संबंधों को प्रगाढ़ करना:** प्रमुख आरसीईपी सदस्यों के साथ द्विपक्षीय या उप-क्षेत्रीय व्यापार समझौतों पर बातचीत करना और उन्हें मजबूत करना। यह विशिष्ट चिंताओं को दूर करते हुए लक्षित व्यापार लाभ की अनुमति देता है।
- **क्षेत्रीय पहलों में शामिल होंना** : इंडो-पैसिफिक, बिम्सटेक और आईओआरए जैसी क्षेत्रीय सहयोग पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेंना। यह मंच आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देते हैं।
- **घरेलू प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना**: भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए उपायों को लागू करना। इसमें बुनियादी ढाँचे में सुधार, कौशल विकास और नीतिगत सुधार शामिल हो सकते हैं, जिससे भारतीय व्यवसाय वैश्विक स्तर पर बेहतर प्रतिस्पर्धा कर सकें।
- **निर्यात में विविधता लाना:** मूल्य-वर्धित और उच्च-गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करना।
  - विशिष्ट बाजारों की पहचान करना और निर्यात-संभावित क्षेत्रों में निवेश करने से भारत को विशिष्ट वस्तुओं पर निर्भरता कम करने में मदद मिलती है।
- **सेवा शक्तियों का लाभ उठाना:** आईटी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी सेवाओं में भारत की ताकत का लाभ उठाना।भारत को सेवाओं और डिजिटल अर्थव्यवस्था में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने से क्षेत्रीय माँग का लाभ उठाने और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने में मदद मिलती है।
  - क्षेत्रीय व्यापार समझौतों, भौगोलिक विविधीकरण, घरेलू प्रतिस्पर्धात्मकता और रणनीतिक क्षेत्रीय पहलों पर केंद्रित बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाकर भारत आरसीईपी के बाद के परिदृश्य को दिशा दे सकता है तथा अपने व्यापार और आर्थिक साझेदारी में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित कर सकता है।

प्रमुख शब्दावलियाँ

मुक्त व्यापार समझौता, व्यापार ब्लॉक, व्यापार विविधीकरण, क्षेत्रीय व्यापार समझौते, इंडो-पैसिफिक सहयोग, घरेलू प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि, निर्यात विविधीकरण

31 शंघाई सहयोग संगठन (SCO)

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) एक स्थायी अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना एससीओ चार्टर द्वारा की गई है, जिस पर जून 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह सितंबर 2003 में लागू हुआ।

- **एससीओ में वर्तमान में आठ सदस्य देश शामिल हैं:** चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिज़ गणराज्य, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान।

उद्देश्य और सिद्धांत

- उग्रवाद, कट्टरपंथ, मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद से निपटना।
- व्यापार, कनेक्टिविटी और वित्तीय समावेशन द्वारा आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देना।
- एससीओ में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग एक तिहाई तथा वैश्विक जनसंख्या का 40 प्रतिशत हिस्सा शामिल है।
- "शंघाई भावना" का प्रमुख सिद्धांत व्यवहार में सन्निहित है, जिसमें पडोसी देशों के साथ अहस्तक्षेप, आम सहमति, सद्भाव, संस्कृति के प्रति सम्मान और गुटनिरपेक्षता शामिल है।

एससीओ से भारत को सामरिक

- **उन्नत स्थिति:** यूरेशियन सुरक्षा समूह के एक अभिन्न अंग के रूप में एससीओ भारत को इस क्षेत्र में धार्मिक विश्वास और सुरक्षा के कारण उत्पन्न होने वाली शक्तियों को हासिल करने में सक्षम बनाएगा।
- **प्रति-गठबंधन**: एससीओ भारत को रूस, ईरान और मध्य एशियाई गणराज्यों (सीएआर) के साथ अपने संबंधों का लाभ उठाने की अनुमति देता है ताकि चीन-पाकिस्तान गठबंधन का सामना किया जा सके।
- **कनेक्टिविटी को बढ़ावा:** SCO भारत की 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति' (Connect Central Asia Policy) को आगे बढ़ाने के लिये एक महत्त्वपूर्ण मंच का कार्य कर सकता है।
- **सुरक्षा सहयोग:** एससीओ अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी पहल के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (आरएटीएस) के माध्यम से खुफिया जानकारी साझा करके मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के उपायों की सुविधा भी देता है।
- **भू-राजनीतिक जुड़ाव:** एससीओ भारत को विभिन्न भू-राजनीतिक मुद्दों पर चीन और रूस जैसी प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों के साथ जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह बहुपक्षीय वैश्विक व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए भारत की स्थिति को सशक्त करता है।
- एससीओ में भारत की सदस्यता से उसे रणनीतिक लाभ मिलेगा, उसकी स्थिति मजबूत होगी, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा तथा उसकी सुरक्षा स्थिति मजबूत होगी।

एससीओ शिखर सम्मेलन 2022: प्रमुख परिणाम

- शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित की गई। यहाँ प्रमुख घटनाक्रमों का सारांश दिया गया है:
  - **नेतृत्व परिवर्तन:** भारत ने एससीओ की अध्यक्षता ग्रहण की और 2023 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।
  - **विस्तारित सदस्यता:** ईरान को स्थायी सदस्य के रूप में स्वीकृति प्राप्त हुई।
  - **सांस्कृतिक स्पॉटलाइट:** वाराणसी को 2022-2023 के लिए एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया था।
  - **समरकंद घोषणा:** सदस्य राज्यों ने अपने सहयोग लक्ष्यों को रेखांकित करते हुए एक संयुक्त घोषणा को अपनाया।
- **भारत की पहल:**
  - **खाद्य सुरक्षा:** भारत ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए बाजरा को बढ़ावा देने का समर्थन किया।
  - **पारंपरिक चिकित्सा:** भारत ने पारंपरिक चिकित्सा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक नए एससीओ कार्य समूह का प्रस्ताव रखा

प्रमुख शब्दावलियाँ

आतंकवाद, उग्रवाद का मुकाबला, आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, शंघाई स्पिरिट - भूराजनीतिक जुड़ाव, समरकंद घोषणा, भारत की पहल

पिछले वर्ष के प्रश्न

- 'संघर्ष का विषाणु एससीओ के कामकाज को प्रभावित कर रहा है'। उपरोक्त कथन के आलोक में समस्याओं को कम करने में भारत की भूमिका बताइये। **(2023)**

32 भारत और क्वाड

परिचय

चतुर्भुज सुरक्षा संवाद' अर्थात् क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है। 2007 के प्रारभ में गठित क्वाड में,हाल के वर्षों में पुनरुत्थान देखा गया है, यह आपसी समस्याओं पर बातचीत और सहयोग के लिए एक मंच के रूप में उभरा है।

क्वाड का महत्त्व

चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (QUAD) अपने सदस्य देशों के लिए कई प्रकार के लाभ प्रदान करता है:

- **स्वतंत्र और खुला इंडो-पैसिफिक:** अंतरराष्ट्रीय कानून को कायम रखना, संप्रभुता का सम्मान करना, नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और शांतिपूर्ण विवाद समाधान को बढ़ावा देना इत्यादि क्क्वाड के मुख्य सिद्धांत हैं।
- **आर्थिक समृद्धि:** क्वाड व्यापार और निवेश नीतियों को सरेखित करके, बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा देकर और कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाकर आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है, जिससे अंततः क्षेत्रीय विकास और अवसरों को बढ़ावा मिलता है।
- **सामूहिक सुरक्षा:** सूचना साझाकरण, संयुक्त सैन्य अभ्यास और समन्वित रणनीतियों के माध्यम से क्वाड समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद और हथियारों के प्रसार जैसे सुरक्षा खतरों से निपटता है।
- **लोकतंत्र को बढ़ावा देना:** साझा लोकतांत्रिक मूल्य, मानवाधिकार और कानून का शासन क्वाड सदस्यों को एक साथ बांधते हैं, जो क्षेत्र में इन सिद्धांतों को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करते हैं।

क्वाड: चीन के प्रभाव का प्रतिकार (counter)?

चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्वाड) हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के संभावित प्रतिकार के रूप में उभर रही है ।

- **सुरक्षा सहयोग:** क्वाड सदस्यों द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास और गश्त क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय कानून और नेविगेशन की स्वतंत्रता को बनाए रखने की उनकी प्रतिबद्धता का संकेत देते हैं, जो संभावित रूप से प्रमुख जलमार्गों तक पहुँच को प्रतिबंधित करने के चीनी प्रयासों को रोकते हैं।
- **आर्थिक लचीलापन:** चीन के प्रभाव को कम करते हुए क्वाड देशों का लक्ष्य आर्थिक परिदृश्य की आवश्यकता को समझते हुए, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल्स जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में अधिक मजबूत करना तथा विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना है।

समस्याएँ

चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड) को चीन के प्रति क्षेत्रीय संतुलन के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

- **चीन पर निर्भरता:** सभी क्वाड सदस्यों, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया, जिसका 38% निर्यात चीन को होता है,जो एक जटिल गतिशीलता पैदा करते हैं।
- **अपरिभाषित दृष्टि:** क्वाड परिभाषित रणनीतिक मिशन के बिना एक तंत्र बना हुआ है, इसके बावजूद सहयोग की संभावना है।
- **समुद्री प्रभुत्व:** इंडो-पैसिफिक पर पूरा ध्यान क्वाड को एक भूमि-आधारित समूह के बजाय एक समुद्र का हिस्सा बनाता है, यह सवाल उठता है कि क्या यह सहयोग एशिया-प्रशांत और यूरेशियन क्षेत्रों तक फैला हुआ है।
- **ध्यान केन्द्रण में भिन्नता:** भारत हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को प्राथमिकता देता है, जबकि अन्य तीन सदस्य प्रशांत क्षेत्र की ओर झुकाव रखते हैं। एकीकृत भौगोलिक ध्यान केन्द्रण की कमी सहयोग में बाधा बन सकती है।
- **चीन संबंधी निषेध:** आर्थिक अंतरनिर्भरता के कारण क्वाड स्पष्ट रूप से चीन को अपनी प्राथमिक रणनीतिक चिंता के रूप में नामित करने में संकोच करता है।

आगे की राह

इन चुनौतियों के बावजूद, क्वाड निम्नलिखित रणनीतियों के माध्यम से अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है:

- **व्यापार में विविधता लाना:** चीन पर आर्थिक निर्भरता को कम करने और अन्य देशों के साथ मजबूत व्यापार साझेदारी बनाने के प्रयासों से असुरक्षा कम होगी।
- **साझा हितों पर ध्यान देना:** समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता और आतंकवाद-विरोधी जैसे सामूहिक समस्याओं को प्राथमिकता देने से सामान्य उद्देश्य की भावना को बढ़ावा मिल सकता है।
- **अंतर-संचालनीयता (Interoperability) और संयुक्त अभ्यास:** नियमित सैन्य अभ्यास और क्वाड बलों के बीच बढ़ी हुई अंतर-संचालनीयता सामूहिक रक्षा क्षमताओं को बढ़ा सकती है।
- **मुक्त संचार:** बोझ-साझाकरण (burden-sharing) के बारे में समस्याओं को दूर को करना और चीन की मुखरता से खुलकर चर्चा करना क्वाड के भीतर विश्वास और पारदर्शिता का निर्माण कर सकता है।
- **क्वाड प्लस:**
  - समान हितों वाले वियतनाम, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण कोरिया आदि देशों को शामिल करके सदस्यता बढ़ाई जा सकती है।
  - यूरोपीय देश यूके और फ्रांस जिनके पास इस क्षेत्र में नौसैनिक अड्डे हैं, उन्हें भी विस्तारित क्वाड में शामिल किया जा सकता है।
- **गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों का समाधान:** क्वाड को जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा, साइबर खतरों और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट जैसी गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सक्रिय रूप से सहयोग करना चाहिए।

प्रमुख शब्दावलियाँ

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र, सामूहिक सुरक्षा, चीन के प्रभाव का प्रतिकार (COUNTER), असमान ताकत, विविधीकरण व्यापार, क्वाड प्लस।

समाचार में रहे मुद्दे (Issues in News)

2023 क्वाड शिखर सम्मेलन

- **संदर्भ:** हाल ही में हिरोशिमा में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय बुनियादी ढाँचे और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्त्वपूर्ण परिणाम सामने आए।
- **महत्त्वपूर्ण पहल:**
  - **बुनियादी ढाँचा विशेषज्ञता:** "क्वाड इन्फ्रास्ट्रक्चर फेलोशिप प्रोग्राम" नीति निर्माताओं को टिकाऊ बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के डिजाइन और प्रबंधन में सशक्त बनाएगा। "
- **समुद्र के अंदर केबल साझेदारी:**केबल कनेक्टिविटी और लचीलेपन के लिए साझेदारी" समुद्र के नीचे केबल बनाने और बनाए रखने के लिए संयुक्त विशेषज्ञता का लाभ उठाती है, जो संचार और इंटरनेट पहुँच के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- **ओपन RAN परिनियोजन:** ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क (ओआरएएन) बेस स्टेशनों के लिए एक नया विशिष्ट तकनीकी समाधान विकसित किया गया है जो असंबद्ध और दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य लागत पर उच्च गति और विश्वसनीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेगा। भारत द्वारा 2024 में अगले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी क्षेत्रीय सहयोग और विकास के लिए समूह के बढ़ते महत्त्व को रेखांकित करती है।

क्वाड अधिनियम को मजबूत करना

हाल ही में, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने "क्वाड सुदृढीकरण अधिनियम" पारित किया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान (क्वाड) के बीच घनिष्ठ सहयोग की प्रतिबद्धता का संकेत देता है।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- **उन्नत सहयोग:** अधिनियम भारत-प्रशांत क्षेत्र में आपसी हित के मुद्दों पर घनिष्ठ संबंधों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक क्वाड अंतः-संसदीय कार्य समूह की स्थापना करता है।
- **नियमित सहभागिता:** वार्षिक बैठकों और समूह नेतृत्व के लिए दिशानिर्देश निरंतर संचार और सहयोग सुनिश्चित करते हैं।
- **ध्यान केंद्रित किये जाने वाले वाले क्षेत्र:** अधिनियम अमेरिकी विदेश मंत्री को महामारी की तैयारी, तकनीकी नवाचार और आर्थिक एकीकरण जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक रणनीति विकसित करने का निर्देश देता है।

निष्कर्ष

क्वाड के भीतर अपने सहयोग के माध्यम से, इन देशों का लक्ष्य क्षेत्रीय विकास को आकार देना, अपने हितों की रक्षा करना और एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र में योगदान करना है।

प्रमुख शब्दावलियाँ

2023 क्वाड समिट, इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषज्ञता, अंडर-सी केबल पार्टनरशिप, ओपन आरएएन परिनियोजन, उन्नत सहयोग, नियमित जुड़ाव

33 उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO)

परिचय

नाटो एक सैन्य गठबंधन है, जिसकी स्थापना 1949 में अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी यूरोपीय राज्यों द्वारा सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। वर्तमान में नाटों में 32 सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना के बाद से, ग्रीस, तुर्की, पश्चिम जर्मनी, स्पेन और कई पूर्वी यूरोपीय देश गठबंधन में शामिल हो गए हैं।

नाटो के उद्देश्य

- **मार्गदर्शक सिद्धांत:**
  - **सामूहिक रक्षा:** नाटो का मुख्य उद्देश्य सामूहिक रक्षा दृष्टिकोण के माध्यम से अपने सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा करना है।
  - **राजनीतिक सहयोग:** नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है और सदस्यों को समस्याओं को हल करने, विश्वास बनाने और लंबे समय में, संघर्ष को रोकने के लिये रक्षा और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर परामर्श और सहयोग करने में सक्षम बनाता है।
  - **सैन्य क्षमता:** सैन्य क्षमता: नाटो संकट प्रबंधन कार्यों के लिए एक मजबूत सैन्य बल रखता है। हस्तक्षेप अनुच्छेद 5 (सामूहिक रक्षा) के तहत या संयुक्त राष्ट्र के आदेशों के तहत, स्वतंत्र रूप से या अन्य अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर काम करते हुए हो सकता है।
    - नाटो ने अनुच्छेद 5 का इस्तेमाल सिर्फ़ एक बार, 12 सितंबर, 2001 को, न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 हमलों के जवाब में किया है

नाटो के विस्तार के संबंध में चिंताएँ

- **एकता पर दबाव (Strain Unity):** एक बड़ा गठबंधन आम सहमति तक पहुँचने के लिए संघर्ष कर सकता है और सामूहिक रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कमजोर कर सकता है। (अनुच्छेद V)
- **असुरक्षा की भावना:** निरंतर विस्तार से यूक्रेन जैसे कुछ आशावादी सदस्य पूर्ण सदस्यता के बिना असुरक्षित महसूस कर सकते हैं।
- **वित्तीय बोझ:**विस्तार की लागत काफी अधिक है, अनुमान है कि 2010 तक यह 35 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगी। इन खर्चों का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका वहन करता है।
- **संघर्ष की संभावना:** नाटो का पूर्व की ओर विस्तार करने से रूस के साथ तनाव बढ़ सकता है, जिससे नए रूप से संघर्ष होने की संभावना हो सकती हैं।

भारत और नाटो: बदलते रिश्ते

ऐतिहासिक अनिच्छा

- **रणनीतिक दृष्टिहीनता**: भारत ने यूरोप के साथ रणनीतिक भागीदारी को प्राथमिकता नहीं दी है, बल्कि रूस के साथ अपने संबंधों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है।
- **शीत युद्ध के बाद की विफलता :** सोवियत पतन के बाद, भारत अपनी यूरोपीय नीति को नए परिदृश्य के अनुरूप ढालने में विफल रहा।
- **रूस-केंद्रित दृष्टिकोण:** भारत की यूरोपीय नीति रूस के साथ उसके संबंधों से काफी प्रभावित रही।

जुडाव की ओर

- **संबंधों में असमानता दूर करना:** भारत ने रूस-केंद्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हुए, यूरोपीय देशों के साथ स्वतंत्र रूप से संबंध विकसित करना शुरू कर दिया है।
- **उपेक्षा का प्रतिकार करना:** फ्रांस के साथ समुद्री सहयोग और नॉर्डिक एवं विसेग्राद चार देशों के साथ शिखर सम्मेलन जैसी पहलों में बढ़ी हुई भागीदारी स्पष्ट है।

अभी जुड़ाव क्यों?

- **शीत युद्ध की विरासत:** शीत युद्ध के दौरान भारत की गुटनिरपेक्ष नीति वर्तमान समय में नाटो से बचने का कोई प्रासंगिक कारण नहीं है।
- **संवाद, गठबंधन नहीं:** नाटो के साथ जुड़ने के लिए औपचारिक सदस्यता की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इससे प्रमुख यूरोपीय सुरक्षा साझेदारों के साथ सहयोग को बढ़ावा मिलता है
- **रणनीतिक अभिसरण:** भारत और नाटो दोनों चीन के उदय के बारे में चिंताओं को साझा करते हैं जिससे सहयोग को लाभकारी बनाने में मद्द मिलती है ।
- **रूस के बदलते गठबंधन:** चीन के साथ रूस के बढ़ते संबंधों से भारत की चिंताओं को यूरोपीय साझेदारी के कारण मजबूती से संतुलित किया जा सकता है।

रूस की भूमिका

- **विरोध की आशंका:** पश्चिम के साथ भारत के बढ़ते संबंधों के प्रति रूस की अविकृति सर्वविदित है।
- **हेजिंग बेट्स:** भारत अन्य साझेदारों के साथ जुड़ते हुए रूस के साथ अपने संबंध बनाए रखने की आवश्यकता को पहचानता है।
- **हितों का अभिसरण:** भारत और रूस दोनों वैश्विक बदलावों के बीच अपने द्विपक्षीय संबंधों की सुरक्षा के महत्त्व को समझते हैं।

- **यूरोप की आवश्यकता:** यूरोप को इंडो-पैसिफिक में सार्थक भूमिका निभाने के लिए भारत जैसे साझेदारों की आवश्यकता है।

बदलती दुनिया में नाटो की प्रासंगिकता

- **नए खतरों को अपनाना:** नाटो सक्रिय रूप से उभरते सुरक्षा खतरों का मुकाबला करता है:
  - यूक्रेन में रूस की आक्रामकता की निंदा करना और यूक्रेन की संप्रभुता का समर्थन करना।
  - अफगानिस्तान में अभियानों के माध्यम से आतंकवाद का मुकाबला करना और आईएसआईएस विरोधी गठबंधन को समर्थन देना।
  - नाटो संस्था की लम्बी उम्र और बढ़ती सदस्यता इसके निरंतर महत्त्व को दर्शाती है।
- **सैन्य साधनों से परे:** नाटो ने कर्मियों की सुरक्षा, चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने और नवीन समाधानों को बढ़ावा देकर COVID-19 महामारी के प्रति सक्रियता या फुर्ती प्रदर्शित की।
- **फोकस शिफ्ट: इंडो-पैसिफिक:** हाल ही के फैसले नाटो के संभावित पूर्व की ओर विस्तार का संकेत देते हैं, जिसका लक्ष्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित करना है। नाटो दस्तावेजों में चीन का शामिल होना इसके बढ़ते प्रभाव को स्वीकार करता है। ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे इंडो-पैसिफिक देशों के साथ जुड़ना , न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने में नाटो की उभरती भूमिका पर प्रकाश डालता है।

समाचार में मुद्दे

नाटो और स्वीडन के विलय के 75 वर्ष

- **संदर्भ:** हाल ही में, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) ने अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर, स्वीडन औपचारिक रूप से 32वें सदस्य के रूप में गठबंधन में शामिल हो गया।

हालिया नाटो शिखर सम्मेलन 2023

- **संदर्भ:** विनियस, लिथुआनिया में आयोजित नवीनतम 2023 नाटो शिखर सम्मेलन ने गठबंधन को मजबूत करने और विस्तार करने के नए कारण को रेखांकित किया।

शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम:

- **यूक्रेन को मजबूत बनाना:** नाटो-यूक्रेन परिषद का गठन, मौजूदा चुनौतियों का सामना करने में यूक्रेन के लिए सहयोग और समर्थन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **विस्तारित गठबंधन:** फिनलैंड और स्वीडन का नाटो में शामिल होना गठबंधन की सदस्यता का विस्तार करने और विशेष रूप से रूस से संभावित खतरों को रोकने के संकल्प को रेखांकित करता है।
- **अमेरिकी पुनःप्रतिबद्धता:** नाटो और यूक्रेन पर राष्ट्रपति बिडेन का कड़ा रुख पिछले प्रशासन के दृष्टिकोण के विपरीत है, जो गठबंधन के लिए अमेरिकी समर्थन को मजबूत करता है।
- **चीन का बढ़ता खतरा:** शिखर सम्मेलन में चीन के बढ़ते प्रभाव को स्वीकार किया गया, जिसमें उसकी दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधियां, आक्रामक बयानबाजी और गलत सूचना अभियान शामिल हैं, तथा इन्हें यूरो-अटलांटिक सुरक्षा के लिए खतरा माना गया।
- **निरंतर तनाव:** शिखर सम्मेलन के दौरान कीव पर रूस का ड्रोन हमला, नाटो के संभावित विस्तार पर चर्चा के बावजूद, यूरेशिया में चल रही सुरक्षा चिंताओं को रेखांकित करता है।

निष्कर्ष

नाटो के प्रति भारत का दृष्टिकोण विकसित हो रहा है।नाटो के साथ जुड़ने से भारत के मूल हितों से समझौता किए बिना संवाद और सहयोग के अवसर मिलते हैं, जबकि ऐतिहासिक कारकों ने इसके प्रारंभिक रुख को आकार दिया, रणनीतिक परिदृश्य बदल रहा है।

प्रमुख शब्दावलियाँ

सामूहिक रक्षा, राजनीतिक सहयोग और कूटनीति, सैन्य क्षमता और संकट प्रबंधन, रूस के साथ संभावित संघर्ष।

पिछले वर्ष के प्रश्न

- नाटो का विस्तार एवं सुदृढीकरण, और एक मजबूत अमेरिका-यूरोप रणनीतिक साझेदारी भारत के लिये अच्छा काम करती है।' इस कथन के बारे मे आपकी क्या राय है ? अपने उत्तर के समर्थन में कारण और उदाहरण दीजिये। **(2023)**

34 भारत और जी-20

परिचय

जी-20 या ग्रुप ऑफ 20 वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर सहयोग के लिए एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मंच है।यह वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसे मामलों पर चर्चा करने और नीतियाँ बनाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं।

G20 की भूमिका और फोकस

- **वैश्विक शासन को आकार देना:** जी-20 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक आर्थिक संरचनाओं और शासन को आकार देने और सुदृढ़ बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **व्यापक एजेंडा:** G20 ने व्यापार, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दों सहित एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है।
- **लैंगिक समानता को बढ़ावा देना:**जी-20 का विशेष ध्यान कार्यबल में लैंगिक अंतर को कम करने पर है, तथा इसका लक्ष्य 2025 तक इस असमानता में 25% की कमी लाना है।
- **कूटनीति को सुदृढ़ बनाना:** जी-20 शिखर सम्मेलन नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठकों के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समझौतों को बढ़ावा मिलता है।
- **एजेंडा का संचालन:**जी20 प्रेसीडेंसी एक वर्ष के लिए समूह के एजेंडे का मार्गदर्शन करती है और शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करती है। ट्रोइका G20 के भीतर एक शीर्ष समूह को संदर्भित करता है जिसमें वर्तमान, पिछला और आगामी अध्यक्ष देश यानी इंडोनेशिया, इटली और भारत शामिल हैं।ट्रोइका सदस्य के रूप में भारत G20 के एजेंडे की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये इंडोनेशिया और इटली के साथ मिलकर काम करेगा।

G20 की चुनौतियाँ

- **विभाजित दृष्टिकोण**:सदस्य देशों के बीच भिन्न प्राथमिकताएँ और उनके अपने हित महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति बनाने में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण एकीकृत कार्रवाई में समस्या होती है।
- **सीमित प्राधिकार:** कानूनी प्रवर्तन शक्ति के अभाव में, G20 सदस्य देश आपसी सहयोग पर निर्भर है, जो इसे भू-राजनीतिक तनाव और परस्पर विरोधी एजेंडे के प्रति संवेदनशील बनाता है।
- **विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं:** आम सहमति एवं चर्चा के आधार पर निर्णय लिया जाता है और इसी के आधार पर घोषणाएँ की जाती हैं। ये घोषणाएँ कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती हैं। यह 20 सदस्यों का सिर्फ एक सलाहकारी या परामर्शी समूह होता है।
- **पारदर्शिता की कमी:**जी-20 सीमित सार्वजनिक निगरानी और जवाबदेही के साथ काम करता है, जिससे इसकी निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में चिंताएँ बढ़ जाती हैं।
- **संरक्षणवादी दबाव:** प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच संरक्षणवाद और व्यापार संघर्षों के बढ़ने से वैश्विक समाधान प्राप्त करने की G20 की क्षमता और भी जटिल हो गई है।

आगे की राह

- **समावेशिता को अपनाना:** अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और उत्तरदायी मंच सुनिश्चित करने के लिए गैर-सदस्य देशों और विविध हितधारकों को सक्रिय रूप से शामिल करना।
- **सहयोग पर ध्यान देना**: पारंपरिक गठबंधनों से आगे बढना और कई मुद्दों पर सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना।
- **प्रतिबद्धताओं को पूरा करना:** G20 की विश्वसनीयता को मजबूत करने के लिए नेताओं को अपने वादों को ठोस कार्यों में बदलना चाहिए।
- **निरंतरता सुनिश्चित करना:** दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें और विभिन्न अध्यक्ष पदों पर महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर निरंतर कार्रवाई को प्राथमिकता देना।

प्रमुख शब्दावलियाँ

वैश्विक आर्थिक सहयोग (जी20), कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग G20 प्रेसीडेंसी और ट्रोइका, संरक्षणवादी दबाव, सहयोग और सामूहिक कार्रवाई,

भारत और G20

भारत ने हाल ही में दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक जी20 फोरम की अध्यक्षता संभाली। यह एक महत्त्वपूर्ण क्षण था, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भागीदार के रूप में भारत की भूमिका को चिह्नित किया। अपनी अध्यक्षता के दौरान, भारत ने सतत विकास, जलवायु परिवर्तन और समावेशी विकास जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया, जो भविष्य के लिए अपनी प्राथमिकताओं को दर्शाता है, **'वसुधैव कुटुंबकम'** या 'विश्व एक परिवार है' की सच्ची भावना को प्रकट करता है।

भारत की अध्यक्षता में G20 द्वारा निर्धारित प्राथमिकताएँ

भारत की G20 अध्यक्षता ने वैश्विक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी:

- **हरित एवं सतत विकास:** भारत एक समर्पित G20 कार्य योजना के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के कार्यान्वयन का समर्थन करता है।
- **LiFE और जलवायु वित्त:** "पर्यावरण के लिए जीवन शैली" (LiFE) पहल, सतत विकास पर G20 के उच्च-स्तरीय सिद्धांतों के साथ मिलकर, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलना है।
- **समावेशी और लचीला विकास:** भारत ऐसे आर्थिक विकास की वकालत करता है, जिससे सभी को लाभ हो, तीव्र गति से बदलती विश्व में समावेशिता सुनिश्चित हो और लचीलेपन को बढ़ावा मिले।
- **डिजिटल परिवर्तन और बुनियादी ढाँचा:** 21वीं सदी में प्रगति के लिए डिजिटल समाधान और सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढाँचे में निवेश महत्त्वपूर्ण है।
- **बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करना:** भारत वैश्विक सहयोग को मजबूत करने के लिए डब्ल्यूटीओ और डब्ल्यूएचओ जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में सुधार का आह्वान करता है।
- **महिलाओं को सशक्त बनाना:** भारत का G20 एजेंडा महिलाओं के विकास से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, बेहतर भविष्य को आकार देने में उनके नेतृत्व को बढ़ावा देता है।

भारत G20 प्रेसीडेंसी के तहत वैश्विक क्रिप्टो विनियमन पर जोर देता है

- **भारत का रुख:** जी20 अध्यक्ष पद का नेतृत्व कर रहे भारत के वित्त मंत्री क्रिप्टोकरेंसी और इसी तरह की संपत्तियों के लिए एक समन्वित वैश्विक नियामक ढाँचे की वकालत करते हैं। यह दृष्टिकोण अमेरिकी ट्रेजरी सचिव द्वारा समर्थित है।
- **RBI की चिंताएँ:** हालाँकि,भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) वित्तीय स्थिरता के लिए संभावित जोखिमों के कारण क्रिप्टोकरेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध का समर्थन करता है।
- **समाधान के लिए सहयोग:** एकीकृत वैश्विक दृष्टिकोण को सुविधाजनक बनाने के लिए, आरबीआई और वित्तीय स्थिरता बोर्ड एक तकनीकी पेपर पर काम कर रहे हैं।
- जी-20 में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका क्रिप्टोकरेंसी द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों से निपटने के लिए एक सहयोगात्मक अंतरराष्ट्रीय ढाँचा स्थापित करने का अवसर प्रदान करती है।

अध्यक्षता का महत्त्व

- **शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना:** भारत की G20 अध्यक्षता को रूस और यूक्रेन के बीच शांति की मध्यस्थता के लिए एक संभावित मंच के रूप में देखा जाता है, जो वैश्विक शांति निर्माता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है।
- **उत्तर-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना:** भारत और यूरोपीय संघ सुधारित बहुपक्षवाद, जलवायु कार्रवाई और यूक्रेन संघर्ष जैसे मुद्दों पर सफल उत्तर-दक्षिण सहयोग प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में जी20 का उपयोग कर सकते हैं।
- **संकट के समय में नेतृत्व:** भारत की G20 की अध्यक्षता एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। दुनिया महामारी के परिणाम और यूक्रेन में चल रहे युद्ध से जूझ रही है। भारत का नेतृत्व वैश्विक सहयोग के लिए एक अत्यंत आवश्यक अवसर प्रदान करता है।
- **वैश्विक स्वास्थ्य को मजबूत बनाना:** भारत की अध्यक्षता वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने का अवसर प्रस्तुत करती है। CoWIN की तरह अपने डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे को साझा करने से अन्य देशों को मदद मिल सकती है।
- **विकास संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान देना:** भारत विकासशील देशों, छोटे द्वीप देशों और आर्थिक कठिनाई का सामना करने वाले लोगों की तत्काल जरूरतों की वकालत कर सकता है।
- **क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना:** भारत की जी20 की अध्यक्षता बिम्सटेक देशों के लिए आर्थिक महत्त्व रखती है, इसका उद्देश्य क्षेत्रीय संबंधों को मजबूत करना और भारत की "नेबरहुड फर्स्ट" और "एक्ट ईस्ट" नीतियों के साथ तालमेल बिठाना है।

भारत की अध्यक्षता में प्रमुख उपलब्धियाँ

- **अफ्रीका का समर्थन:** भारत ने जी-20 मंच पर अफ्रीकी देशों के समक्ष मौजूद विशिष्ट विकास चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
- **समावेशी सहभागिता:** "जनभागीदारी" के सिद्धांत का पालन करते हुए, भारत ने जी-20 चर्चाओं में युवाओं, महिलाओं, व्यवसायों और नागरिक समाज को सक्रिय रूप से शामिल किया।
- **वैश्विक सहयोग:** "वसुधैव कुटुंबकम" (दुनिया एक परिवार है) की अवधारणा से प्रेरित होकर, भारत ने सतत भविष्य के लिए वैश्विक सहयोग पर जोर दिया।
- **कश्मीर शोकेस:** कश्मीर में जी20 बैठक के स्थान ने इस मुद्दे पर भारत की स्थिति को बरकरार रखते हुए क्षेत्र की पर्यटन क्षमता पर प्रकाश डाला।
- **ग्लोबल साउथ के लिए आवाज:** भारत ने विकासशील देशों की जरूरतों, संसाधनों तक समान पहुँच और न्यायसंगत विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने की वकालत की।

समाचार में मुद्दे

G20 में अफ्रीकी संघ (AU) का समावेशन

अफ्रीकी संघ (एयू) जी20 का स्थायी सदस्य बन गया है, जो वैश्विक शासन में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।

G20 के लिए लाभ:

- **अफ्रीका की क्षमता का दोहन:** एयू अफ्रीका के विशाल नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों और महत्त्वपूर्ण खनिजों को सामने लाता है, जिससे जलवायु परिवर्तन शमन में सहायता मिलती है।
- **बढ़ी हुई विश्वसनीयता:** एयू के शामिल होने से जी-20 की पहुँच व्यापक होगी, तथा अधिक समावेशी और वैश्विक रूप से प्रभावशाली समाधानों को बढ़ावा मिलेगा।
- **एक अधिक प्रतिनिधि संस्था:** जी-20 अब वैश्विक समुदाय को अधिक प्रतिबिंबित करता है,तथा एक अधिक न्यायपूर्ण एवं अधिक टिकाऊ विश्व के समर्थक के रूप में इसकी छवि मजबूत हो रही है।

अफ्रीका के लिए लाभ:

- **अधिक प्रभाव:** कर, ऋण और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर वैश्विक चर्चाओं को आकार देने में AU को एक मजबूत आवाज मिलती है।

- **धारणा में बदलाव:** यह समावेश अफ्रीका के बढ़ते आर्थिक और राजनीतिक महत्त्व को दर्शाता है, जो केवल चुनौतियों का सामना करने वाले महाद्वीप की धारणा से परे है।
- **सक्रिय भागीदारी:** AU अब सक्रिय रूप से उन चर्चाओं में भाग ले सकता है जो सीधे अफ्रीका के भविष्य को प्रभावित करते हैं, एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के बजाय एक प्रमुख योगदानकर्ता बन जाते हैं।

भारत के लिए लाभ:

- **ग्लोबल साउथ महत्त्वपूर्ण:** AU के लिए भारत की वकालत विकासशील देशों के लिए एक नेत्रत्वकर्ता के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करती है।
- **वैश्विक लक्ष्यों के साथ संरेखित:** यह कदम बहुध्रुवीय विश्व और अधिक न्यायसंगत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए भारत के दृष्टिकोण के साथ संरेखित है।
- **समर्थन की संभावना:** AU के लिए भारत का समर्थन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट के लिए भारत की आकांक्षाओं के लिए AU के समर्थन में परिवर्तित हो सकता है।
- जी20 में AU का शामिल होना सहयोग के एक नए युग का प्रतिनिधित्व करता है। यह अफ्रीका को अपने भविष्य को आकार देने में अधिक सक्रिय रूप से योगदान करने और जी20 को अधिक समावेशी परिप्रेक्ष्य के साथ वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

निष्कर्ष

भारत की G20 अध्यक्षता ने वैश्विक कल्याण को बढ़ावा देने, समावेशी जुड़ाव को बढ़ावा देने और वैश्विक दक्षिण की वकालत करने पर ध्यान केंद्रित किया। भारत का लक्ष्य सहयोग को प्राथमिकता देकर और महत्त्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करके, सभी के लिए अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ भविष्य को आकार देना है।

प्रमुख शब्दावलियाँ

वसुधैव कुटुंबकम, लाइफ इनिशिएटिव, बहुपक्षवाद सुधार (डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ), उत्तर-दक्षिण सहयोग (ईयू), क्षेत्रीय सहयोग (पड़ोसी पहले), समावेशी जुड़ाव (जनभागीदारी), ग्लोबल साउथ के लिए आवाज (समान पहुँच और न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था)

35 G-7

G-7, विश्व की सात प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है : जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। ये सभी देश व्यापार, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास जैसे वैश्विक मुद्दों संबंधी नीतियों पर चर्चा और समन्वय करने के लिए प्रतिवर्ष बैठक करते हैं।

G7 की भूमिका

सात देशों का समूह (G7) दुनिया के समक्ष मौजूद गंभीर मुद्दों के समाधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ इसके प्रमुख कार्यों का विवरण दिया गया है :

- **वैश्विक नेतृत्व :** G7 अपने संयुक्त आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव से प्रमुख वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए मंच तैयार करता है।

G7 से संबंधित तथ्य

7 सदस्य राष्ट्र

वर्ष **1975** में छह सदस्यों के समूह की पहली बैठक

वैश्विक जीडीपी का **40%**

विश्व की जनसंख्या का **1/10**

वर्ष **2014** में क्रीमिया पर कब्जे के मामले में रूस को निलंबित कर दिया गया

- **सामूहिक कार्रवाई:** यह एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा खतरों जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चाओं को प्रभावित करता है और सहयोग को बढ़ावा देता है।
- **व्यापक भागीदारी:** G7, चर्चाएँ शुरू करके व्यापक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त करता है जिसे बाद में अधिक समावेशी मंचों द्वारा संबोधित किया जाता है।
- **उभरते संकटों का समाधान:** यह समूह उभरते वैश्विक संकटों का जवाब देने में सक्षम है, जैसा कि COVID-19 महामारी और यूक्रेन युद्ध के संबंध में इसके हालिया प्रयासों में देखने को मिलता है।

प्रमुख शब्दावलियाँ

प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाएँ, वैश्विक नेतृत्व, सामूहिक कार्रवाई, सुरक्षा खतरे, व्यापक भागीदारी, G-7 (समूह सात) आदि।

भारत और G7

भारत और G7 देशों के मध्य संबंध अधिक घनिष्ठ हो रहे हैं। भले ही भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन हालिया शिखर सम्मेलनों में उसे एक अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इसका प्रमुख कारण विश्व पटल पर भारत की तीव्र आर्थिक प्रगति और वैश्विक मंच पर उसका सतत बढ़ता महत्त्व है। इस सहयोग से भारत सहित सभी G-7 देशों को लाभ होगा: भारत G7 की विशेषज्ञता से सीख सकता है और G7, भारतीय बाजार एवं उसके प्रभाव का लाभ उठा सकता है।

भारत के लिए G7 का महत्त्व

- **वैश्विक आवाज:** भारत की भागीदारी भारत को विकासशील दुनिया की ओर से वैश्विक चुनौतियों के समाधान में योगदान करने में सक्षम बनाता है
- **वैश्विक समस्या-समाधान:** G7 की चर्चाओं में महत्त्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श होते है, जहाँ भारत की विशेषज्ञता बहुमूल्य हो सकती है।
- **लोकतांत्रिक नेतृत्व:** सत्तावादी शक्तियों के विपरीत, भारत की उपस्थिति लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- **अंतराल को भरना:** भारत, विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है और उनके मध्य सहयोग को बढ़ावा देता है।
- **रणनीतिक अंतर्दृष्टि:** भारत को महत्त्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर प्रमुख शक्तियों के दृष्टिकोण के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होती है।
- **मजबूत साझेदारी का निर्माण:** G7 विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- **भविष्य को आकार देना:** इसकी भागीदारी से भारत अंतरराष्ट्रीय नीतियों एवं संस्थानों को प्रभावित करने करने में सक्षम होता है

भारत G7 के लिए क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- **प्रमुख वैश्विक इकाई:** भारत की आर्थिक और सैन्य शक्ति उसे विश्व मंच पर एक प्रमुख वैश्विक इकाई के रूप में स्थापित करती है।
- **उत्तरदायी नेतृत्व:** भारत नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देकर, चीन पर जवाबी कार्यवाही का विकल्प प्रस्तुत करता है।
- **आर्थिक महाशक्ति:** भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था इसे व्यापार और निवेश के लिए एक आकर्षक भागीदार बनाती है। भारत के बड़े सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिद्वंद्वियों ने G7 अर्थव्यवस्थाओं की स्थापना की है।
- **वैश्विक व्यवस्था को संतुलित करना :** G7 के सदस्य देश भारत को चीन के बढ़ते प्रभाव के संभावित प्रतिकार के रूप में देखते हैं।
- **इंडो-पैसिफिक के प्रमुख पक्ष:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत का रणनीतिक महत्त्व G7 के हितों के अनुरूप है।
- **ग्लोबल साउथ की आवाज:** भारत को शामिल करने से विकासशील देशों के साथ G7 का संबंध और अधिक मजबूत होगा।

G7 में शामिल न होने के प्रमुख के कारण

G7 में स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल होने का भारत का निर्णय अभी स्पष्ट नहीं है। भारत की झिझक के कुछ प्रमुख कारण यहाँ दिए गए हैं:

- **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के G7 में शामिल होने से यह चीन के लिए एक संभावित सुरक्षा जोखिम बन सकता है।
- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** G7 के कुछ सदस्य देशों के साथ औपनिवेशिक अतीत, पश्चिम के प्रति अविश्वास की भावना पैदा करता है।
- **भू-राजनीतिक संरेखण:** भारत, G7 आमंत्रण को रूस के खिलाफ पश्चिम के साथ जुड़ने और संभावित रूप से BRICS (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) को कमजोर करने के लिए दबाव डालने के प्रयास के रूप में देख सकता है।

निष्कर्ष

G7 और भारत एक पारस्परिक रूप से लाभप्रद साझेदारी प्रस्तुत करते हैं। भारत के योगदान तथा बढ़ते प्रभाव को G7 द्वारा काफी महत्त्व दिया जाता है, जबकि इसी क्रम में भारत को वैश्विक चर्चा को स्वरूप देने और रणनीतिक गठबंधन बनाने के लिए एक मंच प्राप्त होता है। निष्कर्षत: यह सहयोग अधिक स्थिर एवं समृद्ध भविष्य में योगदान दे सकता है।

प्रमुख शब्दावलियाँ

भारत-G7 संबंध, अतिथि भागीदारी, विश्वव्यापी प्रभाव, ग्लोबल वॉयस, प्रमुख वैश्विक इकाई, उत्तरदायी नेतृत्व, आर्थिक शक्ति, सुरक्षा संबंधी चिंताएँ, भू-राजनीतिक संरेखण आदि।

36 विश्व बैंक समूह और भारत

परिचय

- विश्व बैंक एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो विकासशील देशों को ऋण और अनुदान देकर निर्धनता से उबारने का कार्य करती है।
- विश्व बैंक समूह पाँच संस्थागत समूहों का एक भाग है, जो निजी क्षेत्र के विकास, निवेश गारंटी और निवेश विवादों के निपटारे पर भी ध्यान केंद्रित करता है।
- विश्व बैंक अपने वित्तपोषण, सलाह और शोध के माध्यम से वैश्विक विकास प्रयासों में एक प्रमुख भूमिका निभाता है।
- इसमें 189 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं।

विश्व बैंक की संरचना

संस्था का नाम	अधिदेश	क्या भारत इसका सदस्य है?
पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक **(IBRD)**	यह मध्यम आय और निम्न आय वाले लेकिन ऋण योग्य देशों की सरकारों को ऋण वित्तपोषण प्रदान करता है।	हाँ।
अंतरराष्ट्रीय विकास संघ **(IDA)**	यह सबसे गरीब देशों की सरकारों को ब्याज मुक्त ऋण, जिन्हें क्रेडिट और अनुदान कहा जाता है, प्रदान करता है।	हाँ।
अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम **(IFC)**	यह निजी क्षेत्र पर विशेष रूप से केंद्रित सबसे बड़ा वैश्विक विकास संस्थान है।	हाँ।
बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी **(MIGA)**	यह आर्थिक विकास को समर्थन देने, गरीबी कम करने और लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देता है।	हाँ।
निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र **(ICSID)**	यह निवेश विवादों के समाधान और मध्यस्थता के लिए अंतरराष्ट्रीय सुविधाएँ प्रदान करता है।	नहीं, भारत इसका सदस्य नहीं है।

विश्व बैंक के मुख्य कार्य

- **वित्तीय सहायता:** विश्व बैंक सदस्य देशों को उनके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कम लागत वाले ऋण, अनुदान और यहाँ तक कि ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है।
- **सतत विकास अभियान:** इस संस्थान ने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निर्धनता को समाप्त करने एवं साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के अपने लक्ष्यों के साथ जुड़कर उन्हें प्राप्त करने की दिशा में यह सक्रिय रूप से कार्य करता है।
- **ज्ञान का आदान-प्रदान:** नीति सलाह, अनुसंधान विश्लेषण तथा तकनीकी सहायता प्रदान करके सार्वजनिक एवं निजी संस्थाओं के साथ सहयोग करता है। इस विशेषज्ञता और प्रशिक्षण से सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों को लाभ होता है।

विश्व बैंक और भारत

- **आधारभूत संबंध:** भारत ने विश्व बैंक की स्थापना, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में भाग लेने और यहाँ तक कि इसके मूल नाम का प्रस्ताव देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **भारत के विकास में सहयोग:** विश्व बैंक ने अपनी स्थापना के बाद से लगातार भारत की विकास यात्रा का समर्थन किया है।
- **संकट पर प्रतिक्रिया:** COVID-19 महामारी के दौरान, विश्व बैंक ने भारत सरकार और अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी की, जैसे:
  - स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक कार्यक्रमों और अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करना।
  - भारत की COVID-19 प्रतिक्रिया में सहायता के लिए $2.75 बिलियन की आपातकालीन निधि प्रदान की।

विश्व बैंक और भारत के बीच साझेदारी का हालिया विकास क्रम

विश्व बैंक और भारत के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो विभिन्न क्षेत्रों में विकास पर केंद्रित है। यहाँ उनके हालिया सहयोग के कुछ पहलू दिए गए हैं:

- **शिक्षा:** इसका उद्देश्य विशेष रूप से लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त, इस संस्था ने कौशल विकास पहल का भी समर्थन किया है।
- **सामाजिक क्षेत्र:** COVID-19 के प्रभाव को कम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया है।
- **स्वास्थ्य:** स्वास्थ्य देखभाल सेवा के बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने और महामारी से लड़ने के लिए महत्त्वपूर्ण वित्तपोषण का प्रस्ताव किया है। विशेष रूप से, नए एचआईवी संक्रमणों में महत्त्वपूर्ण रूप से कमी लाने में योगदान दिया और तपेदिक उपचार कार्यक्रमों का समर्थन किया है।
- **पोषण:** वर्ष 2015 से लाखों गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं तक महत्त्वपूर्ण सहायता पहुँचाई गई है।

- **ऊर्जा:** मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित करने हेतु सहयोग किया है।
- **बुनियादी ढाँचा:** इस संस्था ने ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
- **लॉजिस्टिक्स:** विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है।

चुनौतियाँ और अवसर

भारतीय शहरों पर विश्व बैंक की रिपोर्ट में तेजी से बढ़ती जनसंख्या को समायोजित करने के लिए शहरी बुनियादी ढाँचे में अधिक निवेश की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। चुनौतियों में निजी वित्त को आकर्षित करना और नगर निगम के राजस्व संग्रह में सुधार करना शामिल है। रिपोर्ट में शहर की वित्तीय स्थिति और साख को मजबूत करने की सिफारिश की गई है।

विश्व बैंक समूह से संबंधित चुनौतियाँ

विश्व बैंक (WBG) को कई कमियों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है:

- **असंतुलित प्रतिनिधित्व:** मतदान संरचनाओं के कारण निर्णय लेने में विकासशील देशों की भूमिका कम होती है।
- **ऋण संबंधी शर्तें:** ऋण की शर्तें आर्थिक नीतियों और प्रथाओं को लागू करके ऋण लेने वाले राष्ट्रों की संप्रभुता से समझौता कर सकती हैं।
- **कार्यान्वयन अंतराल:** विश्व बैंक समूह अपने स्वयं के मूल्यांकन निकायों से सुधार के लिए सिफारिशों को लागू करने के लिए संघर्ष करता है।
- **अस्थिर विकास मॉडल:** पर्यावरणीय या सामाजिक प्रभाव पर विचार किए बिना आर्थिक विकास पर विश्व बैंक समूह का ध्यान लंबे समय के लिए हानिकारक हो सकता है।
- **बड़ी परियोजना संबंधी पूर्वाग्रह:** बड़े पैमाने की परियोजनाएँ निवेशकों को आकर्षित करती हैं लेकिन उनमें प्रायः जलवायु लक्ष्यों के साथ तालमेल की कमी होती है और वे समुदायों को विस्थापित कर सकती हैं।

आगे की राह

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, विश्व बैंक समूह निम्नलिखित सुधारों पर विचार कर सकता है:

- **प्रतिनिधित्व संबंधी पुनर्मूल्यांकन:** निर्णय लेने की प्रक्रिया में विकासशील देशों के लिए अधिक न्यायसंगत आवाज सुनिश्चित करना।
- **लचीली ऋण शर्तें:** ऋण की ऐसी शर्तें निर्धारित की जाएँ जो वित्तीय उत्तरदायित्व बनाए रखते हुए उधारकर्ता देशों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दें।
- **सतत विकास को प्राथमिकता:** सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन को परियोजना मूल्याँकन में एकीकृत करना।
- **छोटी परियोजनाओं को समर्थन:** छोटे पैमाने की पहलों के लिए संसाधन आवंटित करना जिनका स्थानीय स्तर पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।
- **साझेदारी निर्माण:** विकास के लिए अधिक समग्र दृष्टिकोण हेतु विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाने के लिए अन्य संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करना।

इन परिवर्तनों को लागू करके, विश्व बैंक समूह वैश्विक विकास को बढ़ावा देने में एक अधिक प्रभावी और जिम्मेदार अभिकर्ता बन सकता है।

प्रमुख शब्दावलियाँ

वित्तीय सहायता, ऋण संबंधी शर्तें, वैश्विक चुनौतियाँ, सामूहिक समाधान, सतत विकास, शांति स्थापना, मानवाधिकार, वैश्विक स्वास्थ्य। आदि।

37 विश्व व्यापार संगठन और भारत

परिचय

- विश्व व्यापार संगठन (WTO) अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए विश्व का एक केंद्रीय संगठन है।
- वर्ष 1995 में स्थापित, यह सामान्यीकृत शुल्क और व्यापार समझौते (GATT) जैसे पिछले समझौतों की परिणति का प्रतिनिधित्व करता है।
- 164 सदस्य देशों के साथ और 98% से अधिक वैश्विक व्यापार को शामिल करते हुए, डब्ल्यूटीओ व्यापार समझौतों पर वार्ता करने और उन्हें लागू करने के लिए एक मंच के रूप में कार्यरत है।
- इसका मुख्य उद्देश्य सुचारू, पूर्वानुमानित और मुक्त-प्रवाह की प्रकृति वाले अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुनिश्चित करना है।

व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौता (GATT)

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार को आकार देने में टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT) ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 1948 में स्थापित, यह 1995 में विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा अपनी जिम्मेदारियाँ संभालने तक व्यापार नियमों के लिए प्राथमिक ढाँचा बना हुआ था।

- **GATT की सीमाएँ:** अपने योगदान के बावजूद, GATT की कुछ सीमाएँ थीं: जैसे
  - **सीमित दायरा:** GATT ने मुख्य रूप से वस्तुओं पर टैरिफ और कोटा कम करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें सेवाओं या बौद्धिक संपदा में व्यापार को संबोधित करने का अधिकार नहीं था।
  - **संस्थागत कमियाँ:** GATT औपचारिक संस्थागत ढाँचे के बिना समझौतों के एक समूह के रूप में संचालित होता है, जो प्रवर्तन एवं विवाद समाधान में बाधा डालता है।
- **विश्व व्यापार संगठन का उदय:** विश्व व्यापार संगठन ने वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा में व्यापार को नियंत्रित करने वाले एक व्यापक कानूनी ढाँचे की स्थापना करके इन कमियों को संबोधित किया। इसने व्यापार समझौतों की देखरेख और सदस्य देशों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक स्थायी संस्थागत संरचना भी बनाई।

विश्व व्यापार संगठन के कार्य

विश्व व्यापार संगठन विभिन्न कार्यों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय संस्था के रूप में कार्य करता है:

- **व्यापार समझौते लागू करना:** विश्व व्यापार संगठन यह सुनिश्चित करता है कि सदस्य देश व्यापार सौदों के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करें। इसमें विशिष्ट देशों के लिए अधिमान्य व्यवहार जैसी अनुचित प्रथाओं को रोकना शामिल है।

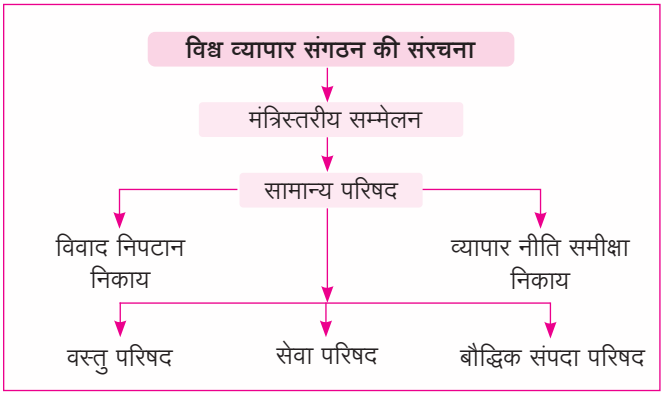

- **व्यापार वार्ता हेतु मंच प्रदान करना:** यह देशों को व्यापार समझौतों पर बातचीत करने और विवाद समाधान तंत्र स्थापित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है (उदाहरण के लिए, कृषि और बौद्धिक संपदा पर समझौते)।
- **व्यापार विवादों का समाधान :** विश्व व्यापार संगठन औपचारिक सुनवाई के माध्यम से सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने के लिए एक मंच प्रदान करता है (उदाहरण के लिए, कृषि सब्सिडी पर विवाद)।
- **व्यापार प्रवाह को बढ़ावा:** यह सीमाओं के पार वस्तुओं और सेवाओं के सहज आदान-प्रदान के लिए एक कानूनी ढाँचा स्थापित करता है।
- **व्यापारिक क्षमता का निर्माण:** विश्व व्यापार संगठन विकासशील देशों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रभावी ढंग से भाग लेने में समर्थन देता है। इसमें उन्हें व्यापार वार्ताओं और समझौतों को संचालन करने में मदद करने के लिए तकनीकी सहायता कार्यक्रम शामिल हैं।

विश्व व्यापार संगठन की शासन-विधि

- **मंत्रिमंडल स्तरीय सम्मेलन:** यह विश्व व्यापार संगठन की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली एक संस्था है और इसकी बैठक सामान्य तौर पर प्रत्येक दो वर्ष में होती है।
- **सामान्य परिषद:** यह जिनेवा में स्थित विश्व व्यापार संगठन (WTO) की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, और इसकी बैठकें नियमित रूप से आयोजित होती हैं।
- **व्यापार नीति समीक्षा निकाय (TPRB):** डब्ल्यूटीओ जनरल काउंसिल व्यापार नीति की समीक्षा करने और व्यापार नीति विकास पर महानिदेशक की नियमित रिपोर्ट पर विचार करने के लिए टीपीआरबी के रूप में बैठक करती है।
- **विवाद निपटान निकाय (DSB):** डब्ल्यूटीओ सदस्यों के बीच विवादों से निपटने के लिए जनरल काउंसिल विवाद निपटान निकाय (डीएसबी) के रूप में बुलाई जाती है।

विश्व व्यापार संगठन की उपलब्धियाँ

विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने वैश्विक व्यापार को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है:

- **व्यापार नियमों का सरलीकरण:** डब्ल्यूटीओ ने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार के लिए बाध्यकारी नियमों की एक रूपरेखा स्थापित की, जिसने जटिलताओं को कम किया और व्यापार प्रवाह को प्रोत्साहित किया।
- **विकास में सहायक की भूमिका:** डब्ल्यूटीओ ने विकसित देशों के लिए उनकी आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अल्प-विकसित देशों से निर्यात के लिए बाधाओं को कम करने की आवश्यकता को पहचान कर उसको बढ़ावा दिया है।
- **व्यापार की मात्रा में वृद्धि:** औसत टैरिफ में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है, जिससे वैश्विक व्यापार मूल्य लगभग चार गुना हो गया है तथा वर्ष 1995 के बाद से व्यापार की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई है।
- **वैश्विक मूल्य शृंखलाएँ:** डब्ल्यूटीओ ने वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के उत्थान में मदद की, जहाँ व्यवसाय दक्षता को बढ़ावा देते हुए सीमाओं के पार सामग्री और उत्पादन का स्रोत बना सकते हैं।
- **गरीबी न्यूनीकरण:** विश्व व्यापार संगठन का विचार, वैश्विक गरीबी में अब तक की सबसे तेज गिरावट के साथ मेल खाता है, जो व्यापार और गरीबी में कमी के बीच एक संभावित संबंध का सुझाव देता है।
- **सेवाओं और स्थिरता पर ध्यान:** डब्ल्यूटीओ ने सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों में व्यापार को और अधिक उदार बना दिया है साथ ही हानिकारक कृषि निर्यात सब्सिडी को समाप्त कर दिया है, जिससे अधिक सतत व्यापारिक वातावरण को बढ़ावा मिला है।

विश्व व्यापार संगठन से संबंधित मुद्दे

- **संस्थागत शिथिलता:** व्यापार विवादों को निपटाने के लिए जिम्मेदार निष्क्रिय अपीलीय निकाय, डब्ल्यूटीओ की प्रवर्तन क्षमता को कमजोर करता है।
- **पुराना ढाँचा:** डब्ल्यूटीओ ई-कॉमर्स और डिजिटल व्यापार जैसे अनुकूलन क्षमता में बाधा डालने वाले आधुनिक मुद्दों के समाधान के लिए संघर्ष कर रहा है।
- **अनुचित आचरण:** चीन का राज्य-निर्देशित आर्थिक मॉडल और अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध डब्ल्यूटीओ प्रणाली के मुक्त-बाजार सिद्धांतों को बाधित करते हैं।
- **विकास विभाजन:** "विकसित" और "विकासशील" देशों की अस्पष्ट परिभाषा, वार्ता में मतभेद पैदा करती है।
- **गतिरोध और रुकावट:** बातचीत में बार-बार गतिरोध और अपीलीय निकाय की नियुक्तियाँ प्रगति को अवरुद्ध करती हैं।
- **प्रतिस्पर्द्धी समझौते:** NAFTA और आसियान जैसे क्षेत्रीय व्यापार समझौतों का उदय डब्ल्यूटीओ के बहुपक्षीय दृष्टिकोण को कमजोर करता है।
- **लाभ का ह्रास:** विकसित देशों द्वारा टैरिफ में कटौती से विकासशील देशों के लिए अधिमान्य व्यवहार कमजोर हो गया है।

प्रमुख शब्दावलियाँ

व्यापारिक ढाँचा, व्यापार समझौते और विवाद, व्यापार सुविधा एवं विकास, व्यापार नियम को सुव्यवस्थित करना, विवाद निपटान की शिथिलता, आउटडेटेड फ्रेमवर्क (ई-कॉमर्स), अनुचित व्यापार आचरण, क्षेत्रीय व्यापार समझौते।

विश्व व्यापार संगठन और भारत

भारत, वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की स्थापना के बाद से ही इसका एक प्रमुख भागीदार रहा है, जो इससे पहले भी वर्ष 1948 के डब्ल्यूटीओ के अग्रदूत, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT) में भाग ले चुका था। भारत ने निम्नलिखित हेतु डब्ल्यूटीओ का सक्रिय रूप से उपयोग किया है:

- **निर्यात को बढ़ावा:** डब्ल्यूटीओ समझौतों के माध्यम से कम व्यापार बाधाओं ने भारत को वस्तुओं और सेवाओं का एक प्रमुख निर्यातक बनने में मदद की है।
- **अर्थव्यवस्था का विकास:** वैश्विक बाजारों तक पहुँच और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण ने भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान दिया है।
- **हितों संबंधी चिंताएँ उठाना:** भारत, विश्व व्यापार संगठन के भीतर विकासशील देशों के हितों की वकालत करता है और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं पर जोर देता है।

खाद्य सुरक्षा पर भारत का रुख

चावल उत्पादन पर सीमा से अधिक सब्सिडी को उचित ठहराने के लिए भारत प्रायः डब्ल्यूटीओ के "पीस क्लॉज" का उपयोग करता है। यह डब्ल्यूटीओ नियमों के कड़ाई से पालन करने के स्थान पर घरेलू खाद्य सुरक्षा जरूरतों को प्राथमिकता देता है।

- **सब्सिडी का स्तर:** भारत अपनी विशाल एवं सुभेद्य आबादी को सहायता देने की आवश्यकता का हवाला देते हुए, डब्ल्यूटीओ द्वारा निर्धारित 10% की सीमा से अधिक चावल सब्सिडी प्रदान करता है।
- **सार्वजनिक भंडार कार्यक्रम:** पीस क्लॉज के तहत अनुमति प्राप्त इन कार्यक्रमों में गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रियायती दरों पर चावल जैसे आवश्यक अनाज की खरीद और वितरण शामिल है।
- **निर्यात प्रतिबंध का बचाव:** भारत अपनी खाद्य सुरक्षा की रक्षा के लिए आवश्यक उपायों के रूप में गेहूँ और टूटे हुए चावल (पशु चारे में प्रयुक्त) पर अस्थायी निर्यात प्रतिबंध का बचाव करता है।
- **चुनौतियाँ और विचार:** जबकि भारत अपनी विशाल आबादी की खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, यह दृष्टिकोण डब्ल्यूटीओ के अन्य सदस्यों की चिंताएँ बढ़ाता है: जैसे
- **बाजार संबंधी विकृति:** अत्यधिक सब्सिडी वैश्विक कृषि बाजारों को विकृत कर सकती है।
- **व्यापार निश्चितता:** अन्य देश खाद्य व्यापार में पूर्वानुमेयता चाहते हैं और निर्यात प्रतिबंधों को विघटनकारी के रूप में देख सकते हैं।

भारत की 7वीं व्यापार नीति समीक्षा (2021) के मुख्य अंश

- **डिजिटलीकरण**: भारत का सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (ICEGATE) व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाकर ऑनलाइन फाइलिंग सेवाएँ प्रदान करता है।
- **नौकरशाही में कमी:** व्यापार के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस (स्विफ्ट) सरकारी एजेंसियों के साथ बातचीत को कम करता है साथ ही समय और लागत बचाता है।
- **तेज निकासी (क्लीयरेंस):** डायरेक्ट पोर्ट डिलिवरी (डीपीडी) चुनिंदा आयातकों को 48 घंटों के भीतर कार्गो निर्गत करने की अनुमति देती है, जिससे भीड़भाड़ और लागत कम हो जाती है।
- **बेहतर लॉजिस्टिक्स:** डायरेक्ट पोर्ट एंट्री (डीपीई) कारखानों से बंदरगाहों तक कंटेनरों की कुशल 24/7 आवाजाही को सक्षम बनाती है।
- **जीएसटी क्रियान्वयन:** वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) घरेलू व्यापार को सुव्यवस्थित करने वाला एक प्रमुख संरचनात्मक सुधार है।
- **व्यापार संबंधी सुविधाएँ:** डब्ल्यूटीओ के व्यापार सुविधा समझौते (टीएफए) को लागू करने के सक्रिय प्रयास तेजी से और सस्ते व्यापार को बढ़ावा देते हैं। फलस्वरूप, भारत की "सीमाओं के पार व्यापार" रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
- **FDI और IPR:** प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) व्यवस्था का उदारीकरण और राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति (2016) अधिक खुली अर्थव्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।

चिंताएँ एवं प्रतिक्रियाएँ

- **अपरिवर्तित व्यापार नीति:** व्यापारिक साझेदारों ने वर्ष 2015 के बाद से भारत की व्यापार नीति में महत्त्वपूर्ण बदलावों की कमी के बारे में चिंता जताई है, जिसमें टैरिफ और अन्य व्यापार नियंत्रणों पर निरंतर निर्भरता भी शामिल है।
- **भारत की प्रतिक्रिया:** भारत ने घरेलू माँग और आपूर्ति में उतार-चढ़ाव को प्रबंधित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए अपने दृष्टिकोण को उचित ठहराया है जो व्यापारियों को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग (पीएसएच) के लिए एक स्थायी डब्ल्यूटीओ समाधान का भी अनुरोध किया है।

भारत और विश्व व्यापार संगठन विवाद

भारत के आईटी टैरिफ	• **मामला:** वर्ष 2019 में, यूरोपीय संघ (ईयू) ने मोबाइल फोन, उसके घटकों और एकीकृत सर्किट सहित विभिन्न आईटी उत्पादों पर भारत के आयात शुल्क लगाने को चुनौती दी। ये शुल्क 7.5% से लेकर 20% तक थे। यूरोपीय संघ ने तर्क दिया कि ये टैरिफ विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) समझौतों के तहत उच्चतम अनुमत दर से अधिक हैं। इसी वर्ष जापान और ताइवान द्वारा भी इसी तरह की शिकायतें दर्ज की गईं। • **निर्णय:** डब्ल्यूटीओ पैनल ने भारत के विरुद्ध निर्णय सुनाया और पाया कि उसके आयात शुल्क डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुरूप नहीं हैं। सरल शब्दों में, डब्ल्यूटीओ ने निर्धारित किया कि भारत के टैरिफ ने वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन किया है।
भारत ने आईसीटी कर्तव्यों पर विश्व व्यापार संगठन पैनल के निर्णय का विरोध किया	• **विवाद:** भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) पैनल के उस निर्णय को चुनौती दी जिसमें उन पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाकर वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। • **भारत की कार्रवाई:** भारत ने पैनल के निर्णय को पलटने या रद्द करने की माँग करते हुए एक अपील दायर की है।

विश्व व्यापार संगठन में विवाद निपटान प्रक्रिया

- **द्विपक्षीय परामर्श:** पहले चरण में संबंधित डब्ल्यूटीओ सदस्यों (भारत और शिकायत करने वाले देश/देशों) के बीच चर्चा शामिल है।
- **विश्व व्यापार संगठन पैनल की समीक्षा:** यदि वार्ता विफल हो जाती है, तो मामला निर्णय के लिए डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान पैनल के पास जाता है।
- **अपीलीय निकाय अपील (वर्तमान में अवरुद्ध है):** असंतुष्ट पक्ष आमतौर पर आगे की समीक्षा के लिए डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय में पैनल के फैसले के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। हालाँकि, अमेरिका द्वारा नए सदस्यों की नियुक्तियों पर रोक लगाए जाने के कारण अपीलीय निकाय वर्तमान में कार्य नहीं कर रहा है।

प्रमुख शब्दावलियाँ

GATT सदस्यता (1948), डब्ल्यूटीओ के संस्थापक सदस्य (1995), विकासशील देशों की हिमायत, पीस क्लॉज के लिए आवाज उठाना, सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग कार्यक्रम, जीएसटी क्रियान्वयन, राष्ट्रीय IPR नीति (2016), विवाद निपटान प्रक्रिया आदि।

विश्व व्यापार संगठन का 13वाँ मंत्रिमंडल स्तरीय सम्मेलन (अबू धाबी, 2024)

संदर्भ: विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने 26 से 29 फरवरी, 2024 तक अबू धाबी में अपना 13वाँ मंत्रिमंडल स्तरीय सम्मेलन (एमसी13) आयोजित किया।

मुख्य बिंदु:

- **नए सदस्य:** कोमोरोस और तिमोर-लेस्ते डब्ल्यूटीओ में शामिल हो गए हैं, जिससे कुल सदस्यता 166 हो गई है।
- **घरेलू सेवा विनियम:** सेवाओं के लिए घरेलू नियमों पर नए नियमों की घोषणा की गई। इन "सर्वाधिक पसंदीदा-राष्ट्र" सिद्धांतों से डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्यों को लाभ होगा।
- **आर्थिक प्रभाव:** नए नियमों से अपेक्षा की जाती है कि:
  - वैश्विक स्तर पर व्यापार लागत में $125 बिलियन से अधिक की कमी सुनिश्चित करना।
  - वर्ष 2032 तक वैश्विक वास्तविक आय में कम-से-कम 0.3% ($301 बिलियन) की वृद्धि करना।
  - वर्ष 2032 तक वैश्विक सेवा निर्यात में 0.8% ($206 बिलियन) की वृद्धि करना।

भारत का रुख:

- **बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली:** भारत ने गैर-व्यापारिक मुद्दों से मुक्त एक केंद्रित डब्ल्यूटीओ एजेंडे को बनाए रखने के महत्त्व पर जोर दिया है।
- **सतत प्रथाएँ:** भारत ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक प्रमुख उपकरण के रूप में स्थायी जीवन को बढ़ावा देने वाले अपने "LiFE" (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) आंदोलन पर प्रकाश डाला।
- **गैर-व्यापारिक मुद्दे:** भारत ने तर्क दिया कि गैर-व्यापारिक मुद्दे व्यापार संबंधी विकृतियों और बाधाओं का कारण बन सकते हैं। लिंग और एमएसएमई जैसे विषयों को डब्ल्यूटीओ के दायरे में लाना अन्य संगठनों में मौजूदा चर्चाओं के कारण अव्यावहारिक माना गया था।
- **समावेशन:** भारत का मानना है कि समावेशन के मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों के बजाय राष्ट्रीय उपायों के माध्यम से बेहतर ढंग से संबोधित किया जा सकता है।
- **अपीलीय निकाय:** भारत ने दिसंबर, 2019 से निष्क्रिय अपीलीय निकाय को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
- **विकास के लिए निवेश सुविधा (आईएफडी):** भारत और दक्षिण अफ्रीका ने चीन की अगुवाई वाले इस प्रस्ताव का विरोध किया।

ब्राजील की प्राथमिकताएँ:

- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और कृषि सब्सिडी:** ब्राजील ने विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महामारी की तैयारी, जलवायु परिवर्तन शमन और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा के लिए डब्ल्यूटीओ की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त, ब्राजील ने खाद्य सुरक्षा को नुकसान पहुँचाने वाली व्यापार-विकृत कृषि सब्सिडी की सीमा तय करने और उसे कम करने का आह्वान किया है।
- **मत्स्य पालन सब्सिडी:** ब्राजील ने विश्व स्तर पर मछली पकड़ने की सतत प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मत्स्य पालन सब्सिडी पर बातचीत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।
- **भारत की स्थिति:** भारत ने मछली पकड़ने की विविध प्रथाओं और स्थानीय मछुआरों की आजीविका पर विचार करने के महत्त्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने सतत प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सुदूर जल क्षेत्रों में मछली पकड़ने के लिए सब्सिडी पर 25 वर्ष की रोक की भी वकालत की।

मंत्रिमंडल स्तरीय सम्मेलन 13 के परिणामस्वरूप सेवा व्यापार के लिए नियमों को सरल बनाने में प्रगति हुई है और उन क्षेत्रों पर भी प्रकाश डाला गया जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे कि डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान प्रणाली और कृषि सब्सिडी आदि। हालाँकि, गैर-व्यापारिक मुद्दों और निवेश सुविधा के मोर्चे पर मतभेद बने हुए हैं। आगे बढ़ते हुए, विश्व व्यापार संगठन को वैश्विक व्यापार परिदृश्य में प्रासंगिक बने रहने के लिए इन विविध प्राथमिकताओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

आगे की राह

- **स्थानीय बाजारों की सुरक्षा:** विकासशील देशों के घरेलू बाजारों को विदेशी वस्तुओं से बचाने के प्रावधानों को पेश करने से डब्ल्यूटीओ प्रणाली में उनका विश्वास बढ़ सकता है।
- **डिजिटल व्यापार नियम:** डब्ल्यूटीओ को आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल व्यापार और ई-कॉमर्स को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए नियमों की एक नई रूपरेखा स्थापित करने की आवश्यकता है।
- **व्यापार एवं स्थायित्व:** जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और डब्ल्यूटीओ को पुनर्जीवित करने के लिए, पर्यावरणीय स्थिरता लक्ष्यों के साथ व्यापार नीतियों को संरेखित करने के लिए बढ़े हुए प्रयासों की आवश्यकता है।
- **विश्वास का निर्माण:** सदस्य राष्ट्रों के बीच विश्वास बहाल करना महत्त्वपूर्ण है। सामूहिक लाभ के लिए निष्पक्ष व्यापार नियम स्थापित करने एवं अनुचित प्रथाओं का मुकाबला करने के लिए डब्ल्यूटीओ को सभी देशों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है।

38 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारत

परिचय

- वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद स्थापित अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), 190 सदस्य राष्ट्रों वाला एक वैश्विक संगठन है।
- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्भव महामंदी के बाद हुआ था। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मुद्रा सहयोग को बढ़ावा देना, वैश्विक व्यापार को प्रोत्साहित करना और वित्तीय स्थिरता प्राप्त करना है जो आर्थिक विकास व निर्धनता कम करने को गति प्रदान करता है।
- यह वित्तीय स्थिरता और मुद्रा सहयोग को बढ़ावा देने वाली आर्थिक नीतियों का समर्थन करके अपने सभी सदस्य राष्ट्रों के लिए सतत विकास और समृद्धि हासिल करने का प्रयास करता है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कई महत्त्वपूर्ण कार्यों के माध्यम से एक स्थिर और समृद्ध वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है:

- **सहयोग एवं समन्वय:** यह आर्थिक एवं वित्तीय नीतियों पर सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है ताकि एक समन्वित दृष्टिकोण सुनिश्चित हो सके।
- **स्थिर विनिमय दर:** यह स्थिर विनिमय दरों को बढ़ावा देता है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश के लिए आवश्यक हैं।
- **बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली:** यह व्यवधानों को कम करते हुए अंतरराष्ट्रीय भुगतान के लिए एक अच्छी तरह से कार्य करने वाली प्रणाली के विकास का समर्थन करता है।
- **वित्तीय सहायता:** यह भुगतान संतुलन की समस्या से जूझ रहे सदस्य देशों को अस्थायी वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे उन्हें अपनी अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद मिलती है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) का वित्तपोषण

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) अपने वित्तीय संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए तीन-आयामी दृष्टिकोण पर निर्भर करता है:

- **सदस्य कोटा:** यह वित्तपोषण का प्राथमिक स्रोत है। प्रत्येक सदस्य देश अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर एक निर्धारित राशि का योगदान देता है।
- **बहुपक्षीय उधार:** आईएमएफ के पास कोटा संसाधनों की पूर्ति के लिए सदस्य देशों और संस्थानों के एक समूह के साथ एक उधार व्यवस्था (एनएबी) है।
- **द्विपक्षीय उधार समझौते:** आईएमएफ व्यक्तिगत-स्तर पर सदस्य देशों के साथ उधार समझौते में भी प्रवेश कर सकता है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) की आलोचना

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) को इसकी संरचना और प्रथाओं के संबंध में आलोचना का सामना करना पड़ता है:

- **वोटिंग में असमानता:** कोटा प्रणाली विकसित राष्ट्रों को अधिक मतदान अधिकार और उधार लेने की शक्ति प्रदान करती है, जिससे एक असमान स्थिति पैदा होती है।
- **ऋण शर्तें:** आलोचकों का तर्क है कि आईएमएफ की ऋण शर्तें अत्यधिक दखल देने वाली हैं और उधार लेने वाले देशों की आर्थिक एवं राजनीतिक स्वायत्तता का उल्लंघन करती हैं।
- **एक समान दृष्टिकोण:** आईएमएफ पर सभी देशों पर, उनकी विशिष्ट परिस्थितियों की परवाह किए बिना, समान नीति निर्धारण लागू करने का आरोप लगाया गया है।
- **शक्ति संरचना संबंधी प्रमुखता**: आईएमएफ में सुधार के लिए 85% बहुमत वोट की आवश्यकता होती है, जो विकसित देशों के एक छोटे समूह, विशेष रूप से अमेरिका के साथ भारी रूप से केंद्रित होता है।

सुधारों की आवश्यकता

बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को प्रतिबिंबित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को सुधार की माँग का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कुछ प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है:

- **कोटा निष्पक्षता:** कोटा प्रणाली, जो मतदान के अधिकार और वित्तीय योगदान को निर्धारित करती है, में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। पक्षपातपूर्ण "खुलेपन" उपाय को हटाना और चीन व ब्रिक्स देशों जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए कोटा बढ़ाना महत्त्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, इस पुनर्वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए कुल आईएमएफ फंड में 50% की वृद्धि आवश्यक है।
- **बेहतर प्रतिनिधित्व:** वर्ष 2010 के सुधारों ने एक पूर्ण निर्वाचित कार्यकारी बोर्ड की स्थापना की, यह एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसमें और अधिक प्रगति की आवश्यकता है। 15वीं सामान्य कोटा समीक्षा इस प्रक्रिया को जारी रखने और अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण शासन ढाँचा बनाने का अवसर प्रदान करती है।
- **अनुच्छेद IV का आधुनिकीकरण:** अनुच्छेद IV के तहत वर्तमान द्विपक्षीय चर्चाओं में पारदर्शिता की कमी है और यह विकासशील देशों की उधार लेने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। आईएमएफ को इन आकलनों को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक बनाने के लिए नई तकनीकों व सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा का उपयोग करना चाहिए।

प्रमुख शब्दावलियाँ

वैश्विक वित्तीय प्रणाली, बहुपक्षीय सहयोग, वित्तीय सहायता, सदस्यों का कोटा, वोटिंग में असमानता, ऋण की शर्तें, कोटा सुधार, अनुच्छेद IV आधुनिकीकरण।

- **नेतृत्व चयन:** विश्व बैंक का नेतृत्व एक अमेरिकी और आईएमएफ का नेतृत्व एक यूरोपीय द्वारा करने की अनौपचारिक परंपरा को योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया से बदलने की आवश्यकता है।

भारत और आईएमएफ

भारत, वर्ष 1945 में स्थापना के बाद से आईएमएफ का सदस्य रहा है। यह सक्रिय रूप से इसमें भाग लेता रहा है। भारत, आईएमएफ में एक महत्त्वपूर्ण कोटा रखता है तथा आईएमएफ की नीतियों को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आईएमएफ का अनुमान है कि भारत, वर्ष 2025 तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

आईएमएफ और भारत के संबंधों में विकास

- **गतिशील स्थानांतरण:** आईएमएफ के साथ भारत के संबंध महत्त्वपूर्ण रूप से विकसित हुए हैं। भारत, वर्ष 1945 में एक संस्थापक सदस्य था, लेकिन पूँजीवादी गुट के साथ जुड़ाव के कारण शुरुआत में आईएमएफ को लेकर कुछ संदेह था।
- **उधारकर्ता से योगदानकर्ता तक:** वर्ष 1991 के आर्थिक संकट के बाद, भारत ने सहायता के लिए आईएमएफ का रुख किया। आईएमएफ समर्थित सुधारों को अगले दशकों में भारत की प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय दिया जाता है। तब से भारत आईएमएफ के अंतर्गत एक उधारकर्ता से ऋणदाता राष्ट्र में परिवर्तित हो गया है।
- **विकास और स्थिरता पर फोकस:** भारत ने आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आईएमएफ के साथ सहयोग जारी रखा है। आईएमएफ विभिन्न आर्थिक मुद्दों पर भारत को तकनीकी सहायता और नीतिगत सलाह प्रदान करता है।
- **भारत का बढ़ता प्रभाव:** जैसे-जैसे भारत की आर्थिक शक्ति बढ़ी है, वैसे-वैसे आईएमएफ के भीतर उसका प्रभाव भी बढ़ा है। भारत ऐसे सुधारों की वकालत करता है जो बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य और विकासशील देशों की जरूरतों को बेहतर ढंग से दर्शाते हैं।

1990 के दशक में भारत का भुगतान संतुलन संकट

- **चुनौती:** 1990 के दशक की शुरुआत में, भारत को गंभीर भुगतान संतुलन घाटे का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से अमेरिका और अन्य देशों द्वारा कठोर मुद्राओं का उपयोग करने के कारण। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत निर्यात से होने वाली आय की तुलना में आयात पर अधिक विदेशी मुद्रा व्यय कर रहा था। देश का विदेशी मुद्रा भंडार खतरनाक रूप से निचले स्तर पर आ गया था।
- **आईएमएफ की भूमिका:** संकट से निपटने के लिए, भारत ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से सहायता माँगी। आईएमएफ ने इस शर्त पर 3.6 बिलियन एसडीआर (विशेष आहरण अधिकार, विनिमय की एक आईएमएफ इकाई) का ऋण देने की पेशकश की, कि भारत महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधार लागू करेगा।
- **सुधार एजेंडा:** ऋण के लिए आईएमएफ की शर्तें संरचनात्मक सुधारों पर केंद्रित थीं। इनमें सम्मिलित हैं:
  - **भारतीय रुपये का अवमूल्यन:** निर्यात को बढ़ावा देने और आयात को हतोत्साहित करने के लिए रुपये का अवमूल्यन।
  - **राजकोषीय सुदृढ़ीकरण:** वित्तीय स्थिरता में सुधार के लिए सरकारी व्यय और बजट घाटे को कम करना।

आईएमएफ कोटा में सुधार

- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) सदस्य देशों को उनकी आर्थिक शक्ति के आधार पर कोटा आवंटित करता है। ये कोटा वोटिंग अधिकार और आईएमएफ संसाधनों तक पहुँच निर्धारित करते हैं।
- भारत (वर्तमान में 8वाँ सबसे बड़ा कोटा धारक) सहित विकासशील देश, कोटा में अधिक हिस्सेदारी की माँग करते हैं। इससे उन्हें आईएमएफ के निर्णयों में अधिक प्रभाव मिलेगा और वित्तीय सहायता तक संभावित रूप से अधिक पहुँच प्राप्त होगी।
- आईएमएफ कोटा सुधार एक सतत बहस है, जिसमें विकासशील देश संगठन के भीतर शक्ति और संसाधनों के अधिक न्यायसंगत वितरण की माँग कर रहे हैं।

भारत के आईएमएफ के साथ सहयोगी संबंध जारी रहने की संभावना है, जो तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त करने और अपने स्वयं के आर्थिक विकास एवं वैश्विक वित्तीय स्थिरता को लाभ पहुँचाने वाले सुधारों की वकालत कर रहा है।

आईएमएफ ने भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल की सराहना की

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत के डिजिटल परिवर्तन प्रयासों की सराहना की है, इसके "विश्व स्तरीय डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे (डीपीआई)" को अन्य देशों के लिए एक संभावित रोल मॉडल के रूप में उजागर किया है। आईएमएफ भारत की सफल डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे के पीछे दो प्रमुख सिद्धांतों को श्रेय देता है:

- **बिल्डिंग ब्लॉक दृष्टिकोण:** इस रणनीति में मूलभूत डिजिटल उपकरण बनाना शामिल है जिन्हें विभिन्न प्रयोजनों के लिए संयोजित और अनुकूलित किया जा सकता है। उदाहरणों में आधार (यूनिक आईडी सिस्टम) और यूपीआई (डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म) शामिल हैं।
- **नवप्रवर्तन केंद्रित:** भारत एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देता है जो इन प्रमुख डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स पर निर्मित नए अनुप्रयोगों और सेवाओं के विकास को प्रोत्साहित करता है। वैक्सीन पंजीकरण के लिए CoWIN प्लेटफॉर्म इस दृष्टिकोण का उदाहरण है।

इन सिद्धांतों का उपयोग अन्य डीपीआई जैसे- स्वास्थ्य, शिक्षा और कोविन (CoWIN) प्लेटफार्मों में भी किया गया है। वे अंतरसंचालनीयता के लिए जगह देते हैं, प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देते हैं और स्थानीय समस्याओं के समाधान तैयार करने का अवसर देते हैं। भारत की सफलता की कहानी एक अच्छी तरह से डिजाइन किए गए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे की क्षमता को प्रदर्शित करती है। समान सिद्धांतों को अपनाकर, अन्य देश अपनी डिजिटल परिवर्तन यात्रा को तीव्र कर सकते हैं।

निष्कर्ष

आईएमएफ वैश्विक वित्तीय स्थिरता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन सुधारों को लागू करने से यह सुनिश्चित होगा कि संस्थान 21वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था के लिए प्रासंगिक, प्रभावी और सही मायने में प्रतिनिधि बना रहेगा।

प्रमुख शब्दावलियाँ

उधारकर्ता से योगदानकर्ता तक, आर्थिक विकास एवं स्थायित्व, भुगतान संतुलन, आईएमएफ ऋण, आईएमएफ कोटा, सुधार बहस, डिजिटल परिवर्तन, बिल्डिंग ब्लॉक दृष्टिकोण आदि।

39 विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और भारत

परिचय

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), 1948 ई. में स्थापित, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है। यह वैश्विक स्वास्थ्य प्रयासों का नेतृत्व करता है, दुनिया को सुरक्षित रखने, स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देने और बीमारियों से निपटने के लिए कार्य करता है। 150 से अधिक देशों में कार्यालयों के साथ, WHO स्वास्थ्य अनुसंधान कार्यसूची को आकार देने, वैश्विक स्वास्थ्य मानदंड स्थापित करने और देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कार्यक्षेत्र एवं प्रमुख कार्य

WHO का प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोगों को स्वास्थ्य के उपलब्ध सबसे उन्नत स्वास्थ्य सुविधा मानक तक पहुँच प्रदान की जा सके।

- **वैश्विक स्वास्थ्य अभियानों को नेतृत्व प्रदान करना:** WHO वैश्विक स्वास्थ्य कार्यसूची को तय करता है, अनुसंधान की दिशा को आकार देता है और साक्ष्य-आधारित नीतिगत विकल्प प्रस्तावित करता है।
- **अनुसंधान कार्यसूची को आकार देना:** विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व भर में स्वास्थ्य अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और मार्गदर्शन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **मानक निर्धारण:** डब्ल्यूएचओ अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों और दिशा-निर्देशों को विकसित करता है और उन्हें प्रोत्साहन देता है।
- **तकनीकी सहायता:** डब्ल्यूएचओ देशों को उनकी स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने में मदद करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
- **स्वास्थ्य प्रवृत्तियों की निगरानी:** डब्ल्यूएचओ वैश्विक स्वास्थ्य प्रवृत्तियों की निगरानी और मूल्याँकन करता है साथ ही महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी का प्रसार करता है।

भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)

- भारत की विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के साथ लंबे समय से साझेदारी है जो वर्ष 1948 से भारत की सदस्यता के समय से चली आ रही है।
- डब्ल्यूएचओ स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को सशक्त करने, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हासिल करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करता है।
- उनका सहयोग संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार जैसे क्षेत्रों तक विस्तृत है।

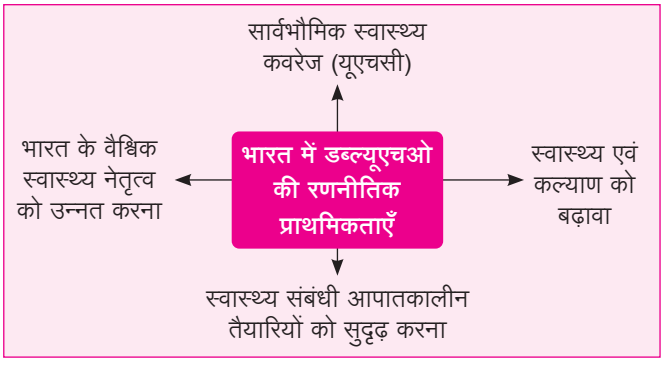

भारत में WHO की चार रणनीतिक प्राथमिकताएँ

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भारत के स्वास्थ्य देखभाल लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए चार प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार की है:

- **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage-UHC):**
  - आयुष्मान भारत जैसी पहल के माध्यम से आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच का विस्तार।
  - प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रदर्शन की निगरानी करना।
  - बेहतर सेवा वितरण के लिए डिजिटल स्वास्थ्य उपकरणों का उपयोग करना।
  - उपेक्षित और रोकथाम योग्य बीमारियों को संबोधित करना।
- **स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा:**
  - लक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से गैर-संक्रामक रोगों (एनसीडी) से निपटना।
  - पर्यावरणीय स्वास्थ्य चिंताओं, विशेष रूप से वायु प्रदूषण को संबोधित करना।
  - मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और आत्महत्या की रोकथाम को बढ़ावा देना।
  - खाद्य सुरक्षा और उचित पोषण सुनिश्चित करना।
- **स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन तैयारियों को सुदृढ़ करना:**
  - रोग निगरानी और प्रकोप प्रतिक्रिया प्रणाली को बढ़ाना।

- तीव्र प्रतिक्रिया के लिए वास्तविक-समय के स्वास्थ्य संबंधी सूचना प्लेटफार्मों का उपयोग करना।
- सभी स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों के लिए तैयारी करना और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देना।
- रोगाणुरोधी प्रतिरोध का मुकाबला करना।

- **भारत के वैश्विक स्वास्थ्य नेतृत्व को उन्नत करना:**
  - भारत में निर्मित उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा उत्पादों तक पहुँच को बढ़ावा देना।
  - स्वास्थ्य देखभाल प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों में नवाचार और जानकारी साझा करने को प्रोत्साहित करना।
  - डिजिटल स्वास्थ्य समाधान में अग्रणी रूप में भारत की भूमिका को सशक्त करना।

डब्ल्यूएचओ भारत सहयोग रणनीति (2019-2023): परिवर्तन का काल

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और भारत सरकार ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए एक रणनीतिक योजना (CCS) पर साझेदारी की है। यह योजना निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित है:

- **सरकारी पहलों का समर्थन करना:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डब्ल्यूएचओ भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ सहयोग करेगा।
- **मौजूदा नीतियों पर निर्माण:** सीसीएस भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017 और अन्य प्रमुख स्वास्थ्य पहलों के अनुरूप है।
- **गंभीर चुनौतियों का समाधान:** यह रणनीति गैर-संक्रामक रोगों (एनसीडी), रोगाणुरोधी प्रतिरोध, वायु प्रदूषण और मानसिक स्वास्थ्य जैसे जटिल मुद्दों से निपटती है।

कोविड-19 के दौरान भारत की सहायता में WHO की भूमिका

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने पूरे COVID-19 महामारी के दौरान भारत की सहायता करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रमुख फोकस क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **रणनीतिक मार्गदर्शन:** डब्ल्यूएचओ ने भारत सहित विभिन्न देशों को महामारी के लिए प्रभावी ढंग से निपटने के लिए और प्रतिक्रिया देने के लिए एक रोडमैप प्रदान किया।
- **वैक्सीन विकास:** उन्होंने प्रभावी COVID-19 उपचार की पहचान करने के लिए वैश्विक "सॉलिडैरिटी ट्रायल" में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **भ्रामक सूचना का मुकाबला:** 'इन्फोडेमिक' (किसी महामारी के समय सूचनाओं की अधिकता, विशेषकर भ्रामक सूचनाएँ) के सामने, डब्ल्यूएचओ ने सुनिश्चित किया कि सटीक और जीवन रक्षक जानकारी जनता तक पहुँचे।
- **स्वास्थ्य कर्मचारियों का सशक्तीकरण:** डब्ल्यूएचओ के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, OpenWHO ने पूरे भारत में लाखों स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की।
- **आपूर्ति सुरक्षित करना:** संगठन ने भारत में फ्रंटलाइन श्रमिकों के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना की।

हालिया घटनाक्रम

- **विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत की भूमिका:** भारत ने वर्ष 2020-21 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में एक सीट हासिल की। यह स्थिति भारत को वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों को आकार देने और स्वास्थ्य चुनौतियों को संबोधित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने की अनुमति देती है।
- **सहयोग और समानता को बढ़ावा:** भारत ने विशेषकर कोविड-19 महामारी के मद्देनजर अधिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं स्वास्थ्य समानता की आवश्यकता पर बल दिया। यह चिकित्सा संसाधनों के सुलभ उत्पादन के लिए एक वैश्विक नेटवर्क बनाने पर भारत के जी20 प्रेसीडेंसी फोकस के अनुरूप है।
- **समान पहुँच का समर्थन:** गठबंधन द्वारा स्वयं नामित GAVI बोर्ड सदस्य के रूप में, भारत सक्रिय रूप से विकासशील देशों के लिए टीकों तक समान पहुँच को बढ़ावा देता है। यह आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों तक समान पहुँच सुनिश्चित करने पर डब्ल्यूएचओ के अपेक्षित फोकस के अनुरूप है।

डब्ल्यूएचओ की आलोचना

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को हाल के स्वास्थ्य संकटों से निपटने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है।

आलोचना के बिंदु:

- **वित्त पोषण पैटर्न:** डब्ल्यूएचओ धनी देशों से मिलने वाले दान पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जिससे इसकी स्वायत्तता और आपात स्थिति के दौरान प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने की क्षमता के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं।
- **अतीत का प्रदर्शन:** वर्ष 2014 के पश्चिम अफ्रीका इबोला प्रकोप के प्रति संगठन की प्रतिक्रिया को अपर्याप्त माना गया, जिससे इसकी समग्र प्रभावशीलता पर संदेह पैदा हो गया।
- **COVID-19 प्रतिक्रिया:** आलोचक डब्ल्यूएचओ द्वारा महामारी घोषित करने में देरी और नियंत्रण उपायों पर सरकारों को सलाह देने में निर्णायक कार्रवाई की कमी की ओर इशारा करते हैं।
- **राजनीतिक प्रभाव:** कुछ देशों का मानना है कि डब्ल्यूएचओ का दृष्टिकोण राजनीतिक विचारों से प्रभावित है।
- **सीमित अधिकार:** डब्ल्यूएचओ की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं, जो प्रभावी प्रतिक्रियाओं को लागू करने की इसकी क्षमता में बाधा डालती हैं।

आगे की राह

- **सतत वित्त पोषण:** अधिक स्थिर और विविध फंडिंग मॉडल की ओर स्थानांतरण, संभावित रूप से सभी सदस्य राज्यों के बढ़े हुए योगदान के साथ, व्यक्तिगत दाताओं पर निर्भरता कम कर सकता है।
- **सशक्त पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ:** सुदृढ़ निगरानी एवं प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में निवेश करने से प्रकोपों के लिए तीव्र और अधिक प्रभावी प्रतिक्रियाएँ संभव हो सकेंगी।

- **पारदर्शिता और संचार:** जोखिमों और सिफारिशों का स्पष्ट और समय पर संचार विश्वास बनाने व वैश्विक सहयोग सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- **राष्ट्रीय सरकारों का सशक्तीकरण:** डब्ल्यूएचओ मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे और तैयारी योजनाओं को विकसित करने में राष्ट्रीय सरकारों का समर्थन कर सकता है।
- **स्वतंत्र समीक्षा और सुधार:** एक स्वतंत्र समीक्षा और संभावित सुधार राजनीतिक प्रभाव के बारे में चिंताओं को दूर कर सकते हैं और डब्ल्यूएचओ के अधिकार को सुदृढ़ कर सकते हैं।

इन चुनौतियों का समाधान करके, डब्ल्यूएचओ फिर से विश्वास हासिल कर सकता है और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में अधिक प्रभावी नेता बन सकता है।

प्रमुख शब्दावलियाँ

विश्व स्वास्थ्य सभा, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, रणनीतिक साझेदारी, सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियाँ, स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन तैयारी, डिजिटल स्वास्थ्य, वैश्विक स्वास्थ्य नीति, वैक्सीन पहुँच, फंडिंग निर्भरता, सतत वित्त पोषण आदि।

पिछले वर्षों के प्रश्न

- कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

(2020)

40 संयुक्त राष्ट्र (यूएन) संघ और उससे जुड़े मुद्दे

परिचय

- संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की स्थापना 1945 ई. में द्वितीय विश्व युद्ध की विनाशकारी घटना के बाद अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने तथा शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में की गई थी।
- यह मानवाधिकारों, सतत विकास और अंतरराष्ट्रीय कानून को कायम रखने जैसे साझा सिद्धांतों के आधार पर सामूहिक भविष्य की दिशा में कार्य करने के लिए सभी सदस्य देशों को एक साथ लाता है, जिनकी संख्या वर्तमान में 193 है।
- संयुक्त राष्ट्र विश्व शांति एवं सद्भावना स्थापित करने में एक बहुआयामी भूमिका निभाता है, महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर संवाद और वार्ता की सुविधा प्रदान करता है, मानवीय सहायता प्रदान करता है साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है।

संयुक्त राष्ट्र से संबंधित विभिन्न मुद्दे

- **वित्तपोषण की कमी:** संयुक्त राष्ट्र स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर करता है, जिससे वित्तीय बाधाएँ पैदा होती हैं जो वैश्विक मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने की उसकी क्षमता को सीमित करती हैं (जैसे, शांति स्थापना)। प्रमुख वित्तपोषण मुद्दों में निम्नलिखित शामिल हैं :
  - **संसाधन संबंधी समस्या**: $6 बिलियन का शांति रक्षा बजट वैश्विक स्तर पर 95,000 शांतिरक्षकों का समर्थन करने के लिए संघर्ष करता है और सेना-योगदान करने वाले राष्ट्रों को प्रायः मिशन जनादेश में बोलने का अधिकार नहीं होता है।
  - **अविश्वसनीय वित्तपोषण:** सदस्य देशों के उत्कृष्ट योगदान और विकास कार्यों के लिए स्वैच्छिक वित्तपोषण पर भारी निर्भरता के कारण, संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय स्थिरता से समझौता हुआ है।
  - **जलवायु परिवर्तन का बोझ:** विकसित देशों ने जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित विकासशील देशों को वार्षिक जलवायु वित्त में $100 अरब देने के अपने वादे को पूरा नहीं किया है, यह समस्या मुख्य रूप से विकसित देशों के ऐतिहासिक उत्सर्जन के कारण उत्पन्न हुई है।
- **सुरक्षा परिषद संबंधी गतिरोध:** सुरक्षा परिषद में कुछ चुनिंदा लोगों की वीटो शक्ति संकटों के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया को रोक सकती है, जिससे निष्पक्षता और प्रभावशीलता के बारे में चिंताएँ बढ़ सकती हैं।
- **विभाजित मत:** 193 सदस्यों के साथ, अलग-अलग राष्ट्रीय हित और राजनीतिक प्राथमिकताएँ प्रायः असहमति का कारण बनती हैं और एकीकृत कार्रवाई में बाधा डालती हैं।
- **प्रयासों का दोहराव:** संयुक्त राष्ट्र की अनेक एजेंसियाँ समन्वय संबंधी समस्याओं और संसाधनों की बर्बादी को जन्म दे सकती हैं।
- **संघर्ष समाधान में बाधाएँ:** जटिल संघर्ष, सीमित संसाधन और प्रतिस्पर्द्धी हित अक्सर स्थायी समाधान एवं स्थायी शांति में बाधा डालते हैं।
- **मानवाधिकार संघर्ष:** मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध होने के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र को सीमित तंत्रों, राजनीतिक विचारों और अलग-अलग व्याख्याओं के कारण उन्हें लागू करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- **परिवर्तन के प्रति अनुकूलन:** संयुक्त राष्ट्र में सुधार की गति धीमी देखी जा रही है, जिससे जलवायु परिवर्तन और तकनीकी प्रगति जैसी उभरती चुनौतियों का समाधान करने की इसकी क्षमता में बाधा आ रही है।

सुधारों की आवश्यकता

- **चार्टर संशोधन:** सचिवालय से परे सुधारों के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन की आवश्यकता होती है, जिसमें संशोधन करना बहुत मुश्किल है (उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 108)।
- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर समीक्षा:** चार्टर को स्वयं अद्यतन की आवश्यकता है। अप्रचलित संदर्भ, जैसे "शत्रु राज्य" (पूर्व धुरी शक्तियाँ) और हस्तक्षेप पर सीमाएँ [अनुच्छेद 2(7)] पर पुनः गौर करने की आवश्यकता है।
- **महासभा:** हालाँकि, संरचनात्मक सुधार अत्यावश्यक नहीं है, लेकिन सुरक्षा परिषद के साथ बेहतर समन्वय महत्त्वपूर्ण है।
- **सुरक्षा परिषद सुधार :** सुरक्षा परिषद में आवश्यक सुधार करना वर्तमान चर्चाओं का महत्त्वपूर्ण बिंदु है (अलग से संबोधित किया गया)।
- **आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC):** इसकी अनेक एजेंसियों के बीच अत्यधिक ओवरलैप के कारण इसे सुव्यवस्थित करना आवश्यक है।
- **न्यास परिषद**: अपने मूल उद्देश्य की पूर्ति के साथ, इस निकाय को या तो समाप्त करने या एक नया अधिदेश देने की आवश्यकता है।
- **संयुक्त राष्ट्र सचिवालय:** लालफीताशाही में कमी, नौकरशाही अनुकूलन, विकासशील देशों से प्रतिनिधित्व में वृद्धि और कर्मचारियों का प्रशिक्षण प्रमुख प्राथमिकताएँ हैं।
- **वित्तीय सुधार:** बढ़ी हुई फंडिंग, समय पर सदस्य योगदान और स्वतंत्र राजस्व धाराओं (जैसे, टोबिन टैक्स) की खोज करना महत्त्वपूर्ण है। वित्तीय कुप्रबंधन को संबोधित करना भी महत्त्वपूर्ण है।
- **बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता:** संयुक्त राष्ट्र को आधुनिक बनाने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बदलती दुनिया में संगठन की निरंतर प्रासंगिकता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए चार्टर को अद्यतन करना, संरचनाओं को सुव्यवस्थित करना और मजबूत वित्त सुनिश्चित करना आवश्यक कदम हैं।

भारत और संयुक्त राष्ट्र

भारत, संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के संस्थापक सदस्य के रूप में, इसकी स्थापना के बाद से ही संगठन के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के साथ भारत के रिश्ते की विशेषताओं में बहुपक्षवाद, शांति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता आदि शामिल हैं। इस सकारात्मक रिश्ते के बावजूद, भारत के पास संयुक्त राष्ट्र के साथ कुछ मुद्दे रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रमुख चिंताएँ:

- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता:** भारत, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की वकालत करता है, जो इसके बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है और एक अधिक संतुलित विश्व निकाय सुनिश्चित करता है।
- **आतंकवाद से मुकाबला:** भारत, आतंकवाद से लड़ने के लिए मजबूत वैश्विक सहयोग पर बल देता है, जिसमें वित्तपोषण से निपटना, नेटवर्क को नष्ट करना और अपराधियों के लिए न्याय सुनिश्चित करना शामिल है।
- **शांति स्थापना में अग्रणी:** संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों (2,75,000 से अधिक भारतीय सैनिक तैनात) में सैनिकों के एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में, भारत इन प्रयासों के लिए निरंतर समर्थन चाहता है।
- **सतत विकास:** भारत, एक विशाल आबादी वाला विकासशील देश है जो कम कार्बन वाले भविष्य के लिए वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय सहायता की माँग करता है।
- **परमाणु निरस्त्रीकरण**: भारत एक निष्पक्ष और समावेशी वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण प्रक्रिया की वकालत करता है जो प्रसार को रोकने के साथ-साथ सुरक्षा चिंताओं का समाधान करे।
- **विकास एवं सहायता:** अपनी विकासशील स्थिति के बावजूद, भारत को पर्याप्त विकास सहायता हासिल करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय से उसके विकास लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए अधिक लक्षित सहायता प्रदान करने का आग्रह करता है।

भारत, संयुक्त राष्ट्र कूटनीति में सक्रिय रूप से संलग्न होता है, गठबंधन बनाता है और महत्त्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर आम सहमति को बढ़ावा देता है। संयुक्त राष्ट्र में अधिक प्रमुख भूमिका हासिल करके, भारत का लक्ष्य अपने हितों का बेहतर प्रतिनिधित्व करना तथा वैश्विक शांति, सुरक्षा एवं सतत विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देना है।

संयुक्त राष्ट्र के अन्य निकायों के बारे में भारत की आशंकाएँ

भारत संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में सक्रिय रूप से भाग लेता है लेकिन उसने विशिष्ट संगठनों के सामने चिंताएँ जताई हैं:

- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)**: भारत, समसामयिक वैश्विक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए अपने लिए स्थायी सीट सहित सुधार की वकालत करता है।
- **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC):** भारत, मानवाधिकार उल्लंघनों पर यूएनएचआरसी के कथित पूर्वाग्रह और चयनात्मक फोकस की आलोचना करता है।
- **व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD):** भारत, व्यापार और विकास के मुद्दों पर एक अधिक संतुलित दृष्टिकोण पर जोर देता है जो विकासशील देशों के पक्ष में हो।
- **संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को):** भारत, सांस्कृतिक मुद्दों के राजनीतीकरण का विरोध करता है और यूनेस्को के अंदर निष्पक्षता की वकालत करता है।
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO):** COVID-19 महामारी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर देते हुए वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन में सुधार के लिए भारत के आह्वान को उजागर किया।

यद्यपि टकराव के इन क्षेत्रों के बावजूद, भारत व्यापक संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में सक्रिय भागीदार बना हुआ है और विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर सहयोगात्मक रूप से अपनी भूमिका है। भारत बहुपक्षीय कूटनीति में संलग्न है, बातचीत और वार्ता के माध्यम से अपनी चिंताओं को दूर करना चाहता है और संयुक्त राष्ट्र के समग्र उद्देश्यों और प्रयासों में योगदान देता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) संयुक्त राष्ट्र (UN) के प्रमुख अंगों में से एक है और अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी रखता है। वीटो शक्ति वाले पाँच स्थायी सदस्यों (चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका) सहित 15 सदस्य देशों से बना, यूएनएससी के पास ऐसे निर्णय लेने का अधिकार है जो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को बाध्य करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) से जुड़े मुद्दे

- **प्रतिनिधित्व और सुधार:** वर्तमान संरचना, जिसमें स्थायी सदस्यों के पास वीटो शक्ति है, को पक्षपाती और अलोकतांत्रिक माना जाता है।
- **वीटो पावर:** आलोचकों का तर्क है कि स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो व्यापक समर्थन वाले प्रस्तावों को बाधित कर सकता है, जिससे प्रभावी कार्रवाई में बाधा आ सकती है।
- **क्षेत्रीय असंतुलन:** उदाहरण के लिए, अफ्रीका को लगता है कि परिषद में उसका प्रतिनिधित्व कम है, जिससे क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने की उसकी क्षमता में बाधा आ रही है।
- **निर्णय लेने की प्रक्रिया:** यूएनएससी के निर्णय लेने की पारदर्शिता और समावेशिता के बारे में चिंताएँ मौजूद हैं, जिन पर स्थायी सदस्यों का प्रभुत्व है।
- **संकटों पर प्रतिक्रिया:** वैश्विक संकटों और आपात स्थितियों से निपटने में परिषद की प्रभावशीलता इसकी धीमी और बोझिल प्रक्रियाओं के कारण बाधित होती है।
- **कार्यान्वयन:** सदस्य देशों द्वारा यूएनएससी प्रस्तावों का अधूरा अनुपालन परिषद के अधिकार को कमजोर करता है और शांति बनाए रखने की इसकी क्षमता को कमजोर करता है।

भारत और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

भारत के पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में अपने प्रतिनिधित्व और भूमिका को लेकर लंबे समय से मुद्दे और चिंताएँ हैं। कुछ प्रमुख मुद्दे इस प्रकार हैं:

- **स्थायी सदस्यता का अभाव:** भारत का तर्क है कि उसका बढ़ता वैश्विक कद उसको स्थायी सदस्यता का औचित्य प्रदान करता है, जिससे परिषद में अधिक संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा।
- **प्रभाव का सीमित क्षेत्र:** वर्तमान संरचना केवल पाँच स्थायी सदस्यों के पास शक्ति केंद्रित करती है, जिससे भारत जैसे गैर-स्थायी सदस्यों को निर्णय लेने में पर्याप्त भागीदारी का अधिकार नहीं मिल पाता है।

- **अपर्याप्त प्रतिनिधित्व:** भारत का मानना है कि शांति, रक्षा, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई और सतत विकास जैसे ज्वलंत मुद्दों पर उसके दृष्टिकोणों पर पर्याप्त विचार नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए, आतंकवाद का मुकाबला करना, जो भारत के लिए एक प्रमुख चिंता है। परिभाषाओं पर अंतरराष्ट्रीय सहमति की कमी, सीमा पार के खतरों से निपटने में बाधा उत्पन्न करता है।

भारत यूएनएससी में सुधार की वकालत करता है, जिसमें अधिक समावेशी और प्रतिनिधि निकाय बनाने के लिए अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे विकासशील क्षेत्रों के लिए स्थायी सीटें शामिल करना है। अंततः, भारत एक ऐसे यूएनएससी के लिए प्रयास करता है जो वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को दर्शाता हो और सभी सदस्य देशों की जरूरतों को पूरा करता हो। सुधार की दिशा में उसका प्रयास विकासशील देशों के लाभ के लिए वैश्विक शासन को आकार देने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

स्थायी सदस्यता की राह

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की तलाश के लिए भारत को एक रणनीतिक और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है:

- **नेतृत्व का बेहतर प्रदर्शन:** शांति मिशन, आतंकवाद विरोधी प्रयासों तथा सतत विकास पहल में सक्रिय भागीदारी भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- **राजनयिक वकालत:** सदस्य देशों, विशेष रूप से स्थायी सदस्यों की निरंतर पैरवी आवश्यक है।
- **आम सहमति का निर्माण:** चिंताओं को दूर करने और सुधार के लिए सामान्य धरातल प्राप्त करने के लिए बातचीत और सेतु-निर्माण कूटनीति महत्त्वपूर्ण हैं।
- **समावेशिता को बढ़ावा:** गैर-स्थायी सदस्यों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को आकार देने में समान आवाज सुनिश्चित करने से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है।
- **क्षेत्रीय संबंधों को मजबूत बनाना:** IORA और SAARC जैसी मजबूत पहल भारत के क्षेत्रीय नेतृत्व को मजबूत कर सकती हैं।
- **हितधारकों को शामिल करना:** सिविल सोसाइटी और गैर-राज्य अभिकर्ताओं के साथ सहयोग, समर्थन को व्यापक बनाता है और भारत की स्थिति को सुदृढ़ करता है।
- **सक्रिय बहुपक्षवाद:** ब्रिक्स, जी20 और क्षेत्रीय संगठनों के साथ निरंतर जुड़ाव, भारत को वैश्विक विमर्श में सबसे आगे की पंक्ति में रखता है।

इन रणनीतियों को अपनाकर, भारत अपना प्रभाव बढ़ा सकता है साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक योग्य स्थायी सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए सही दिशा में अग्रसर हो सकता है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी)

- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी।
- यह मानवाधिकार संबंधी चिंताओं और उल्लंघनों पर चर्चा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इसके पास मानवाधिकारों के हनन के मामले में सिफारिशें करने और जाँच शुरू करने की शक्ति है।
- परिषद, देशों को उनके मानवाधिकार रिकॉर्ड के लिए जिम्मेदार ठहराने और उन लोगों की वकालत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।
- यह 47 निर्वाचित सदस्य देशों से मिलकर बना है।
- **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और भारत:** भारत को तीन वर्ष के लिए परिषद के लिए चुना गया था। तीसरे सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (Universal Periodic Review-UPR) चक्र के हिस्से के रूप में, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वर्ष 2020 में परिषद को अपनी मध्यावधि रिपोर्ट सौंपी।

यूएनएचआरसी की आलोचनाएँ

मानवाधिकार परिषद (एचआरसी) को कई मोर्चों पर आलोचना का सामना करना पड़ा है:

- **चयनात्मकता और पूर्वाग्रह:** इजराइल पर ध्यान केंद्रित करने तथा देश-विशिष्ट प्रस्तावों में गिरावट से राजनीतिक लक्ष्यीकरण, विशेष रूप से विकासशील देशों के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
- **असमान प्रतिनिधित्व:** संदिग्ध मानवाधिकार रिकॉर्ड वाले देशों के पास परिषद में सीटें हैं, जो प्रभावी जाँच में बाधा डालती हैं। ऐसे सदस्यों का निलंबन दुर्लभ है।
- **सीमित पहुँच**: एचआरसी सत्रों में भाग लेने से जुड़ी उच्च लागत ग्लोबल साउथ की भागीदारी को प्रतिबंधित करती है, जिसमें मानवाधिकार रक्षक तथा बाल पीड़ितों जैसे संवेदनशील समूह शामिल हैं।
- **अप्रभावी क्रियान्वयन:** सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (यूपीआर) और ब्लॉक वोटिंग से गैर-बाध्यकारी सिफारिशें उल्लंघन करने वालों को जवाबदेह ठहराने और विशिष्ट मानवाधिकार मुद्दों को संबोधित करने की परिषद की क्षमता को कमजोर करती हैं।

आगे की राह

- **सदस्यता के सख्त मानदंड:** उम्मीदवारी और पूर्ण सदस्यता, दोनों के लिए मानवाधिकार अभिलेखों की कठोर जाँच लागू की जानी चाहिए।
- **समय पर कार्यवाही:** परिषद को त्वरित ब्रीफिंग और तत्काल बहस के माध्यम से उभरते मानवाधिकार संकटों पर अधिक तेजी से प्रतिक्रिया देनी चाहिए।
- **स्वतंत्र गैर-सरकारी संगठन मान्यता:** मान्यता को राजनयिकों से योग्य विशेषज्ञों के पास स्थानांतरित करने से अधिक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया सुनिश्चित हो सकती है।
- **सक्रिय दृष्टिकोण:** संभावित उल्लंघनों का शीघ्र पता लगाने के लिए देश का नियमित दौरा और समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना महत्त्वपूर्ण है।

प्रमुख शब्दावलियाँ

मानवाधिकार निकाय (यूएनएचआरसी), सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (यूपीआर), चयनात्मकता और पूर्वाग्रह, असमान प्रतिनिधित्व, सीमित पहुँच, अप्रभावी क्रियान्वयन, सिविल सोसायटी की भागीदारी आदि।

भारत और यूएनएचआरसी

भारत, यूएनएचआरसी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है तथा मानवाधिकारों का समर्थन करते हुए विभिन्न मोर्चों पर जाँच का भी सामना कर रहा है। जबकि, भारत को पहले भी परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है, लेकिन असहमतियाँ भी रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत के विकास मॉडल की प्रशंसा की गई।

भारत के दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएँ:

- **दलितों का उत्थान:** भारत अपनी सकारात्मक कार्रवाई नीतियों एवं शैक्षिक अवसरों पर बल देता है, जिसने पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों की तुलना में दलितों के जीवन को बेहतर बनाया है।
- **मानव अधिकारों को बढ़ावा:** भारत मौलिक अधिकारों की गारंटी देने वाले अपने संविधान, महिलाओं, दलितों और अन्य हाशिये पर रहने वाले समूहों को सशक्त बनाने में हुई प्रगति को रेखांकित करता है।
- **बाधाओं को तोड़ना:** भारत, द्रोपदी मुर्मू (आदिवासी महिला राष्ट्रपति) और नरेंद्र मोदी (ओबीसी प्रधानमंत्री) के उदय को समान अवसर के उदाहरण के रूप में प्रदर्शित करता है।
- **लैंगिक समानता को बढ़ावा:** भारत, वैवाहिक बलात्कार को अपराध मानने और महिलाओं को कार्यस्थल पर उत्पीड़न से बचाने वाले हालिया कानून की ओर इशारा करता है।
- **संयुक्त राष्ट्र के मूल्यों के साथ संरेखण:** भारत, महात्मा गांधी के मूल सिद्धांतों के पालन पर बल देता है, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर और मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुरूप हैं।

भारत 2022-24 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए पुनः निर्वाचित हुआ है।

सदस्यता का महत्त्व:

- **वैश्विक मान्यता:** भारत को वोट के रूप में मिलने वाला भारी बहुमत, अंतरराष्ट्रीय समुदाय में उसकी सशक्त स्थिति को दर्शाता है।
- **मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता:** यह पुनः चुनाव मानवाधिकार संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को स्वीकार करता है।
- **चिंताओं का निवारण:** यह भारत को जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों के संबंध में यूएनएचआरसी द्वारा उठाई गई पिछली चिंताओं को संबोधित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- **सॉफ्ट पावर को बढ़ावा:** यह नेतृत्वकारी भूमिका भारत की सॉफ्ट पॉवर कूटनीति को सुदृढ़ करती है, जिससे मानवाधिकारों के चैंपियन के रूप में इसकी छवि को बढ़ावा मिलता है।

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) से संबद्ध एक वैश्विक एजेंसी ने भारत की मानवाधिकार संस्था की पुनः मान्यता को एक वर्ष के लिए टाल दिया है।

- **स्थगित करने का कारण:** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में राजनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति और लैंगिक संतुलन एवं कर्मचारियों में बहुलवाद की कमी के कारण भारत के एनएचआरसी की मान्यता स्थगित करने की सिफारिश की गई है।
- **NHRC को सिफारिश:** विशिष्ट विधायी परिवर्तनों के लिए सांसदों और सरकार से आग्रह करके पेरिस सिद्धांतों का अनुपालन बढ़ाना।
- **स्थगन के निहितार्थ:** अंतिम निर्णय के बाद एनएचआरसी अब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। मानवाधिकारों की रक्षा और उन्हें बरकरार रखने में भारत की विश्वसनीयता को कम करता है।

यूक्रेन युद्ध: रूस संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित; भारत मतदान से अनुपस्थित रहा।

भारत के संबंध में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) ने भारत में कई मुद्दों पर चिंता जताई है:

- **जम्मू और कश्मीर:** UNHRC ने राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं की हिरासत का हवाला देते हुए जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन पर चिंता व्यक्त की है।
- **नागरिकता संशोधन कानून (CAA):** यूएनएचआरसी ने सीएए को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए तर्क दिया कि यह मानवाधिकार सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए):** यूएनएचआरसी के विशेष प्रतिवेदकों के एक समूह ने भारत सरकार को एक पत्र भेजकर पर्यावरणीय प्रभाव आकलन मसौदे में पर्यावरण नियमों को हाल ही में कमजोर करने के बारे में चिंता व्यक्त की।

भारत ने मतदान से क्यों दूरी बनाई?

- **रूस के साथ द्विपक्षीय संबंध:** भारत, रूस को एक दीर्घकालिक और भरोसेमंद मित्र के रूप में देखता है जिसने उसके आर्थिक विकास और सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **संयुक्त राष्ट्र में भारत का रुख:** यदि भारत ने कोई पक्ष चुना है तो वह शांति का पक्ष है और वह हिंसा की तत्काल समाप्ति के पक्ष में है।
- भारत की जरूरतें रूस और यूक्रेन दोनों से जुड़ी हुई हैं।
- संयुक्त राष्ट्र में भारत के तत्कालीन स्थायी प्रतिनिधि, टी.एस. त्रिरुमूर्ति ने कहा कि भारत ने "तथ्य और प्रक्रिया दोनों कारणों से" प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया।

निष्कर्ष

इस प्रकार, भारत का संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के साथ एक जटिल संबंध है। यूएनएचआरसी ने भारत में मानवाधिकार के मुद्दों, जैसे सिविल सोसाइटी पर प्रतिबंध तथा अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले व्यवहार के बारे में चिंता जताई है। दूसरी ओर, भारत ने अपने पक्ष का बचाव किया है और अपने स्वयं के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर जोर दिया है। इन मतभेदों के बावजूद, भारत वैश्विक मानवाधिकारों में सुधार के लक्ष्य के साथ यूएनएचआरसी में भाग लेता है और साथ ही अपनी घरेलू स्थिति के बारे में उठाई गई चिंताओं को भी संबोधित करता है।

प्रमुख शब्दावलियाँ

भारत की भागीदारी, मानव अधिकारों की वकालत, मानवाधिकार रिकॉर्ड की जाँच, संयुक्त राष्ट्र के मूल्यों के साथ तालमेल, पेरिस सिद्धांत, रूस और यूक्रेन के साथ संबंधों को संतुलित करना।

41 संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद्

- **संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् (UN ECOSOC)** की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के माध्यम से की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है।
- यह वैश्विक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत केंद्रीय मंच है। यह देशों को गरीबी उन्मूलन, सतत विकास और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर चर्चा करने, वाद-विवाद करने और इनके समाधान हेतु सामान्य आधारों का पता लगाने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने गए 54 सदस्य देशों के साथ, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद् विभिन्न संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के कार्य का समन्वय करती है और अधिक समतापूर्ण और समृद्ध विश्व के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपसी सहयोग को प्रोत्साहित करती है।

भारत और संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद्

- संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद् में भारत की मजबूत उपस्थिति है। भारत वैश्विक चर्चाओं को आकार देने और गरीबी उन्मूलन, सतत विकास और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर समाधान की वकालत करने में सक्रिय रूप से भाग लेता है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थान के लिए भारत के सफल प्रयास के बाद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा COVID-19 प्रबंधन पर एक उच्च स्तरीय चर्चा बैठक आयोजित की गई थी।
- इसके पश्चात् भारत ने **ऑपरेशन संजीवनी** के द्वारा अपने राहत प्रयासों का विस्तार किया। इस पहल से **अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका** सहित 150 से अधिक देशों को लाभ हुआ है।

चर्चा में मुद्दे

भारत, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद् के चार निकायों के लिए निर्वाचित हुआ, वे 4 निकाय निम्नलिखित है:

- आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति
- सामाजिक विकास आयोग
- गैर सरकारी संगठनों पर समिति
- विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग (CSTD)

महत्त्व (Significance)

- **वैश्विक प्रभाव में वृद्धि:** सामाजिक और आर्थिक विकास पर अंतरराष्ट्रीय चर्चाओं में भारत की स्थिति को मजबूत करता है।
- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नेतृत्व:** विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग जैसे मंच के माध्यम से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मुद्दों पर वैश्विक चर्चा को आकार देने में भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है।
- **सामाजिक नीति प्रभाव (Social Policy Influence):** आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति के माध्यम से सामाजिक विकास की नीतियों पर भारत को संयुक्त राष्ट्र को सलाह देने का अवसर है।
- **नम्य शक्ति को बढ़ावा (Boost to Soft Power):** वैश्विक सहयोग और सामाजिक प्रगति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग से ईरान निष्कासित

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) ने दिसंबर 2022 में महिलाओं की स्थिति पर आयोग (CSW) से ईरान को हटाने के लिए मतदान किया। अमेरिका के नेतृत्व में यह कदम ईरान के मानवाधिकार अभिलेख, विशेषकर महिलाओं के अधिकारों के संबंध में, की आलोचना के बीच उठाया गया।

पक्ष में तर्क:

- **महिला अधिकारों को प्रोत्साहन:** समर्थकों का तर्क है कि लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करने वाले निकाय में ऐसे देश को शामिल नहीं किया जाना चाहिए जहाँ महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन होता है, जैसे शिक्षा, परिधान संहिता (Dress Codes) और राजनीतिक भागीदारी पर सीमाएं।
- **कार्यों के प्रति जवाबदेही:** इस निष्कासन से एक कठोर संदेश जाता है कि ख़राब मानवाधिकार इतिहास वाले देशों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने कार्यों के परिणाम भुगतने होंगे।

विपक्ष में तर्क:

- **महिलाओं की स्थिति पर आयोग (CSW) का राजनीतिकरण:** आलोचकों का तर्क है कि यह कदम राजनीति से प्रेरित है और महिलाओं की स्थिति पर आयोग (CSW) की प्रभावशीलता को कमजोर करता है।
- **प्रतिकूल उपाय (Counterproductive Measure):** विरोधियों का मानना है कि ईरान को बाहर करने से अलगाव की भावना उत्पन्न होती है, जो देश के भीतर महिलाओं के अधिकारों की प्रगति में बाधा बन सकती है।

कुछ लोग इसे आयोग के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में देखते हैं, जबकि दूसरों को भय है कि इस निर्णय के परिणाम ईरानी महिलाओं के लिए नकारात्मक हो सकते हैं। इस निर्णय का दीर्घकालिक प्रभाव देखा जाना अभी बाकी है।

प्रमुख शब्दावलियाँ

ECOSOC (आर्थिक और सामाजिक परिषद), वैश्विक चुनौतियाँ, समन्वय मंच, महिला अधिकार, ईरान का निष्कासन और विवाद

विगत वर्षों के प्रश्न

- संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद (इकोसॉक) के प्रमुख प्रकार्य कार्य क्या हैं? इसके साथ संलग्न विभिन्न प्रकार्यात्मक आयोगों को स्पष्ट कीजिए। **(2017)**

42 यूनेस्को (UNESCO)

वर्तमान संदर्भ (Current Context)

संयुक्त राज्य अमेरिका पांच वर्ष की अनुपस्थिति के बाद औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को/UNESCO) में पुनः शामिल हो गया है। यह वापसी 600 मिलियन डॉलर से अधिक बकाया राशि का भुगतान करने की प्रतिबद्धता के साथ हुई है।

अमेरिका का यूनेस्को से अलग होने का इतिहास

- अमेरिका का यूनेस्को (UNESCO) से अलग होने का इतिहास रहा है। गौरतलब है कि वर्ष 2011 में, फिलिस्तीन की सदस्यता के विरोध में अमेरिका ने वित्तीय योगदान रोक दिया था। कथित पूर्वाग्रह और ऐतिहासिक स्थलों से संबंधित नामकरण विवादों का हवाला देते हुए, अमेरिका औपचारिक रूप से 2018 में पुनः यूनेस्को (UNESCO) से अलग से हो गया।
- उल्लेखनीय रूप से, यह अमेरिका की पहली वापसी नहीं है। वह पहले भी कुप्रबंधन और सोवियत प्रभाव की चिंताओं के कारण 1984 में यूनेस्को (UNESCO) से अलग हो चुका है, इसके पश्चात 2003 में पुनः शामिल हो गया था।

पुनः वापसी के लिए प्रेरणाएँ

- **चीन के उदय का प्रतिकार (Countering China's Rise):** चीन के बढ़े हुए वित्तीय योगदान ने उसे यूनेस्को(UNESCO) में एक प्रमुख भागीदार के रूप में स्थापित किया है। पुनः शामिल होने से अमेरिका को चीन के इस बढ़ते प्रभाव का प्रतिकार करने की अनुमति मिलती है।
- **नम्य शक्ति का दावा (Soft Power Reassertion):** अमेरिका, संभवतः शिक्षा और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अपने वैश्विक प्रभाव और नेतृत्व को फिर से स्थापित करने के लिए यूनेस्को (UNESCO) को एक मंच के रूप में देखता है।
- **मानकों को आकार देना (Shaping Standards):** यूनेस्को (UNESCO), विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नैतिक मानकों को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमेरिका संभवतः इस प्रक्रिया में अधिक भूमिका निभाना चाहता है।

यूनेस्को (UNESCO) के बारे में

- 1945 में स्थापित, यूनेस्को (UNESCO) संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष घटक निकाय है। जो शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है।
- एक महानिदेशक के नेतृत्व में, यह वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

यूनेस्को (UNESCO) से संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्दे

- **वित्तीय तनाव (Financial Strain):** अमेरिका के इससे बाहर निकलने के कारण एक महत्त्वपूर्ण अनुदान अंतराल उत्पन्न हो गया था, जिससे कार्यक्रमों के निष्पादन में बाधा उत्पन्न हुई है।
- **ध्यान परिवर्तन (Shifting Focus):** शिक्षा जैसे मुख्य क्षेत्र के लिए वित्त पोषण में हालिया गिरावट, यूनेस्को की प्राथमिकताओं के बारे में चिंता पैदा करती है।
- **भिन्न प्राथमिकताएँ (Divergent Priorities):** सदस्य देशों की विदेश नीति के लक्ष्य भिन्न -भिन्न होते हैं, जो संगठन की दिशा को प्रभावित करते हैं।
- **चीन का प्रभाव (China's Influence):** चीन की बढ़ती उपस्थिति यूनेस्को के एजेंडे पर संभावित प्रभावों के विषय में चिंता उत्पन्न करती है।
- **विश्व धरोहर संरक्षण (World Heritage Protection):** बामियान में बुद्ध की मूर्तियों का विनाश, मजबूत स्थल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
- **चयन प्रक्रिया (Selection Process):** विश्व धरोहर स्थलों के लिए वर्तमान नामांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्पष्ट मानदंडों का अभाव है।

आगे की राह

यूनेस्को (UNESCO) को सुदृढ़ करने के लिए निम्न बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है:

- **वित्त पोषण में वृद्धि (Increased Funding):** विकसित देशों को वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अधिक योगदान देना चाहिए।
- **मजबूत शासन (Robust Governance):** निर्णय लेने में बढ़ी हुई जवाबदेही और दक्षता यूनेस्को की प्रभावशीलता को मजबूत करेगी।
- **सहयोग (Collaboration):** अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और नागरिक समाज के साथ मजबूत साझेदारी, संयुक्त विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठा सकती है।
- **पारदर्शी चयन प्रक्रिया (Transparent Selection Process):** वैश्विक स्तर पर महत्त्वपूर्ण स्थानों की पहचान करने के लिए एक समर्पित समिति के साथ, विश्व धरोहर स्थलों के चयन के लिए एक संशोधित प्रणाली भी महत्त्वपूर्ण है।
- **यूनेस्को (UNESCO)** में अमेरिका की वापसी महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए एक नई प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसमें रणनीतिक विचारों ने संभवतः एक भूमिका निभाई है, यह अधिक शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए अन्य देशों के साथ कार्य करने के मूल्य की मान्यता का भी सुझाव देता है। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त चुनौतियों का समाधान करके और सहयोग को बढ़ावा देकर, यूनेस्को वैश्विक शिक्षा, वैज्ञानिक सहयोग और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका पुनः प्रारम्भ कर सकता है।

संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी

निकट पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए, 'संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA)' एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो मुख्य रूप से स्वैच्छिक योगदान से वित्त पोषित है और जो शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सेवाओं और बुनियादी ढाँचे में सुधार के माध्यम से फिलिस्तीनी शरणार्थियों की सहायता करती है।

UNRWA और भारत (UNRWA AND INDIA)

भारत ने दशकों से फिलिस्तीनी शरणार्थियों का निरंतर समर्थन किया है। यह प्रतिबद्धता UNRWA में इसके बढ़े हुए वार्षिक योगदान में परिलक्षित होती है, जो 2016 के $1.25 मिलियन से बढ़कर 2018 और 2019 में $5 मिलियन हो गई है। अपने वित्तीय समर्थन के अतिरिक्त, भारत ने COVID-19 महामारी के दौरान फिलिस्तीन को महत्त्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति भी की थी।

भारत के योगदान का महत्त्व (Significance of India's contributions): भारत का समर्थन निम्न प्रमुख बिंदुओं को दर्शाता है:

- **UNRWA के लिए मजबूत समर्थन (Strong backing for UNRWA):** भारत का योगदान, फिलिस्तीनी शरणार्थियों की सहायता में UNRWA के महत्त्वपूर्ण कार्य के प्रति उसके अटूट समर्थन का एक मजबूत संकेत है।
- **शरणार्थी कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता (Commitment to refugee well-being):** वित्तीय सहायता में वृद्धि, भारत की फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के प्रति उसके समर्पण को दर्शाती है।
- **उभरता नेतृत्व (Emerging leadership):** संकट काल के दौरान अपना समर्थन बढ़ाकर, भारत इस असुरक्षित आबादी के मानवीय विकास का समर्थन करने में एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरा है।
- **विश्वसनीय मित्र (Reliable friend):** भारत के कार्यों से वैश्विक मामलों में एक विश्वसनीय मित्र के रूप में उसकी छवि मजबूत होती है, जिससे इसके कूटनीतिक नम्य शक्ति और मित्र देशों के साथ संबंध मजबूत होते हैं।

निष्कर्ष

'संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA)' ने सेवाओं की पहुँच, गुणवत्ता और आकार में सुधार का उत्तरदायित्व संभाला है और यह आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसमें सुधार कर रहा हैं। यह संगठन लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थी बच्चों को शिक्षा और संभावनाओं तक पहुँच प्रदान करने के लिए आवश्यक है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से निरंतर वित्तीय सहायता समय की माँग है।

प्रमुख शब्दावलियाँ

UNRWA (संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी), फ़िलिस्तीनी शरणार्थी, मानवीय सहायता (Humanitarian Aid), भारत का समर्थन, शरणार्थी कल्याण आदि।

विगत वर्षों के प्रश्न

- "आवश्यकता से कम नकदी, अत्यधिक राजनीति ने यूनेस्को को जीवन-रक्षण की स्थिति में पहुँचा दिया है।" अमेरिका द्वारा सदस्यता परित्याग करने और सांस्कृतिक संस्था पर 'इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह' होने का दोषारोपण करने के प्रकाश में इस कथन की विवेचना कीजिए। **(2019)**
- यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन) के मैक्ब्राइड आयोग के लक्ष्य और उद्देश्य क्या-क्या हैं ? इनमें भारत की क्या स्थिति है? **(2016)**

43 अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन

परिचय

- अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एक विशिष्ट एजेंसी है, जिसे **वर्साय की संधि** के बाद 1919 में स्थापित किया गया था। यह अपनी त्रिपक्षीय संरचना के कारण विशिष्ट है, जो अपने 187 सदस्य देशों की 'सरकारों', 'श्रमिक संगठनों' और 'नियोक्ता संगठनों 'को एक साथ लाता है। यह अनूठी संरचना कार्य जगत से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर संवाद और सहयोग को बढ़ावा देती है।
- ILO का मुख्य मिशन 'सभी के लिए सम्मानजनक कार्य' को बढ़ावा देना है। इसका अर्थ सभी के लिए उचित कामकाजी परिस्थितियों, सुरक्षा और स्वास्थ्य संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा और उचित वेतन और रोजगार के अवसरों के लिए प्रयास करना है।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन से संबंधित समस्याएँ (ISSUES WITH ILO)

- **सीमित प्रवर्तन शक्ति (Limited Enforcement Power):** सदस्य देशों द्वारा अपने मूल श्रम मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए ILO के पास सशक्त प्रवर्तन तंत्र का अभाव है। यह मुख्य रूप से नैतिक अनुनय और सार्वजनिक दबाव पर निर्भर करता है।
- **औपचारिक क्षेत्र पर ध्यान (Focus on Formal Sector):** ILO के मानक और कार्यक्रम अनौपचारिक श्रमिकों, जो वैश्विक कार्यबल का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं, विशेष रूप से विकासशील देशों में, के सामने आने वाली चुनौतियों का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं कर सकते हैं।
- **कार्य की बदलती दुनिया में प्रासंगिकता (Relevance in Changing World of Work):** स्वचालन और गिग अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ, तेजी से परिवर्तित हो रही कार्य की संस्कृतियों के कारण प्रासंगिक बने रहने के लिए ILO को अपने दृष्टिकोण को अनुकूलित करने की आवश्यकता हो सकती है।
- **प्रतिनिधित्व और शासन (Representation and Governance):** कुछ लोग सरकारों की तुलना में श्रमिकों और नियोक्ताओं की आवाज़ को पर्याप्त महत्त्व न देने के लिए ILO की संरचना की आलोचना करते हैं।

आगे की राह

- **प्रवर्तन को सुदृढ़ बनाना (Strengthening Enforcement):** क्षेत्रीय या अंतरराष्ट्रीय निकायों के सहयोग से, अधिक शक्तिशाली प्रवर्तन तंत्र बनाने के तरीकों का पता लगाना।
- **अनौपचारिक कार्य को संबोधित करना (Addressing Informal Work):** लक्षित कार्यक्रम और मानक विकसित करना जो अनौपचारिक श्रमिकों की विशिष्ट आवश्यकताओं और असुरक्षाओं को सम्बोधित करते हों।
- **बदलते कार्य को अपनाना (Adapting to Changing Work):** ILO को स्वचालन और गिग अर्थव्यवस्था सहित, कार्य की उभरती संस्कृतियों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों पर सक्रिय रूप से शोध करने और समाधान करने की आवश्यकता है।
- **प्रतिनिधित्व में वृद्धि (Enhancing Representation):** ILO की निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के अंतर्गत कार्यकर्ता और नियोक्ता संगठनों की, भागीदारी और प्रभाव बढ़ाने के लिए सुधारों पर विचार करना।
- **विकास पर ध्यान केंद्रित करना (Focusing on Development):** ILO विशेष रूप से विकासशील देशों में सतत विकास के प्रमुख चालक के रूप में सभ्य व सम्मानजनक कार्य को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- **सहयोग (Collaboration):** अपने लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए सरकारों, गैर सरकारी संगठनों (NGOs) और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी को मजबूत करना।

प्रमुख शब्दावलियाँ

त्रिपक्षीय संरचना, श्रम मानक, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सीमित प्रवर्तन, अनौपचारिक कार्य चुनौतियाँ, सशक्त प्रवर्तन तंत्र, गिग अर्थव्यवस्था।

भारत और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन

वैश्विक मंच पर निष्पक्ष श्रम प्रथाओं के महत्त्व को पहचानते हुए भारत 1919 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का संस्थापक सदस्य बना तथा 1922 से इसके शासी निकाय में एक स्थायी सदस्यता रखता है। भारत अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अंतर्गत एक प्रमुख भूमिका निभाता है।

ILO के 8 मुख्य अभिसमय (8 CORE ILO CONVENTIONS)

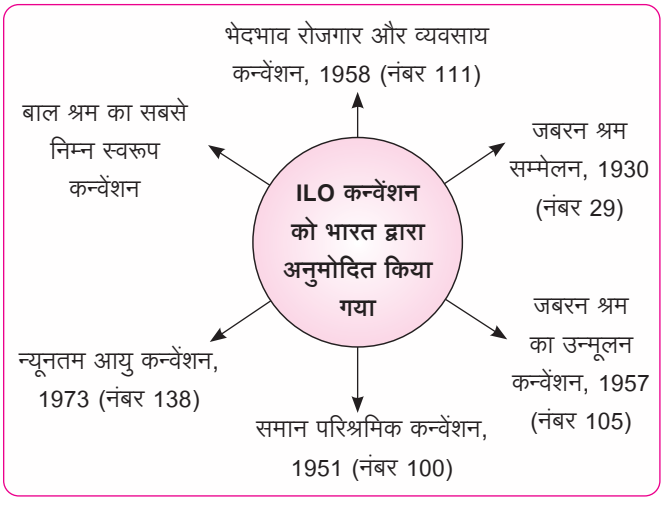

भारत ने आठ प्रमुख/मौलिक ILO अभिसमयों में से छह को अनुमोदित किया है: ये हैं-

- बलात श्रम अभिसमय, 1930 (सं. 29)
- समान पारिश्रमिक अभिसमय, 1951 (सं. 100)
- बलात श्रम उन्मूलन अभिसमय, 1957 (सं. 105)
- भेदभाव (रोज़गार और व्यवसाय) अभिसमय, 1958 (सं. 111)
- न्यूनतम आयु अभिसमय, 1973 (सं. 138)
- बाल श्रम के सबसे बुरे स्वरूप पर अभिसमय, 1999 (सं. 182)

भारत ने आठ प्रमुख/मौलिक ILO अभिसमय में से दो को अनुमोदित नहीं किया है: ये हैं

- संघ बनाने की स्वतंत्रता और संगठित सम्मेलन के अधिकार का संरक्षण 1948 (सं.87)
- संगठित होने का अधिकार और सामूहिक सौदेबाजी अभिसमय,1949 (सं.98)

भारत द्वारा दो ILO अभसिमयों (सं.87 और सं.98) का अनुमोदन नहीं करने का कारण:

- **कर्मचारी अधिकार (Employee Rights)**: इन अभिसमय का अनुमोदन करने से सरकारी कर्मचारियों को कुछ अधिकार प्रदान करने अनिवार्य होंगे जैसे हड़ताल करने या सरकारी नीतियों की आलोचना करने का अधिकार जो मौजूदा वैधानिक नियमों के साथ टकराव की स्थिति उत्पन्न करेगा।
- **विधिक विसंगतियाँ (Legal Inconsistencies):** वर्तमान राष्ट्रीय कानून, अभिसमय में उल्लिखित प्रावधानों के साथ पूरी तरह से संगत नहीं हो सकते हैं।

भारत के लिए सभ्य कार्य देश कार्यक्रम (2023-2027) (THE DECENT WORK COUNTRY PROGRAMME FOR INDIA -2023-2027)

भारत के कार्यबल के लिए लक्ष्यों का समर्थन करने हेतु. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने DWCP शुभारंभ किया है,जिनके निम्नलिखित लक्ष्य हैं :

- **रोजगार सृजन (Job Creation):** विकास के अवसरों के साथ, पर्याप्त संख्या में उच्च गुणवत्ता वाले रोजगारों के सृजन को बढ़ावा देना।
- **सतत आजीविका (Sustainable Livelihoods):** आय के दीर्घकालिक, विश्वसनीय स्रोतों के साथ नागरिकों को सशक्त बनाना।
- **सामाजिक सुरक्षा विस्तार (Social Protection Expansion):** विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करना।
- **महिला सशक्तिकरण (Women's Empowerment):** कार्यबल में अधिक से अधिक महिला भागीदारी को प्रोत्साहित करने वाले वातावरण को बढ़ावा देना।
- **कौशल विकास (Skills Development):** उभरते नौकरी बाजार के लिए श्रमिकों को तैयार करने के लिए एक 'सशक्त कौशल प्रशिक्षण प्रणाली' का निर्माण करना।
- **उद्यमशीलता की भावना (Entrepreneurial Spirit):** नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने वाली कार्य संस्कृति का पोषण करना।

इन प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन करके, DWCP का लक्ष्य भारत के कार्यबल के लिए अधिक समृद्ध और समावेशी भविष्य बनाना है।

अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 111वाँ सत्र (111TH SESSION OF ILO):

जून 2023 में जिनेवा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन का 111वाँ सत्र कार्य के भविष्य से संबंधित निम्न प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित था:

- **सामाजिक न्याय (Social Justice):** सम्मेलन में अधिक न्यायसंगत और समावेशी कार्य वातावरण के लक्ष्य के साथ वैश्विक कार्यबल में अधिक सामाजिक न्याय की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- **न्यायोचित परिवर्तन (Just Transition):** चर्चाएँ टिकाऊ और समावेशी अर्थव्यवस्थाओं की ओर "न्यायोचित परिवर्तन" की सुविधा पर केंद्रित थीं। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि श्रमिकों को हरित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन से लाभ हो।
- **गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षुता (Quality Apprenticeships):** उभरते नौकरी बाजार में श्रमिकों को आवश्यक कौशल से तैयार करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षुता कार्यक्रम स्थापित करना भी एक प्रमुख विषय था।
- **श्रम सुरक्षा (Labor Protection):** प्रतिनिधियों ने सभी के लिए अच्छी कार्य परिस्थितियाँ सुनिश्चित करने के लिए श्रम सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के महत्त्व का समर्थन किया।

ये बिंदु कार्य के भविष्य को बढ़ावा देने के लिए ILO की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं जो बदलते आर्थिक परिदृश्य में सामाजिक न्याय, कौशल विकास और श्रमिकों के लिए उचित उपचार को प्राथमिकता देता है।

अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 112वाँ सत्र

- जून 2024 में **"आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें: बाल श्रम की समाप्ति"** विषयवस्तु के अंतर्गत आयोजित किया गया।
- यह **बाल श्रम के सबसे बुरे स्वरुप पर अभिसमय, 1999 (सं. 182) को अपनाए जाने के 25 वर्ष** पूरे होने से संदर्भित है।
- ILO के त्रिपक्षीय घटकों को बाल श्रम के उन्मूलन के संबंध में प्रगति और चुनौतियों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा।

बाल श्रम पर ILO और भारत

- अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार; असमानता, शैक्षिक अवसरों की कमी, धीमी जनसांख्यिकी परिवर्तन, परंपराएँ और सांस्कृतिक अपेक्षाएँ, ये सभी भारत में बाल श्रम के बने रहने में योगदान करती हैं।
- अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुभव है कि स्थिर आर्थिक विकास, श्रम मानकों के प्रति सम्मान, सभ्य कार्य, सार्वभौमिक शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, बच्चों की ज़रूरतों और अधिकारों को पहचानना - ये सब मिलकर बाल श्रम के मूल कारणों से निपटने में मदद कर सकते हैं।
- जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में आयु वर्ग 5-14 में कुल बाल जनसंख्या 259.6 मिलियन है। इनमें से **10.1 मिलियन (कुल बाल जनसंख्या का 3.9%) या तो 'मुख्य श्रमिक' या 'सीमांत श्रमिक'** के रूप में काम कर रहे हैं।
- **बाल श्रम उन्मूलन पर अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम** (IPEC : International Programme on the Elimination of Child Labour) दिसंबर, 1991 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा शुरू किया गया एक वैश्विक कार्यक्रम है। भारत 1992 में इसमें शामिल होने वाला पहला देश था।

ILO की सिंगापुर घोषणा 2022
(The ILO Singapore Declaration 2022)

ILO के सिंगापुर घोषणापत्र में कहा गया है कि 'श्रमिक संघों की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना और श्रमिकों के अधिकारों पर अंकुश नहीं लगाना' एक निष्पक्ष और समावेशी कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख प्रतिबद्धताओं की रूपरेखा तैयार करता है:

- **श्रम सुरक्षा को मजबूत करना (Strengthening Labour Protections):** सार्वभौमिक श्रम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संघ की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों को बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है।
- **लिंग अंतराल को कम करना (Closing the Gender Gap):** महिलाओं की कार्यबल भागीदारी, समान वेतन, कार्य-जीवन संतुलन और नेतृत्व के अवसरों को बढ़ावा देने वाले उपाय आवश्यक हैं।
- **सहायक परिवर्तन (Supporting Transitions):** समावेशी श्रम नीतियों को जीवन परिवर्तन और जनसांख्यिकीय परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान करना चाहिए।
- **सामाजिक सुरक्षा का विस्तार (Expanding Social Protection):** सभी श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा लाभ पहुँचाने से सामाजिक और रोजगार लचीलापन मजबूत होता है।

- IPEC का दीर्घकालिक उद्देश्य बाल श्रम के प्रभावी उन्मूलन में योगदान देना है। इसके तात्कालिक उद्देश्य हैं:
  - बाल श्रम के लिए कार्यक्रमों को तैयार करने, लागू करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए ILO घटकों और गैर सरकारी संगठनों की क्षमता में वृद्धि करना।
  - अनुकरण के लिए मॉडल के रूप में काम कर सकने वाले समुदायों और राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेपों की पहचान करना।
  - बाल श्रम के उन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता और सामाजिक लामबंदी का निर्माण करना।

निष्कर्ष

उपरोक्त मुद्दों का समाधान करके और उपयुक्त कदम उठाकर, ILO विश्व में सामाजिक न्याय और निष्पक्ष श्रम प्रथाओं को बढ़ावा देने में अपनी प्रासंगिकता और प्रभावशीलता को बनाए रख सकता है।

प्रमुख शब्दावलियाँ

संस्थापक सदस्य, मुख्य सम्मेलन, अप्रमाणित सम्मेलन, संघ की स्वतंत्रता, सामूहिक सौदेबाजी, सभ्य कार्य देश कार्यक्रम, भारत के कार्यबल लक्ष्य, कार्य का भविष्य, हरित नौकरियों में परिवर्तन, आईएलओ सिंगापुर घोषणा, श्रमिक अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता आदि।

44 अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय

परिचय

- अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय एक अंतरसरकारी न्यायाधिकरण है जो सबसे गंभीर अपराधों जैसे नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता के अपराध (उदाहरण: **मुअम्मर गद्दाफ़ी का मुकदमा**) के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है।
- इसकी स्थापना 2002 में **रोम संविधि** द्वारा की गई थी।
- वर्तमान में 123 देश अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के सदस्य हैं। भारत, चीन और अमेरिका सहित कुछ प्रमुख शक्तियाँ रोम संविधि की पक्षकार नहीं हैं।
- यह संयुक्त राष्ट्र की संस्था नहीं है किंतु फिर भी इसका संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग समझौता है।

भूमिका और कार्य

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC), अंतरराष्ट्रीय न्याय प्रणाली में निम्नलिखित भूमिका निभाता है:

- **अपराधों के प्रति जवाबदेही (Accountability for Crimes):** अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) सबसे गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों के लिए व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है।
- **दण्डमुक्ति को समाप्त करना (Ending Impunity):** यह नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध करने वालों को न्याय से बचने से रोकने के लिए कार्य करता है।
- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहयोग (UN Security Council Cooperation):** न्यायालय ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) को मामले संदर्भित करने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका को स्वीकार किया है।
- **प्रमुख अपराधों का समाधान करना (Addressing Core Crimes):** यह आक्रामकता के अपराध के साथ-साथ नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराधों सहित सबसे गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों पर मुकदमा चलाने पर केंद्रित है।

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की सीमाएँ

- **वैधता संबंधी चिंताएँ (Legitimacy Concerns):** कुछ देश अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की वैधता पर प्रश्न उठाते हैं, जबकि अन्य अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए इसमें हेरफेर करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, एक समर्पित जाँच निकाय की कमी मामलों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की इसकी क्षमता को सीमित कर सकती है।
- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रभाव (Influence of UN Security Council):** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) कार्रवाई को वीटो करने की शक्ति, गैर-सदस्य देशों में गिरफ्तारी करने की इसकी क्षमता पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालती है। इससे इन शक्तिशाली राष्ट्रों पर निर्भरता उत्पन्न होती है।
- **पूर्वाग्रह के आरोप (Allegations of Bias):** विकासशील देशों के प्रति पक्षपाती होने के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की आलोचना की गई है, जिसमें गरीब देशों से अनुपातहीन संख्या में मुकदमे दर्ज किए गए हैं।
- **प्रक्रियात्मक विलंब (Procedural Delays):** जटिल प्रक्रियाओं के कारण लंबी जाँच और सुनवाई हो सकती है, जिससे अदालत की दक्षता पर प्रश्न खड़ा हो सकता है।
- **प्रवर्तन चुनौतियाँ (Enforcement Challenges):** अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के पास अपनी स्वयं की प्रवर्तन शाखा का अभाव है, जो दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और जेल में डालने के लिए सदस्य देशों पर निर्भर है। यह निर्भरता समस्याग्रस्त हो सकती है, विशेषकर राजनीतिक रूप से आरोपित मामलों में।
- **भू-राजनीतिक तनाव (Geo-political Tensions):** राष्ट्रपति पुतिन जैसी प्रमुख हस्तियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने से अंतरराष्ट्रीय तनाव बढ़ सकता है और राजनयिक प्रयासों में बाधा आ सकती है। इसी तरह क्षेत्रीय सहयोगियों से जुड़े संघर्षों की जाँच से टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- **सीमित दायरा (Limited Scope):** अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय केवल व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकता है, संगठनों या देशों पर नहीं। इससे गंभीर अपराधों के कुछ अपराधियों के अपराध साबित करने में समस्या आ सकती है।

चिंताओं को दूर के लिए महत्त्वपूर्ण उपाय

इन चुनौतियों के बावजूद, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए एक महत्त्वपूर्ण संस्था बनी हुई है। इन चिंताओं को दूर करने के निम्नलिखित उपाय हैं:

- **सार्वभौमिक सदस्यता और सहयोग (Universal Membership and Cooperation):** सभी देशों को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) में शामिल होने और इसकी जाँच और अभियोजन में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना महत्त्वपूर्ण है। इससे न्यायालय की वैधता और प्रवर्तन शक्ति मजबूत होगी।
- **शांति को प्राथमिकता देना (Prioritizing Peace):** अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को शांति की स्थापना के साथ न्याय को संतुलित करने का भी प्रयास करना चाहिए। चल रही शांति वार्ताओं के संभावित प्रभाव पर सावधानीपूर्वक विचार करना आवश्यक है।

- **पूर्वाग्रह को संबोधित करना (Addressing Bias):** अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को अपनी जाँच और अभियोजन में निष्पक्षता प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। मामलों को अधिक भौगोलिक रूप से वितरित करना और विविध न्यायालय कर्मचारियों को सुनिश्चित करना पूर्वाग्रह के बारे में चिंताओं को दूर करने में सहायता कर सकता है।
- **प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना (Streamlining Procedures):** उचित प्रक्रिया से समझौता किए बिना विधिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के प्रयासों से मामलों में तेजी आ सकती है और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की प्रभावशीलता में सुधार हो सकता है।
- **क्षेत्राधिकार का विस्तार (Expanding Jurisdiction):** संगठनों और देशों को जवाबदेह बनाने के उपायों पर विचार करके और संभावित रूप से अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ सहयोग के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की पहुँच और प्रभाव को व्यापक बनाया जा सकता है।

भारत और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय

भारत ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) में शामिल नहीं होने का विकल्प चुना है। भारत के शामिल नहीं होने के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं:-

- **निष्पक्षता के बारे में चिंताएँ (Concerns about Impartiality):** भारत को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के अभियोजकों पर राजनीतिक प्रभाव का भय है, विशेष रूप से सदस्य देशों द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्ति के कारण।
- **संप्रभुता पर प्रभाव (Impact on Sovereignty):** भारत, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) में भागीदारी को राष्ट्रीय संप्रभुता पर संभावित उल्लंघन के रूप में देखता है, विशेष रूप से अपनी सीमाओं के अंतर्गत होने वाले अपराधों पर अधिकार क्षेत्र के संबंध में।
- **साक्ष्य संबंधी चुनौतियाँ (Evidentiary Challenges):** अंतरराष्ट्रीय अपराधों के लिए साक्ष्य एकत्र करना जटिल हो सकता है, और भारत अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की जाँच में आने वाली कठिनाइयों को लेकर चिंतित है।
- **अपराधों का सीमित दायरा (Limited Scope of Crimes):** अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) द्वारा सीमा पार आतंकवाद और परमाणु हथियार अपराधों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर करना भारत के लिए विवाद का विषय है।
- **चयनात्मक आवेदन (Selective Application):** भारत मामलों के चयन के विषय में चिंताओं का हवाला देते हुए सार्वभौमिक न्याय के प्रति अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की प्रतिबद्धता पर प्रश्न उठाता है।
- **अभियोजक की शक्ति (Power of the Prosecutor):** भारत संभावित राजनीतिक प्रेरणाओं के भय से, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के अभियोजक को दी गई व्यापक जाँच शक्तियों से सावधान है।

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) पर भारत का रुख राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर नियंत्रण बनाए रखने और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने की इच्छा को दर्शाता है। अंतरराष्ट्रीय न्याय के महत्त्व को स्वीकार करते हुए, भारत अधिक व्यापक और संतुलित दृष्टिकोण चाहता है।

निष्कर्ष

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की सीमाएँ निष्पक्ष न्याय देने और भविष्य में होने वाले संभावित अत्याचारों को रोकने की उसकी क्षमता को कमजोर कर सकती हैं। न्यायालय की विश्वसनीयता को सशक्त करने और अंतरराष्ट्रीय कानूनों को कायम रखने में इसकी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपायों के साथ इन चुनौतियों का समाधान करना महत्त्वपूर्ण है।

प्रमुख शब्दावलियाँ

अंतरराष्ट्रीय अपराध (नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध), जवाबदेही, वैधता संबंधी चिंताएँ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रभाव, प्रवर्तन चुनौतियाँ, भू-राजनीतिक तनाव, सार्वभौमिक सदस्यता, विस्तारित क्षेत्राधिकार आदि।

45 प्रवासी भारतीय

परिचय

प्रवासी भारतीय, भारतीय विरासत वाले लोगों के एक विशाल तंत्र को संदर्भित करते हैं जो अब संपूर्ण विश्व में रहते हैं। इस समुदाय में शामिल हैं:-

- **अनिवासी भारतीय** (Non-Resident Indians -NRIs): भारत से बाहर रहने वाले भारतीय नागरिक।
- **भारत के प्रवासी नागरिक** (Overseas Citizens of India -OCI): भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं हैं, लेकिन OCI कार्ड धारण करते हैं (PIO कार्डधारकों को 2015 में इस श्रेणी में विलय कर दिया गया था)।
- 32 मिलियन से अधिक व्यक्तियों के साथ, यह वैश्विक समुदाय उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है।
- भारतीय प्रवासी सदस्य; व्यवसाय, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कला और संस्कृति जैसे विविध क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। वे भारत और उनके द्वारा अपनाए गए देशों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं तथा संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देते हैं।

प्रवासी भारतीय से संबंधित प्रमुख आँकड़े

विवरण (Description)	आंकड़े (Statistics)
भारतीय प्रवासी जनसंख्या (विदेश मंत्रालय)	32 मिलियन (विश्व में सबसे महत्त्वपूर्ण)
भारत को वार्षिक प्रेषण (विश्व बैंक)	100 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक
प्रवासी भारतीयों के शीर्ष गंतव्य	संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिम एशिया
संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या में भारतीय प्रवासियों का अनुपात	1.3%
ब्रिटेन के सकल घरेलू उत्पाद में भारतीय प्रवासियों का योगदान	6%

समृद्ध होती भारतीय प्रवासी नीति : मील के पत्थर के रुप में

- **प्रारंभिक उदासीनता (Early Indifference):** स्वतंत्रता के पश्चात, प्रधानमंत्री नेहरू ने विदेशों में भारतीयों को अपने मेजबान देशों में एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया। प्रवासी भारतीयों के साथ यह सीमित जुड़ाव उस समय भारत की विदेश नीति की प्राथमिकताओं को दर्शाता है।
- **अस्थायी रणनीतियाँ (Shifting Strategies):** राजीव गांधी के नेतृत्व में, भारत की विदेश नीति अंतर-तृतीय विश्व सहयोग की ओर स्थानांतरित हो गई। इससे प्रवासी नीति में थोड़ा बदलाव आया। उनकी क्षमता को पहचानते हुए, भारत ने सैम पित्रोदा जैसे कुशल प्रवासी सदस्यों को राष्ट्रीय विकास में योगदान देने के लिए आमंत्रित करना शुरू किया। **1984 में भारतीय प्रवासी मामले विभाग** की स्थापना ने इस बदलाव को चिह्नित किया।
- **आर्थिक सुधार और अवसर (Economic Reforms and Opportunity):** 1990 के दशक में उदारीकरण के बाद के सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया, जिससे प्रवासी सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम हो गए। उनके निवेश और प्रेषण ने विदेशी मुद्रा संकट के दौरान महत्त्वपूर्ण सहायता प्रदान की जिसके कारण भारत की प्रवासी नीति की और समीक्षा हुई।
- **वाजपेयी सरकार द्वारा संबंधों की सुदृढ़ता (Vajpayee's Focus on Engagement):** अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सक्रिय रूप से प्रवासी भारतीयों के साथ संबंधों को बढ़ावा दिया। इस युग में **भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) कार्ड**, **प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड**, **प्रवासी भारतीय दिवस समारोह** और **NRI निधि** जैसी पहलों के साथ-साथ **प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय** की स्थापना हुई। विशेष रूप से, विदेशों में भारतीय नागरिकों को भी मतदान का अधिकार प्रदान किया गया।
- **सतत सहभागिता (Continued Engagement)**: वर्तमान सरकार 2015 ई-माइग्रेट प्रणाली जैसी पहलों के साथ विदेशी रोजगार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और विदेशी नियोक्ताओं को पंजीकृत करने के लिए एक डेटाबेस के साथ प्रवासी भारतीयों को प्राथमिकता देती है। 2016 में शुरू किए गए **"भारत को जानो कार्यक्रम"** (Know India Program-KIP) का उद्देश्य युवाओं (18-30 वर्ष) को उनकी भारतीय विरासत और समकालीन भारत से जोड़ना है, जिससे प्रवासी युवाओं के साथ संबंधों को और घनिष्ठ किया जा सके।

प्रवासी भारतीयों का महत्त्व

भारतीय प्रवासी समुदाय, जो विश्व के सबसे बड़े समुदायों में से एक है, भारत के विकास और वैश्विक प्रतिष्ठा में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण योगदान देता है:

- **आर्थिक महाशक्ति (Economic Powerhouse):** भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता है, जिसका एक महत्त्वपूर्ण अंश मध्य पूर्व से आता है। इसके अतिरिक्त, कम-कुशल श्रमिकों के प्रवासन, विशेष रूप से पश्चिम एशिया में, ने भारत में बेरोजगारी को कम करने में सहायता की है। आर्थिक सुधारों के बाद भारत के भुगतान संतुलन संकट को हल करने में प्रवासी निवेश की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण थी।
- **राजनीतिक प्रभाव (Political Clout):** भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका, ब्रिटेन और फिजी जैसे प्रशांत द्वीप देशों सहित विश्व स्तर पर प्रमुख राजनीतिक पदों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विदेश नीति में उनकी भूमिका के लिए उन्हें "राष्ट्रदूत" (राजदूत) कहा है।

- **उद्यमिता (Entrepreneurship):** प्रवासी भारतीयों की उद्यमशीलता की भावना सिलिकॉन वैली से स्पष्ट होती है, जहाँ बड़ी संख्या में भारतीय मूल के CEOs ने सफल तकनीकी कंपनियाँ स्थापित की हैं।

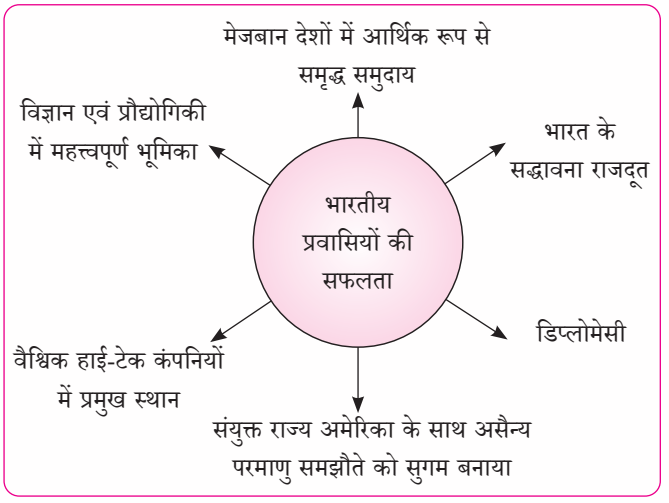

- **संबंध निर्माता (Bridge Builders):** प्रवासी समुदाय बैकचैनल डिप्लोमेसी या **ट्रैक II कूटनीति** में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वह भारत और उनके द्वारा अपनाए गए देशों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय अमेरिकियों ने सफल भारत-अमेरिका असैनिक परमाणु समझौते की पैरवी की।
- **सांस्कृतिक दूत (Cultural Ambassadors):** प्रवासी; भारतीय संस्कृति, पाक कला, परंपराओं और मूल्यों को दुनिया भर में बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे भारत की नम्य शक्ति (Soft Power) बढ़ती है और पर्यटन आकर्षित होता है।
- **लोकोपकार (Philanthropy):** प्रवासी भारतीयों में से कई लोग भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक विकास पहल का समर्थन करते हुए लोक कल्याण कार्यों में उदारतापूर्वक योगदान देते हैं।
- **ज्ञान हस्तांतरण (Knowledge Transfer):** प्रवासी पेशेवर नवाचार और विकास को बढ़ावा देते हुए बहुमूल्य ज्ञान और विशेषज्ञता भारत वापस लाते हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय-अमेरिकी वैज्ञानिक भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रवासी भारतीयों की समस्याएँ (ISSUES OF INDIAN DIASPORA)

भारतीय प्रवासी एक जीवंत वैश्विक समुदाय है, जो समस्याओं के एक जटिल जाल का सामना करता है:

- **आर्थिक चिंताएँ (Economic Concerns):** विभिन्न कारकों से उत्पन्न **रिवर्स माइग्रेशन** के कारण प्रेषण में गिरावट आई है, जिसका असर स्वदेश वापसी करने वाले परिवारों पर पड़ा है। इसके अतिरिक्त, वैश्विक मंदी और विदेशों में संरक्षणवादी नीतियाँ भारतीय पेशेवरों के लिए नौकरी के अवसरों को सीमित करती हैं (उदाहरण के लिए, अमेरिका में H-1B वीजा प्रतिबंध)।
- **सीमित राजनीतिक भागीदारी (Limited Political Participation):** जटिल मतदान प्रक्रियाओं और निवास आवश्यकताओं को संचालित करना, उनके मेजबान देशों में राजनीतिक भागीदारी में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
- **प्रतिभा पलायन (Brain Drain):** जब कुशल पेशेवर विदेश में बस जाते हैं तो भारत मूल्यवान प्रतिभा खो देता है, जिससे घरेलू नवाचार और विकास में बाधा आती है।
- **बचाव और सुरक्षा (Safety and Security):** बढ़ती वैश्वीकरण विरोधी भावनाओं ने कुछ देशों में भारतीय समुदायों के खिलाफ घृणा और अन्य अपराधों को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा, पश्चिम एशिया (जैसे, बहरीन, यमन) जैसे क्षेत्रों में राजनीतिक अस्थिरता भारतीय श्रमिकों के लिए सुरक्षा खतरा उत्पन्न करती है।
- **शोषणकारी श्रम प्रथाएँ (Exploitative Labour Practices):** कुछ मेजबान देश अनुचित श्रम कानून लागू करते हैं (उदाहरण के लिए, पश्चिम एशिया में **कफाला और नियाकत**) जो श्रमिकों के आंदोलन को प्रतिबंधित करते हैं और उनके अधिकारों का शोषण करते हैं।
- **दूसरी पीढ़ी के मुद्दे (Second Generation Issues):** विदेशों में जन्मे और पले-बढ़े बच्चे अपनी भारतीय विरासत से जुड़ने के लिए संघर्ष कर सकते हैं, जिससे सांस्कृतिक पहचान का संकट उत्पन्न हो सकता है।
- **प्रवासी एकता का अभाव (Diaspora Disunity):** विभिन्न देशों में फैले विशाल प्रवासी भारतीयों की विविध आवश्यकताएँ और प्राथमिकताएँ हैं। यह विविधता एक एकीकृत नीति तैयार करने में बाधा बनती है परिणामस्वरूप सभी प्रवासियों की समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। (उदाहरण के लिए, कनाडा में कुछ वर्ग खालिस्तान जैसे अलगाववादी आंदोलनों का समर्थन कर करते हैं, जो भारत सरकार के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है)।

सरकारी उपाय

- **सामाजिक सुरक्षा समझौते (Social Security Agreements):** द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौते विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय पेशेवरों के हितों की रक्षा करते हैं, जिससे भारतीय कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है।
- **सरलीकृत प्रक्रियाएँ (Simplified Processes):** प्रवासी भारतीयों के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने की पहल चल रही है, जैसे पासपोर्ट और वीजा सेवाओं, OCI कार्ड अनुप्रयोगों और अन्य दूतावास संबंधी सेवाओं को सुव्यवस्थित करना।
- **सुव्यवस्थित समर्थन (Streamlined Support):** प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय को विदेश मंत्रालय (2016) के साथ विलय करने से, प्रवासी नीति के लिए अधिक एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है और इसने विदेशों में भारतीयों के लिए सहायता सेवाओं को मजबूत किया है।
- **समर्पित सहायता (Dedicated Assistance):** विदेश मंत्रालय प्रवासी भारतीयों की चिंताओं और शिकायतों को दूर करने के लिए समर्पित हेल्पलाइन सेवाएँ और कल्याण प्रकोष्ठ प्रदान करता है, जो विभिन्न मुद्दों पर सहायता प्रदान करता है।
- **महामारी राहत (Pandemic Relief):** प्रवासी भारतीयों की सहायता के लिए COVID-19 महामारी के दौरान वित्तीय सहायता कार्यक्रम और राहत उपाय प्रस्तुत किए गए, जिनमें आपात स्थिति के लिए सहायता और प्रवासी भारतीयों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ शामिल थीं।

- **विरासत का संरक्षण (Preserving Heritage):** सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम प्रवासी भारतीयों के साथ संबंधों को बढ़ावा देते हैं और विदेशों में भारतीय विरासत को संरक्षित कर सांस्कृतिक संबंधों और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देते हैं।

प्रवासी भारतीयों को आकर्षित करना: हालिया पहल (ENGAGING THE DIASPORA: RECENT INITIATIVES)

- **मदद पोर्टल (Madad Portal):** यह भारतीय प्रवासियों के लिए वन-स्टॉप शिकायत निवारण मंच है। यह क्षतिपूर्ति के दावे, कानूनी मामले, प्रत्यावर्तन सहायता और दूतावास संबंधी अनेक शिकायतों के निवारण के लिए एकीकृत मंच उपलब्ध कराता है।
- **वंदे भारत मिशन-2020 (Vande Bharat Mission-2020):** इस मिशन ने COVID-19 महामारी के समय बड़े पैमाने पर प्रवासी भारतीयों के लिए स्वदेश वापसी के प्रयास किये। विदेशों में फंसे हजारों भारतीय नागरिकों को वापसी की सुविधा प्रदान की।
- **वैभव शिखर सम्मेलन (Vaibhav Summit):** यह वैश्विक शिखर सम्मेलन विदेशी और निवासी भारतीय वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों को जोड़ता है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और एयरोस्पेस प्रौद्योगिकियों जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग पर केंद्रित है।
- **प्रवासियों तक पहुँच कार्यक्रम (Diaspora Outreach Events):** प्रवासी भारतीय दिवस जैसे आयोजन प्रवासी भारतीयों के साथ संबंधों को मजबूत करते हैं। वे नेटवर्किंग, संवाद और सामुदायिक चिंताओं को दूर करने के अवसर प्रदान करते हैं।
- **मदद पोर्टल और स्वदेश वापसी मिशन (Rescue & Repatriation Missions):** मदद पोर्टल और वंदे भारत जैसे अभियानों ने विदेशों में संकट में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की है, जो उनके कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। (उदाहरण के लिए संयुक्त मिशन जैसे "**राहत**, **संकट मोचन, वंदे भारत और समुद्र सेतु**")

आगे की राह :

- **चिंताओं का समाधान करना (Addressing Concerns):** मदद पोर्टल जैसे उपयोगकर्ता-अनुकूल मंचों को बढ़ाना और प्रवासी भारतीयों को त्वरित सहायता प्रदान करने और शिकायतों का समाधान करने के लिए समर्पित हेल्पलाइन स्थापित करना।
- **कौशल विकास (Skilling Up):** प्रवासी भारतीयों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे क्षेत्रों में उद्यमशीलता उपक्रमों और भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- **संबंधों का निर्माण (Building Bridges):** स्पष्ट रूप से परिभाषित समझौतों और नियमित संवाद के माध्यम से मेजबान देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करना। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण विदेशों में भारतीय नागरिकों के कल्याण और खुशहाली को सुनिश्चित करेगा।
- **मूल सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहना (Connecting Roots):** सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने और भारत के साथ स्थायी संबंध को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों और आदान-प्रदान कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- **व्यापक समर्थन (Comprehensive Support):** वित्तीय सहायता प्रदान करने, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच की सुविधा प्रदान करने और आवश्यकता पड़ने पर स्वदेश वापसी सहायता प्रदान करने के लिए कार्यक्रम विकसित करना।
- **सुव्यवस्थित सेवाएँ (Streamlined Services):** सहज और कम समय लेने वाले अनुभव के लिए पासपोर्ट, वीज़ा और OCI कार्ड प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार करना।
- **विशेषज्ञता को शामिल करना (Engaging Expertise):** खुले संचार चैनलों को बढ़ावा देना और उनके ज्ञान और वैश्विक परिप्रेक्ष्य का लाभ उठाने के लिए नीति-निर्माण प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से प्रवासी भारतीयों के मूल्यवान सहयोग की तलाश करना।

निष्कर्ष

उपरोक्त सभी उपायों को सक्रियता से लागू करके, भारत जीवंत भारतीय प्रवासियों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर सकता है और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों को बढ़ावा दे सकता है जो अपने वैश्विक नागरिकों की प्रतिभा, संसाधनों और विशेषज्ञता का लाभ उठाता है। यह सशक्त प्रवासी भारत की निरंतर वृद्धि और विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

प्रमुख शब्दावलियाँ

प्रवासी भारतीय, प्रेषण (100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक), प्रवासी भारतीय दिवस, PIO/OCI कार्ड, NRI निधि, ई-माइग्रेट प्रणाली, भारत को जानो कार्यक्रम (KIP), आर्थिक महाशक्ति, राष्ट्रदूत, संबंध निर्माता, ट्रैक II कूटनीति, सांस्कृतिक दूत, ज्ञान हस्तांतरण आदि।

विगत वर्षों के प्रश्न

- भारतीय प्रवासियों ने पश्चिम में नई ऊंचाइयों को छुआ है। भारत के लिए इसके आर्थिक एवं राजनीतिक लाभों का वर्णन करें। **(2023)**
- "अमेरिका और यूरोपीय देशों की राजनीति और अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों को एक निर्णायक भूमिका निभानी है।" उदाहरणों सहित टिप्पणी कीजिए। **(2020)**
- दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था एवं समाज में भारतीय प्रवासियों को एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इस संदर्भ में, दक्षिण-पूर्वी एशिया में भारतीय प्रवासियों की भूमिका का मूल्यनिरुपण कीजिए। **(2017)**

46 प्रौद्योगिकी की भू-राजनीति

परिचय

- प्रौद्योगिकी की भू-राजनीति, वैश्विक शक्ति गतिशीलता पर तकनीकी प्रगति के बढ़ते प्रभाव को संदर्भित करती है। इसमें शामिल है कि कैसे राष्ट्र आर्थिक, सैन्य और भू-राजनीतिक लाभ हासिल करने, देशों के बीच संबंधों को आकार देने और अंतरराष्ट्रीय शक्ति गतिशीलता को प्रभावित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग और नियंत्रण करते हैं।
- देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), अर्धचालक और साइबरयुद्ध जैसे क्षेत्रों में प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह प्रतिद्वंद्विता अंतरराष्ट्रीय संबंधों, आर्थिक सुरक्षा और यहाँ तक कि लोकतांत्रिक मानदंडों को भी आकार देती है।
- डेटा गोपनीयता, नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास और महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे पर नियंत्रण जैसे मुद्दे इस नए भू-राजनीतिक परिदृश्य में युद्ध के मैदान बन गए हैं।

भू-राजनीति का स्वरूप

- **ऊर्जा युद्ध (Energy Wars):** ऊर्जा संसाधनों को नियंत्रित और वितरित करने का संघर्ष, जैसा कि रूस-यूक्रेन गैस विवादों में देखा गया है।
- **तकनीकी वर्चस्व (Tech Supremacy):** तकनीकी नेतृत्व की स्पर्धा, 5जी तकनीक में अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा के माध्यम से समझी जा सकती है।
- **संसाधन प्रतिद्वंद्विता (Resource Rivalry):** भूमि, संसाधनों और दक्षिण चीन सागर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा।
- **आर्थिक संघर्ष (Economic Battles):** व्यापार संबंध और आर्थिक प्रभुत्व की तलाश, उदाहरण के लिए अमेरिका-चीन व्यापार तनाव।
- **सैन्य युद्धाभ्यास (Military Maneuvering):** सैन्य बलों की रणनीतिक स्थिति और गठबंधनों का निर्माण, जैसे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति।
- **वैचारिक संघर्ष (Ideological Clashes):** प्रतिस्पर्धी विचारधाराओं का प्रसार और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को आकार देने की लड़ाई जैसे अमेरिका-रूस वैचारिक मतभेद।

प्रौद्योगिकी द्वारा भू-राजनीतिक सहयोग को प्रोत्साहन :

- **गुप्त सुरक्षा सूचना साझा करना (Sharing Security Intel):** डेटा विनिमय मंच, देशों को महत्त्वपूर्ण खुफिया जानकारी साझा करने, आतंकवाद जैसे खतरों के विरुद्ध सहयोग को मजबूत करने की अनुमति देता है (उदाहरण के लिए **फाइव आइज़ गठबंधन**)।
- **संयुक्त तकनीकी उद्यम (Joint Tech Ventures):** अंतरिक्ष अन्वेषण (उदाहरण के लिए, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन) या साइबर सुरक्षा (उदाहरण के लिए, नाटो सहकारी साइबर रक्षा केंद्र) में सहयोगात्मक परियोजनाएँ विश्वास का निर्माण करती हैं और सहयोग को प्रोत्साहित करती हैं।
- **साइबर सुरक्षा गठबंधन (Cybersecurity Alliances):** राष्ट्र साइबर खतरों से निपटने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और सामूहिक सुरक्षा में सुधार करने के लिए साझेदारी बढ़ा सकते हैं।
- **डिजिटल व्यापार और निवेश (Digital Trade & Investment):** तकनीकी प्रगति, सीमा पार व्यापार और निवेश की सुविधा प्रदान करती है, जिससे आर्थिक अंतरनिर्भरता और सहयोग सुनिश्चित होता है (उदाहरण के लिए, **CPTPP व्यापार समझौता**)।
- **वैश्विक तकनीकी मानक (Global Tech Standards):** प्रौद्योगिकी मानकों पर अंतरराष्ट्रीय समझौते स्थापित करना, उचित और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करता है (उदाहरण के लिए, **जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता**)।
- **आभासी कूटनीति (Virtual Diplomacy):** प्रौद्योगिकी मंच वर्चुअल या आभासी शिखर सम्मेलन और संचार की सुविधा प्रदान करते हैं तथा वैश्विक मुद्दों पर संवाद और सहयोग को बढ़ावा देते हैं (उदाहरण के लिए, **G 20 वर्चुअल या आभासी शिखर सम्मेलन**)।

प्रमुख चुनौतियाँ

प्रौद्योगिकी का उदय अंतरराष्ट्रीय मंच पर चुनौतियों का एक जटिल तंत्र प्रस्तुत करता है:-

- **राष्ट्रीय सुरक्षा संकट (National Security Risks):** अविश्वसनीय संचार सेवा प्रदाताओं की प्रौद्योगिकी का उपयोग करते समय जासूसी या डेटा उल्लंघनों के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं, जैसा कि चीनी दूरसंचार उपकरणों के संबंध में अमेरिकी चिंताओं से ज्ञात होता है।
- **डिजिटल असमानता (Digital Disparity):** विकसित और विकासशील देशों के बीच इंटरनेट पहुँच और बुनियादी ढाँचे में अंतर, आर्थिक और अवसर विभाजन को बढ़ाता है, जैसे अफ्रीका।
- **आर्थिक सुभेद्यता (Economic Vulnerability):** प्रौद्योगिकी के लिए एकल स्रोत पर निर्भरता, आर्थिक संवेदनशीलता उत्पन्न कर सकती है। जैसे विशिष्ट IT कंपनियों पर भारत की निर्भरता।
- **संसाधन नियंत्रण (Resource Control):** पृथ्वी पर उपस्थित दुर्लभ खनिज संसाधनों में चीन का प्रभुत्व आश्रित देशों के लिए लाभ और संभावित व्यापार असंतुलन उत्पन्न करता है।
- **नवाचार अंतराल (Innovation Lag):** सीमित अनुसंधान और विकास क्षमताओं वाले देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष करते हैं, जिसमे जापान और अमेरिका जैसे देश उत्कृष्ट हैं।

- **तकनीकी दिग्गजों का प्रभाव (Tech Giants' Influence):** सार्वजनिक चर्चा को आकार देने और संभावित रूप से चुनावों तक को प्रभावित करने की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों की शक्ति, राजनीतिक हेरफेर के बारे में चिंता उत्पन्न करती है।
- **बौद्धिक संपदा का संघर्ष (Intellectual Property Battles):** तकनीकी दिग्गजों के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारों पर विवाद, व्यापार घर्षण और नवाचार में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

आगे की राह

- **वैश्विक सहयोग (Global Collaboration):** सामान्य डाटा संरक्षण अधिनियम (GDPR) जैसी डिजिटल विधि के लिए सामान्य मानक और नियम स्थापित करने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में सहभागिता करना।
- **सभी के लिए डिजिटल साक्षरता (Digital Literacy for All):** भारत की डिजिटल इंडिया पहल के समान, नागरिकों को डिजिटल प्रौद्योगिकियों के बारे में शिक्षित करने के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम लागू करना। यह व्यक्तियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए सशक्त बनाता है।
- **उन्नत भविष्य के लिए निवेश (Investing in the Future):** उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास (R&D) के लिए संसाधन आवंटित करना, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अनुसंधान पर अमेरिकी केंद्र-बिंदु को प्रतिबिंबित करता है। यह दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करता है।
- **नवाचार को बढ़ावा देना (Fueling Innovation):** भारत की "**स्टार्टअप इंडिया**" जैसी पहल के माध्यम से स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटरों को प्रोत्साहित करना। जो नए विचारों को शामिल करता है और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देता है।
- **बाज़ार में निष्पक्षता (Fair Play in the Market):** Google के विरुद्ध यूरोपीय संघ की कार्रवाइयों के समान, प्रमुख भागीदारों को प्रतिस्पर्धा विरोधी होने से रोकने के लिए मजबूत प्रतिस्पर्धी कानून लागू करना।
- **डेटा साझाकरण और इंटरऑपरेबिलिटी (Data Sharing and Interoperability):** यूरोपीय यूनियन के खुले डेटा निर्देश और खुले बैंकिंग विनियमन (Open Data Directive and Open Banking regulations) से मिलती-जुलती नीतियों के माध्यम से डेटा साझाकरण और प्लेटफ़ॉर्म अंतर्संचालनीयता को प्रोत्साहित करना। यह सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देता है।
- **स्थिरता पर ध्यान (Focus on Sustainability):** डेटा केंद्रों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की ऊर्जा खपत को ध्यान में रखते हुए, डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

प्रौद्योगिकी की भू-राजनीति को संचालित करने के लिए प्रतिस्पर्धा और सहयोग के मध्य एक संवेदनशील संतुलन की आवश्यकता होती है। नैतिक नवाचार, सहयोगात्मक शासन और समावेशी विकास पर ध्यान देने के साथ मानवता की उन्नति के लिए प्रौद्योगिकी की पूरी क्षमता को समझना आवश्यक है।

प्रमुख शब्दावलियाँ

वैश्विक शक्ति गतिशीलता, साइबर युद्ध, ऊर्जा युद्ध, तकनीकी वर्चस्व, संसाधन प्रतिद्वंद्विता, सैन्य युद्धाभ्यास, वैचारिक संघर्ष, डिजिटल संप्रभुता, डेटा स्थानीयकरण, गुप्त सुरक्षा सूचना साझाकरण, साइबर सुरक्षा गठबंधन, वैश्विक तकनीकी मानक, आभासी कूटनीति आदि।

47 भारत और सूचना प्रौद्योगिकी की भू-राजनीति

भारत एक उभरती हुई जनसंख्या, प्रगतिशील अर्थव्यवस्था और महत्त्वाकांक्षी तकनीकी लक्ष्यों वाला देश है। इसलिए, यह स्वयं को प्रौद्योगिकी की भू-राजनीति जैसे जटिल क्षेत्र के केंद्र में पाता है। भारत अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता का प्रयास कर रहा है साथ ही, यह वैश्विक शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए प्रगति के लिए साझेदारी का मार्ग प्रशस्त कर रहा है भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में डेटा सुरक्षा और नैतिक विचार महत्त्वपूर्ण पहलू हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी की भू-राजनीति में भारत का उदय

सूचना प्रौद्योगिकी की भू-राजनीति; प्रौद्योगिकी, सूचना और वैश्विक शक्ति गतिशीलता के अंतरयोजन को संदर्भित करती है। इसमें प्रौद्योगिकी का रणनीतिक उपयोग, सूचना प्रवाह पर नियंत्रण और डिजिटल क्षेत्र में प्रभाव और प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा शामिल है।

भारत निम्नलिखित कारणों से वैश्विक स्तर पर इस भू-राजनीति में एक प्रमुख भागीदार के रूप में उभर रहा है:

- **प्रौद्योगिकी का शक्तिशाली केंद्र (A Tech Powerhouse):** भारत की सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका है, जो वैश्विक IT सेवाओं और ई-कॉमर्स बाजार (2022 में लगभग 227 बिलियन डॉलर) में महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है। यह प्रभुत्व भविष्य में विकास की अपार संभावनाएँ प्रदान करता है।
- **सेमीकंडक्टर केंद्रित ध्यान (Semiconductor Focus):** भारतीय सेमीकंडक्टर बाजार महत्त्वपूर्ण विस्तार के लिए तैयार है, जिसका लक्ष्य 2026 तक 300 बिलियन डॉलर तक पहुँचना है। विदेशी निवेश को आकर्षित करना और चिप डिजाइन क्षमताओं को बढ़ावा देना इस महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की प्रमुख रणनीतियाँ हैं।
- **सुपरकंप्यूटिंग महत्त्वाकांक्षाएँ (Supercomputing Ambitions):** हालांकि भारत वर्तमान में सीमित संख्या में स्वदेशी मशीनों के साथ सुपरकंप्यूटिंग में 13वें स्थान पर है, जबकि राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन का लक्ष्य घरेलू उत्पादन बढ़ाना है।
- **विनिर्माण को बढ़ावा देना (Boosting Manufacturing):** उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य मोबाइल फोन और कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे IT उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है। हालाँकि, प्रारंभिक परिणाम इस बात का संकेत देते हैं कि चुनौतियाँ बनी हुई हैं, क्योंकि स्थानीय रूप से विनिर्मित कंप्यूटरों ने अभी तक महत्त्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी हासिल नहीं की है।

तकनीकी भू-राजनीति में भारत के लिए चुनौतियाँ:

- **डिजिटल विभाजन (Digital Divide):** शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच इंटरनेट पहुँच और प्रौद्योगिकी स्वामित्व में मौजूद व्यापक अंतराल तकनीकी अंतर समावेशन में एक महत्त्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करता है। (उदाहरण के लिए, सुंदरबन, पश्चिम बंगाल जैसे गांवों में सीमित कनेक्टिविटी)
- **डेटा संबंधी चिंताएँ (Data Concerns):** गोपनीयता उल्लंघन (जैसे, **कैम्ब्रिज एनालिटिका मामला**) और साइबर सुरक्षा खतरे (जैसे, भारतीय स्टेट बैंक पर हमला) डेटा सुरक्षा और उपयोगकर्ता विश्वास के बारे में चिंताएँ बढ़ाते हैं।
- **गलत सूचना महामारी (Misinformation Epidemic):** सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों का बड़े पैमाने पर प्रसार (उदाहरण के लिए, कोविड-19 से संबंधित अस्पष्ट एवं भ्रामक खबरें) भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है और सामाजिक सद्भाव को बाधित करता है।
- **डिजिटल साक्षरता घाटा (Digital Literacy Deficit):** ऑनलाइन सेवाओं और लेनदेन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में कौशल की कमी डिजिटल अर्थव्यवस्था में व्यापक भागीदारी में बाधा डालती है।
- **ई-कॉमर्स चुनौतियाँ (E-commerce Challenges):** ई-कॉमर्स क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करना प्रमुख चुनौती बनता जा रहा है। (उदाहरण के लिए, फ्लिपकार्ट-अमेज़न मामला)।
- **नैतिक दुविधाएँ (Ethical Dilemmas):** चेहरे की पहचान जैसी उभरती प्रौद्योगिकियाँ (उदाहरण के लिए, क्लियरव्यू AI मामला) पूर्वाग्रह, भेदभाव और गोपनीयता के बारे में नैतिक चिंताएँ बढ़ाती हैं।
- **बुनियादी ढाँचे की समस्याँ (Infrastructure Issues) :** अपर्याप्त इंटरनेट बुनियादी ढाँचा, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों (उदाहरण के लिए, पूर्वोत्तर राज्य) में, आबादी के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से के लिए डिजिटल पहुँच को प्रतिबंधित करता है।

आगे की राह

- **अंतर को कम करना (Bridging the Gap):** राष्ट्रव्यापी इंटरनेट पहुँच सुनिश्चित करने और डिजिटल अंतर को कम करने के लिए बुनियादी ढाँचे के विकास में निवेश करना।
- **कूटनीति में तकनीकी पहुँच (Tech Access in Diplomacy):** प्रौद्योगिकी तक पहुँच को, विशेष रूप से इसकी बड़ी और बढ़ती तकनीकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भारत के राजनयिक संबंधों का एक केंद्रीय पहलू बनाना।
- **तकनीकी कूटनीति को बढ़ावा (Boost Tech Diplomacy):** भारत के अंतरराष्ट्रीय तकनीकी प्रभाव को सशक्त करने के लिए समर्पित तकनीकी दूतों की नियुक्ति करके 'नई, उभरती और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों' (NEST) संबंधी प्रभाग का विस्तार करना।
- **डेटा गवर्नेंस को मजबूत करना (Strengthen Data Governance):** डेटा गोपनीयता, संचलन और उपयोग को विनियमित करने के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून (DPDPL) लागू करना।

- **एक निष्पक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण (Building a Fair Ecosystem):** ई-कॉमर्स क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले नियम विकसित करना और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना।
- **नैतिक ढाँचा (Ethical Framework):** पूर्वाग्रह और गोपनीयता के उल्लंघन के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए नैतिक दिशानिर्देश विकसित करना।

इन चुनौतियों का समाधान करके और अग्रसक्रिय दृष्टिकोण अपनाकर, भारत खुद को वैश्विक तकनीकी परिदृश्य में अग्रणी बना सकता है।

निष्कर्ष

स्थापित विश्व व्यवस्था, जिस पर कभी एकमात्र महाशक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व था, एक परिवर्तनकारी बदलाव के दौर से गुजर रही है। जिसमें चीन की तीव्र आर्थिक और सैन्य वृद्धि एक विकट चुनौती प्रस्तुत कर रही है, जो संभावित रूप से एक द्विध्रुवीय विश्व का प्रारम्भ कर रही है। हालाँकि, एक तकनीकी महाशक्ति के रूप में भारत का उत्थान इन प्रचलित मान्यताओं का खण्डन करता है। विशेष रुप से भारत की बढ़ती तकनीकी शक्ति, रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्र के, समीकरणों में एक नई गतिशीलता लाती है। उपरोक्त मुद्दों को संबोधित करके, भारत न केवल अपनी सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित कर सकता है बल्कि उभरती वैश्विक व्यवस्था के ढाँचे को भी प्रभावित कर सकता है।

प्रमुख शब्दावलियाँ

प्रौद्योगिकी का शक्तिशाली केंद्र, सेमीकंडक्टर केंद्रित ध्यान, डिजिटल विभाजन, गलत सूचना महामारी, डिजिटल साक्षरता घाटा, अंतर को कम करना, तकनीकी कूटनीति (NEST प्रभाग) को बढ़ावा देना, डेटा गवर्नेंस को मजबूत करना (DPDPL), नई प्रौद्योगिकियों के लिए नैतिक ढाँचा, परिवर्तनशील वैश्विक व्यवस्था आदि।

48 भारत का सॉफ्ट पावर

किसी देश के अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों (राज्यों, निगमों, समुदायों, जनता आदि) में विभिन्न पक्षों की प्राथमिकताओं और व्यवहारों को दबाव के बजाय आकर्षण या अनुनय के माध्यम से प्रभावित करने की क्षमता।"

- जोसेफ न्ये (JOSEPH NYE) के अनुसार सॉफ्ट पावर

परिचय

विदेश मंत्रालय "सॉफ्ट पावर" को, बल या आर्थिक दबाव का सहारा लिए बिना, आकर्षण और अनुनय के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करने की राष्ट्र की क्षमता के रूप में परिभाषित करता है। यह "हार्ड पावर" के विपरीत है, जो सैन्य शक्ति या आर्थिक प्रभाव जैसे मूर्त संसाधनों पर निर्भर करती है।

- भारत वर्तमान में वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक 2024 (Global Soft Power Index) में 29वें स्थान पर है।

प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार भारतीय सॉफ्ट पावर के 5 अहम स्तंभ

- गरिमा (Dignity)
- संवाद (Dialogue)
- साझा समृद्धि (Shared Prosperity)
- क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा (Regional and Global Security)
- सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध (Cultural and Civilizational Links)।

भारत के सॉफ्ट पावर उपकरण

- **प्रवासी भारतीय (Indian Diaspora):** भारत का विशाल प्रवासी समुदाय, जिसकी संख्या 32 मिलियन से अधिक है, भारत और अन्य देशों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। इसमें आर्थिक प्रभाव वाले अनिवासी भारतीय (NRI), सांस्कृतिक संबंध बनाए रखने वाले **भारत के प्रवासी नागरिक** (OCI) और OCI में शामिल भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) शामिल हैं।
- **संसदीय सद्भावना (Parliamentary Goodwill):** भारतीय सांसदों की नियमित आदान-प्रदान यात्राएँ विदेशी समकक्षों के साथ सकारात्मक संबंधों को प्रोत्साहित करती हैं और आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देती हैं।
- **बहुपक्षीय जुड़ाव (Multilateral Engagement):** ब्रिक्स(BRICS), G -20 और आसियान (ASEAN) जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की सक्रिय भागीदारी इसे वैश्विक चर्चा को आकार देने और सामान्य हितों के मुद्दों पर सहयोग करने की अनुमति देती है।
- **अतीत का भ्रमण (Touring the Past):** भारत का जीवंत पर्यटन उद्योग, बौद्ध सर्किट पर्यटन जैसी पहलों से प्रेरित होकर, विदेशियों को देश के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक चित्रपट (Tapestry) का प्रत्यक्ष अनुभव करने की अनुमति देता है।
- **सांस्कृतिक विरासत (Cultural Legacy):** भारत के समृद्ध ऐतिहासिक स्थलों, संग्रहालयों और कला रूपों को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहल देश की सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को और बढ़ाती है।
- **चिकित्सा निर्यात (Wellness Exports):** आयुर्वेद, योग और पारंपरिक भारतीय चिकित्सा की वैश्विक लोकप्रियता स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भारत के समग्र दृष्टिकोण को दर्शाती है।
- **बॉलीवुड बूम (Bollywood Boom):** एक वैश्विक मनोरंजन परिघटना के रूप में बॉलीवुड का अभूतपूर्व उदय भारतीय संस्कृति, संगीत और नृत्य को अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के सामने प्रस्तुत करता है।

भारत के लिए सॉफ्ट पावर का महत्त्व :

- **विदेश नीति को बढ़ावा देना (Boosting Foreign Policy):** भारत का सांस्कृतिक प्रभाव, उदाहरण के लिए मध्य पूर्व में अपनी मजबूत उपस्थिति के माध्यम से, सहयोग और सद्भावना को बढ़ावा दे सकता है और अंततः विदेश नीति के उद्देश्यों में सहायता कर सकता है।
- **वैश्विक नेतृत्व (Global Leadership):** सॉफ्ट पावर भारत को एक सकारात्मक छवि प्रस्तुत करने और अन्य देशों से सम्मान अर्जित करने की अनुमति देती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय में उसका प्रभाव बढ़ता है।
- **हार्ड पावर का पूरक (Complementing Hard Power):** यद्यपि सैन्य और आर्थिक शक्ति (हार्ड पावर) महत्त्वपूर्ण हैं, तथापि प्रभावी कूटनीति के लिए सॉफ्ट पावर की मजबूत नींव की आवश्यकता होती है। सॉफ्ट पावर को नजरअंदाज करने से अलगाव हो सकता है और भारत के रणनीतिक लक्ष्यों में बाधा आ सकती है।

भारतीय सॉफ्ट पावर की चुनौतियाँ

- **समन्वय अंतराल (Coordination Gap):** सांस्कृतिक कूटनीति में शामिल विभिन्न सरकारी और निजी संस्थाओं के बीच प्रयासों के असंयोजन प्रभाव को कम कर सकता है, इसमें बेहतर सहयोग और परामर्श आवश्यक है।
- **धार्मिक पर्यटन में पिछड़ना (Lagging behind in religious tourism):** थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की तुलना में भारत ने धार्मिक पर्यटकों को आकर्षित करने में कमजोर प्रदर्शन किया है। इसकी समृद्ध आध्यात्मिक विरासत का लाभ उठाना एक संभावित विकास क्षेत्र हो सकता है।

- **सीमित संसाधन (Limited Resources):** भारत के सॉफ्ट पावर प्रयास प्रायः समर्पित वित्त पोषण की कमी के कारण बाधित होते हैं। प्रभावी प्रचार के लिए समयबद्ध पर्याप्त बजट आवंटन महत्त्वपूर्ण है।
- **भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की अस्पष्टता (ICCR Ambiguity):** सांस्कृतिक कूटनीति के लिए प्राथमिक निकाय भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) का अस्पष्ट अधिदेश, इसकी प्रभावशीलता में बाधा डालता है।
- **नकारात्मक छवि संबंधी चिंताएँ (Negative Image Concerns):** प्रदूषण, बाल श्रम और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जैसे मुद्दों का नकारात्मक मीडिया चित्रण संभावित आगंतुकों को निराश कर सकता है और भारत के सॉफ्ट पावर प्रस्तावन को कमजोर कर सकता है।

चुनौतियों पर नियंत्रण करने के उपाय

- **प्रवासी समुदाय को जोड़ना (Engaging the Diaspora):** भारतीय प्रवासियों के साथ सक्रिय संलग्नता, विदेशों में भारतीय संस्कृति और उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए उनके समूह का लाभ उठा सकती है। भारतीय उत्सवों को मनाने या विदेशों में भारतीय शास्त्रीय कला प्रदर्शनों का समर्थन करने वाले कार्यक्रम इस प्रकार की संलग्नता के उदाहरण हैं।
- **प्रभाव को मापना (Measuring Impact):** वस्तुनिष्ठ मेट्रिक्स के साथ "सॉफ्ट पावर मैट्रिक्स" विकसित करने से पहल की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में सहायता मिल सकती है। यह अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भारतीय संस्कृति के उल्लेख या लक्षित क्षेत्रों से पर्यटकों के आगमन जैसे पहलुओं को ट्रैक कर सकता है।
- **नेतृत्वकर्ता से सीखना (Learning from Leaders):** अन्य देशों द्वारा अपनाई गई सफल सॉफ्ट पावर रणनीतियों का व्यापक अध्ययन मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए, दक्षिण कोरिया की वैश्विक के-पॉप परिघटना सांस्कृतिक निर्यात की शक्ति को प्रदर्शित करती है।
- **एकीकृत दृष्टिकोण (Unified Approach):** विदेश मंत्रालय (MEA) और पर्यटन मंत्रालय जैसे अन्य संबंधित निकायों के बीच बेहतर समन्वय एक अधिक सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय सॉफ्ट पावर रणनीति बना सकता है।
- **वैश्विक पर्यटन पर ध्यान (Focus on Global Tourism):** विदेशों में भारत के पर्यटन कार्यालयों के तंत्र का विस्तार विशिष्ट देशों के हितों के अनुरूप लक्षित प्रचार की अनुमति देता है। ताज महल के अतिरिक्त विविध पर्यटन स्थलों पर प्रकाश डालने से आकर्षण बढ़ सकता है।

इन रणनीतियों को अपनाकर, भारत अपनी वैश्विक स्थिति को सुदृढ़ करने और मजबूत अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाने के लिए रणनीतिक रूप से अपनी सॉफ्ट पावर नीति लाभ उठा सकता है।

प्रमुख शब्दावलियाँ

ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, भारतीय प्रवासी, संसदीय सद्भावना, बहुपक्षीय जुड़ाव, सांस्कृतिक विरासत, कल्याण निर्यात, धार्मिक पर्यटन अंतराल, नकारात्मक छवि संबंधी चिंताएँ आदि।

सॉफ्ट पावर के उपकरण के रूप में संस्कृति (Culture As A Tool Of Soft Power)

- **प्राचीन आदर्श (Ancient Ideal):** उपनिषदों में लिपिबद्ध **"वसुधैव कुटुंबकम"** (विश्व एक परिवार है) की अवधारणा भारत की धार्मिक समावेशिता की दीर्घकालिक परंपरा को दर्शाती है।
- **ऐतिहासिक विरासत (Historical Legacy):** भारत की पूर्व की ओर देखो नीति अपनी बौद्ध विरासत का लाभ उठाती है, जो बौद्ध शिक्षाओं के माध्यम से सम्राट अशोक के **"धर्मविजय"** (धार्मिक विजय) पर बल देती है।
- **सांस्कृतिक कूटनीति (Cultural diplomacy):** सांस्कृतिक कूटनीति भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। **"अनेकता में एकता"** का मूल मंत्र, संस्कृतियों और सभ्यताओं की जीवंत चित्रपट (Tapestry) को दर्शाता है जो दुनिया को आकर्षित करता रहता है।
- **समृद्ध धार्मिक विविधता (Rich religious Diversity):** भारत एक अद्वितीय धार्मिक विविधता का दावा करता है, जिसमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म इसकी सीमाओं के भीतर उत्पन्न हुए हैं, और पारसी धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम भी यहाँ निवास करते हैं।
- **भाषा और शिक्षा (Language and Education):** **"डेस्टिनेशन इंडिया"** और **"भारत को जानों कार्यक्रम"** जैसी पहल भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करती हैं और इसे ज्ञान केंद्र के रूप में स्थापित करती हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) अंतरराष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए भारत की शैक्षिक शक्तियों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है।
- **मीडिया और संचार (Media and Communication):** डीडी इंडिया जैसे मंचों को मजबूत करने, इसकी वैश्विक पहुँच का विस्तार करने और भारत के इतिहास को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने के प्रयास चल रहे हैं।
- **संस्कृति से परे (Beyond Culture):** भारत की सॉफ्ट पावर व्यापक विस्तारित है। दक्षिण एशिया में अंतरिक्ष आधारित सेवाएँ प्रदान करने वाला जीसैट-9 उपग्रह भारत की बढ़ती अंतरिक्ष कूटनीति को दर्शाता है। इसी प्रकार, **"नमस्ते कूटनीति"** और स्वास्थ्य सेवा में प्रगति ने भारत को चिकित्सा विशेषज्ञता और कम लागत वाले समाधान पेश करने वाले एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित किया है।

भारतीय सॉफ्ट पावर का व्यावहारिक कार्यान्वयन (India's Soft Power In Action)

भारत विभिन्न पहलों के माध्यम से सकारात्मक अंतरराष्ट्रीय संबंध विकसित करने के लिए अपनी समृद्ध धार्मिक विरासत का लाभ उठाता है:

- **धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना (Promoting Religious Tourism):** पर्यटन मंत्रालय भारत और नेपाल के स्थलों को शामिल करने वाले बौद्ध सर्किट जैसे अंतरराष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन सर्किट को बढ़ावा देता है, जिससे सांस्कृतिक आदान-प्रदान और पर्यटन राजस्व को बढ़ावा मिलता है।
- **धार्मिक आयोजनों की मेजबानी (Hosting Religious Events):** भारत वैश्विक बौद्ध सम्मेलन (2011) जैसे प्रमुख धार्मिक सम्मेलनों की मेजबानी करता है, जो इन धर्मों के साथ अपने गहरे संबंध को प्रदर्शित करता है और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करता है। (नई दिल्ली में दो दिवसीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन)
- **इस्लामिक जगत को शामिल करना (Engaging the Islamic World):** इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) में सदस्यता के लिए भारत की कोशिश इसकी बड़ी मुस्लिम आबादी के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को उजागर करती है और इस्लामिक देशों के साथ संबंध निर्माण का प्रयास करती है।
- **नेताओं की सहभागिता (Leader Engagement):** विदेशी नेताओं द्वारा धार्मिक स्थलों की उच्च दर्जे की यात्राएं, जैसे जापानी प्रधानमंत्री की वाराणसी

यात्रा (हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म) और भारतीय प्रधानमंत्री की सिंगापुर के मरियम्मन मंदिर (हिंदू) और बुद्ध दंत अवशेष मंदिर (बौद्ध धर्म) की यात्रा।

- **प्रोजेक्ट मौसम (Project Mausam):** इस पहल का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के भीतर संबंधों और संचार को मजबूत करना है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ाकर, यह विविध मूल्यों और परंपराओं की आपसी समझ और महत्त्व को बढ़ावा देता है।

सॉफ्ट पावर के रूप में सांस्कृतिक चुनौतियाँ (CHALLENGES IN CULTURE AS SOFT POWER)

- **अनन्वेषित पर्यटन क्षमता (Missed Tourism Potential):** भारत, अपनी समृद्ध बौद्ध विरासत के बावजूद, बौद्ध पर्यटकों को आकर्षित करने में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से पीछे है।
- **घरेलू तनाव (Domestic Tensions):** CAA और NRC जैसी नीतियों ने धार्मिक तनाव उत्पन्न किया है, जिससे भारत की सहिष्णुता की छवि कमजोर हुई है।
- **उभरती प्रतिस्पर्धा (Emerging Competition):** लुंबिनी परियोजना जैसी पहल के साथ बौद्ध धर्म पर चीन का बढ़ता ध्यान एक चुनौती प्रस्तुत करता है।
- **सांस्कृतिक प्रचार का अभाव (Lacklustre Cultural Promotion):** भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) जैसे निकायों के प्रयास भारत की धार्मिक विरासत को बढ़ावा देने में पूरी तरह से प्रभावी नहीं रहे हैं।

दृष्टिकोण को मजबूत बनाना (STRENGTHENING APPROACH)

- **धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना (Boosting Religious Tourism):** उन्नत बुनियादी ढाँचे, उत्पाद विकास और लक्षित विपणन से संबंधित एक बहुआयामी रणनीति अधिक आगंतुकों को आकर्षित कर सकती है। इसके लिए राष्ट्रीय और स्थानीय संस्थाओं के बीच सहयोग महत्त्वपूर्ण है।
- **तटस्थ सॉफ्ट पावर (Neutral Soft Power):** सांस्कृतिक और धार्मिक प्रचार को बिना किसी राजनीतिक प्रभाव के भारत की समृद्ध विरासत पर महत्त्व देना चाहिए।
- **बौद्ध शिक्षा केंद्रों को पुनर्जीवित करना (Revival of Buddhist Education Centers):** नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों और बौद्ध अध्ययन कार्यक्रमों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने से बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हो सकती है।
- **नागरिक समाज की सहभागिता (Engaging Civil Society):** स्थानीय समुदाय विरासत को संरक्षित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जन जागरूकता कार्यक्रम स्वामित्व की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं और जिम्मेदार पर्यटन प्रथाओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

इन चुनौतियों का समाधान करके और प्रभावी उपायों को लागू करके, भारत अपनी धार्मिक विरासत को सॉफ्ट पावर के एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उपयोग कर सकता है, सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा दे सकता है और अपनी वैश्विक स्थिति को मजबूत कर सकता है।

प्रमुख शब्दावलियाँ

वसुधैव कुटुंबकम, धर्मविजय, धार्मिक विविधता, पवित्र स्थल, धार्मिक पर्यटन, बौद्ध सर्किट, वैश्विक बौद्ध संघ, सॉफ्ट पावर के उपकरण आदि।

सॉफ्ट पावर से संबंधित पी.पी. चौधरी समिति की सिफारिशें

- **भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देना (Promote India's soft power):** पैनल ने अनुरोध किया कि सरकार भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत PR योजना बनाए।
- **पर्यटन का विस्तार करना (Expand Tourism):** विदेश मंत्रालय को विदेशों में अपने पर्यटन कार्यालयों के नेटवर्क का विस्तार करने और विपणन पहल के लिए एक राष्ट्र-विशिष्ट रणनीति का उपयोग करना चाहिए।
- **औषधि कूटनीति (Medicine Diplomacy):** संसदीय पैनल ने सरकार से भारतीय औषधकोश (Pharmacopoeia) को अपनाने और आयुर्वेद को एक चिकित्सा प्रणाली के रूप में मान्यता दिलाने के लिए परिश्रमपूर्वक कार्य करने का आग्रह किया।

निष्कर्ष (CONCLUSION)

वर्तमान विश्व में अपनी प्रभावी भूमिका स्थापित करने के लिए सॉफ्ट पावर एक मूल्यवान उपकरण है, किंतु इसे वास्तव में प्रभावी बनाने के लिए हार्ड पावर क्षमताओं की मजबूत आधार की आवश्यकता होती है। भारत की आर्थिक और सैन्य शक्ति में वृद्धि वैश्विक मंच पर इसकी सॉफ्ट पावर पहल को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण होगी। उच्च आर्थिक विकास प्राप्त करने से शिक्षा, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक कूटनीति जैसी सॉफ्ट पावर पहलों में निवेश करने के लिए मार्ग प्रशस्त होते हैं। यह एक अच्छा चक्र बनाता है जहाँ एक मजबूत अर्थव्यवस्था सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देती है, और एक सकारात्मक वैश्विक छवि आगे के आर्थिक अवसरों को आकर्षित करती है।

प्रमुख शब्दावलियाँ

सांस्कृतिक कूटनीति, सांस्कृतिक चुंबकत्व, अंतर-सांस्कृतिक समझ, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, सांस्कृतिक राजदूत, अंतरिक्ष कूटनीति (जीसैट-9), नमस्ते कूटनीति, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद(ICCR), खेल कूटनीति आदि।

विगत वर्षों के प्रश्न

- आतंकवादी गतिविधियों और परस्पर अविश्वास ने भारत-पाकिस्तान संबंधों को धूमिल बना दिया है। खेलों और सांस्कृतिक आदान-प्रदानों जैसी **सॉफ्ट पावर** किस सीमा तक दोनों देशों के बीच सद्भाव उत्पन्न करने में सहायक हो सकती है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। **(2015)**

49 ऊर्जा कूटनीति

ऊर्जा कूटनीति में विदेशों में सरकारी कार्रवाइयाँ शामिल होती हैं जिनका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में व्यावसायिक अवसरों का सृजन करते हुए देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को सुरक्षित करना है। इसके दो प्रमुख लक्ष्य हैं:

- **ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना (Ensuring Energy Security):** इसमें सामाजिक आवश्यकताओं और आर्थिक विकास दोनों को बढ़ावा देने के लिए विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों को सुरक्षित करना शामिल है।
- **ऊर्जा का लाभ उठाना (Leveraging Energy):** इसमें विदेश नीति को प्रभावित करने और रणनीतिक साझेदारी विकसित करने के लिए एक उपकरण के रूप में ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करना शामिल है।

कार्यरूप में भारत की ऊर्जा कूटनीति (INDIA'S ENERGY DIPLOMACY IN ACTION)

भारत कई पहलों के माध्यम से ऊर्जा कूटनीति को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है:

- **नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग (Renewable Energy Cooperation)**: भारत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और इसकी **"वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड** (OSOWOG)" पहल के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का समर्थन करता है। इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना का लक्ष्य क्षेत्रीय ग्रिडों को जोड़ना है, जिससे सीमाओं के पार स्वच्छ ऊर्जा का हस्तांतरण संभव हो सके।
- **विद्युत शक्ति संचरण (Power Transmission):** भारत क्षेत्रीय पावर ट्रांसमिशन में एक प्रमुख भागीदार है। 2014 सार्क समझौते के हिस्से के रूप में भारत; बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों को विद्युत निर्यात करता है।
- **जलविद्युत ऊर्जा (Hydroelectric Power):** भारत भूटान से ताला, चुखा, कुरिचू और माँगदेछु जैसे संयंत्रों के माध्यम से जलविद्युत आयात करता है। इसके अतिरिक्त, भारत नेपाल की जलविद्युत परियोजनाओं, जैसे कि महाकाली परियोजना, ऊपरी करनाली परियोजना और अरुण परियोजनाओं में शामिल है।
- **पाइपलाइन कनेक्टिविटी (Pipeline Connectivity):** भारत, तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (TAPI) पाइपलाइन जैसी परियोजनाओं में शामिल है, जो तुर्कमेनिस्तान और इसमें भागीदार देशों तक प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करेगी।
- **परमाणु ऊर्जा साझेदारी (Nuclear Energy Partnerships):** भारत-अमेरिका परमाणु समझौते और भारत-जापान नागरिक परमाणु समझौते जैसी रणनीतिक साझेदारियां, भारत को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकियों तक पहुँच की अनुमति देती हैं।

भारत की ऊर्जा कूटनीति में चुनौतियाँ

- **तकनीकी निर्भरता और सुरक्षा (Tech Reliance and Security):** ऊर्जा क्षेत्र की प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता चुनौतियाँ उत्पन्न करती है। ऊर्जा क्षेत्र का बढ़ता डिजिटलीकरण और अंतर्संबंध, साइबर सुरक्षा के लिए एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय ढाँचे के बिना सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चिंताओं को बढ़ा सकता है।
- **कोयला प्रभुत्व बनाम नवीकरणीय ऊर्जा (Coal Dominance vs. Renewables Energy):** भारत के बिजली उत्पादन में अभी भी कोयले का योगदान लगभग आधा है, जो पवन, सौर और बायोमास जैसे नवीकरणीय स्रोतों, जो केवल 26% के आसपास योगदान करते हैं, से बहुत ज्यादा है।
- **बुनियादी ढाँचे की बाधाएँ (Infrastructure Hurdles):** सीमा पार पाइपलाइनों और विद्युत ट्रांसमिशन ग्रिड का विकास और रखरखाव महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।
- **सीमित आयात स्रोत (Limited Import Sources):** भारत अपने 60% से अधिक तेल और गैस आयात के लिए फारस की खाड़ी क्षेत्र पर बहुत अधिक निर्भर रहता है, जिससे यह भू-राजनीतिक व्यवधानों के प्रति संवेदनशील हो जाता है।
- **मूल्य निर्धारण चुनौतियाँ (Pricing Challenges):** परस्पर जुड़े क्षेत्रीय नेटवर्कों के मध्य विद्युत व्यापार के लिए उचित ट्रांसमिशन शुल्क निर्धारित करना जटिल हो सकता है।

ऊर्जा सुरक्षा के लिए आगे की राह

- **ग्रिड गवर्नेंस पर सहयोग (Collaboration on Grid Governance):** सशक्त अंतरराष्ट्रीय सहयोग और उचित ढाँचे का विकास सीमा पार विद्युत ग्रिड के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित कर सकता है।
- **निवेश और वित्तपोषण (Investment and Funding):** 2025 तक अंतरराष्ट्रीय सौर वित्त में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की भारत की प्रतिबद्धता स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर भारत के प्रयासों को दर्शाती है।
- **आयात में विविधता लाना (Diversifying Imports):** विशिष्ट क्षेत्रों या देशों पर निर्भरता से बचने के लिए भारत को रणनीतिक रूप से अपने आयात स्रोतों में विविधता लाने की आवश्यकता है।
- **स्थान का लाभ उठाना (Leveraging Location):** ऊर्जा-समृद्ध क्षेत्रों से भारत की भौगोलिक निकटता एक रणनीतिक लाभ प्रस्तुत करती है जिसका उपयोग संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है।

उपरोक्त चुनौतियों के बावजूद, भारत रणनीतिक योजना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से इन्हें नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। ऊर्जा आयात में विविधता लाना, इसकी भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाना और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करना महत्त्वपूर्ण कदम हैं। इसके अतिरिक्त, बुनियादी ढाँचे के विकास और साइबर सुरक्षा ढाँचे पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना; भारत के लिए अधिक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

50 रक्षा कूटनीति

भारत की रक्षा कूटनीति रणनीतिक साझेदारी निर्माण और सशस्त्र बलों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस सहयोगात्मक दृष्टिकोण का उद्देश्य, साझा हितों को आगे बढ़ाना और विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इसके प्रमुख पहलू हैं:

- **सहयोग और सहभगिता (Cooperation and Collaboration):** भारत के 53 से अधिक देशों के साथ रक्षा सहयोग समझौते हैं, जो संयुक्त सैन्य अभ्यास (जैसे, **मालाबार अभ्यास**) और अंतरराष्ट्रीय मंचों (जैसे, **RATS-SCO**) में भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण, क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देता है और संबंधों को मजबूत करता है।
- **विश्वास निर्माण (Confidence Building):** रक्षा सहयोग, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत देता है और सैन्य पारदर्शिता, विश्वास और साझा हितों को बढ़ावा देता है।
- **आर्थिक लाभ (Economic Benefits):** रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020, एयरोस्पेस और रक्षा सामग्री और सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहित करती है, जिससे भारत के रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलता है। इसके अतिरिक्त, हथियार प्रणालियों का सह-उत्पादन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देते है।
- **क्षमताओं को बढ़ावा देना (Boosting Capabilities):** रक्षा सहयोग भारतीय सेनाओं को उन्नत प्रौद्योगिकियों, सिद्धांतों और साझेदार देशों के युद्ध अनुभव से परिचित होने की अनुमति देता है, जिससे क्षमता निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है।

रक्षा कूटनीति के समक्ष चुनौतियाँ :

- **भू-राजनीतिक चुनौतियाँ (Geo-political Concerns):** दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र में चीन की आक्रामक कार्रवाइयाँ एक महत्त्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करती हैं।
- **संरचनात्मक सीमाएँ (Structural Limitations):** प्रमुख शक्तियों की तुलना में कई दूतावासों में समर्पित रक्षा विंग की कमी प्रभावी सहयोग में बाधा डालती है।
- **असंगत कार्यान्वयन (Inconsistent Implementation):** वर्तमान में रक्षा सहयोग देश-से-देश आधार पर संचालित होता है, जिसमें एकीकृत रणनीति का अभाव है।
- **समन्वय समस्या (Coordination Issues):** रक्षा सहयोग में शामिल मंत्रालयों के बीच असंबद्ध संचार कुशल कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
- **संसाधन की सीमाएँ (Resource Constraints):** सीमित रक्षा व्यय (2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद का 2%) क्षमताओं और साझेदारी को बाधित कर सकता है।

रक्षा कूटनीति को मजबूत करने के लिए सुझाव :

- **नीतिगत ढाँचा (Policy Framework):** स्पष्ट नीति दिशा-निर्देश विकसित करने से यह सुनिश्चित हो सकता है कि रक्षा सहयोग गतिविधियाँ विदेश नीति के उद्देश्यों के अनुरूप संचालित हो रही हैं।
- **एकीकृत योजना (Integrated Planning):** रक्षा सहयोग का विस्तार करना और वैश्विक स्तर पर रणनीतिक सैन्य उपस्थिति स्थापित करना राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकता है।
- **विशिष्ट कार्मिक (Specialized Personnel):** रक्षा सहयोग में विशेषज्ञता वाले समर्पित और अनुभवी अधिकारी इसके विभिन्न पहलुओं की देखरेख कर सकते हैं।
- **क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ाना (Enhancing Regional Stability):** पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने से चीन के प्रभाव का सामना किया जा सकता है और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- **मूल्यांकन और सुधार (Evaluation and Improvement):** लागत-प्रभावशीलता का आकलन करने और प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए गतिविधियों का नियमित परीक्षण महत्त्वपूर्ण है।

इन चुनौतियों का समाधान करके और प्रस्तावित उपायों को लागू करके, भारत अपनी रक्षा कूटनीति को मजबूत कर सकता है और अपने सुरक्षा और सहयोग लक्ष्यों को आगे बढ़ा सकता है।

51 भारत और ग्लोबल साउथ

परिचय

- **हालिया संदर्भ:** 2023 में, भारत ने द्वितीय वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ सम्मेलन (VOGSS) की मेजबानी की। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एक ऐसी विश्व व्यवस्था की दिशा में सकारात्मक गति को बनाए रखना है जो अधिक समावेशी, प्रतिनिधित्वपूर्ण और प्रगतिशील हो।
- प्रधानमंत्री मोदी ने "दक्षिण" (DAKSHIN) का अनावरण किया, जो ग्लोबल साउथ के अंतर्गत उत्कृष्टता (Global South Center of Excellence) के लिए समर्पित एक केंद्र है। उन्होंने ग्लोबल साउथ के लिए **पांच प्रमुख सिद्धांतों (5Cs)** के महत्त्व पर भी बल दिया: परामर्श (Consultation), सहयोग (Cooperation), संचार (Communication), रचनात्मकता (Creativity) और क्षमता निर्माण (Capacity Building)।
- इससे पूर्व भारत ने VOGSS उद्घाटन समारोह की मेजबानी की, जो "आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता" (Unity of Voice, Unity of Purpose) विषयवस्तु के तहत ग्लोबल साउथ के 125 देशों को एक साथ लाया था।

ग्लोबल साउथ (THE GLOBAL SOUTH):

- 1980 में, ब्रांट रेखा द्वारा भौगोलिक रूप से विश्व को उत्तरी संपन्न और दक्षिणी निर्धन देशों में विभाजित किया गया।
- इसके आधार पर, ग्लोबल साउथ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के उन देशों को संदर्भित करता है जो सामान्यतः ग्लोबल नॉर्थ के औद्योगिक देशों की तुलना में आर्थिक रूप से कम विकसित हैं। ये देश प्रायः उपनिवेशवाद के समान अनुभव और अधिक न्यायसंगत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की इच्छा साझा करते हैं।
- भारत, अपनी बड़ी आबादी और उभरती अर्थव्यवस्था के साथ, ग्लोबल साउथ में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। यह व्यापार, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक शासन जैसे मुद्दों पर विकासशील देशों के हितों की वकालत करता है।

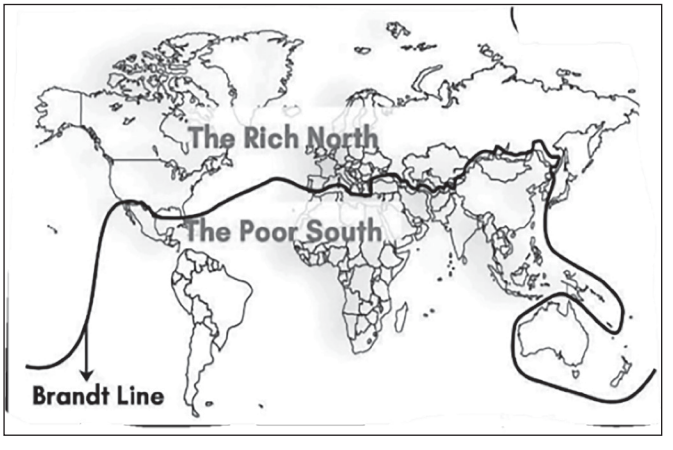

ग्लोबल साउथ का महत्त्व

- **जलवायु परिवर्तन की संवेदनशीलता (Climate Change Vulnerability):** समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, चरम जलवायु घटनाएँ और बाधित कृषि; ग्लोबल साउथ के लिए एक संकट है। अतः इस क्षेत्र में स्थित देशों को अनुकूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन की आवश्यकता है।
- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South Cooperation):** विकासशील देशों के बीच सहयोग उन्हें गरीबी और असमानता से निपटने में अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की अनुमति देता है।
- **प्राकृतिक संसाधन संपदा (Natural Resource Wealth):** ग्लोबल साउथ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, लेकिन पर्यावरणीय क्षति के बिना विकास को बढ़ावा देने के लिए टिकाऊ प्रबंधन आवश्यक है।
- **ऊर्जा संचरण (Energy Transition):** स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने, जीवाश्म ईंधन से दूर जाने, ऊर्जा सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए वित्तपोषण महत्त्वपूर्ण है।

ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की रणनीति :

- **सामान्य मुद्दों का समर्थन (Championing Common Issues):** भारत गरीबी, भुखमरी और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच जैसी साझा चुनौतियों का समाधान करने के लिए अन्य विकासशील देशों के साथ कार्य करता है।
- **रणनीतिक गठबंधन बनाना (Building Strategic Alliances):** वैश्विक मंच पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए भारत अन्य विकासशील देशों, विशेषकर अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को मजबूत करता है।
- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर ध्यान (Focus on South-South Cooperation):** भारत विशेषज्ञता साझा करने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण जैसी पहलों के माध्यम से विकासशील देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।
- **नव-उपनिवेशवाद का विरोध (Countering Neo-Colonialism):** भारत संपन्न देशों के प्रभुत्व का विरोध करता है और अधिक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था पर बल देता है जहाँ दक्षिण की आवाज सुनी जाती है।

ग्लोबल साउथ के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

- **विगत अप्रभावशीलता (Past Ineffectiveness):** गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसे मौजूदा संगठन विकासशील देशों का पक्ष रखने में अत्यधिक सफल नहीं रहे हैं।
- **घरेलू प्राथमिकताएँ (Domestic Priorities):** भारत की अपनी विकास चुनौतियाँ, जैसे सीमित संसाधन, दूसरों की सहायता करने की क्षमता को सीमित कर सकती हैं।

- **विविधता और एकता का अभाव (Diversity and Disunity):** विकासशील देशों के मध्य गहन आर्थिक मतभेद और राजनीतिक असहमति एक एकीकृत नीति बनाने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है।
- **पश्चिमी प्रभाव (Western Influence):** पश्चिमी देशों का वित्तीय प्रभुत्व भारत की महत्त्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने की क्षमता को सीमित करता है।

सहभागिता बढ़ाना :

- **साझेदारी बढ़ाना (To develop the)**: **एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर** जैसी परियोजनाओं पर समान विचारधारा वाले देशों के साथ सहयोग से ग्लोबल साउथ को लाभ हो सकता है।
- **नियमित सहयोग (Regular Cooperation):** नियमित शिखर सम्मेलन सहयोग और साझा समाधान को बढ़ावा दे सकते हैं।
- **विश्वास का निर्माण (Building Trust):** सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और विश्वास-निर्माण के उपाय संबंधों को घनिष्ठ कर सकते हैं।
- **अग्रणी हित (Championing Interests):** भारत विकासशील देशों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को प्राथमिकता देने के लिए G - 20 जैसे मंचों पर अपनी स्थिति का लाभ उठा सकता है।

निष्कर्ष

इस प्रकार ज्ञात होता है कि ग्लोबल साउथ संकट में है किंतु यह टिकाऊ भविष्य की कुंजी भी है। इसके अतिरिक्त, वैश्विक दक्षिण के साथ भारत की सफल भागीदारी के लिए विविधता और अतीत की सीमाओं की चुनौतियों से निपटना आवश्यक है। साझा हितों को प्राथमिकता देकर, मजबूत साझेदारियों और विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देकर, भारत विकासशील देशों को सशक्त बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

Saarthi

THE COACH

1 : 1 MENTORSHIP BEYOND THE CLASSES

- **Diagnosis** of candidates based on background, level of preparation and task completed.
- **Customized solution** based on Diagnosis.
- One to One **Mentorship.**
- Personalized schedule **planning.**
- Regular **Progress tracking.**
- **One to One classes** for Needed subjects along with online access of all the subjects.
- Topic wise **Notes Making sessions**.
- One Pager **(1 Topic 1 page)** Notes session.
- **PYQ** (Previous year questions) Drafting session.
- **Thematic charts** Making session.
- **Answer-writing** Guidance Program.
- **MOCK Test** with comprehensive & swift assessment & feedback.

Ashutosh Srivastava
(B.E., MBA, Gold Medalist)
Mentored 250+ Successful Aspirants over a period of 12+ years for Civil Services & Judicial Services Exams at both the Centre and state levels.

Manish Shukla
Mentored 100+ Successful Aspirants over a period of 9+ years for Civil Services Exams at both the Centre and state levels.

WALL OF FAME

UTKARSHA NISHAD
UPSC RANK - 18

SURABHI DWIVEDI
UPSC RANK - 55

SATEESH PATEL
UPSC RANK - 163

SATWIK SRIVASTAVA
SDM RANK-3

DEEPAK SINGH
SDM RANK-20

ALOK MISHRA
DEPUTY JAILOR RANK-11

SHIPRA SAXENA
GIC PRINCIPAL (PCS-2021)

SALTANAT PARWEEN
SDM (PCS-2022)

KM. NEHA
SUB REGISTRAR (PCS-2021)

SUNIL KUMAR
MAGISTRATE (PCS-2021)

ROSHANI SINGH
DIET (PCS-2020)

AVISHANK S. CHAUHAN
ASST. COMMISSIONER
SUGARCANE (PCS-2018)

SANDEEP K. SATYARTHI
CTO (PCS-2018)

MANISH KUMAR
DIET (PCS-2018)

AFTAB ALAM
PCS OFFICER

ASHUTOSH TIWARI
SDM (PCS-2022)

CHANDAN SHARMA
Magistrate
Roll no. 301349

YOU CAN BE THE NEXT....

8009803231 / 8354021661

D 22&23, PURNIYA CHAURAHA, NEAR MAHALAXMI SWEET HOUSE, SECTOR H, SECTOR E, ALIGANJ, LUCKNOW, UTTAR PRADESH 226024

MRP:- ₹ 190